SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार

2026 का प्रतिवेदन संख्या 5

(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर वर्ष 2024–25 के लिए
प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार

2026 का प्रतिवेदन संख्या 5

विषय सूची

विवरण	अनुच्छेद	सन्दर्भ पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v–vii
कार्यपालिक सारांश		ix–xiii
अध्याय I: राज्य वित्त का विहंगावलोकन		
राज्य की रुपरेखा	1.1	1
राज्य की जनसांख्यिकी	1.1.1	1
राज्य की अर्थव्यवस्था	1.1.2	2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय	1.1.2.1	2
जीएसवीए में क्षेत्रवार योगदान	1.1.2.2	3
वित्त की संक्षिप्त झलक	1.1.3	5
निधियों के स्रोत और उपयोग	1.1.4	6
सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त झलक	1.1.5	6
राज्य की समेकित निधि	1.2	7
राजस्व प्राप्तियां	1.2.1	8
पूंजीगत प्राप्तियां	1.2.2	20
वित्त आयोग के अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े	1.2.3	22
व्यय	1.2.4	22
राजस्व व्यय	1.2.4.1	25
पूंजीगत व्यय	1.2.4.2	34
आकस्मिकता निधि	1.3	41
लोक लेखा	1.4	42
निवल लोक लेखा शेष	1.4.1	42
आरक्षित निधियां	1.4.2	43
रोकड़ शेष	1.4.3	46
राजकोषीय स्थिरता	1.5	48
सार्वजनिक दायित्व प्रबंधन	1.5.1	49
देयताओं की रुपरेखा: घटक	1.5.1.1	50
उधार ली गई निधियों का उपयोग	1.5.1.2	52
ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान	1.5.1.3	53
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरुप	1.5.1.4	54
लेखापरीक्षा पश्चात घाटे के संकेतक	1.5.2	55
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5.3	56
ऋण स्थिरता विश्लेषण (डीएसए)	1.5.4	60
प्रत्याभुतियों की स्थिति – आकस्मिक देनदारियां	1.5.5	63
राजकोषीय स्थिरता के मार्ग	1.5.6	64
राज्य के राजस्व में सुधार	1.5.6.1	65
व्यय पक्ष से संबंधित मुद्दे	1.5.6.2	67
निष्कर्ष	1.6	71
सकारात्मक पहलू	1.7	72
सिफारिशे	1.8	72

विवरण	अनुच्छेद	सन्दर्भ पृष्ठ संख्या
अध्याय II: बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	2.1	75
बजट अनुमान तथा प्रत्याशित और वास्तविक व्यय के मध्य अंतर	2.2	76
बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक-वार/सेवा-वार विश्लेषण	2.2.1	80
बजट की सटीकता	2.3	81
विनियोग लेखे	2.4	82
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया	2.5	82
कानून के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	2.5.1	82
आधिक्य और उसका नियमितीकरण	2.5.2	83
कुछ अनुदानों में निरंतर अधिक व्यय	2.5.2.1	84
अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.5.3	86
अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन	2.5.4	88
अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोग तथा/या बड़ी बचते/अभ्यपर्ण	2.5.5	89
राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण	2.5.6	98
बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और उनके कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उनका वास्तविक वित्तपोषण	2.5.7	99
त्रैमासिक व्यय सीमा का पालन न करना	2.5.8	100
राज्य में चयनित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन	2.6	105
चाइल्ड बजट	2.7	107
जेंडर बजट	2.8	109
आकस्मिकता निधि	2.9	111
निष्कर्ष	2.10	112
सकारात्मक पहलू	2.11	112
सिफारिशें	2.12	112
अध्याय-III: वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं		
राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से बजट से इतर उधार	3.1	115
सरकार की अनुन्मोचित देनदारियां	3.2	118
अनुन्मोचित ब्याज देनदारियां	3.2.1	119
नवीन पेंशन योजना के अंशदान का एनएसडीएल को हस्तांतरित न करना	3.2.2	119
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का कम हस्तांतरण	3.2.3	120
राष्ट्रीय/ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास निधि	3.2.4	121
राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्धन निधि में कम हस्तांतरण	3.2.5	122
राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि में कम हस्तांतरण	3.2.6	123
जल संरक्षण उपकर का कम हस्तांतरण	3.2.7	124
नगरीय विकास उपकर निधि का कम हस्तांतरण	3.2.8	126
प्रतिदाय के बकाया प्रकरण	3.2.9	127
सरकारी लेखों के बाहर रही निधियाँ	3.3	127
उपभोक्ता कल्याण निधि	3.3.1	127
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी	3.4	128
सारांशीकृत आकस्मिक बिल	3.5	132

विवरण	अनुच्छेद	सन्दर्भ पृष्ठ संख्या
निजी निक्षेप खाते	3.6	134
लघु शीर्ष-800 का संचालन	3.7	138
प्रमुख उचंत तथा डीडीआर शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष	3.8	141
विभागीय आंकड़ों का मिलान	3.9	144
नगद शेषों का मिलान	3.10	145
लेखांकन मानकों की अनुपालना	3.11	145
स्वायत्त निकायों के लेखों का प्रस्तुतीकरण	3.12	146
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि	3.13	148
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	3.14	149
निष्कर्ष	3.15	150
सकारात्मक पहलू	3.16	150
सिफारिशें	3.17	151
परिशिष्ट		
राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़े	1.1	153
वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.2	157
31 मार्च 2025 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	1.3	160
राजकोषीय मापदंडों का एफआरबीएम लक्ष्य 2015-2025 के साथ अनुपालन	1.4	162
ऐसे मामले जहाँ अनूपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	2.1	163
ऐसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹10 करोड़ या उससे अधिक) अत्यधिक साबित हुए	2.2	164
निधि का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.3	166
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अभ्यर्पण के बाद बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान	2.4	167
वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत वाले अनुदान	2.5	168
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट के उपयोग और बचत का अनुदानवार प्रतिशत	2.6	169
बचतें जिसका अभ्यर्पण नहीं किया गया	2.7	171
मार्च 2025 के अंतिम दिन ₹ 50 करोड़ से अधिक की राशि का अभ्यर्पण	2.8	173
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय में गलत वर्गीकरण	2.9	175
संशोधित अनुमान में प्रावधान कम/कोई बदलाव नहीं (10 करोड़ से अधिक) लेकिन कोई व्यय नहीं हुआ	2.10	176
नीतिगत घोषणाएँ जिनमे संशोधित परिव्यय में पूर्ण बजट राशि वापस की गई	2.11	178
पिछले वर्षों के बजट भाषणों में की गई घोषणाओं का कार्यान्वयन न होना	2.12	184
उप-शीर्ष जहां संपूर्ण व्यय मार्च 2025 में किया गया	2.13	187
वर्ष 2024-25 के दौरान सभी प्रमुख अनुदानों के लिए तिमाही वार व्यय	2.14	188
31 मार्च 2025 तक सीएसएस योजनाओं के एसएनए बैंक खाते में शेष	2.15	190
चाइल्ड बजट के अंतर्गत उन योजनाओं का विवरण जिनमें व्यय कम हुआ	2.16	192
जेंडर बजट की योजनाओं जिनमें कोई व्यय नहीं हुआ	2.17	194
योजनायें जहाँ बजट अनुमान में प्रावधान किए गए, जिन्हें संशोधित अनुमानों में कम कर दिया गया	2.18	198

विवरण	अनुच्छेद	सन्दर्भ पृष्ठ संख्या
ऐसे मामले जिनमें पिछले दो/तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया	2.19	200
नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान और निवेश का विवरण	3.1	202
एसी बिलों का विवरण जिनमें चालान के माध्यम से महत्वपूर्ण/सम्पूर्ण राशि वापस जमा की गई	3.2	203
31 मार्च 2025 तक ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक शेष राशि वाले पीडी खातों का विवरण	3.3	205
आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिनके निजी निक्षेप खाते में वर्ष 2024-25 के दौरान "शून्य"राशि शेष रही	3.4	206
वर्ष 2023-2025 के दौरान निजी निक्षेप खातों का संचालन न होना	3.5	211
वर्ष 2024-25 के दौरान लघु मद 800-अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण	3.6	213
जिले-वार प्रतिकूल अवशेष	3.7	216
स्वायत्त निकायों के प्रदर्शन को दर्शाने वाला विवरण	3.8	218
स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए	3.9	219

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राजस्थान सरकार की राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करना और वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर राज्य विधानसभा को सुझाव उपलब्ध कराना है। रिपोर्ट में तीन अध्याय हैं।

अध्याय I – राज्य के वित्त का अवलोकन

इस अध्याय में रिपोर्ट के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है और राज्य की वित्तीय स्थिति का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रमुख सूचकांकों का व्यापक राजकोषीय विश्लेषण और राज्य की राजकोषीय स्थिति सम्मिलित है, जिसमें कमी/अधिशेष, ऋण प्रोफ़ाइल और प्रमुख सार्वजनिक लेखों के लेनदेन शामिल हैं।

अध्याय II – बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोगों और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

अध्याय III – वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएँ

इस अध्याय में राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी की गई है।

निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों के लेनदेनों की लेखा परीक्षा के निष्कर्षों, सांविधिक निगमों, बोर्ड, सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा में प्रकट हुये आक्षेपों और राजस्व प्राप्तियों के आक्षेपों वाले प्रतिवेदनों को पृथक से प्रस्तुत किया जाता है।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का राज्य के लेखों से सम्बन्धित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक़), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले कोषालयों, कार्यालयों और विभागों जो ऐसे लेखों को रखने के लिए जिम्मेदार है, के द्वारा प्रेषित वाउचर्स, चालानों और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वार्षिक वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करते हैं। ये लेखे महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षित एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जाते है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए प्रमुख आंकड़े जुटाते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजटः राजकोषीय मापदंडों और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं के समक्ष अनुमानों के आंकलन के साथ-साथ इसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन और सम्बंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना के लिए
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों (एम्आईएरा के साथ-साथ लेखांकन)के अन्य आंकड़े
- जीएसडीपी आंकड़ें एवं राज्य से सम्बंधित अन्य सांख्यिकी
- राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन(एफआरबीएम)अधिनियम
- वित्त आयोग की सिफारिशें
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
- भारत सरकार के श्रेष्ठ प्रचलित मानक और दिशानिर्देश

वित्त (बजट) विभाग के सचिव के साथ 25.02.2026 को एक समापन बैठक आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार की प्रतिक्रियाओं को रिपोर्ट में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

सरकारी लेखों की संरचना

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है:

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तारित मार्गोपाय अग्रिमों और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राशियां शामिल है। इस निधि से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कानून के अनुसरण में और उद्देश्यों के लिए एवं निर्धारित रीति के सिवाय किसी भी राशि को विनियोजित नहीं किया

जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण की पुनर्अदायगी आदि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित (प्रभारित व्यय) होती है और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य समस्त व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा स्थापित किया गया है और राज्य विधानमंडल द्वारा प्रमाणीकरण लंबित रहने तक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा गया है। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे करके की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखे (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त अन्य लोक राशियां, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा की जाती है। लोक लेखे में पुनर्अदायगी जैसे लघु बचतें और भविष्य निधियां, जमायें (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), प्रेषण और उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों शीर्ष अस्थायी और अंतिम समायोजन लंबित है) सम्मिलित है। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी सम्मिलित है। लोक लेखा विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होता है।

सरकारी लेखों की संरचना

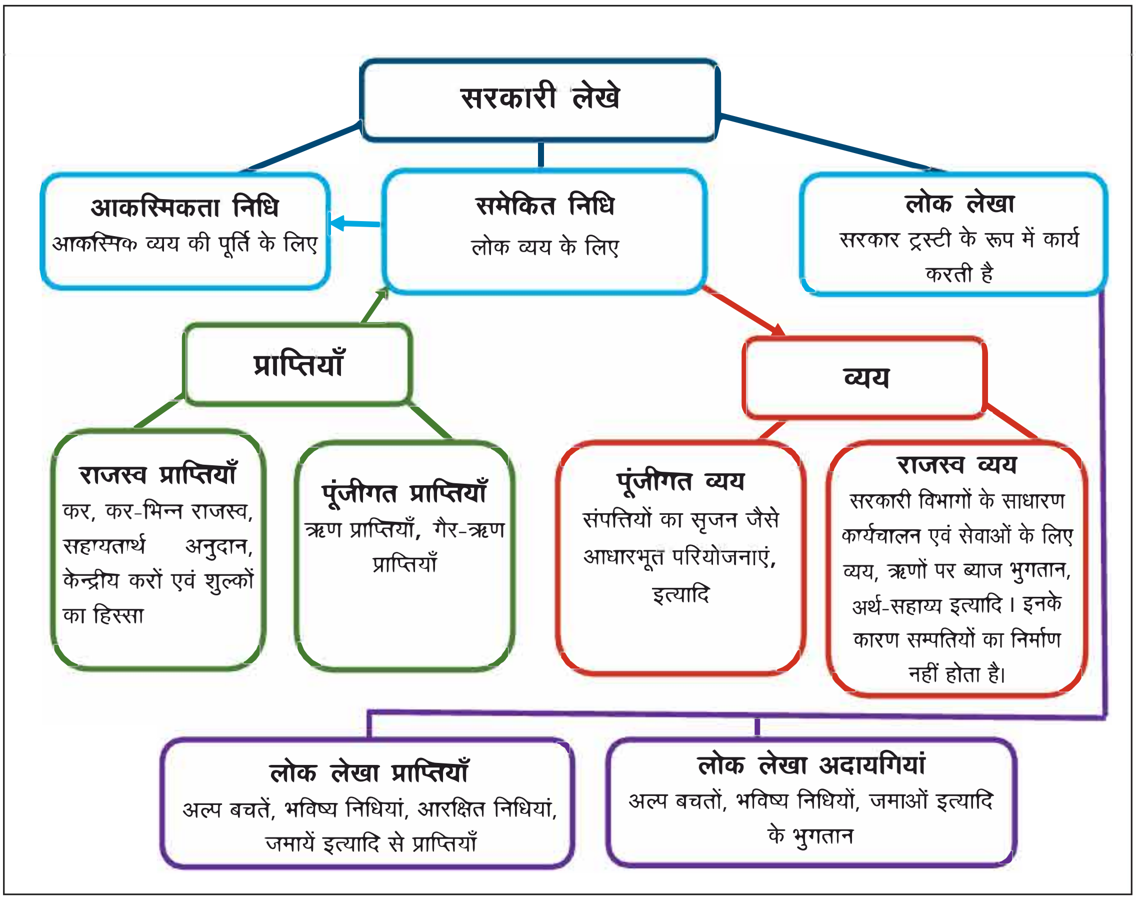

कार्यपालिक सारांश

कार्यपालिक सारांश

राजस्थान राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान की राजकोषीय स्थिति का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करती है।

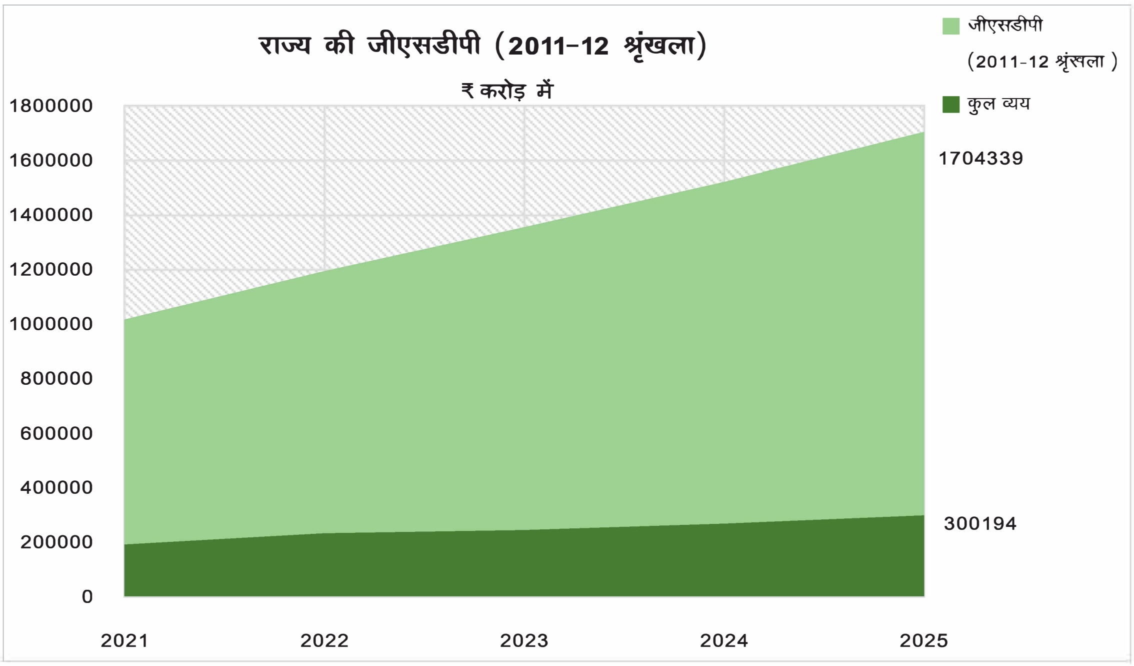

वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान, राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में पिछले वर्ष की तुलना में 12.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई,वित्त वर्ष 2023-24 में यह वृद्धि 12.17 प्रतिशत थी। राज्य की जीएसडीपी भारत की जीडीपी का 5.15 प्रतिशत है।

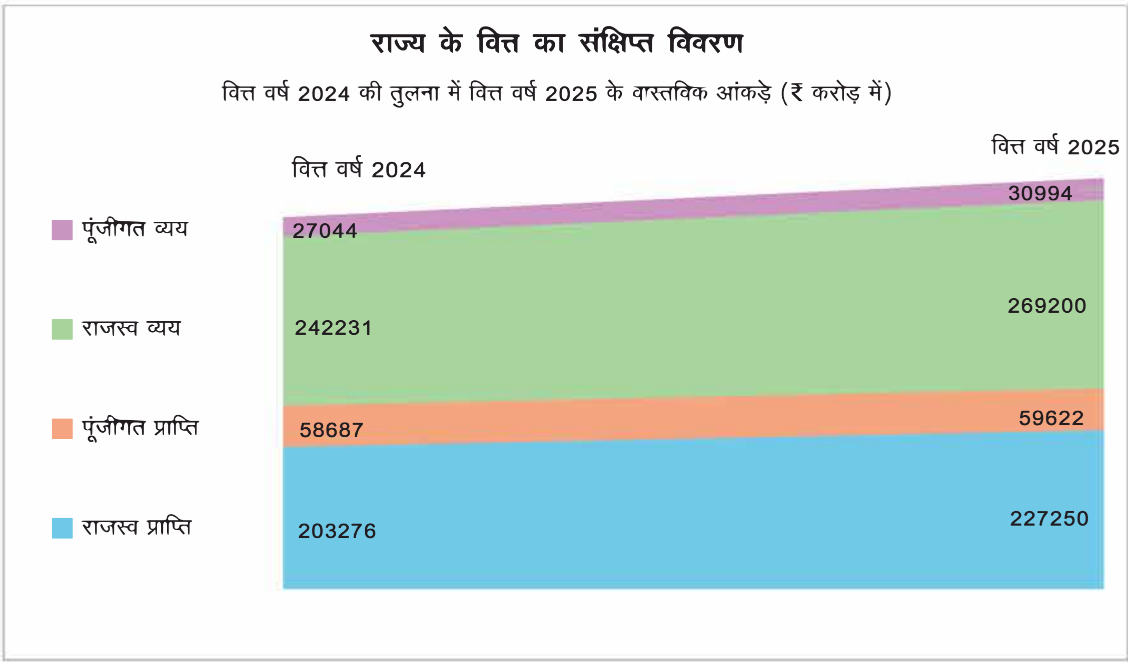

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों में वृद्धि के कारण 11.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य के व्यय में राजस्व व्यय की उच्च वृद्धि का प्रभुत्व रहा, जो प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी में वृद्धि के कारण हुई है।

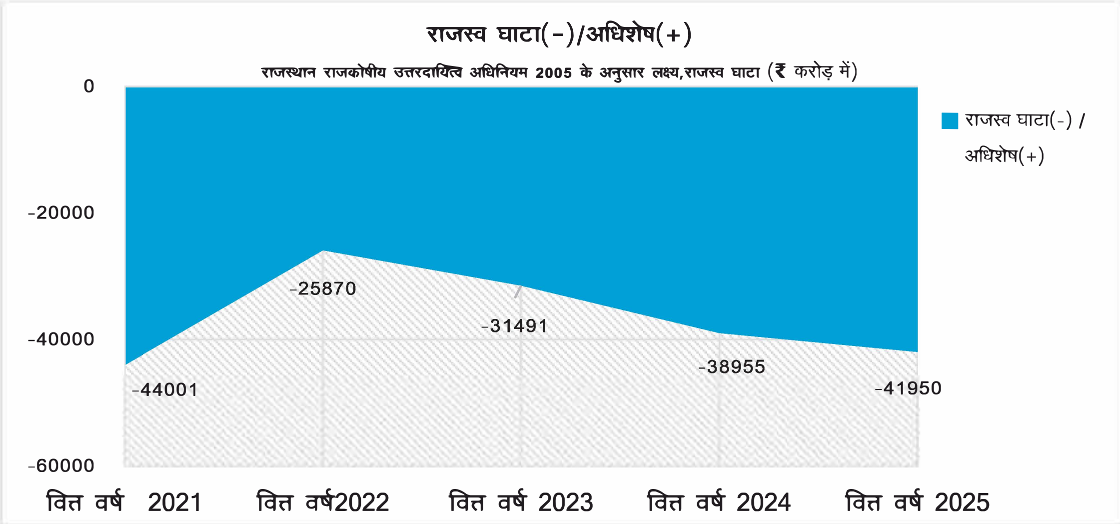

राजस्व घाटे में 7.69 प्रतिशत की वृद्धि वित्त वर्ष 2024 की तुलना में राजस्व व्यय में ₹ 26,969 करोड़ की वृद्धि और राजस्व प्राप्ति में ₹ 23,974 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। इससे राजकोषीय संभावना कम हो गई और इसलिए पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए बाजार से उधार बढ़ गया।

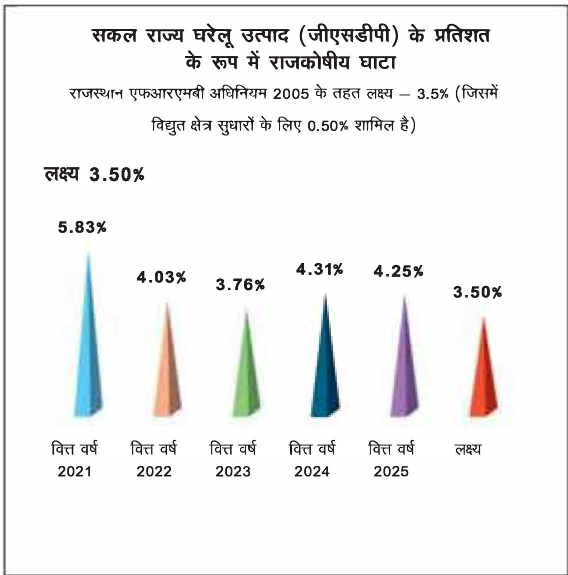

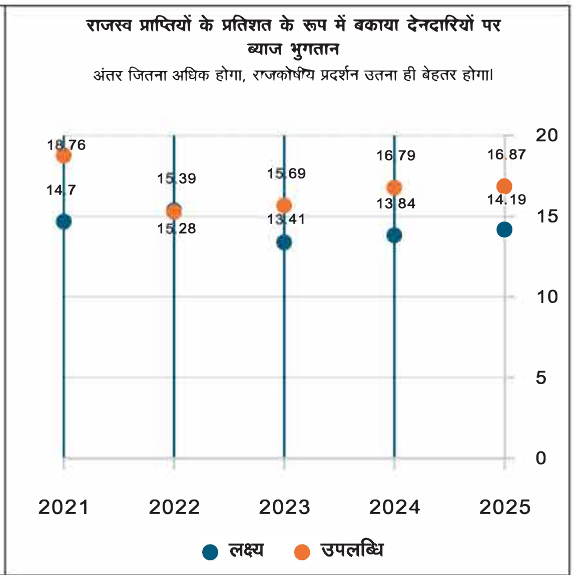

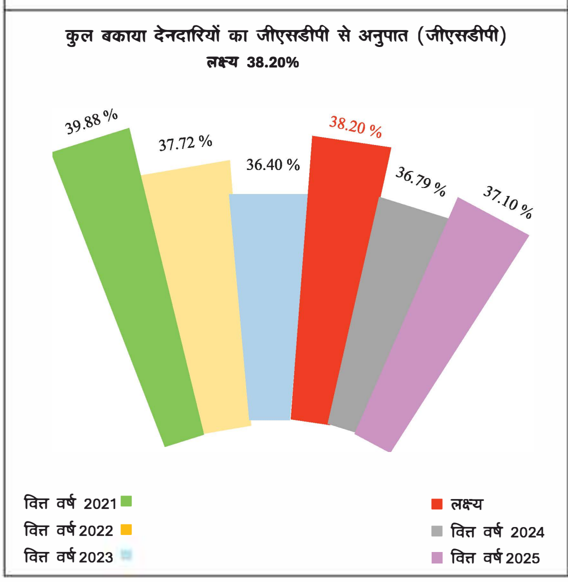

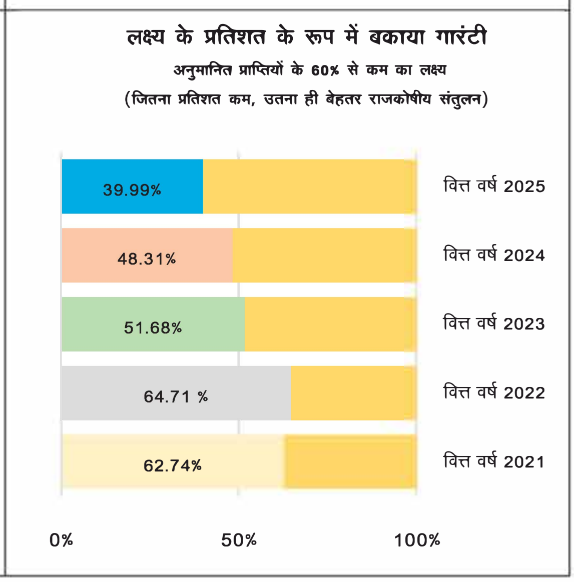

राज्य, राजस्व और राजकोषीय घाटे को राज्य के एफआरएमबी ढांचे के तहत निर्धारित मानकों के अन्दर नियंत्रित करने में असमर्थ रहा।, राज्य ने वित्त वर्ष 2024-25 में श्रम कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रम उपकार को, राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन कोष, राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष, जल संरक्षण उपकर, शहरी विकास उपकर कोष और ब्याज देनदारियों के संबंध में ₹ 437.04 करोड़ की महत्वपूर्ण बकाया देनदारियों को आगे बढ़ा दिया, जिससे राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा के आंकड़े परिवर्तित हो गए।

ऋण स्थिरता

वित्त वर्ष 2024-25

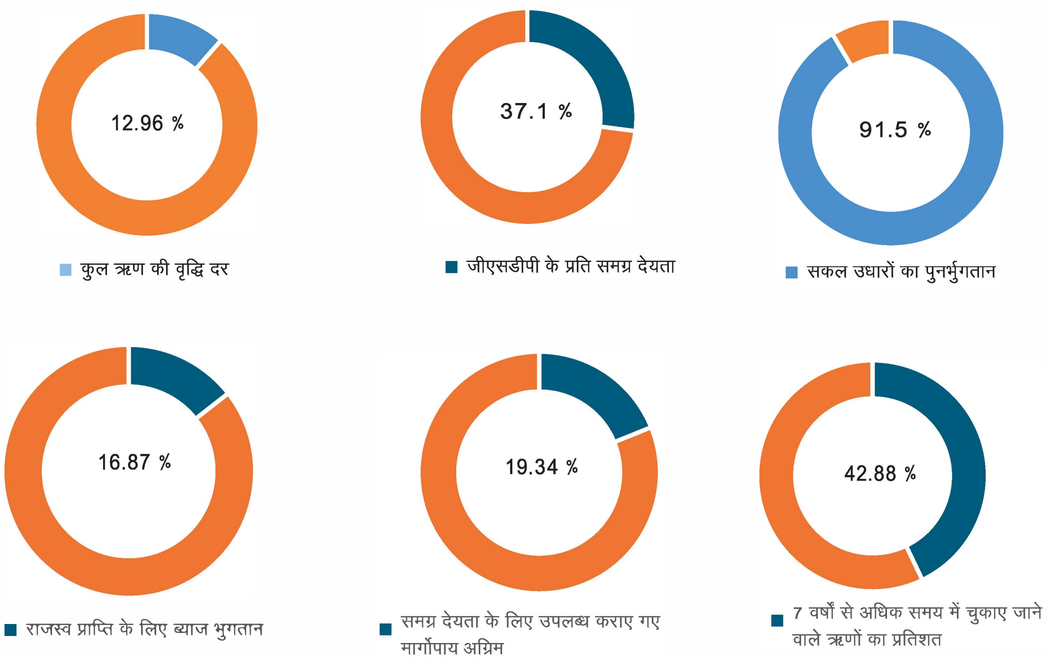

उच्च जीएसडीपी ऋण अनुपात यह दर्शाता है कि राज्य पर आर्थिक उत्पादन की तुलना में ऋण का बोझ काफी अधिक है और यह वित्तीय असुरक्षा तथा राजकोषीय लचीलेपन में कमी को इंगित करता है। राजस्व प्राप्ति के मुकाबले ब्याज भुगतान में वृद्धि एक अस्थिर ऋण प्रवृत्ति का संकेत देती है। अतः आने वाले वर्षों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

31 मार्च 2025 तक की वित्तीय जानकारी

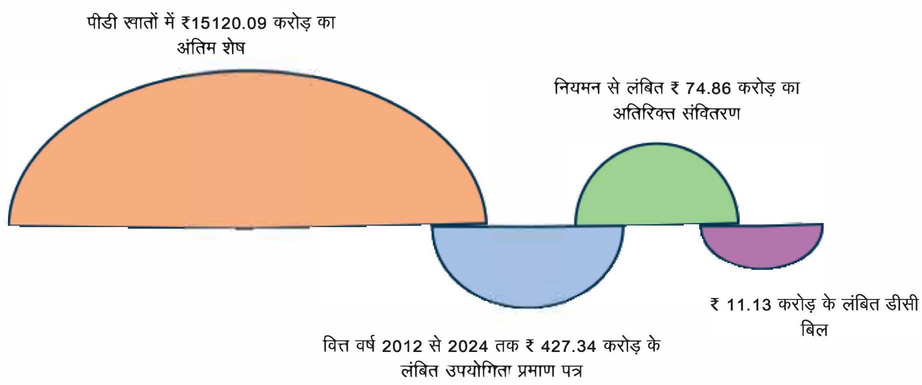

राजस्थान के राज्य वित्त का स्कोर कार्ड

उच्च प्राथमिकता संकेतक (राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005 के अनुसार)			
पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2024-25 का मूल्य	मानदंड (मापदंड)	टिप्पणी
राजस्व घाटा (जीएसडीपी का %)	2.46 %	≥ 0 (एफआरबीएम उद्देश्य)	एफआरबीएम का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है और लगातार बढ़ रहा है।
सकल राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का %)	4.25 %	≤ 3.5 % (एफआरबीएम सीमा) (बिजली सुधारों के लिए 0.5 % सहित)	एफआरबीएम का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है और लगातार बढ़ रहा है।
कुल देयतायें/ जीएसडीपी	37.10 %	< 38.20 % (एफआरबीएम उद्देश्य)	एफआरबीएम का उद्देश्य पूरा हुआ
बकाया गारंटी/ जीएसडीपी	6.85 %	कम रखें; गारंटी मोचन निधि का समर्थन प्रदान करें (सरकारी गारंटी नीति)	कम; गारंटी मोचन निधि द्वारा कवर किया गया आकस्मिक देयता जोखिम।

अन्य प्राथमिकता संकेतक

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2024-25 का मूल्य	मानदंड (मापदंड)	टिप्पणी
प्राथमिक शेष (जीएसडीपी का %) = (कुल प्राप्तियाँ – गैर-ब्याज व्यय) / जीएसडीपी	(-) 2.00%	> 0 बेहतर (आईएमएफ)	नकारात्मक संकेत यह दर्शाता है कि ऋण की स्थिरता को संभावित जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियां	16.87%	जितना कम हो उतना बेहतर; आरबीआई ने 15% से अधिक जोखिम की चेतावनी दी है (वित्त मंत्रालय)	उच्च,ब्याज के बोझ पर नजर रखने की जरूरत है।
ऋण सेवा / राजस्व प्राप्तियाँ (आरआर) (सार्वजनिक ऋण की मूल राशि + ब्याज) ÷ आरआर	27.51%	जितना कम हो उतना बेहतर; अगर यह लगातार 25% से अधिक हो तो निगरानी रखें (विश्व बैंक)	उच्च; संभावित वित्तीय असुरक्षा को दर्शाता है।
विकास-ब्याज अंतर (जी-आर) (वास्तविक जीएसडीपी वृद्धि - वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	5.08%	> 0 ऋण गतिशीलता का समर्थन करता है (आईएमएफ और डोमर मॉडल)	सकारात्मक बढ़त, हालांकि वित्त वर्ष 24 की तुलना में छोटी है। (7.24%)
पूंजीगत व्यय का हिस्सा = पूंजीगत व्यय ÷ कुल व्यय	10.32%	उच्च हिस्सेदारी = बेहतर गुणवत्ता मिश्रण (आरबीआई)	2023-25 में पूंजीगत व्यय की दिशा में बेहतर रुझान; पिछले 2 वर्षों में परिसंपत्ति सृजन में वृद्धि हुई है।
स्वयं की राजस्व क्षमता = राज्य का स्वयं-राजस्व ÷ राजस्व व्यय	47.11%	अधिक कवरेज बेहतर है (वित्त मंत्रालय)	राजस्व व्यय का लगभग 47% हिस्सा स्वयं-राजस्व से; शेष राशि हस्तांतरण/अनुदान के माध्यम से प्राप्त होती है।

राजस्थान की जीएसडीपी वृद्धि दर 12.02 प्रतिशत थी,जो जीडीपी वृद्धि दर 9.78 प्रतिशत से अधिक थी। हालांकि,उच्च राजस्व और राजकोषीय घाटा उच्च गुणक वाले पूंजीगत व्यय को बाधित करता है।

पिछले पांच वर्षों में राजस्व घाटे में लगातार वृद्धि के कारण घाटे और पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए बाजार से लिए गए ऋणों पर निर्भरता बढ़ गई है। इससे दीर्घकालिक ऋण स्थिरता के लिए संभावित जोखिम उत्पन्न होते हैं। लगभग ₹ 360.24 करोड़ की बकाया देनदारियों के संबंध में लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों से राजकोषीय संतुलन और भी जटिल हो गया है, जिससे राजकोषीय और राजस्व घाटे के और भी गहराने का खतरा है।

परिणामस्वरूप, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की वर्तमान दिशा को संभावित संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए संसाधन प्रबंधन में सावधानी और दक्षता की आवश्यकता होगी।

अध्याय I

राज्य वित्त का विहंगावलोकन

अध्याय I : राज्य वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान के वित्त का एक संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक संकेतक और राज्य की राजकोषीय संरचना शामिल है। इसमें राजस्व और व्यय, ऋण स्तरों और राजकोषीय घाटों के रुझानों का विश्लेषण किया गया है, तथा लगातार असंतुलन और उधार पर निर्भरता को प्रकट किया गया है। यह अध्याय उच्च प्रतिबद्ध व्यय, निवेश पर कम प्राप्ति आदि मुद्दों पर प्रकाश डालता है।

1.1 राज्य की रुपरेखा

राजस्थान राज्य परंपरा और आधुनिकता का संगम है, जहाँ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत मज़बूत आर्थिक विकास से मिलती है। यह भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सामरिक रूप से स्थित है और इसमें 41 जिले तथा 44,672 (जनगणना 2011 के अनुसार) गाँव शामिल हैं। 31 मार्च 2025 तक इसकी जनसंख्या 8.27 करोड़ (भारत की कुल जनसंख्या का 5.85%) थी तथा जनसंख्या घनत्व 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (जनगणना 2025 के अनुसार) था। यह अनुभाग- राज्य की जनसांख्यिकी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय का एक संक्षिप्त विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

1.1.1 राज्य की जनसांख्यिकी

निम्न **तालिका 1.1** में राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य की जनसांख्यिकीय विवरण को प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.1: राज्य की जनसांख्यिकीय रुपरेखा

	राजस्थान	राष्ट्रीय औसत
ग्रामीण जनसंख्या *(प्रतिशत) (जनगणना अनुमान 2011-2036)*	73.10	64.30
शहरी जनसंख्या *(प्रतिशत) (जनगणना अनुमान 2011-2036)*	26.90	35.70
जनसंख्या घनत्व *(भारत की जनगणना, 2011)*	242	430
लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुष *(भारत की जनगणना, 2011)*	952	947
शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्म *(नमूना पंजीकरण प्रणाली, सांख्यिकीय रिपोर्ट सितंबर 2025)*	32	28
15-49 वर्ष की आयु वर्ग की प्रति लाख महिलाओं पर मातृत्व मृत्यु दर *(भारत में मातृत्व मृत्यु दर पर एसआरएस बुलेटिन 2021-23)*	7	5
कुल प्रजनन दर (वर्षों में) *(एनएफएचएस-5, 2019-21), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय*	2.01	1.99
जन्म पर जीवन प्रत्याशा *(एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2019-2023)*	70.4	70.3
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (गरीबी अनुपात) *(बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2023, नीति आयोग)*	15.31	14.96
साक्षरता दर *(प्रतिशत)* *(आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24)*	75.8	80.9

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि जहाँ राज्य ने कुल प्रजनन दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और लिंग अनुपात जैसे जनसांख्यिकीय संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम थी।

केंद्र सरकार के लक्ष्यों की तुलना में जनसांख्यिकीय संकेतकों में कम प्रदर्शन को राज्य एक व्यापक रणनीति, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक निर्धारकों में सुधार, परिवार नियोजन सेवाओं को सुदृढ़ करना और क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन शामिल है, अपनाकर दूर कर सकता है।

1.1.2 राज्य की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और प्रति व्यक्ति आय राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जैसा कि अगले अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

1.1.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है, जबकि जीएसडीपी इसी का राज्य स्तर पर मापन है, और दोनों आर्थिक विकास तथा समग्र प्रगति को दर्शाते हैं। जीएसडीपी और जीडीपी की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.2** में प्रस्तुत की गई हैं। जीएसडीपी और जीडीपी की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि तथा जीडीपी में जीएसडीपी का योगदान **चार्ट 1.1** में दिया गया है, और देश की प्रति व्यक्ति आय तथा राज्य की प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) **चार्ट 1.2** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.2: भारत की जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी की प्रवृत्तियाँ (वर्तमान मूल्यों पर)

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
जीडीपी (करोड़ ₹ में)	1,98,54,096	2,35,97,399	2,68,90,473	3,01,22,956	3,30,68,145
जीएसडीपी (करोड़ ₹ में)	10,17,917	11,95,641	13,56,480*	15,21,510*	17,04,339*
राजस्थान की पीसीआई (₹ में)	1,14,925	1,34,143	1,50,020	1,66,647	1,85,053
भारत की पीसीआई (₹ में)	1,29,077	1,50,906	1,69,145	1,88,892	2,05,324

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

** वर्ष 2022-23 के लिए अनंतिम अनुमान (पीई), 2023-24 के लिए त्वरित अनुमान (क्यूई) और 2024-25 के लिए अग्रिम अनुमान (एई)*

चार्ट 1.1: जीडीपी और जीएसडीपी की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और जीडीपी से जीएसडीपी की वृद्धि दर

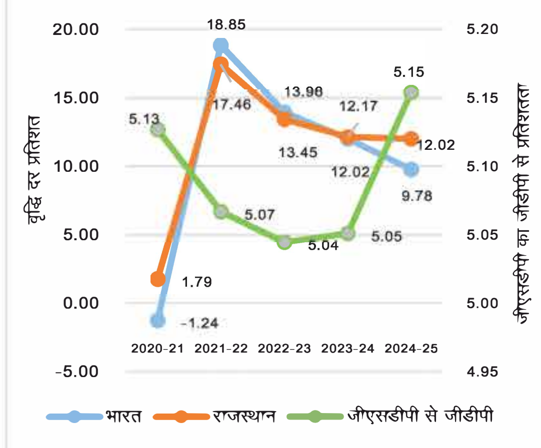

चार्ट 1.2: भारत और राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय

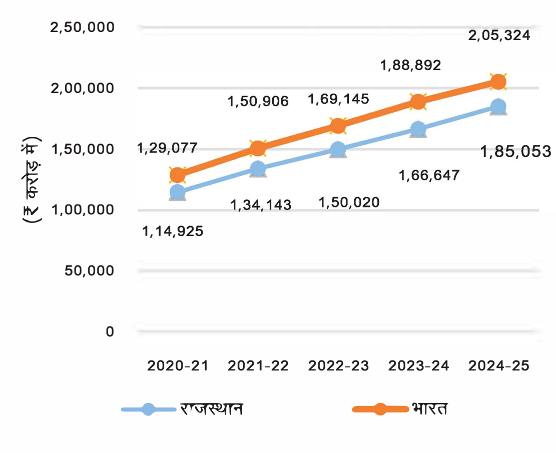

वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2024-25 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पिछले वर्ष की तुलना में 12.02 प्रतिशत बढ़कर ₹ 17,04,339 करोड़ हो गया। जीएसडीपी की 12.02 प्रतिशत वृद्धि दर, जीडीपी की वृद्धि दर (9.78 प्रतिशत) से अधिक थी। राज्य का जीएसडीपी, भारत के जीडीपी का 5.15 प्रतिशत रहा।

प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,05,324 की तुलना में ₹ 20,271 कम थी। हालांकि, वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 61.02 प्रतिशत की वृद्धि, इसी अवधि में देश की प्रति व्यक्ति आय में हुई 59.07 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में मामूली रूप से अधिक थी। वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी की वृद्धि दर का मुख्य कारण राज्य में कृषि और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि रहा।

वर्ष 2019-20 से 2024-25 की अवधि में जीएसडीपी और सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) की प्रवृत्ति नीचे **चार्ट 1.3** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.3: प्रचलित भावों पर जीएसडीपी की तुलना में जीएसवीए की वृद्धि दर (2019-20 से 2024-25)

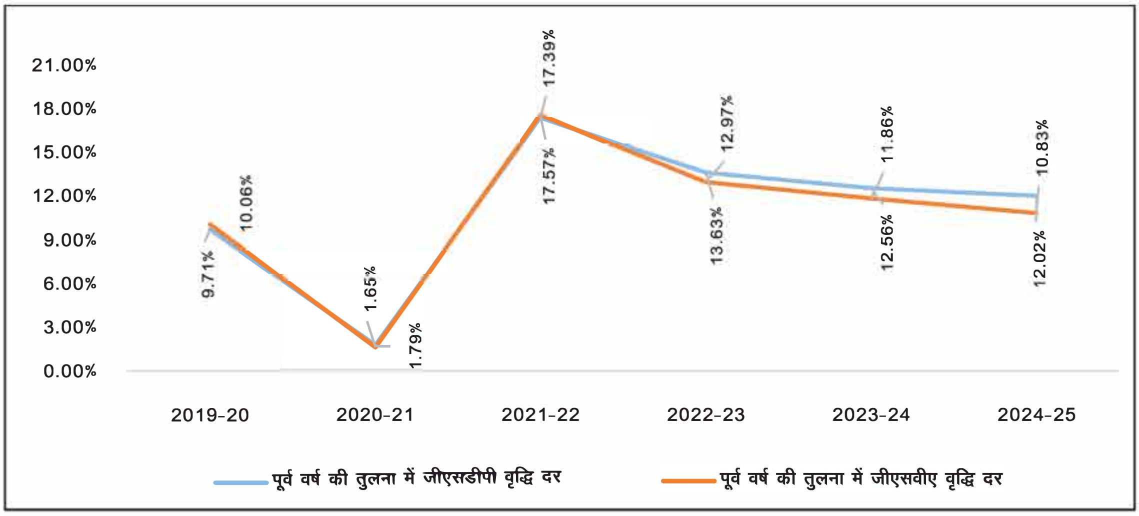

स्रोतः केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

1.1.2.2 जीएसवीए में क्षेत्रवार योगदान

सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे-आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे जीडीपी की तुलना में आर्थिक वृद्धि का बेहतर संकेतक माना जाता है, चूंकि यह करों और सब्सिडियों के प्रभाव को अलग रखता है। जीडीपी को अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्यय-जैसे निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल स्थिर पूंजी निर्माण या निवेश व्यय-को जोड़कर भी गणना किया जाता है, जो मूल रूप से अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को दर्शाता है। दोनों मापदंडों में शुद्ध करों के उपचार में अंतर होता है, जिसके कारण जीडीपी में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति-निर्माताओं के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए जीवीए और जीएसवीए डेटा की तुलना अत्यंत आवश्यक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जीएसवीए में क्षेत्रीय योगदान और पिछले पाँच वर्षों में जीएसवीए की क्षेत्रीय वृद्धि को क्रमशः **चार्ट 1.4** और **चार्ट 1.5** में दर्शाया गया है। जीएसवीए में क्षेत्रवार योगदान में

परिवर्तन भी अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य में क्षेत्रवार आर्थिक गतिविधियों को कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।

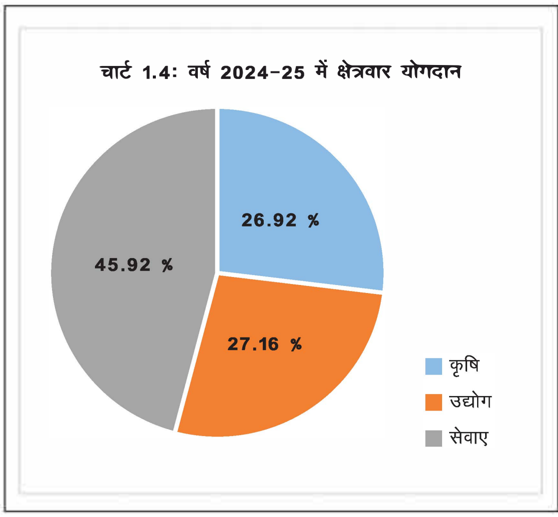

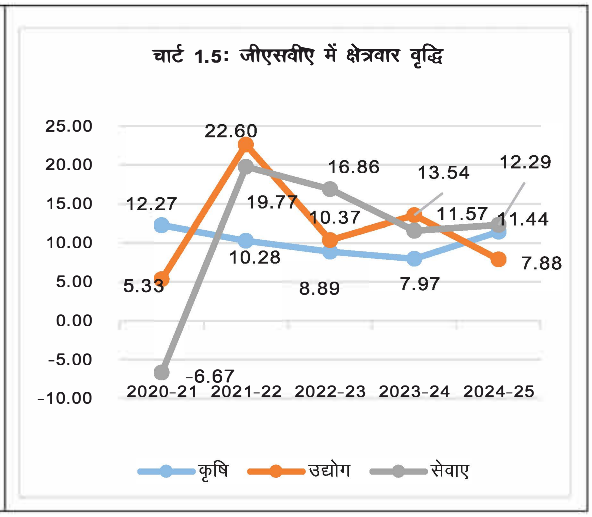

स्रोतः आर्थिक समीक्षा 2024-25, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार

वर्ष 2024-25 में, वर्तमान मूल्यों पर, कृषि क्षेत्र - जिसमें फसलें, पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी शामिल हैं-जीएसवीए का 26.92 प्रतिशत हिस्सा रखता है। उद्योग क्षेत्र-जिसमें खनन, विनिर्माण, विद्युत एवं गैस, जल आपूर्ति तथा निर्माण शामिल हैं, 27.16 प्रतिशत का योगदान करता है। सेवा क्षेत्र-जिसमें परिवहन, भंडारण और संचार, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं शामिल हैं, वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में 45.92 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

चार्ट 1.5 दर्शाता है कि पिछले पाँच वर्षों में, 2023-24 को छोड़कर,उद्योग और सेवा क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2021-22 में बढ़ा,तथा उसके बाद यह लगातार घटता गया। जब उद्योग क्षेत्र में वृद्धि देखी गयी। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2023-24 तक घटती प्रवृत्ति रही और वर्ष 2024-25 में इसमें मामूली वृद्धि हुई।

चार्ट 1.6 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रत्येक क्षेत्र की संरचना में उसके प्रमुख योगदान देने वाले क्षेत्रों के संदर्भ को दर्शाता है।

चार्ट 1.6: वर्ष 2024-25 के दौरान क्षेत्रवार वितरण

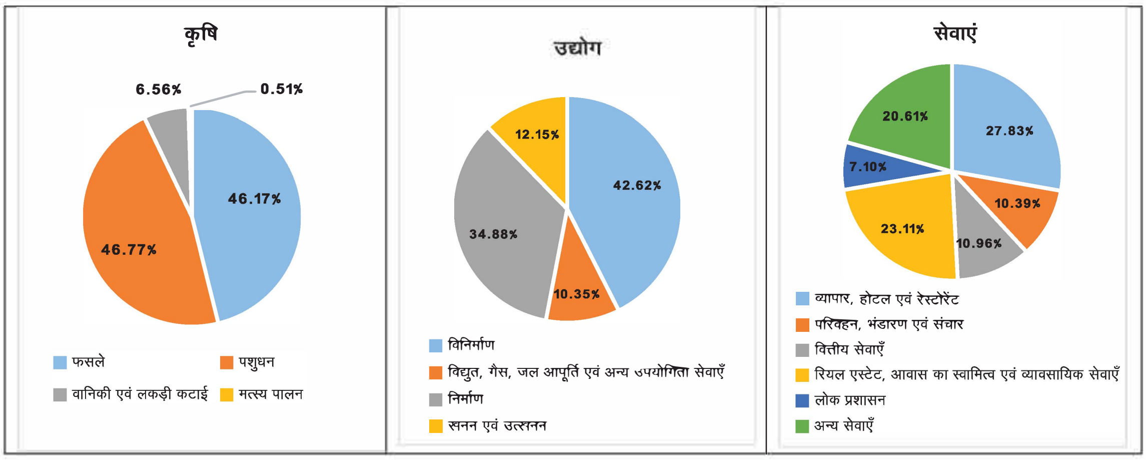

स्रोतः आर्थिक समीक्षा 2024-25, राजस्थान सरकार

वर्ष 2024-25 के दौरान, सेवा क्षेत्र राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा, क्योंकि इसका राज्य के जीएसवीए में 45.92 प्रतिशत योगदान था। इसका मुख्य कारण इसके उप-क्षेत्रों व्यापार, होटल एवं रेस्तरां, परिवहन, भंडारण एवं संचार, वित्तीय सेवाएँ, रियल एस्टेट, आवास स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएँ, सार्वजनिक प्रशासन तथा अन्य सेवाओं में बढ़ोतरी होना थी।

1.1.3 वित्त की संक्षिप्त झलक

निम्न तालिका वर्ष 2023-24 और 2024-25 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण तथा वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और जीएसडीपी के साथ तुलनात्मक रूप प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.3: वित्त की संक्षिप्त झलक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)	बजट अनुमान का वास्तविक से प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1.	कर राजस्व	1,62,149.15	2,05,111.93	1,98,025.99	1,80,857.73	88.18	10.61
(i)	*स्व-कर राजस्व*	94,085.94	1,25,524.82	1,20,478.23	1,03,309.97	82.30	6.06
(ii)	संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा	68,063.21	79,587.11	77,547.76	77,547.76	97.44	4.55
2.	कर-भिन्न राजस्व	18,679.58	22,665.40	26,917.29	23,502.51	103.69	1.38
3.	सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	22,447.55	36,683.96	37,675.00	22,889.78	62.40	1.34
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**2,03,276.28**	**2,64,461.29**	**2,62,618.28**	**2,27,250.02**	**85.93**	**13.33**
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	404.74	305.53	529.46	516.72	169.12	0.03
6.	अन्य प्राप्तियां	14.24	20.00	20.00	7.35	36.75	0.00
7.	उधार एवं अन्य देयताएं*	65,580.00	70,009.48	70,090.84	72,419.95	103.44	4.25
8.	**पूंजीगत प्राप्तियां()5+6+7)**	**65,998.98**	**70,335.01**	**70,640.30**	**72,944.02**	**103.71**	**4.28**
9.	**कुल प्राप्तियां (4+8)**	**2,69,275.26**	**3,34,796.30**	**3,33,258.58**	**3,00,194.04**	**89.66**	**17.61**
10.	**राजस्व व्यय**	**2,42,230.88**	**2,90,219.40**	**2,94,557.43**	**2,69,200.06**	**92.76**	**15.79**
11.	ब्याज भुगतान	34,127.78	37,537.83	39,118.14	38,344.64	102.15	2.25
12.	पूंजीगत व्यय	26,645.72	44,216.48	38,288.19	30,726.64	69.49	1.80
13.	ऋण एवं अग्रिम	398.21	360.42	412.96	267.34	74.17	0.02
14.	**कुल व्यय (10+12+13)**	**2,69,274.81**	**3,34,796.30**	**3,33,258.58**	**3,00,194.04**	**89.66**	**17.61**
15.	**राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (4-10)**	**(-) 38,954.60**	**(-) 25,758.11**	**(-) 31,939.15**	**(-) 41,950.04**[1]	162.86	**-2.46**
16.	राजकोषीय अधिशेष (+)/घाटा (-) {(4+5+6)-14}	**(-) 65,579.55**	**(-) 70,009.48**	**(-) 70,090.84**	**(-) 72,419.95**	103.44	**-4.25**
17.	**प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष(+) (16-11)**	**(-) 31,451.77**	**(-) 32,471.65**	**(-) 30,972.70**	**(-) 34,075.31**[2]	104.94	**-2.00**

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज़

** उधार और अन्य देयताएं: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियां - संवितर संवितरण) + प्रारंभिक और अंतिम नकद शेष का निवल*

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2024-25 के लिए राज्य सरकार के वित्त का विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है।

1 लेखा-परीक्षा उपरांत समायोजित राजस्व घाटा ₹ 43,241.90 करोड

2 लेखा-परीक्षा उपरांत समायोजित प्राथमिक घाटा ₹ 34,435.24 करोड़

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य की वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 11.79 प्रतिशत बढ़ीं, परंतु बजट अनुमानों की तुलना में 14.07 प्रतिशत कम रहीं। वर्ष के दौरान, राजस्व व्यय (₹ 2,69,200.06 करोड़) राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,27,250.02 करोड़) से अधिक रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 41,950.04 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। वर्ष 2024-25 में, वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ क्रमशः बजट अनुमान और संशोधित अनुमानों से ₹ 37,211.27 करोड़ और ₹ 35,368.26 करोड़ कम रहीं। हालांकि, वास्तविक राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 62.86 प्रतिशत और 3.44 प्रतिशत अधिक रहा।

1.1.4 निधियों के स्रोत और उपयोग

वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के निधियों के स्रोत और उपयोग के घटकों की तुलना **चार्ट 1.7** में दी गई है।

चार्ट 1.7: वर्ष 2024-25 के दौरान निधियों के स्रोत एवं उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

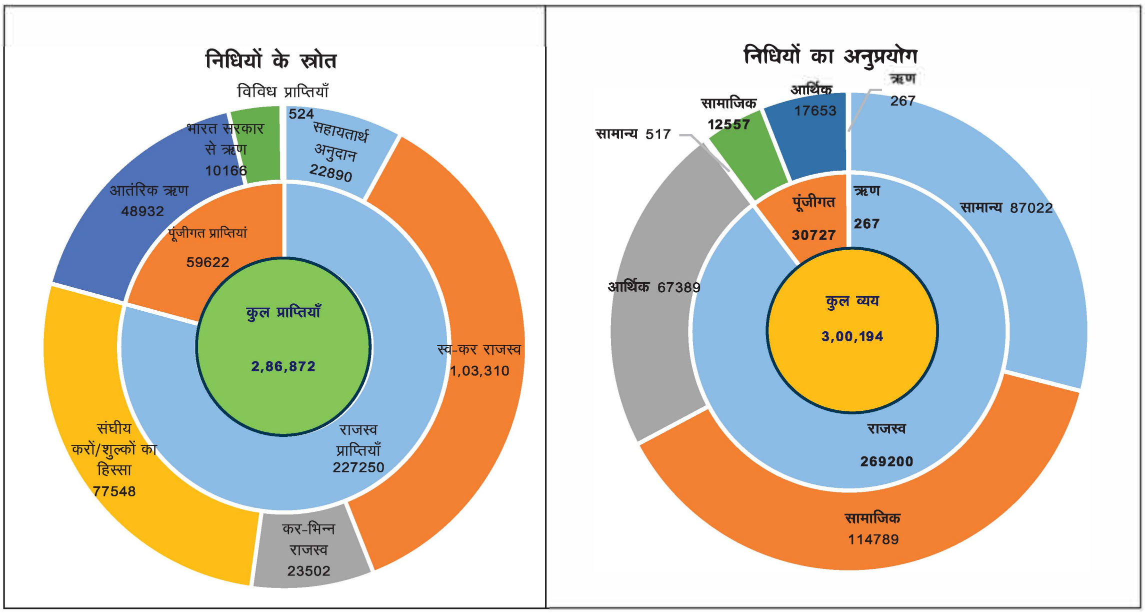

स्रोतः वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.2 में वर्तमान वर्ष तथा गत वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों तथा समग्र राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

1.1.5 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त झलक

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों को दर्शाते हैं। ***परिशिष्ट 1.3*** में 31 मार्च 2025 की ऐसी देयताओं और परिसंपत्तियों का सार प्रस्तुत किया गया है, जिसकी तुलना पिछले वर्ष की स्थिति से की गई है। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियाँ से प्राप्तियां शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देनदारियों की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्तिया				
		2023-24	2024-25	प्रतिशत वृद्धि/कमी			2023-24	2024-25	प्रतिशत वृद्धि/कमी
समेकित निधि									
अ	आतंरिक ऋण	3,99,857.54	4,48,790.01	12.24	अ	सकल पूंजीगत व्यय	2,88,596.62	3,19,315.92	10.64
ब	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	46,794.09	53,606.51*	14.56	ब	ऋण एवं अग्रिम	7,961.69	7,712.31	(-)3.13
	आकस्मिकता निधि	**1000.00**	**1000.00**	**0.00**					
लोक लेखा									
अ	अल्प बहतें, भविष्य निधियां, आदि।	70,219.43	75,981.40	8.21	अ	विभागीय अधिकारियो के पास अग्रिम	3.05	3.59	17.70
ब	जमायें	46,211.77	52,929.43	14.54	ब	प्रेषण	7.91	9.41	18.96
स	आरक्षित निधियां	18,446.21	18,743.25	1.61	स	उचंत एवं विविध	17.38	-	
द	प्रेषण	--	--	0.00		**नकद शेष (चिन्हित निधियों में निवेश सहित)**	**10,544.81**	**10,029.29**	**(-)4.89**
ई	उचंत एवं विविध		14.15	0.00		**योग**	**3,07,131.45**	**3,37,070.52**	**9.75**
						पूर्णाकन के आधार पर अंतर	**0.00**	**0.00**	**0.00**
						राजस्व खाते में घाटा	**2,75,397.59**	**3,13,994.25**	**14.01**
	योग	**5,82,529.04**	**6,51,064.75**	**11.77**			**5,82,529.04**	**6,51,064.75**	**11.77**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* *इसमें वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 3,353.38 करोड़ की प्रोफॉर्मा कटौती के बाद वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान ₹ 8,518.91 करोड़ के बैक-टू-बैक प्रदान किए गए ऋण की शेष राशि शामिल है।*

वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति विवरण में 11.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे कुल देयताएं ₹ 5,82,529 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,51,065 करोड़ हो गईं। यह वृद्धि मुख्य रूप से आंतरिक ऋण (12.24 प्रतिशत) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिमों (14.56 प्रतिशत) में बढ़ोतरी के कारण हुई, जबकि सकल पूंजीगत व्यय 10.64 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम दर से बढ़ा।

गौरतलब है कि राजस्व खाते में घाटा 14.01 प्रतिशत तक बढ़ गया, जो पूंजी निर्माण और समग्र बैलेंस शीट वृद्धि-दोनों से अधिक है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उधार पर निर्भरता लगातार बनी हुई है। उसी समय, अधिक उधारी के बावजूद नकद शेष में गिरावट आई, जिससे तरलता के सीमित भंडार का संकेत मिलता है। यह उभरती प्रवृत्ति राजकोषीय स्थिरता में धीरे-धीरे गिरावट की ओर इशारा करती है, क्योंकि बढ़ता ऋण स्तर परिसंपत्तियों के निर्माण में समानुपाती वृद्धि से मेल नहीं खा रहा है, जिससे भविष्य में पुनर्भुगतान का दबाव बढ़ेगा और राज्य की राजकोषीय क्षमता सिमटती जाएगी।

1.2 राज्य की समेकित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए मार्गोपाय अग्रिम तथा राज्य सरकार को ऋणों की वसूली के रूप में प्राप्त सभी धनराशियों का समावेश राज्य की समेकित निधि का हिस्सा है। इस निधि से, विधि के अनुसार और भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए उद्देश्यों और तरीके के अलावा, किसी भी धन का विनियोजन नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरणार्थ प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि) राज्य की समेकित निधि

पर (भारित व्यय) भारित होते हैं और ये विधानमंडल द्वारा मताधिकार के अधीन नहीं होते हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानमंडल द्वारा मताधिकार के अधीन होते हैं।

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

पाँच-वर्षीय अवधि (2020-25) में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि **तालिका 1.5** में प्रदर्शित की गई हैं।

तालिका 1.5: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व प्राप्तियाँ	**1,34,308**	**1,83,920**	**1,94,988**	**2,03,276**	**2,27,250**
कर राजस्व	**95,859**	**1,28,839**	**1,44,577**	**1,62,149**	**1,80,858**
स्व-कर राजस्व	*60,283*	*74,808*	*87,346*	*94,086*	*1,03,310*
संघीय करों/शुल्कों में राज्य का हिस्सा	*35,576*	*54,031*	*57,231*	*68,063*	*77,548*
गैर-कर राजस्व	**13,653**	**18,755**	**20,564**	**18,680**	**23,502**
भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	**24,796**	**36,326**	**29,846**	**22,448**	**22,890**
राज्य के स्व-राजस्व (स्व-कर तथा गैर-कर राजस्व)	73,936	93,563	1,07,910	1,12,766	1,26,812
जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला)	10,17,917	11,95,641	13,56,480#	15,21,510#	17,04,339#
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)					
राजस्व प्राप्तियाँ	(-)4.14	36.94	6.02	4.25	11.79
राज्य के स्व-राजस्व	(-)1.36	26.55	15.33	4.50	12.46
जीएसडीपी	1.79	17.46	13.45	12.17	12.02
उत्प्लावकता अनुपात [3]					
राजस्व उत्पलावक्ता जीएसडीपी के संदर्भ में	-*	2.12	0.45	0.35	0.98
राज्य की स्व-राजस्व उत्पलावक्ता जीएसडीपी के संदर्भ में	-*	1.52	1.14	0.37	1.04

स्रोतः जीएसडीपी के आंकड़ों के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार तथा वित्त लेखे

\# *वर्ष 2022-23 के लिए अनंतिम अनुमान (पीई), वर्ष 2023-24 के लिए त्वरित अनुमान (क्यूई) तथा वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम अनुमान (एई)*

* *नकारात्मक वृद्धि दर के कारण उत्प्लावकता अनुपातों की गणना नहीं की जा सकती।*

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न स्रोतों से योगदान **चार्ट 1.8** और **चार्ट 1.9** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.8: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ

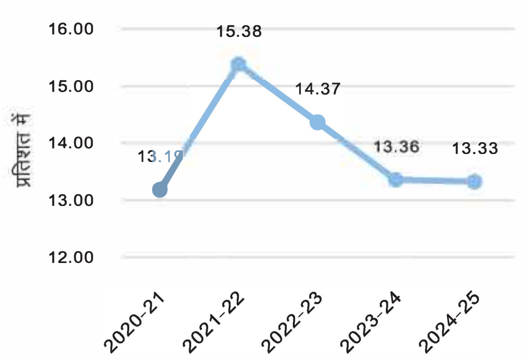

चार्ट 1.9: राजस्व प्राप्तियों में योगदान

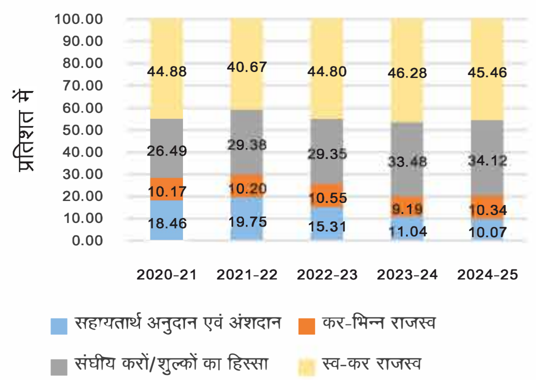

3 उत्प्लावन किसी राजकोषीय चर की, आधार चर में दिए गए परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया की डिग्री को दर्शाती है।

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में पांच साल की अवधि के दौरान एक अनियमित प्रवृत्ति दिखाई दी और वर्ष 2024-25 के दौरान यह जीएसडीपी का 13.33 प्रतिशत थी।

भारत सरकार से प्राप्त निधियों की कम प्राप्ति और कोविड महामारी के प्रभावों के कारण, जीएसडीपी के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता और राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2020-21 के दौरान नकारात्मक हो गई। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान इनमें उल्लेखनीय वृद्धि (क्रमशः 0.35 प्रतिशत और 0.37 प्रतिशत) हुई और ये क्रमशः 0.98 प्रतिशत और 1.04 प्रतिशत पर बनी रहीं। पिछले दो वर्षों में उत्प्लावकता में आए तीव्र उतार-चढ़ाव से आर्थिक चक्रों के प्रति राजस्व की संवेदनशीलता का संकेत मिलता है, जो पूर्वानुमानित और स्थिर राजस्व उत्प्लावकता सुनिश्चित करने के लिए कर प्रशासन में सतत सुधार तथा गैर-कर राजस्व के विविधीकरण की आवश्यकता है।

भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान में वर्ष 2021-22 से 2024-25 के मध्य 36.99 प्रतिशत की कमी आई। यह कमी मुख्य रूप से राजस्व घाटा अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान में भारी गिरावट के कारण हुई। फिर भी, वर्ष 2024-25 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 55.80 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायतार्थ अनुदान का संयुक्त योगदान 44.20 प्रतिशत रहा, जो राजस्थान की राजकोषीय स्थिति की भारत सरकार से प्राप्त कर हस्तांतरणों और सहायतार्थ अनुदान पर निर्भरता को दर्शाता है।

अ. राज्य के स्व-संसाधन

राज्य के स्व-राजस्व का विवरण

(i) स्व-कर राजस्व

स्व-कर राजस्व राज्य सरकार द्वारा उन करों के माध्यम से एकत्र किया जाता है जिन्हें वह संविधान के तहत लगाने के लिए अधिकृत है। वित्त वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़े तथा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक आंकड़े **तालिका 1.6** में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.6: स्व-कर राजस्व: वर्ष 2023-24 (वास्तविक) और 2024-25 (बीई, आरई और वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2024-25 (वास्तविक)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	38,016	55,800	52,100	42,518
राज्य उत्पाद शुल्क	13,225	17,100	17,000	15,104
भू-राजस्व	469	721	776	869
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	9,181	11,000	11,900	10,542
बिक्री,व्यापर आदि पर कर	23,473	19,290	27,000	23,369
वाहन कर	6,704	8,100	8,500	7,574
अन्य (विद्युत् शुल्क सहित)[4]	3,018	13,514	3,202	3,334
कुल	**94,086**	**1,25,525**	**1,20,478**	**1,03,310**

स्रोतः राज्य के वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज़

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्व-कर राजस्व और उसके घटकों की प्रवृत्तियां क्रमशः **चार्ट 1.10** और **चार्ट 1.11** में दिखाए गए हैं।

चार्ट 1.10: वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्तियां

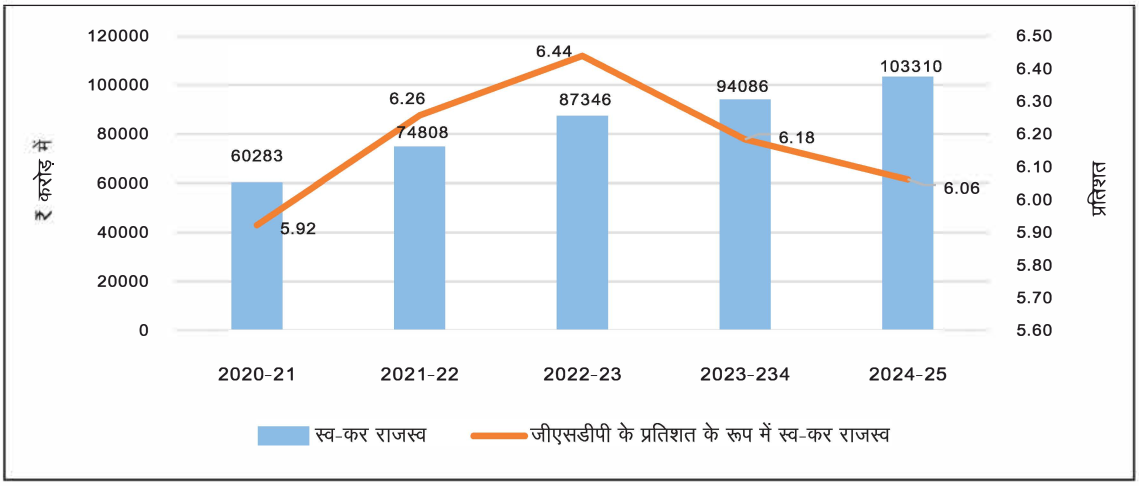

स्रोतः वित्त लेखें

चार्ट 1.11: **राज्य के स्व-कर राजस्व के प्रमुख घटक**

(₹ करोड़ में)

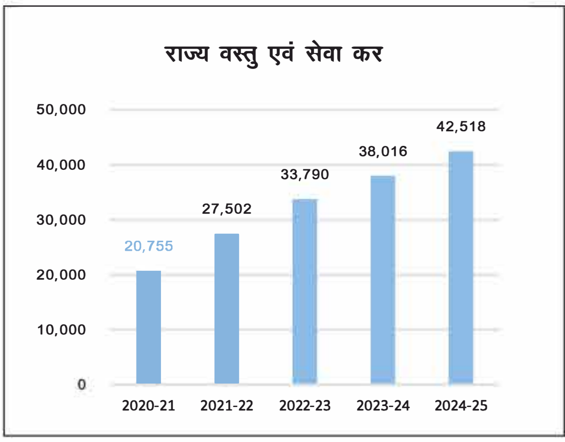

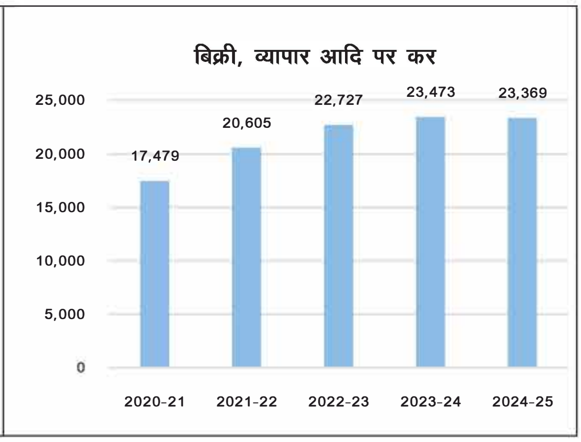

4. अन्य करों में अचल संपत्ति पर लगाए जाने वाले कर (कृषि भूमि को छोड़कर), बिजली पर कर और शुल्क तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (मनोरंजन कर और लक्ज़री कर को छोड़कर) शामिल हैं।

राज्य का स्व-कर राजस्व वर्ष 2020-2021 में ₹ 60,283 करोड़ से 14.42 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से ₹ 43,027 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 1,03,310 करोड़ हो गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य में स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 9.80 प्रतिशत रही और यह राजस्व प्राप्तियों का 45.46 प्रतिशत थी। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में, यह पिछले वर्ष (6.18 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2024-25 में घटकर 6.06 प्रतिशत हो गई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, वास्तविक स्व-कर राजस्व बजट अनुमानों की तुलना में काफी कम (17.70 प्रतिशत) रहा।

राज्य के स्व-कर राजस्व में, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), बिक्री व व्यापार पर कर, मुद्रांक और पंजीयन शुल्क तथा राज्य उत्पाद शुल्क का प्रमुख योगदान रहा। वर्ष 2024-25 के दौरान, स्व-कर राजस्व में केवल एसजीएसटी का योगदान लगभग 41.16 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2024-25 के दौरान, एसजीएसटी, मुद्रांक और पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क और वाहनों पर कर में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 11.84 प्रतिशत, 14.82 प्रतिशत, 14.21 प्रतिशत और 12.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

यद्यपि राज्य द्वारा बजट अनुमान की तुलना में कम कर राजस्व एकत्र किया गया, जिसमें लगभग सभी कर घटकों में व्यापक कमी देखी गई, फिर भी जीएसटी संग्रह राज्य में स्व-कर राजस्व में वृद्धि का एक कारण हो सकती है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.84 प्रतिशत अधिक थी। यह वृद्धि इनपुट टैक्स क्रेडिट के सकल एसजीएसटी और आईजीएसटी[5] के उपयोग और उसके आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के कारण हुई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, मुद्रांक और पंजीयन शुल्क के संग्रह में ₹ 1,361 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि स्टाम्प शुल्क पर अधिभार, गौ संरक्षण पर अधिभार और स्टाम्प की बिक्री आदि से प्राप्त अधिक संग्रह के कारण हुई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्त संग्रह में ₹ 1,879 करोड़ (14.21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि माल्ट लिकर (24.42 प्रतिशत), विदेशी शराब और स्पिरिट (15.31 प्रतिशत), जुर्माना और ज़ब्ती (74.03 प्रतिशत) से प्राप्त अधिक संग्रह के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों (46.35 प्रतिशत) के अंतर्गत राज्य उत्पाद शुल्क मे बढ़ी हुई प्राप्ति के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका।

वर्ष 2024-25 के दौरान, वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि के कारण वाहन करों के संग्रह में ₹ 870 करोड़ (12.98 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई।

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के बावजूद, वास्तविक संग्रह बजट अनुमानों से 17.70 प्रतिशत कम रहा, जो अनुमान से जुड़े अंतरालों की ओर संकेत करता है। जबकि स्टाम्प, उत्पाद शुल्क और वाहन कर जैसे प्रमुख घटकों में उपभोग और अधिभार-आधारित संग्रह के कारण दो-अंकीय वृद्धि दर्ज की गई, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्व-कर राजस्व में मामूली गिरावट आई, जिससे यह संकेत मिलता है कि राजस्व जुटाने की गति आर्थिक वृद्धि के साथ पूरी तरह तालमेल नहीं बिठा पा रही है। समग्र रूप से, यह प्रवृत्ति स्थिर लेकिन उपभोग-आधारित राजस्व विस्तार को दर्शाती है।

(ii) गैर-कर राजस्व

राज्य का गैर-कर राजस्व उन किरायों, शुल्कों, रॉयल्टी तथा अन्य प्राप्तियों को संदर्भित करता है, जो राज्य सरकार को करों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़े, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वित्त वर्ष 2024-25 के गैर-कर राजस्व के वास्तविक आंकड़े **तालिका 1.7** में दिए गए हैं।

5. वर्ष 2024-25 में एसजीएसटी के अंतर्गत, लघु शीर्ष 101–कर, 105–एसजीएसटी और आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के सकल उपयोग, 106–आईजीएसटी के वितरण-एसजीएसटी के, कर घटक का अंतरण प्रमुख योगदानकर्ता थे।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान गैर-कर राजस्व और उसके घटकों की प्रवृत्तियाँ क्रमशः **चार्ट 1.12** और **चार्ट 1.13** में दर्शायी गई हैं।

तालिका 1.7: प्रमुख गैर-कर राजस्व-वर्ष 2023-24 (वास्तविक) और 2024-25 (बीई, आरई और वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

गैर-कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2024-25 (वास्तविक)
ब्याज प्राप्तियां	2,006.13	2,543.63	2,457.30	2,413.59
लाभांश और लाभ	50.71	32.91	52.50	6.41
पेट्रोलियम से राजस्व[6]	3,425.08	4,000.00	2,900.00	2,688.91
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	7,460.48	9,500.00	11,000.00	9,228.40
उपयोगकर्ता शुल्क	880.00	904.95	1,174.74	1,219.74
अन्य	4,857.17	5,683.91	9,334.75	7,945.46
कुल	**18,679.57**	**22,665.40**	**26,919.29**	**23,502.51**

चार्ट 1.12: गैर-कर राजस्व में प्रवृतियां

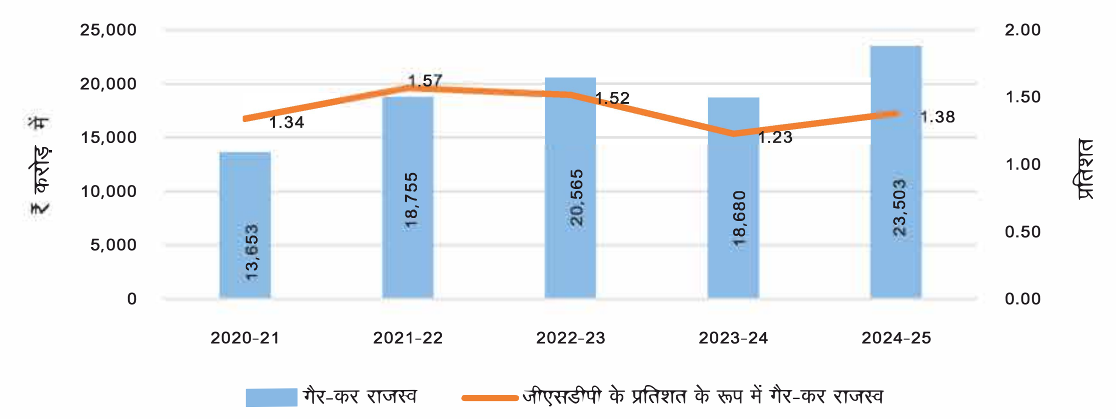

चार्ट 1.13: राज्य के गैर-कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

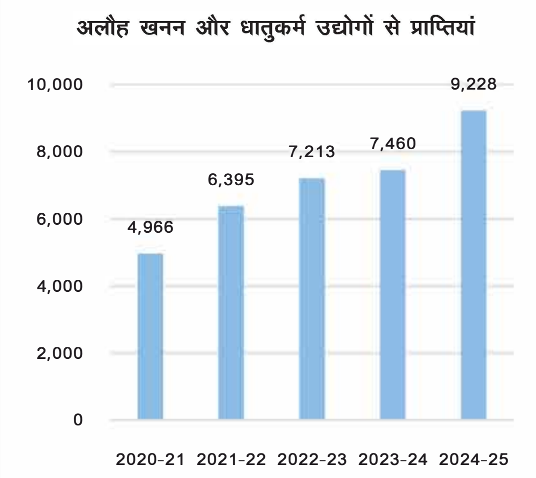

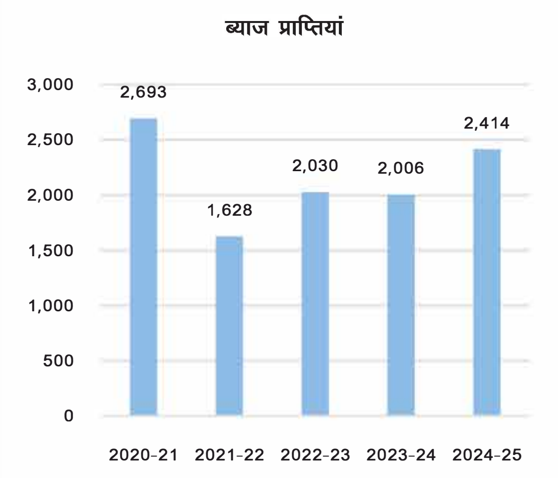

6. बाड़मेर–सांचोर बेसिन में उत्पादित कच्चे तेल पर रॉयल्टी से प्राप्त राजस्व

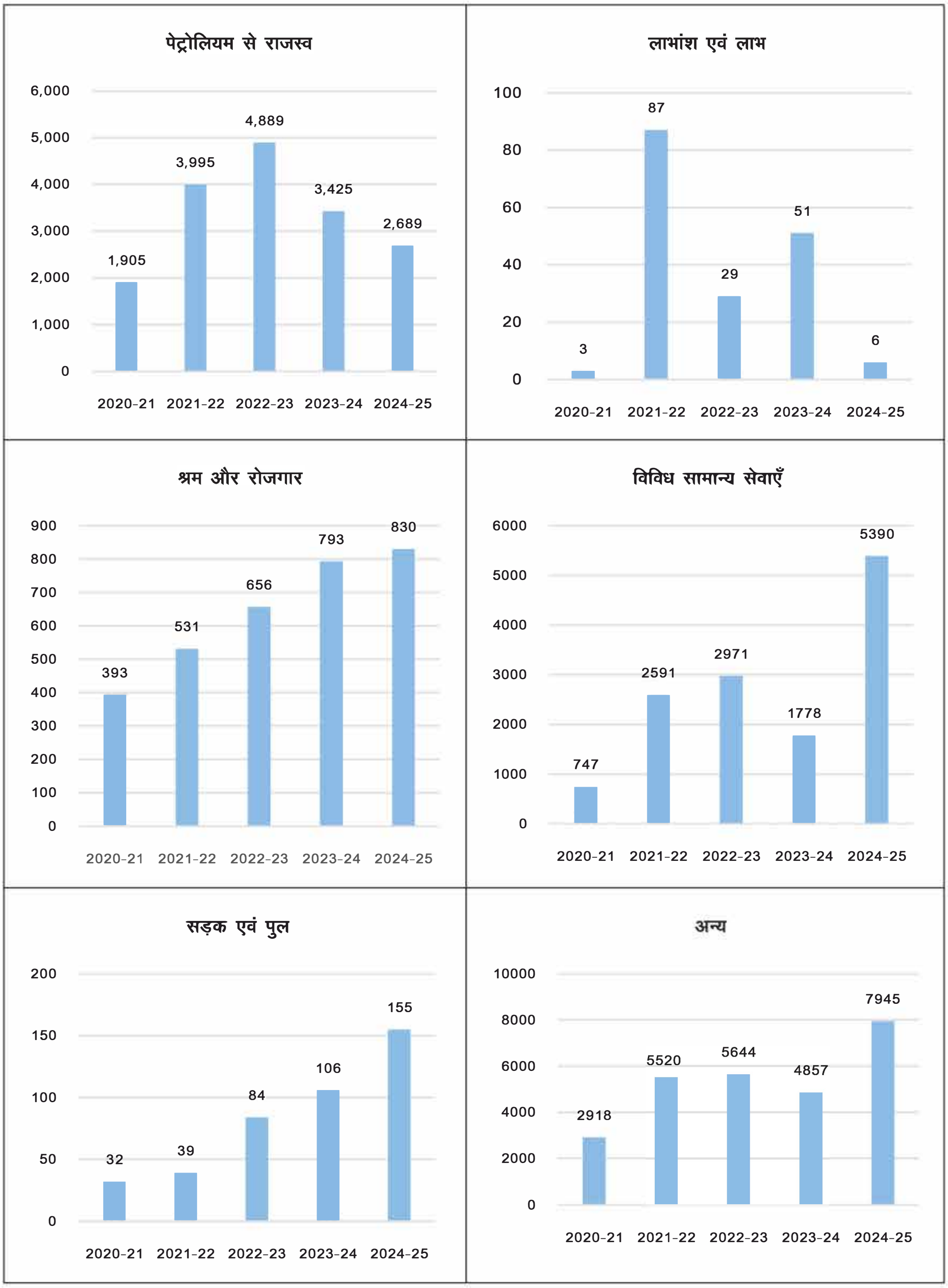

राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व का योगदान पिछले पाँच वर्षों के दौरान 9.19 प्रतिशत से 10.55 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2020-21 से 2024-25 की पाँच वर्षीय अवधि में गैर-कर राजस्व की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 14.54 प्रतिशत रही। वर्ष 2024-25 में गैर-कर राजस्व (₹ 23,502 करोड़) में पिछले वर्ष की तुलना में 25.81 प्रतिशत (₹ 4,822 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से प्राप्त राजस्व में ₹ 1,768 करोड़ तथा विविध सामान्य सेवाओं से ₹ 3,162 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई।

अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि का कारण रॉयल्टी, अन्य विविध प्राप्तियों, अवैध खनन से पर्यावरणीय क्षति के कारण संधारण शुल्क, बजरी की आपूर्ति से आय तथा दंड एवं शुल्क से अधिक प्राप्तियाँ रहा।

विविध सामान्य सेवाओं (मुख्य शीर्ष-0075) के अंतर्गत प्राप्तियों में असामान्य वृद्धि मुख्य रूप से प्रत्याभूति मोचन निधि से प्रत्याभूति शुल्क के हस्तांतरण के कारण है।

हालाँकि, पेट्रोलियम प्राप्तियों (रॉयल्टी) के रूप में कच्चे तेल पर रॉयल्टी से राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 736 करोड़ (21.49 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई, जिसका कारण कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी रहा।

राज्य सरकार द्वारा गैर-कर राजस्व के अंतर्गत बड़ी मात्रा में प्राप्तियों को "अन्य प्राप्तियाँ" के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है।

ब. संघीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा

संघीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के घटकों की प्रवृत्तियां **तालिका 1.8** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.8: संघीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	10602.62	15,261.33	16,169.85	20,656.36	22,648.68
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निगम कर	10,711.19	16,172.11	19,192.10	20,429.54	22,004.65
निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कर	10,978.32	15,877.16	18,730.00	23,593.45	28,062.48
सीमा शुल्क	1,910.39	3,863.52	2,249.47	2,385.19	3,945.36
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1,198.76	2,097.63	705.74	902.60	759.32
सेवा कर	150.00	701.37	89.45	12.68	2.53
अन्य कर[7]	24.49	57.49	94.18	83.39	124.74
कुल	**35,575.77**	**54,030.61**	**57,230.79**	**68,063.21**	**77,547.76**

स्रोत: वित्त लेखे

संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के कुल हिस्से का जीएसडीपी में प्रतिशत **चार्ट 1.14** में दिया गया है।

चार्ट 1.14 : संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के कुल हिस्से का जीएसडीपी में प्रतिशत

7 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क सम्मिलित

वर्ष 2024-25 में संघीय करों में राज्य के हिस्से की शुद्ध प्राप्तियाँ, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 34.12 प्रतिशत रहीं। वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण में ₹ 9,484.55 करोड़ (13.93 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

पिछले तीन वर्षों में संघीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर को छोड़कर, संघीय करों/शुल्कों में राज्य का हिस्सा लगभग सभी घटकों में बढ़ा है। यह वृद्धि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) में ₹ 1,992.32 करोड़, निगम कर में ₹ 1,575.11 करोड़, सीमा शुल्क में ₹ 1,560.17 करोड़ तथा निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कर में ₹ 4,469.03 करोड़ के कारण हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, केंद्रीय कर हस्तांतरण पिछले वर्ष की तुलना में 0.08 अंक (4.47 प्रतिशत) बढ़ा। राज्य के केंद्रीय करों में हिस्से की पांच वर्षीय अवधि (2020-21 से 2024-25) के लिए सीएजीआर 21.51 प्रतिशत रही।

पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा तेजी से बढ़ा है, जो 2024-25 में दोगुने से भी अधिक बढ़कर ₹ 77,548 करोड़ हो गया है। इसकी जीएसडीपी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी बढ़कर 4.55 प्रतिशत हो गई है, जो केंद्रीय बंटवारे के माध्यम से बढ़ी हुई राजकोषीय सहायता को दर्शाती है। केंद्रीय हस्तांतरणों में वृद्धि मुख्यतः आयकर और जीएसटी घटकों से संचालित हो रही है, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे पारंपरिक करों में संरचनात्मक गिरावट देखी जा रही है। यद्यपि, यह प्रवृत्ति राज्य की राजस्व स्थिति को मजबूत बनाती है, लेकिन साथ ही यह राज्य की वित्तीय स्थिति को राष्ट्रीय कर संग्रह के प्रदर्शन और समग्र आर्थिक परिस्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील भी बना देती है।

स. भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान (जीआईए) की प्रवृत्ति तथा उसके घटकों का विवरण **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केंद्र प्रवर्तित प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	-	-	-	-	-
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	12,595.43	14,965.25	14,554.31	14,262.92	14,424.31
वित्त आयोग के अनुदान	6,236.50	17,210.67	10,507.74	5,590.55	6,677.06
विधानसभा वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	5,963.72	4,150.56	4,784.29	2,594.08	1,788.42
कुल	**24,795.65**	**36,326.48**	**29,846.34**	**22,447.55**	**22,889.79**

स्रोत: वित्त लेखे

वित्त आयोग द्वारा अधिक मात्रा में हस्तांतरण किए जाने के कारण वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान अपने उच्चतम स्तर पर पहुँची, परंतु इसके बाद इनमें कमी आई और वर्ष 2024-25 में ये स्थिर होकर ₹ 22,890 करोड़ पर पहुँच गई। वर्तमान में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ अनुदानों का प्रमुख घटक बन गई हैं, जबकि वित्त आयोग के हस्तांतरण तथा अन्य विवेकाधीन अनुदान में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। कुल मिलाकर, यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि राज्य को अनटाईड राजकोषीय सहायता में कमी आई है और वह धीरे-धीरे योजना आधारित हस्तांतरणों पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।

भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान का जीएसडीपी से प्रतिशत **चार्ट 1.15** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.15: भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान का जीएसडीपी से प्रतिशत

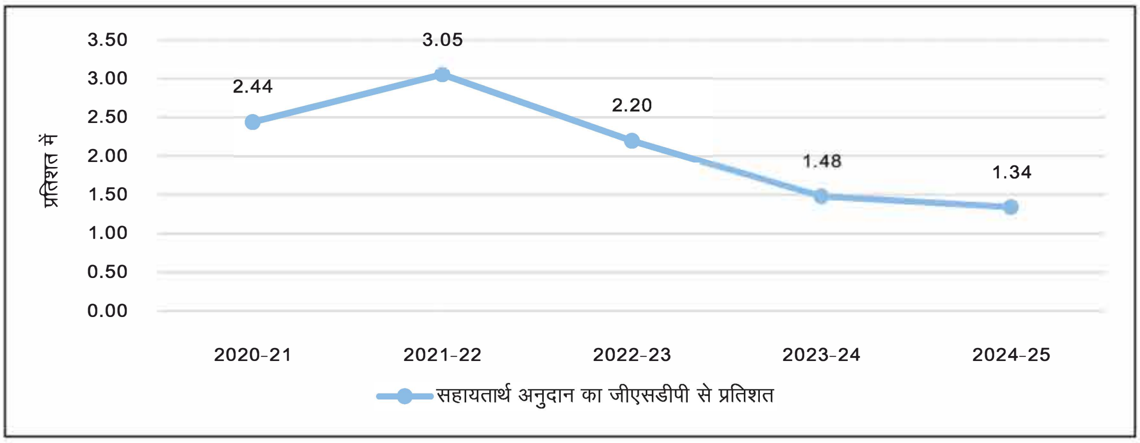

वर्ष 2024-25 के दौरान, सहायतार्थ अनुदान, राजस्व प्राप्तियों और जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में क्रमशः10.07 प्रतिशत और 1.34 प्रतिशत रहा। वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान में ₹13,436.69 करोड़ (36.99 प्रतिशत) की कमी आई। यह कमी मुख्य रूप से जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति और इस अवधि के दौरान राजस्व घाटा अनुदान के आवंटन न होने के कारण हुई।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने भारत सरकार से ₹ 36,683.96 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान प्राप्त होने का अनुमान लगाया था, लेकिन भारत सरकार ने केवल ₹ 22,889.79 करोड़ ही जारी किए।

(i) केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान

वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए प्राप्त ₹ 14,424.31 करोड़ के अनुदानों में से प्रमुख आवंटन **तालिका 1.10** में दर्शाई गई योजनाओं को किया गया।

तालिका 1.10: अनुदान प्राप्त करने वाली प्रमुख योजनाएँ

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	2024-25 में राशि	2023-24 में राशि	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम	1,370.76	2,193.90	(-) 37.52
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-ग्रामीण	1,239.90	67.57	(+) 1,734.99
समग्र शिक्षा	3,093.05	3,202.97	(-) 3.43
आरसीएच हेतु फ्लेक्सी पूल एवं स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	2,195,29	2,743.59	(-) 19.98
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्ववर्ती विद्यालयों में मध्याह्न भोजन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम)	597.87	317.28	(+) 88.44
सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (समेकित बाल विकास सेवाएँ– आंगनवाड़ी सेवाएँ, किशोरियों के लिए पोषण अभियान योजना, राष्ट्रीय क्रेच योजना)	816.83	1,091.96	(-) 25.20

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 में प्रमुख योजनाओं के लिए अनुदानों के प्रवाह में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बदलाव देखने को मिले हैं। पीएमएवाई (ग्रामीण) योजना में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एमजीएनआरईजीएस, स्वास्थ्य कार्यक्रमों और आंगनवाड़ी से संबंधित योजनाओं में भारी गिरावट आई। शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्तपोषण लगभग

स्थिर रहा, जबकि पीएम पोषण योजना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह स्वरुप दर्शाता है कि केंद्र सरकार की सहायता में आवास और स्कूल पोषण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि रोजगार और स्वास्थ्य से संबंधित हस्तांतरणों में संकुचन हो रहा है। इस प्रकार की योजना-वार अस्थिरता से क्षेत्रीय योजना निर्माण और सेवा प्रदाय पर संभावित प्रभावों को उजागर करता है।

(ii) पंद्रहवे वित्त आयोग के अनुदान

वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2020 में प्रस्तुत की। XV-एफसी ने राज्यों को कर-विभाजनोत्तर राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान, आपदा संबंधी अनुदान, विशिष्ट क्षेत्रों के लिए राज्यों को अनुदान, राज्य-विशिष्ट अनुदान मदों के अंतर्गत अनुदान/निधि हस्तांतरण की अनुशंसा की । पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए राजस्थान को कुल ₹ 59,374.06 करोड़ के सहायतार्थ अनुदान की अनुशंसा की। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण **तालिका 1.11** में दिया गया है। अनटाईड

तालिका 1.11: सहायतार्थ अनुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक निर्गम और हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	XV-एफसी की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को वास्तविक निर्गम	क्रियान्वयन एजेंसियों को राजस्थान सरकार द्वारा अनुदानों का निर्गम
		2024-25	2024-25	2024-25
1.	**स्थानीय सरकार हेतु अनुदान**	**4,797.00**	**4,188.24**	**4,188.24**
	(i) ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान	**3,166.00**	**2,855.71**	**2,855.71**
	अ) मूल/अनटाईड अनुदान	1,266.40	1,142.52	1,142.52
	ब) प्रदर्शन/टाईड अनुदान	1,899.60	1,713.19	1,713.19
2.	**(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान**	**1,631.00**	**1,332.53**	**1,332.53**
	अ. दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर (जयपुर,जोधपुर, कोटा)	**493.00**	**416.92**	**416.92**
	क) वायु गुणवत्ता	165.00	88.92	88.92[8]
	ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता	328.00	328.00	328.00
	ब. दस लाख से कम जनसंख्या वाले शहर	**1,138.00**	**915.61**	**915.61[9]**
	अ) मूल/अनटाईड अनुदान	455.20	366.24	366.24
	ब) प्रदर्शन/टाईड अनुदान	682.80	549.37	549.37
3.	**स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुदान**	**918.34**	**773.80**	**773.80[10]**

8. इसमें वर्ष 2023-24 से संबंधित वायु गुणवत्ता सुधार अनुदान के रूप में ₹ 37.92 करोड़ की राशि शामिल है, जिसे भारत सरकार द्वारा 05.06.2024 को हस्तांतरित किया गया था, और वर्ष 2024-25 से संबंधित ₹ 51.00 करोड़ की राशि शामिल है, जिसे भारत सरकार द्वारा 31.03.2025 को हस्तांतरित किया गया था और आगे राज्य सरकार द्वारा 16-04-2025 को जारी किया गया था।
9. इस अनुदान में वर्ष 2024-25 से संबंधित ₹ 541.11 करोड़ शामिल हैं, जो भारत सरकार द्वारा 31-03-2025 को हस्तांतरित किए गए और राज्य सरकार द्वारा 08-04-2025 को जारी किए गए, और वर्ष 2023-24 से संबंधित ₹ 374.50 करोड़ (बंधित अनुदान की दूसरी किस्तः ₹ 224.70 करोड़ और अबंधित अनुदानः ₹ 149.80 करोड़), जो भारत सरकार द्वारा 30 मई 2024 को हस्तांतरित किए गए और राज्य सरकार द्वारा 21.06.2024 को जारी किए गए।
10. इस अनुदान में वर्ष 2022-23 से संबंधित ₹ 773.80 करोड़ शामिल हैं, जो भारत सरकार द्वारा 25.02.2025 और 28-03-2025 को हस्तांतरित किए गए थे और राज्य सरकार द्वारा 18-03.2025 और 27-05-2025 को जारी किए गए थे।

क्र. सं.	अनुदान का नाम		XV-एफसी की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को वास्तविक निर्गम	क्रियान्वयन एजेंसियों को राजस्थान सरकार द्वारा अनुदानों का निर्गम
			2024-25	2024-25	2024-25
	अ. ग्रामीण क्षेत्र		**770.27**	**667.31**	**667.31**
	उप-केन्द्रों की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में जांच-संबंधी अवसंरचना के लिए सहायता		110.75	48.68	48.68
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में जांच-संबंधी अवसंरचना के लिए सहायता		128.16	168.00	168.00
	ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ		30.21	27.40	27.40
	भवन रहित उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		210.98	191.39	191.39
	ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्रों का स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में रूपांतरण		290.17	231.84	231.84
	ब.शहरी क्षेत्र		**148.07**	**106.49**	**106.49**
	उप-केन्द्रों की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में जांच-संबंधी अवसंरचना के लिए सहायता		30.66	0.00	0.00
	शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र		117.41	106.49	106.49
	कुल (1+2+3)		**5,715.34**	**4,962.04**	**4,962.04**
4	**राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (केंद्रीय सरकार का हिस्सा 75%)**	**केंद्र का हिस्सा**	**1,715.00 (केंद्रीय)**	**1,372.00**	**1,372.00**
		राज्य का हिस्सा			**456.80***
	राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष	**केंद्र का हिस्सा**	**571* (राज्य)**	**343.00**	**506.40**[11]
		राज्य का हिस्सा			**114.20***
	कुल (एसडीआरएमएफ)		**2,286.00**	**1,715.00**	**2449.40**
	कुल (1+2+3+4) (*राज्य के हिस्से को छोड़कर)		**7430.34**	**6,677.04**	**7,411.44**
5	**राजस्व घाटा अनुदान**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
6	**अन्य**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	महा योग (4+5+6)		**7,430.34**	**6,677.04@**	**7,411.44**

स्रोतः XV-एफसी की रिपोर्ट, वित्त लेखे तथा संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

@ पूर्णांकित परिमाण से (-) 0.02 करोड़ का अंतर

वर्ष 2024-25 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ₹ 7,430.34 करोड़ स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, वायु गुणवत्ता सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/स्वच्छता योजना आदि के लिए आवंटित किए गए थे, जिसके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा ₹ 6,677.04 करोड़ का हस्तांतरण किया गया। इस प्रकार, राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा सभी अनुदानों के अंतर्गत ₹ 753.30 करोड़ की कम राशि प्राप्त हुई।

राजस्थान के स्थानीय स्वशासन विभाग ने (जून 2025) कम अनुदान प्राप्त होने का कारण यह बताया कि नगर निगम एवं नगरपालिकाओं द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रदर्शन-आधारित शर्तों की पूर्ति नहीं की गई।

15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करे। 10 कार्य दिवसों से अधिक की देरी की स्थिति में राज्य सरकार को पूर्व वर्ष के औसत बाजार उधारी/राज्य विकास ऋण की प्रभावी ब्याज दर के अनुसार ब्याज सहित अनुदान जारी करना होगा।

11. इसमें वर्ष 2023-24 की दूसरी किस्त से संबंधित ₹ 163.40 करोड़ शामिल हैं, जो भारत सरकार द्वारा 29.03.2024 को हस्तांतरित किए गए थे और राज्य सरकार द्वारा 09.04.2024 को जारी किए गए थे।

यह पाया गया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए पन्द्रहवें वित्त आयोग के अबंधित और बंधित अनुदानों की प्रथम/द्वितीय किस्तें जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों को क्रमशः पांच और दस दिनों की देरी से हस्तांतरित कीं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर ₹ 7.63 करोड़ का ब्याज देनदारी आई।

स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी पन्द्रहवें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत, वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा ₹ 918.34 करोड़ के विरुद्ध ₹ 773.80 करोड़ एक से तीन माह की देरी से जारी किए गए, जिससे देरी की अवधि के लिए ब्याज देनदारी उत्पन्न हुई। आगे यह भी पाया गया कि वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए संबंधित ₹ 832.74 करोड़ के अनुदान 7 से 675 दिनों की देरी से राज्य सरकार द्वारा जारी/हस्तांतरित किए गए। 13 अक्टूबर 2022 तक की देरी पर राजस्थान सरकार द्वारा ₹ 24.53 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया। साथ ही, वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि से संबंधित ₹ 1,852.30 करोड़ का अनुदान अभी भारत सरकार से प्राप्त होना शेष है।

शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों से संबंधित अनुदान के मामले में यह पाया गया कि कुल प्राप्त अनुदान ₹ 1,606.54 करोड़ में से, वर्ष 2021-22 और 2024-25 के लिए ₹ 106.49 करोड़ की राशि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के पी.डी. खाते के बजाय आईसीआईसीआई बैंक खाते में स्थानांतरित की गई, अर्थात इसे सरकारी खाते से बाहर रखा गया।

इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के लिए "स्वास्थ्य देखभाल एवं कल्याण केंद्र में ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाल चिकित्सा केंद्रों के निर्माण" से संबंधित ₹ 263.19 करोड़ के अनुदान के संबंध में, विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (4008) के पी.डी. खाते में केवल ₹ 10 लाख ही स्थानांतरित किए गए हैं। वर्ष 2021-22 के लिए इस अनुदान के कम हस्तांतरण का कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान के वित्त निदेशक ने अवगत कराया (जुलाई 2025 में) कि वर्ष 2021-22 से संबंधित अनुदान वर्ष 2024-25 में जारी किया गया था।

इसके अतिरिक्त, इन अनुदानों के पीडी खाते एवं बैंक खाते के माध्यम से वास्तविक उपयोग का विवरण संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

1.2.2 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित होती हैं, जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों एवं उनके घटकों की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.12** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.12: शुद्ध पूंजी प्राप्तियों की वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य प्राप्तियों के स्रोत	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पूंजीगत प्राप्तियाँ	**49,328.60**	**47,640.01**	**35,263.81**	**58,686.98**	**59,622.32**
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	14.08	31.42	16.20	14.24	7.35

राज्य प्राप्तियों के स्रोत	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	373.52	2,373.59	419.61	404.74	516.72
शुद्ध लोक ऋण प्राप्तियाँ	48,941.00	45,235.00	34,828.00	58,268.00	59,098.25
आंतरिक ऋण	*42,712.00*	*37,018.00*	*29,154.00*	*48,896.00*	*48,932.46*
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	*6,229.00*	*8,217.00*	*5,674.00*	*9,372.00*	*10,165.78*
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	1.79	17.46	13.45	12.17	12.02
पूंजीगत प्राप्तियाँ	17.92	(-)3.42	(-)25.98	66.42	1.59
शुद्ध ऋण पूंजी प्राप्तियाँ	87.22	(-)7.57	(-)23.01	67.30	1.42
आंतरिक ऋण	*87.61*	*(-)13.34*	*(-)21.24*	*67.72*	*0.07*
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	*84.56*	*31.92*	*(-)30.95*	*65.17*	*8.47*

स्रोत :वित्त लेखे

**** मर्गोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट/विशेष आहरण सुविधा के अंतर्गत शुद्ध आंकड़ों सहित***

वर्ष 2024-25 में पूंजीगत प्राप्तियाँ अधिकांशतः ऋण-आधारित रहीं, जहाँ लगभग सम्पूर्ण प्रवाह शुद्ध सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से प्राप्त हुआ, जबकि वसूली तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ नगण्य स्तर पर बनी रहीं। वर्ष 2023-24 में तीव्र उतार-चढ़ाव एवं अत्यधिक उधार वृद्धि के बाद, वर्ष 2024-25 में पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि उल्लेखनीय रूप से धीमे हुई और यह केवल 1.59 प्रतिशत रही, जबकि जीएसडीपी में 12.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह अस्थायी ऋण-संयम की प्रवृत्ति को इंगित करता है। आंतरिक ऋण अभी भी पूंजीगत वित्तपोषण का प्रमुख साधन बना हुआ है, जिसे भारत सरकार से प्राप्त बढ़ते ऋणों द्वारा पूरक समर्थन प्राप्त है। यह संरचना संकेत देती है कि पूंजी वित्तपोषण के लिए राज्य की निर्भरता मुख्य रूप से उधार पर आधारित है, जबकि आंतरिक पूंजी पुनर्चक्रण की क्षमता सीमित बनी हुई है।

पूंजीगत प्राप्तियों का जीएसडीपी से प्रतिशत **चार्ट 1.16** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.16: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत प्राप्तियाँ

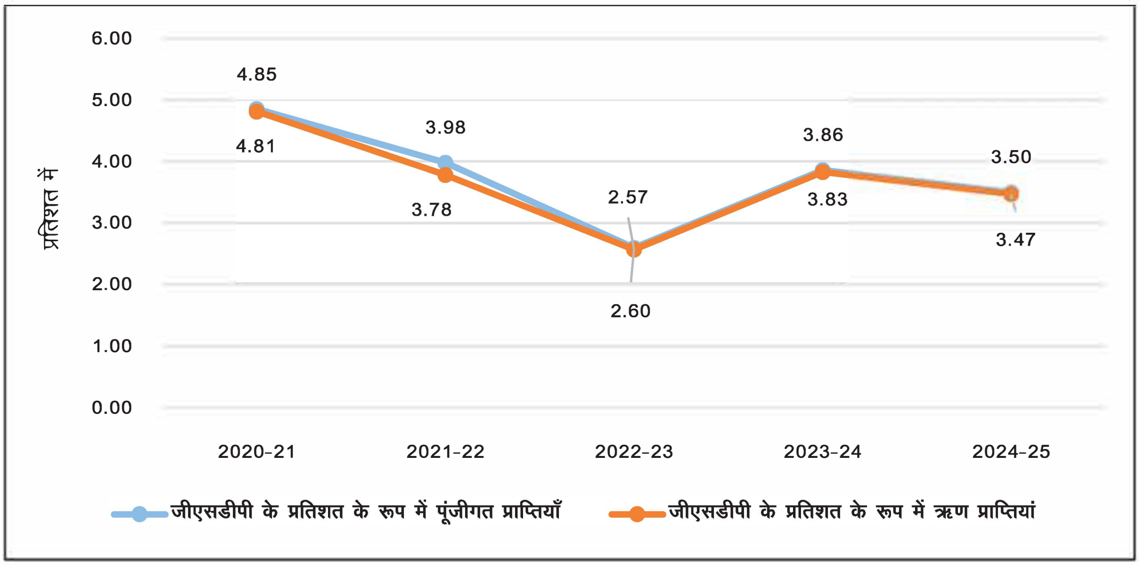

जैसाकि उपर्युक्त से स्पष्ट है, राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों का प्रमुख स्रोत आंतरिक ऋण है, जो कुल पूंजीगत प्राप्तियों का 82.07 प्रतिशत है। पूंजीगत प्राप्तियों में 1.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2023-24 में ₹ 58,687 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 59,622 करोड़ हो गई।

राज्य सरकार वर्ष-दर-वर्ष बाजार ऋण को प्राथमिकता देती रही है, क्योंकि बाजार ऋण अनटाईड कोष की प्रकृति के होते हैं, जो राज्य सरकार को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार धन खर्च करने की स्वतंत्रता देते हैं, जबकि नाबार्ड आदि संस्थानों से लिए गए ऋणों को विशिष्ट क्षेत्रों में चिन्हित योजनाओं पर खर्च किया जाना होता है।

1.2.3 वित्त आयोग के अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए अनुमानित राजस्व, घाटे एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा उक्त अवधि के वास्तविक आंकड़े **तालिका 1.13** में दिए गए हैं।

तालिका 1.13: 15वें वित्त आयोग के अनुमान के समक्ष वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक
जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला- वास्तविक मूल्यों पर)	11,28,180	10,17,917	10,50,408	11,95,641	11,43,069	13,56,480	12,54,154	15,21,510	13,83,163	17,04,339
स्व-राजस्व प्राप्तियाँ	99,750	73,936	84,704	93,563	93,662	1,07,911	1,04,577	1,12,766	1,17,481	1,26,812
राज्य की स्व-कर राजस्व प्राप्तियाँ	80,422	60,283	63,384	74,808	71,370	87,346	79,902	94,086	90,014	1,03,310
राज्य की स्व-गैर कर-राजस्व प्राप्तियाँ	19,327	13,653	20,320	18,755	22,292	20,565	24,675	18,680	27,467	23,502
संघीय करों शुल्कों में/ राज्य का हिस्सा	51,131	35,576	39,687	54,031	44,148	57,231	49,677	68,063	56,438	77,548
राजस्व घाटा* (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	(-) 0.01	4.59	(-) 0.05	2.16	(-) 0.08	2.23	(-) 1.2	2.55	(-)1.7	(-) 2.46
राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	4.50	6.20	4.00	4.03	3.50	3.61	3.00	4.29	3.00	4.25
* ऋणात्मक मान अधिशेष को दर्शाते हैं तथा धनात्मक मान घाटे को दर्शाते हैं।										

15वें वित्त आयोग के अनुमानों की वास्तविक आंकड़ों से तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि हाल के वर्षों में जीएसडीपी की वृद्धि, स्व-कर राजस्व और केंद्रीय हस्तांतरण अनुमानों से कहीं अधिक रहे, फिर भी राज्य अनुमानित राजस्व संतुलन या राजकोषीय समेकन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। मजबूत व्यापक आर्थिक प्रदर्शन और अधिक केंद्रीय हस्तांतरण के बावजूद राजस्व घाटे बने रहे, और अधिकांश वर्षों में राजकोषीय घाटा भी आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा।

1.2.4 व्यय

सरकारी व्यय को राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय में विभागों के रख-रखाव, मरम्मत एवं दैनिक कार्य संचालन से संबंधित खर्च शामिल होते हैं, जिनमें प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय भी सम्मिलित हैं। पूंजीगत व्यय का संबंध परियोजनाओं के प्रारंभिक निर्माण तथा परिसंपत्तियों में स्वीकृत सुधार या विस्तार से होता है। ऋण एवं अग्रिमों में सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई वह राशि शामिल होती है, जो समय के साथ वसूल की जाती है। व्यय का विवरण, कुल व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में विवरण तथा उसके घटकों का हिस्सा क्रमशः **तालिका 1.14**, **चार्ट 1.17** और **चार्ट 1.18** में दिया गया है।

तालिका 1.14: कुल व्यय तथा उसके घटक

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय (टीई)	1,94,071	2,34,563	2,46,452	2,69,275	3,00,194
राजस्व व्यय (आरई)	1,78,309	2,09,790	2,26,479	2,42,231	2,69,200
पूंजीगत व्यय (सीई)	15,270	24,152	19,798	26,646	30,727
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	491	621	175	398	267
आकस्मिक निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-

स्रोत: वित्त लेखे

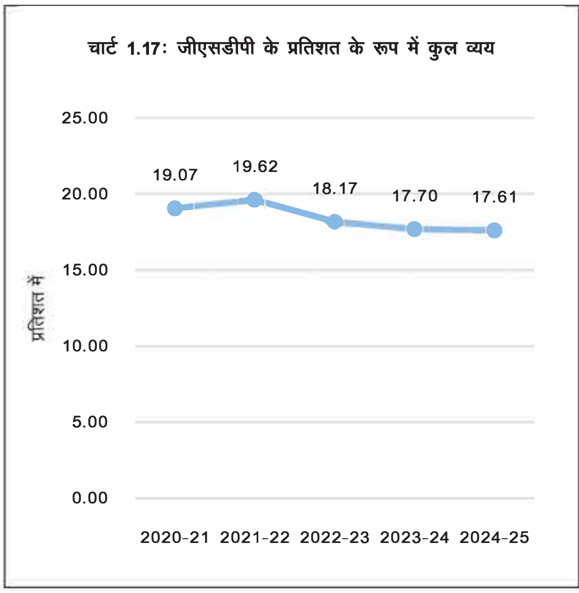

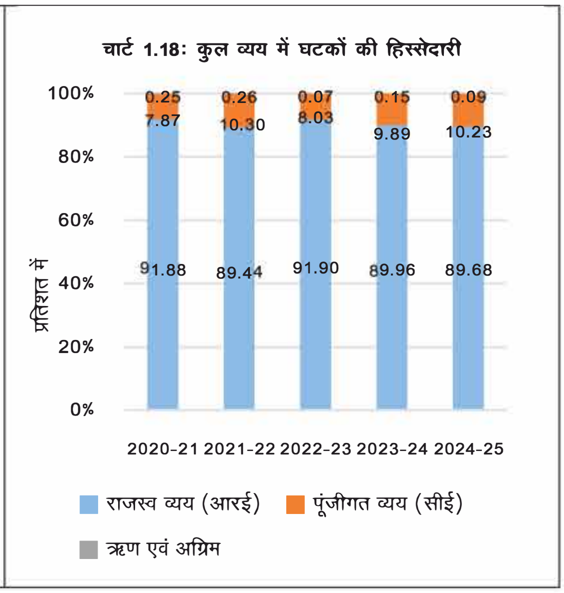

स्रोत: वित्त लेखे

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा किए गए कुल ₹ 3,00,194 करोड़ के व्यय में से, कुल ₹ 21,859.46 करोड़ की राशि पास-थ्रू लेनदेन से संबंधित थी, जिनमें वित्त आयोग अनुदान (₹ 6,677.06 करोड़) तथा सीएसएस के अंशदान की राशि (केंद्रीय अंश: ₹ 15,182.40 करोड़) शामिल हैं।

पूर्ण रूप से, कुल व्यय (टीई) में वृद्धि का रुझान देखा गया। कुल व्यय ₹ 1,06,123 करोड़ (54.68 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ वर्ष 2020-21 के ₹ 1,94,071 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 3,00,194 करोड़ हो गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल व्यय (टीई) पिछले वर्ष (₹ 2,69,275 करोड़) की तुलना में ₹ 30,919 करोड़ (11.48 प्रतिशत) बढ़ गया।

वर्ष 2024-25 में कुल व्यय में वृद्धि मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 26,969 करोड़ (11.13 प्रतिशत) तथा पूंजीगत व्यय में ₹ 4,081 करोड़ (15.32 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।

सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुपात में राज्य का कुल व्यय में वर्ष 2021-22 में वृद्धि देखी गई, जिसके बाद यह 19.62 प्रतिशत से लगातार घटकर 17.61 प्रतिशत हो गया। इसका मुख्य कारण राजस्व और पूंजीगत व्यय में जीएसडीपी के सापेक्ष निरंतर कमी थी।

राजस्व व्यय, कुल व्यय का प्रमुख घटक रहा, जो पांच वर्षों (2020-2025) की अवधि में 89.44 प्रतिशत से 91.90 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2024-25 के दौरान, पूंजीगत व्यय का सापेक्षिक हिस्सा 10.23 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से 9.89 प्रतिशत बढ़ा था। पूंजीगत व्यय का पूंजीगत

व्यय के सापेक्ष उच्च अनुपात वांछनीय है, क्योंकि इससे अवसंरचना विकास को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान होगा।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय में 101.21 प्रतिशत की वृद्धि राजस्व व्यय में 50.97 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है, जो दर्शाता है कि सरकार राज्य की अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।

क्षेत्रवार कुल व्यय

व्यय की क्षेत्रवार संरचना **तालिका 1.15** में दी गई है तथा विभिन्न क्षेत्रों की कुल व्यय में सापेक्ष हिस्सेदारी **चार्ट 1.19** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.15: क्षेत्रवार कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएँ	60,542	65,890	72,417	78,085	87,539
सामाजिक सेवाएँ	81,651	96,005	99,019	1,11,833	1,27,346
आर्थिक सेवाएँ	51,387	72,047	74,841	78,959	85,042
स्थानीय निकायों को अनुदान	0	0	0	0	0
ऋण एवं अग्रिम	491	621	175	398	267

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 1.19: कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी

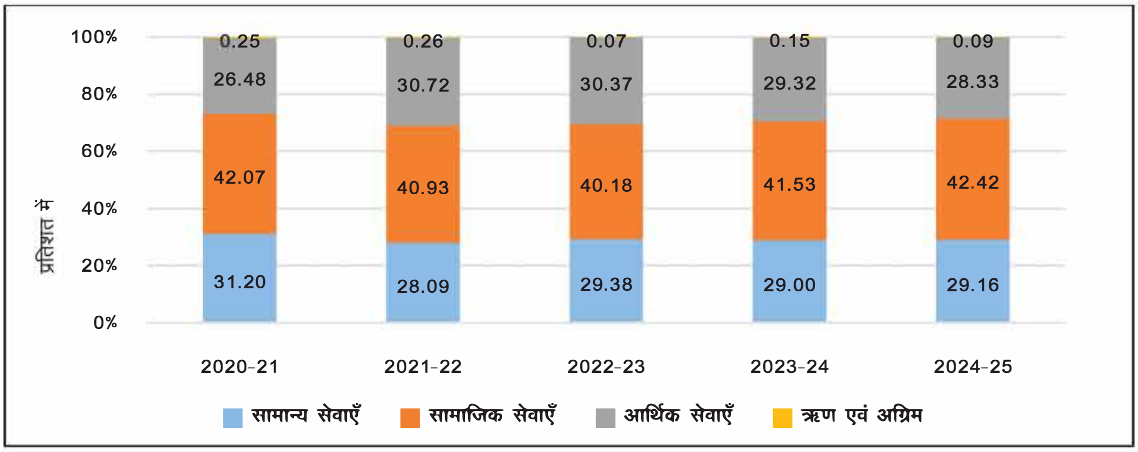

स्रोतः वित्त लेखे

सामाजिक क्षेत्र सभी पांच वर्षों में प्रमुख क्षेत्र बना रहा, क्योंकि कुल व्यय में इसकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक रही, जो दर्शाता है कि इस क्षेत्र के लिए अधिक संसाधन आवंटित किए गए हैं। सामाजिक क्षेत्र पर व्यय को प्राथमिकता देने से शिक्षा पर व्यय के लिए साक्षरता दर, नामांकन अनुपात आदि जैसे सामाजिक संकेतकों और स्वास्थ्य पर व्यय के लिए शिशु मृत्यु दर, बाल लिंग अनुपात, स्वास्थ्य अवसंरचना की उपलब्धता आदि की स्थिति में सुधार होता है।

हालांकि, ऊपर दिए गए चार्ट से स्पष्ट है कि कुल व्यय में आर्थिक क्षेत्र की सापेक्षिक हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में 29.32 प्रतिशत से घटकर 28.23 प्रतिशत हो गई है, जो राज्य में अवसंरचना और रोजगार वृद्धि में योगदान देने वाली आर्थिक गतिविधियों के लिए कम संसाधनों के आवंटन को दर्शाता है।

1.2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय का उपयोग वर्तमान स्तर की सेवाओं को बनाए रखने तथा पूर्व दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इसलिए, इससे राज्य की अवसंरचना या सेवा नेटवर्क में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। राजस्व व्यय की वृद्धि, उसका कुल व्यय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) तथा राजस्व प्राप्तियों के साथ अनुपात को **तालिका 1.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16: राजस्व व्यय – मूलभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय (टीई)	1,94,071	2,34,563	2,46,452	2,69,275	3,00,194
राजस्व व्यय (आरई)	1,78,309	2,09,790	2,26,479	2,42,231	2,69,200
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय (आरई)	132.76	114.07	116.15	119.16	118.46
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आरई	91.88	89.44	91.90	89.96	89.68
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	17.52	17.55	16.70	15.92	15.79
साल-दर-साल वृद्धि (प्रतिशत में)					
राजस्व व्यय	1.03	17.66	7.96	6.96	11.13
जीएसडीपी वृद्धि	1.79	17.46	13.45	12.17	12.02

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व व्यय, कुल व्यय का 89.68 प्रतिशत रहा। यह वर्ष 2020-21 में ₹ 1,78,309 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 2,69,200 करोड़ हो गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 11.13 प्रतिशत (₹ 26,969 करोड़) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय का अधिकांश हिस्सा सामाजिक सेवाओं (42.64 प्रतिशत) पर खर्च हुआ, इसके बाद सामान्य सेवाओं (32.33 प्रतिशत) पर हुआ, जिनमें प्रशासनिक सेवाएं (4.30 प्रतिशत), पेंशन देनदारियां (10.89 प्रतिशत) और ब्याज भुगतान (14.24 प्रतिशत) शामिल हैं।

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के सभी वर्षों में 100 प्रतिशत से अधिक था, जो दर्शाता है कि राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व प्राप्तियां पर्याप्त नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप घाटा उत्पन्न हुआ।

अ. क्षेत्रवार राजस्व व्यय

राजस्व व्यय की क्षेत्रवार संरचना **तालिका 1.17** में दी गई है तथा राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी **चार्ट 1.20** में दर्शाई गई है। विस्तृत क्षेत्रवार व्यय का विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

तालिका 1.17: क्षेत्रवार राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएँ	60,144	65,406	71,875	77,678	87,022
सामाजिक सेवाएँ	74,009	85,054	90,168	1,01,884	1,14,789
आर्थिक सेवाएँ	44,156	59,330	64,436	62,669	67,389
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	0.07	0.04	0.04	0.05	0.06

चार्ट 1.20: राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी

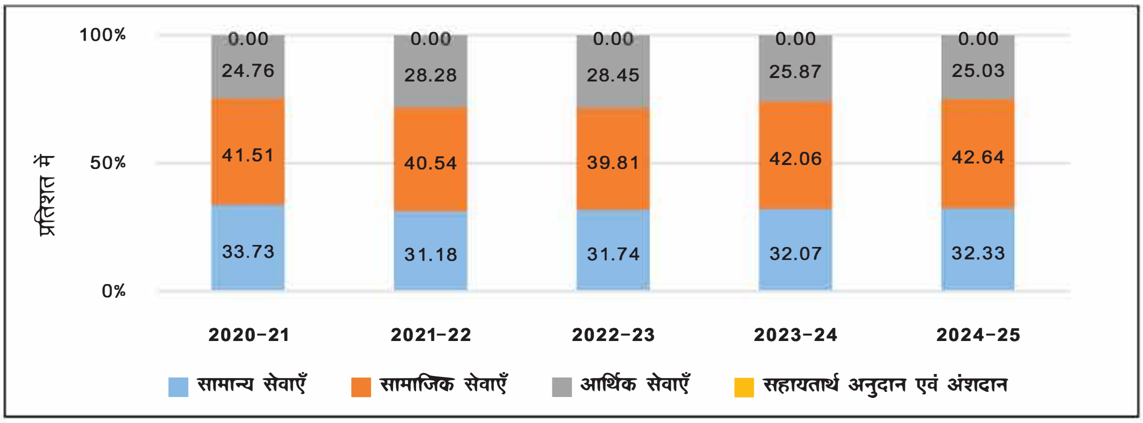

स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व व्यय के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच सामान्य सेवा में ₹ 26,878 करोड़ (44.69 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं में ₹ 40,780 करोड़ (55.10 प्रतिशत) और आर्थिक सेवा में ₹ 23,233 करोड़ (52.62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सामाजिक सेवाओं की वृद्धि दर अन्य सेवाओं की तुलना में अधिक रही।

वर्ष 2024-25 के दौरान, सामान्य सेवा में ₹ 9,344 करोड़ (12.03 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं में ₹ 12,905 करोड़ (12.67 प्रतिशत) और आर्थिक सेवाओं में ₹ 4,720 करोड़ (7.53 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 26,969 करोड़ (11.13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्तमान वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष के राजस्व व्यय के संबंध में प्रमुख लेखा शीर्षों के अंतर्गत हुए परिवर्तनों का विवरण **तालिका 1.18** में प्रस्तुत किया गया हैं।

तालिका 1.18: पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में शीर्ष-वार परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखाशीर्ष	2023-24	2024-25	परिवर्तन
वृद्धि			
सामान्य क्षेत्र			
2049 – ब्याज भुगतान	34,127.77	38,344.64	4,216.87
2071 – पेंशन एवं अन्य देयताएँ	27,203.19	29,317.78	2,114.59
2055 – पुलिस	8,438.14	9,072.80	634.66
सामाजिक क्षेत्र			
2202 – सामान्य शिक्षा	48,435.25	53,030.54	4,595.29
2210 – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	14,931.41	17,852.00	2,920.59
2235 – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	13,298.17	14,987.89	1,689.72
2217 – शहरी विकास	6,842.94	7,632.82	789.88
2215 – जलापूर्ति एवं सफाई	4,643.38	5,376.31	732.93
आर्थिक क्षेत्र			
2801 – विद्युत	27,037.97	32,571.65	5,533.68
2425 – सहकारिता	1,596.04	2,588.61	992.57
2515 – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	9,256.83	10,032.75	775.92
कमी			
सामान्य क्षेत्र			
2075- विविध सामान्य सेवाएँ	917.62	10.26	-917.36
आर्थिक क्षेत्र			
3454 – जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	2,615.11	724.99	-1,890.12
3054 – सड़क एवं पुल	4,553.35	3,221.39	-1,331.96
2401 – फसल कृषि कर्म	4,257.41	3,486.83	-770.58

सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय की प्रमुख मदों की संरचना **तालिका 1.19** में दी गई है।

तालिका 1.19: सामाजिक सेवाओं में राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रमुख मदों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-2021	2021-2022	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य शिक्षा	34,506.82	39,738.75	43,705.47	48,435.25	53,030.54
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	8,391.59	10,426.37	10,144.84	14,931.42	17,852.00
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	9,647.75	12,079.02	13,393.05	13,298.18	14,987.89
जल आपूर्ति एवं सफाई	3,496.80	4,072.35	4,295.35	4,643.38	5,376.31
शहरी विकास	5,982.22	6,470.86	7,036.57	6,842.94	7,632.82

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में सामान्य शिक्षा का प्रमुख योगदान रहा, जिसके बाद चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण का स्थान रहा। वर्ष 2024-25 में, सामान्य शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण का योगदान क्रमशः 46.20 प्रतिशत, 15.55 प्रतिशत और 13.05 प्रतिशत रहा।

आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय की प्रमुख मदों की संरचना **तालिका 1.20** में दी गई है।

तालिका 1.20: आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय के प्रमुख मदों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	2020-2021	2021-2022	2022-23	2023-24	2024-25
फसल कृषि कर्म	4,049.76	4,460.66	3,958.79	4,257.42	3,486.83
सहकारिता	5,166.31	4,355.17	1,679.37	1,595.04	2,588.61
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	6,216.41	10,502.45	8,475.87	9,256.83	10,032.75
विद्युत	14,264.26	22,644.27	24,515.16	27,037.97	32,571.65
सड़क एवं पुल	1,464.00	2,991.02	4,360.32	4,553.35	3,221.39
पशुपालन	1,605.96	1,717.49	2,133.85	2,798.79	2,708.21

आर्थिक सेवाओं के संदर्भ में, गत पांच वर्षों के दौरान विद्युत, सड़क और पुल, फसल कृषि कर्म और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रमुख योगदानकर्ता रहे हैं।

ब. प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार का राजस्व खाते पर प्रतिबद्ध व्यय ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय तथा पेंशन पर व्यय से मिलकर बना होता है। इसका सरकारी संसाधनों पर प्रथम दावा होता है। प्रतिबद्ध व्यय के घटकों का विवरण **तालिका 1.21** में दिया गया है तथा राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय एवं अन्य व्ययों के लिए शेष वित्तीय संभावना का विवरण **चार्ट 1.21** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.21: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वेतन एवं मजदूरी[12]	56,303	63,757	67,242	74,408	80,601
पेंशन पर व्यय	22,440	23,391	25,381	27,203	29,318
ब्याज भुगतान	25,202	28,100	30,602	34,128	38,345
कुल	**1,03,944**	**1,15,249**	**1,23,225**	**1,35,739**	**1,48,264**

12. इसमें सहायतार्थ अनुदान (वेतन) शामिल है: वर्ष 2020-21 (₹ 4,684 करोड़); वर्ष 2021-22 (₹ 6,639 करोड़); वर्ष 2022-23 (₹ 7,468 करोड़); वर्ष 2023-24 (₹ 9,009 करोड़) और वर्ष 2024-25 (₹ 9,810 करोड़)।

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में प्रतिबद्ध व्यय	58.29	54.94	54.41	56.04	55.08
राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में प्रतिबद्ध व्यय	77.39	62.66	63.20	66.78	65.24

स्रोतः वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2020-21 के ₹1,03,944 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 1,48,264 करोड़ हो गया, जो ₹ 44,320 करोड़ (42.64 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सही अर्थ में, वर्ष 2024-25 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 12,525 करोड़ की वृद्धि हुई।

राजस्व व्यय में निर्धारित व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 58.29 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 55.08 प्रतिशत हो गई और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें मामूली कमी (56.04 प्रतिशत) आयी। कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय की अधिक हिस्सेदारी दर्शाती है कि सरकार ने आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर कम व्यय किया।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पिछले पांच वर्षों में प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों का लगभग 62.66 से 77.39 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों का लगभग 65.24 प्रतिशत रहा, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक और सामाजिक कल्याण विकास गतिविधियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता कम रही।

पिछले पाँच वर्षों में, कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय की हिस्सेदारी तथा उपलब्ध राजकोषीय संभावना को **चार्ट 1.21** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.21: राजस्व प्राप्तियों और उपलब्ध राजकोषीय संभावना के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय

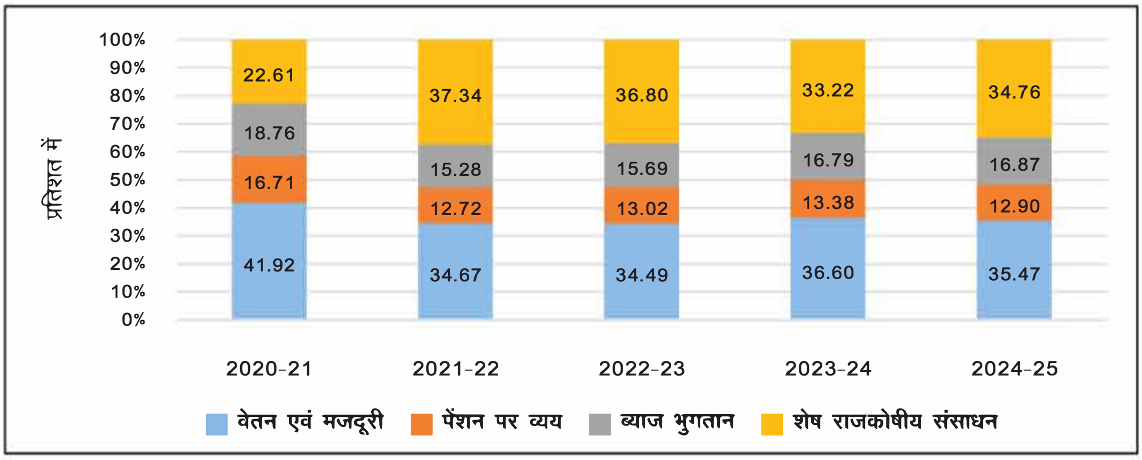

स्रोतः वित्त लेखे

मौद्रिक दृष्टि से, ब्याज भुगतान वर्ष 2020-21 में ₹ 25,202 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 38,345 करोड़ हो गया, जो ₹ 13,143 करोड़ (52.15 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 4,217 करोड़ (12.36 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। यह इंगित करता है कि राज्य के उधार एवं उससे संबंधित लागतों के संदर्भ में आवश्यक राजकोषीय अनुशासन बनाए नहीं रखा। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा बाजार उधारी पर अधिक निर्भरता के कारण ब्याज भुगतान पर प्रतिबद्ध देनदारियाँ बढ़ी है।

पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि वेतन (₹ 6,193 करोड़), पेंशन पर व्यय (₹ 2,115 करोड़) और ब्याज भुगतान (₹ 4,217 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

• *राजस्थान सरकार की पेंशन देनदारियाँ*

राज्य सरकार का राजस्व खाते पर प्रतिबद्ध व्यय ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी तथा पेंशन पर व्यय से मिलकर बनता है और इसका सरकारी संसाधनों पर प्रथम दावा होता है। व्यय पक्ष में भी राज्यों के पास सीमित लचीलापन होता है। वर्ष 2024-25 में ये तीनों घटक मिलकर राज्य के कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजी व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम वितरण सहित) का 49 प्रतिशत थे। इसके कारण अल्पकाल से मध्यम अवधि तक राज्य की राजकोषीय लचीलापन सीमित हो गया।

नीतिगत परिवर्तन का संदर्भ

राज्य ने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की थी। एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा समान योगदान (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (एआईएस) हेतु 14 प्रतिशत) किया जाता है। हालांकि, राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में वापसी की अधिसूचना जारी की, जिसके तहत 5,25,713 राज्य सरकारी कर्मचारियों (एआईएस अधिकारियों को छोड़कर) को एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित कर दिया गया।

तत्काल राजकोषीय प्रभाव

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, एनपीएस कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के अंशदान पर व्यय क्रमशः ₹ 2,132 करोड़ और ₹ 1,911 करोड़ रहा। ओपीएस के तहत, राज्य को अब एनपीएस में नियोक्ता अंशदान करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप नकद व्यय में अल्पकालिक कमी आई है। इसके बावजूद, पेंशन व्यय में वृद्धि जारी है। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय वर्ष 2020-21 में ₹ 22,440 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 29,318 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, पेंशन व्यय राजस्व व्यय का 10.89 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 12.90 प्रतिशत रहा। पेंशनभोगियों की संख्या वर्ष 2017-18 में 4.12 लाख से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 4.97 लाख हो गई, और हाल के वर्षों में पेंशन व्यय में वार्षिक वृद्धि सात से आठ प्रतिशत के बीच रही। ये प्रवृत्तियां संरचनात्मक रूप से बढ़ती हुई दीर्घकालिक प्रतिबद्ध देनदारीयों को दर्शाती हैं।

भविष्य की देनदारियों का विस्तार

मार्च 2022 तक, राज्य में 4,73,811 मौजूदा पेंशनभोगी और 5,25,713 एनपीएस अंशदाता, जिन्हें ओपीएस में स्थानांतरित कर दिये गये थे। इस बदलाव से भविष्य में परिभाषित लाभ प्रणाली के तहत लाभार्थियों का आधार काफी बढ़ गया है। एफआरबीएम ढांचे (2024-25) के अंतर्गत, वर्ष 2025-26 से वर्ष 2034-35 तक की दस वर्षों की अवधि के लिए किये गए प्रेक्षणों के अनुसार पेंशन व्यय वर्ष 2026-27 तक लगभग ₹ 40,000 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है और उसके बाद ₹ 38,000 से ₹ 40,000 करोड़ के बीच रहने की सम्भावना है, जो दीर्घकालिक दायित्वों में निरन्तर वृद्धि को दर्शाता है।

एनपीवी जोखिम – मात्रात्मक राजकोषीय भार

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अपने विश्लेषण (अक्टूबर 2025) में ओपीएस में वापस लौटने के दीर्घकालिक राजकोषीय प्रभावों पर प्रकाश डाला। छह प्रतिशत की छूट दर पर (1 अप्रैल 2025 तक) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के अनुमानों के अनुसार, राजस्थान के एनपीएस कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों की एनपीवी ₹ 2,27,895 करोड़, यूपीएस के तहत ₹ 3,25,466 करोड़

और ओपीएस के तहत ₹ 10,29,201 करोड़ होगा। इस प्रकार, ओपीएस के तहत देनदारियों का वर्तमान मूल्य एनपीएस के तहत देनदारियों का 4.52 गुना है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि ओपीएस एक अवित्तपोषित परिभाषित लाभ प्रणाली है, जिसमें भविष्य की सभी पेंशन देनदारियाँ पूरी तरह राज्य के बजट संसाधनों पर निर्भर होंगी।

संरचनात्मक राजकोषीय जोखिम

हालाँकि, ओपीएस की ओर वापसी से एनपीएस के अंतर्गत नियोक्ता योगदान में तात्कालिक कमी आती है, परिणामस्वरूप अस्थायी राजकोषीय राहत मिलती है। लगभग 2034 से, जब 2004 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारी सेवानिवृत्त होना शुरू करेंगे, पेंशन भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है और यह पूरी तरह राजस्व खाते पर भारित होगा, जिसमें देनदारियाँ मुद्रास्फीति से अनुक्रमित होंगी। अतः राजकोषीय प्रभाव समाप्त नहीं होता, बल्कि केवल स्थगित होता है। बीमांकिक मूल्यांकन, देनदारियों का आवधिक आकलन और एक समर्पित पेंशन कोष की स्थापना के अभाव में, ओपीएस की ओर यह बदलाव दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता और अंतर-पीढ़ीगत समानता के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है।

अ. अर्थ-सहाय्य

वर्तमान वर्ष में अर्थ-सहाय्य पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5,621.99 करोड़ (19.79 प्रतिशत) बढ़ गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत् अर्थ-सहाय्य में ₹ 5,533.68 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक विभागवार प्रमुख अर्थ-सहाय्य को **तालिका 1.22** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.22: वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान विभागवार अर्थ-सहाय्य

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग – क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	वित्त (मर्गोपाय)-विद्युत् क्षेत्र	14,264.25	22,644.27	25,405.16	27,037.97	32,571.65
2	उद्यानिकी	292.51	551.30	649.31	671.89	955.91
3	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग, जयपुर	210.90	113.64	68.23	616.86	407.20
4	उद्योग ग्राम एवं लघु उद्योग –	26.91	26.29	17.03	18.75	23.85
5	जल संसाधन विभाग लघु सिंचाई –	18.13	19.33	17.30	24.98	27.48
6	महिला सशक्तिकरण	1.11	2.11	6.30	30.00	30.00
7	नागरिक उड्डयन	14.68	6.97	2.80	1.98	8.33
	कुल अर्थ-सहाय्य	**14,828.49**	**23,363.91**	**26,166.13**	**28,402.43**	**34,024.42**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.22: अर्थ-सहाय्य का प्रवृत्ति विश्लेषण

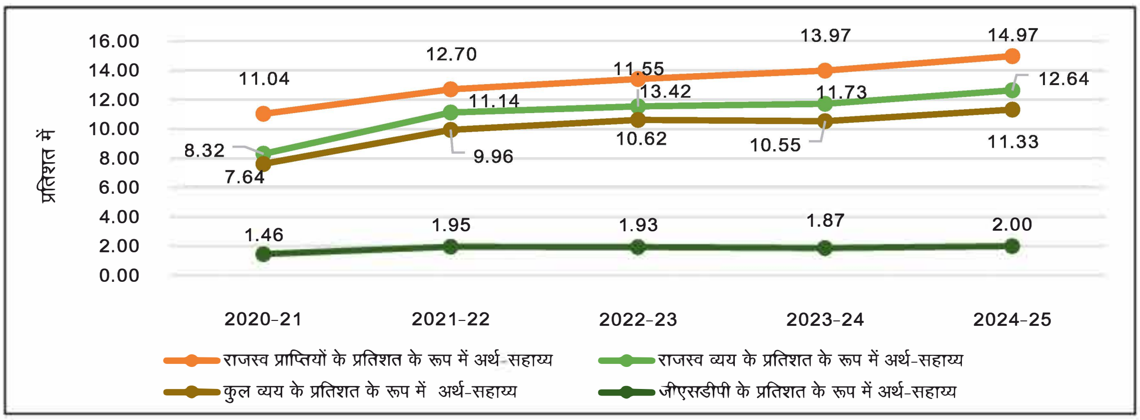

अर्थ-सहाय्य की राशि निरपेक्ष रूप से तथा राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक निरंतर बढ़ी। वर्ष 2024-25 में, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य 14.97 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में 12.64 प्रतिशत रहा। वर्ष 2024-25 में अनुदान भुगतान ₹ 34,024 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष (₹ 28,402 करोड़) की तुलना में 19.79 प्रतिशत अधिक है।

राजस्थान सरकार की कुल अर्थ-सहाय्य व्यय का सबसे बड़ा घटक विद्युत क्षेत्र को दिया गया अर्थ-सहाय्य था, जो वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 95.73 प्रतिशत (₹ 32,572 करोड़) रहा। विद्युत क्षेत्र को दिया गया अर्थ-सहाय्य वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान कुल अनुदान का 95.20 प्रतिशत से 97.09 प्रतिशत के बीच रहा।

वर्ष 2024-25 के दौरान विद्युत क्षेत्र को मुख्यतः विद्युत दरों में वृद्धि न किए जाने के कारणः (₹ 22,820 करोड़), हानि अधिग्रहण हेतु अनुदान (₹ 2,682 करोड़) एवं राज्य सरकार से विद्युत वितरण कंपनियों को देय अनुदान (टैरिफ अनुदान) (₹ 6,880 करोड़) मदों में अर्थ-सहाय्य दी गई। वर्ष 2024-25 में अन्य प्रमुख अर्थ-सहाय्य मदों में फसल कृषि-कर्म (₹ 956 करोड़) तथा रसोई गैस सिलेंडर अर्थ-साहय्य योजना (₹ 402 करोड़) शामिल रहे।

राजस्व घाटा लगातार बना हुआ है, और राजकोषीय संभावना कम हो गयी है क्योंकि राज्य अपने राजस्व व्यय का 12.64 प्रतिशत से ज़्यादा अर्थ-सहाय्य पर खर्च कर रहे हैं, जबकि राजकोषीय संभावना (राज्य के पास प्रतिबद्ध व्यय के बाद उपलब्ध बजटीय संसाधन) घटकर राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत से कम रह गया है। प्रतिबद्ध व्यय- वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान वर्तमान मे राजस्व प्राप्तियों का 65.24 प्रतिशत से अधिक उपभोग कर रहे हैं। इससे विकासात्मक व्यय के लिए सीमित संसाधन शेष रहते हैं।

विद्युत क्षेत्र में सुधार अत्यंत आवश्यक हैं। बकाया विद्युत अर्थ-सहाय्य का संचय, प्रत्यक्ष अनुदानों को सार्वजनिक ऋण में परिवर्तित कर देता है, जिससे विद्युत क्षेत्र की व्यवहार्यता और राज्य की वित्तीय स्थिति दोनों प्रभावित होती हैं। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के क्रियान्वयन का अनुभव दर्शाता है कि जब तक अनुदान वितरण और लक्ष्यीकरण में मूलभूत सुधार नहीं किए जाते, केवल वित्तीय पुनर्गठन अस्थायी राहत ही प्रदान करता है।

ब. राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता का विवरण **तालिका 1.23** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.23: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाएँ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगरपालिकाएँ	5,205.98	5,542.19	6,229.12	5,626.23	7,355.34
नगर निगम एवं नगरपालिकाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (i)	5	0	0	0	0
जिला परिषदें एवं अन्य पंचायती राज संस्थान	14,543.19	21,585.50	20,766.58	17,536.45	20,253.14
पंचायती राज संस्थाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (ii)	153.85	348.11	241.09	247.06	245.83
कुल (अ)	**19,749.17**	**27,127.69**	**26,995.70**	**23,162.68**	**27,608.48**

संस्थाएँ	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
(ब) अन्य					
शैक्षणिक संस्थान (अनुदानित विद्यालय, महाविद्यलय, विश्वविद्यालय, आदि)	1,267.73	1,393.81	1,892.14	2,213.56	2,405.14
विकास प्राधिकरण	12.87	28.48	39.02	44.33	32.02
अस्पताल एवं अन्य परोपकारी संस्थाएँ	430.43	1,539.23	1,859.75	2,343.24	2,689.80
अन्य संस्थाएँ[13]	18,284.48	19,037.44	18,657.08	20,564.73	22,084.03
अन्य लोगों के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (iii)	835.87	230.58	26.26	303.88	451.47
कुल (ब) पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायतार्थ अनुदान को छोड़कर	**19,995.51**	**21,998.96**	**22,447.99**	**25,165.86**	**27,210.99**
कुल (अ+ब)	**39,744.68**	**49,126.65**	**49,443.69**	**48,328.54**	**54,819.47**
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुल सहायतार्थ अनुदान (i)+(ii)+(iii)	989.72	578.69	267.35	550.94	697.30
राजस्व व्यय	1,78,309	2,09,790	2,26,479	2,42,231	2,69,200
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	22.29	23.42	21.83	19.95	20.36

वर्तमान वर्ष में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 6,490.93 करोड़ (13.43 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः नगर निगमों एवं नगरपालिकाओं को दी गई सहायता (₹ 1,729.11 करोड़: 30.73 प्रतिशत) तथा पंचायती राज संस्थाओं को दी गई सहायता (₹ 2,716.69 करोड़: 15.49 प्रतिशत) के कारण हुई। वर्ष के दौरान नगर निगमों एवं नगरपालिकाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं को नई/अधिक सहायता मुख्यतः श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन - अर्बन 2.0 (क्षमता निर्माण) आदि योजनाओं, वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अधिक अनुदानों तथा वैधानिक निगम (राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज निगम) को अधिक अनुदान के कारण दी गई। वर्तमान वर्ष में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दी गई कुल वित्तीय सहायता, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, पिछले वर्ष के 19.95 प्रतिशत से बढ़कर 20.36 प्रतिशत हो गई।

छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-आई और 243-वाई में प्रावधान है कि राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के लागू होने के एक वर्ष के भीतर तथा उसके पश्चात प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाए, ताकि पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जा सके। इन अनुच्छेदों में यह भी प्रावधान है कि राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) राज्य और पंचायतों/नगरपालिकाओं के बीच राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोल और फीस की शुद्ध आय के वितरण के सिद्धांतों की अनुशंसा करेगा। आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं को राज्य की समेकित निधि से अनुदान देने तथा स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों की भी अनुशंसा करेगा। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए छठे एसएफसी की अंतरिम रिपोर्ट जून 2021 में राज्य सरकार को सौंपी गई थी और एसएफसी की सिफारिशों को राज्य सरकार ने सितंबर 2021 में स्वीकार कर लिया था।

---

13. इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए दिए गए अर्थ-सहाय्य शामिल थे: (i) सामान्य शिक्षा: ₹ 6,022.98 करोड़; (ii) परिवार कल्याण: ₹ 3,114.71 करोड़; (iii) फसल पालन: ₹ 1,249.81 करोड़; (iv) प्राकृतिक आपदाओं से राहत: ₹ 692.72 करोड़; (v) पशुपालन: ₹ 1,236.23 करोड़; (vi) सरकारी कंपनियां: ₹ 1,027.75 करोड़; (vii) सहकारी संस्थाएं: ₹ 1,410.09 करोड़; (viii) वैधानिक निगम: ₹ 1,423.54 करोड़; (ix) श्रम, रोजगार और कौशल विकास: ₹ 761.14 करोड़ और (x) बिक्री, व्यापार आदि पर कर: ₹ 961.93 करोड़।

इसके अतिरिक्त, छठे एसएफसी की अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें 68 सिफारिशें और सुझाव शामिल थे, जिनमें स्थानीय निकायों को निधि हस्तांतरण से संबंधित 22 सिफारिशें भी थीं। कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने 20 सिफारिशें स्वीकार कर राज्यपाल को प्रस्तुत कर दीं।

छठी एसएफसी की अंतिम रिपोर्ट में वर्ष 2023-24 तक राज्य की स्व-कर राजस्व आय की शुद्ध आय का 6.75 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। वर्ष 2024-25 के लिए यह बढ़ाकर 7.00 प्रतिशत किया जाए। राशि का वितरण वर्ष 2023-24 तक 75.1:24.9 के अनुपात में तथा वर्ष 2024-25 में 73.2:26.8 के अनुपात में किया जाए।

राज्य के स्व-कर राजस्व की शुद्ध आय, स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि और वर्ष 2020-25 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से जारी राशि का विवरण **तालिका 1.24** में दिया गया है।

तालिका 1.24: 2020-25 के दौरान स्थानीय निकायों को निधि हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष					
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	योग
1.	स्व-कर राजस्व	60,283.44	74,807.98	87,346.38	94,085.94	,103,309.97	**4,19,833.71**
2.	घटाए:संग्रहण व्यय	2,672.01	2,697.04	2,517.50	2,547.19	3,278.76	**13,712.50**
3.	**शुद्ध प्राप्तियां**	**57,611.43**	**72,110.94**	**84,828.88**	**91,538.75**	**1,00,031.21**	**4,06,121.21**
4.	कुल निधि हस्तांतरण शुद्ध स्व-कर राजस्व का – 6.75% एवं 7.00%	3,888.77	4,867.49	5,725.94	6,178.88	7,002.18	**27,663.26**
5.	**कुल हस्तांतरण में पीआरआई का हिस्सा**	**2,920.47**	**3,655.48**	**4,300.18**	**4,640.34**	**5,125.60**	**20,642.06**
	(अ) जिला परिषद् (5%)	146.02	182.77	215.01	232.02	256.28	**1,032.10**
	(ब)पंचायत समिति (20%)	584.10	731.10	860.04	928.07	1,025.12	**4,128.42**
	(स) ग्राम पंचायत (75%)	2,190.35	2,741.61	3,225.13	3,480.25	3,844.20	**15,481.54**
6	**कुल हस्तांतरण में यूएलबी का हिस्सा**	**968.30**	**1,212.01**	**1,425.76**	**1,538.54**	**1,876.58**	**7,021.20**
	(i) नगर निगम (28.47% एवं 26.8%)	275.71	345.06	405.91	438.02	534.26	**1,998.93**
	(ii) नगरपालिकाएँ/ नगर परिषदें (71.53% एवं 73.2%)	692.59	866.95	1,019.85	1,100.52	1,342.32	**5,022.27**
7.	**वास्तव में हस्तांतरित अनुदान**	**4,203.81**	**5,678.27**	**5,207.48**	**3,385.61**	**5,761.05**	**24,236.22**
	(अ) पीआरआई	2,539.43	4,479.63	3,951.63	2,455.38	3,965.46	**17,391.53**
	(ब) यूएलबी	1,664.38	1,198.64	1,255.85	930.23	1,795.59	**6,844.69**
8.	**अल्प हस्तांतरण (7-4)**	**315.04**	**810.78**	**-518.47**	**2,793.26**	**-1,241.13**	**-3,427.04**
	(अ) पीआरआई	-381.03	824.15	-348.56	-2,184.95	-1,160.17	**-3,250.53**
	(ब) यूएलबी	696.07	-13.37	-169.91	-608.31	-80.99	**-176.51**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2020-25 के दौरान राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंषाओं के अनुसार देय कुल हस्तांतरण के विरुद्ध स्थानीय निकायों को ₹ 3,427.04 करोड़ की कम राशि हस्तांतरित की। यद्यपि वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान शुद्ध स्व-कर राजस्व में वृद्धि के अनुरूप स्थानीय निकायों को हस्तांतरण में वृद्धि हुई, फिर भी हाल के वर्षों में वास्तविक हस्तांतरण निर्धारित राशि से कम रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,427 करोड़ का संचयी अल्प हस्तांतरण हुआ।

इसके अतिरिक्त, सात जिला परिषदों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, वर्ष 2020-25 के दौरान छठे एसएफसी आवंटन के तहत जिला परिषदों द्वारा प्राप्त और उपयोग किए गए धन की स्थिति की समीक्षा नीचे दी गई **तालिका 1.25** में दी गई है:

तालिका 1.25: जिला परिषदों को हस्तांतरित एवं उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जिला परिषद का नाम	वर्ष 2020-25 के दौरान			वर्तमान वर्ष अर्थात 2024-25 के दौरान		
		राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित धनराशि	उपयोग की गई निधि	उपयोग का %	राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित धनराशि	उपयोग की गई निधि	उपयोग का %
1	टोंक	347.53	283.10	81.46	132.37	74.91	56.59
2	बारां	18.60	12.03	64.68	5.87	1.66	28.28
3	चित्तौड़गढ़	21.53	16.14	74.97	6.97	4.40	63.13
4	अलवर	31.46	11.95	37.98	12.21	4.16	34.07
5	बाड़मेर	42.73	23.06	53.97	14.22	12.93	90.92
6	भीलवाड़ा	625.69	625.70	100.00	108.02	108.02	100.00
7	पाली	447.16	414.31	92.66	105.92	101.62	95.94

वर्ष 2020-25 के दौरान चयनित ज़िला परिषदों द्वारा निधि उपयोग में उल्लेखनीय अंतर-जिला भिन्नता पाई गई। भीलवाड़ा और पाली ने निरंतर उच्च स्तर का उपयोग प्रदर्शित किया, जबकि अलवर और बारां में अपेक्षाकृत कम उपयोग दर्ज हुआ। वर्ष 2024-25 में कई जिलों, विशेषकर टोंक, बारां और अलवर में उपयोग में तीव्र गिरावट देखी गई, जो संभावित रूप से क्रियान्वयन में विलंब या क्षमता संबंधी बाधाओं की ओर संकेत करती है।

राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित निधियों के विरुद्ध ज़िला परिषदों द्वारा निधि उपयोग का प्रतिशत वर्ष 2020-25 के दौरान 37.98 से 100 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि वर्तमान वर्ष में यह 28.28 से 100 प्रतिशत के बीच रहा।

ज़िला परिषद चित्तौड़गढ़ और अलवर ने बताया कि स्वीकृतियाँ जारी की जा रही हैं और समायोजन प्रगति पर है। शेष ज़िला परिषदों द्वारा एसएफसी अनुदान का उपयोग (सितंबर 2025 तक) अभी प्रतीक्षित है।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान लैंगिक अनुकूल स्थानों (2%) और प्रोत्साहन अनुदान/प्रदर्शन अनुदान (3%) हेतु अनुदान प्रदान नहीं किया गया, जबकि ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा भी प्रोत्साहन अनुदान/प्रदर्शन अनुदान (3%) प्रदान नहीं किया गया।

हस्तांतरित निधियों का असमान उपयोग विकासात्मक कार्यक्रमों के समय पर क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकता है और जिला स्तर पर अधिक सघन निगरानी एवं क्षमता सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को इंगित करता है। अतः राज्य सरकार/विभागाध्यक्ष को आवश्यक कदम उठाते हुए एसएफसी निधि की निगरानी और समयबद्ध उपयोग हेतु संरचित व्यवस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए।

1.2.4.2 पूंजीग तव्यय

पूंजीगत व्यय मुख्यतः स्थायी आधारभूत संरचना परिसंपत्तियों—जैसे सड़क, भवन आदि के सृजन पर किया जाने वाला व्यय है। केंद्र एवं राज्य, दोनों स्तरों पर पूंजीगत व्यय का वहन बजटीय सहायता तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/बजट से इतर उधारों से किया जाता है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किए गए निवेश भी सम्मिलित होते हैं।

पूंजीगत व्यय में राज्य द्वारा किए गए ऋण और अग्रिमों का संवितरण तथा पूंजीगत व्यय सम्मिलित होता है। पिछले पांच वर्षों (अर्थात वर्ष 2020-25) के दौरान राज्य में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 1.23** में दी गई है।

चार्ट 1.23: राज्य में पूंजीगत व्यय

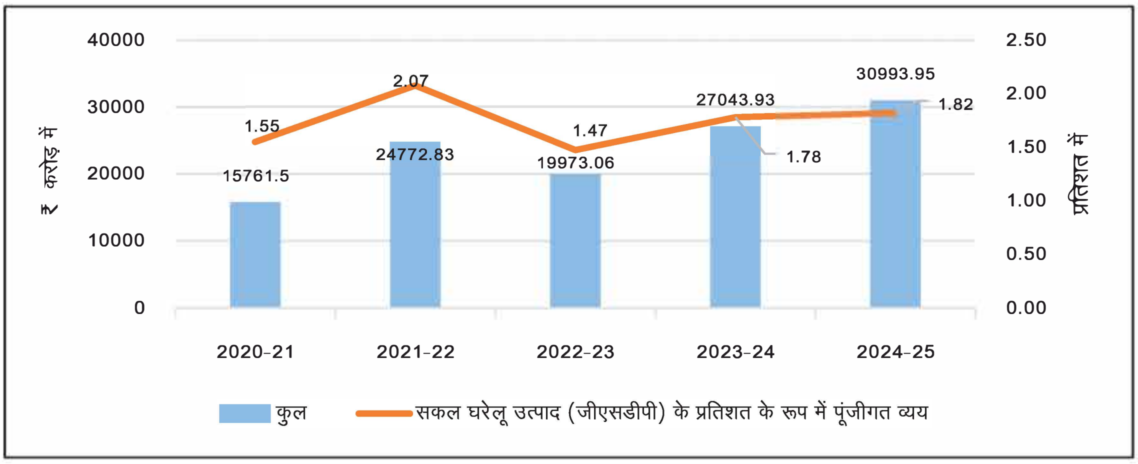

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरण

वर्ष 2020-25 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 7.87 प्रतिशत से 10.30 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2024-25 में यह 10.24 प्रतिशत था।

₹ 30,993.95 करोड़ के पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु ₹ 697.30 करोड़ (राज्य निधि से ₹ 631.23 करोड़ तथा केंद्रीय सहायता से ₹ 66.07 करोड़) अनुदान के रूप में हस्तांतरित किए। इसके अलावा, कुल ऋण और अन्य देनदारियों देयता प्राप्तियों (₹ 4,02,564 करोड़) की तुलना में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत मात्र 7.70 प्रतिशत रहा, जो दर्शाता है कि उधारी का अनुपातिक रूप से अवसंरचनात्मक विकास में रूपांतरण नहीं हुआ।

पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2020-21 से 2024-25) में पूंजीगत व्यय की सीएजीआर 18.42 प्रतिशत रही, जो राजस्व व्यय (10.85 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि में पूंजीगत व्यय लगभग दोगुना हो गया, जो विशेष रूप से पिछले दो वर्षों में परिसंपत्ति निर्माण पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है। हालांकि, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय में उतार-चढ़ाव आया है, यह 2021-22 में उच्चतम स्तर पर पहुँचा और 2022-23 में गिरावट के बाद 2024-25 में 1.82 प्रतिशत तक पुनः बढ़ा। यद्यपि पूंजीगत व्यय में निरपेक्ष वृद्धि विकासात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक है, परंतु जीएसडीपी में इसका सापेक्ष हिस्सा मध्यम पूंजीगत तीव्रता को दर्शाता है, जो यह रेखांकित करता है कि विकासोन्मुखी व्यय और राजकोषीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

अ. क्षेत्र-वार पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय की क्षेत्रवार संरचना **तालिका 1.26** में दी गई है। क्षेत्रवार विस्तृत व्यय का विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

तालिका 1.26: क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएँ	398	484	542	407	517
सामाजिक सेवाएं	7,642	10,951	8,851	9,950	12,556
आर्थिक सेवाएँ	7,231	12,717	10,405	16,289	17,653
ऋण एवं अग्रिम	491	621	175	398	267

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 1.24: पूंजीगत व्यय में विभिन्न क्षेत्रों संगत अंश

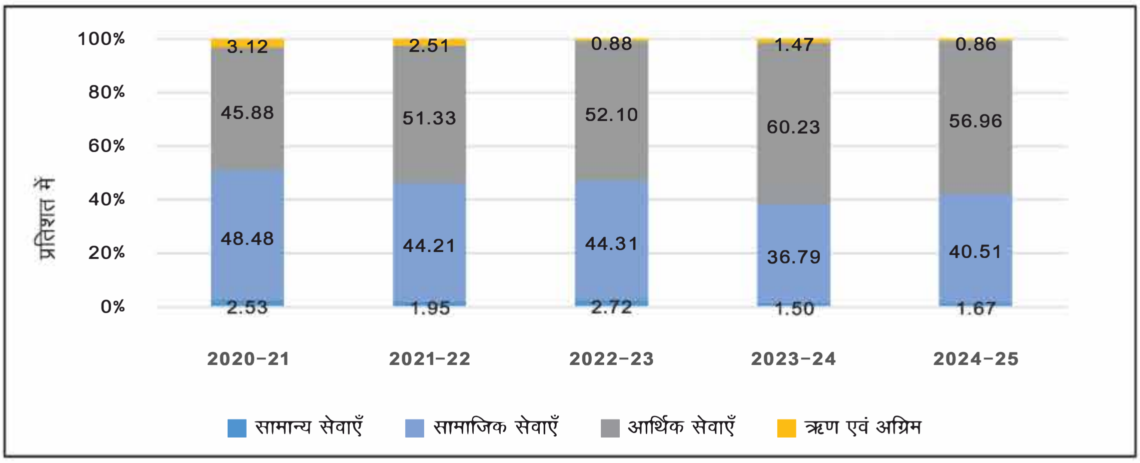

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत परिव्यय (₹ 30,727 करोड़) में पिछले वर्ष (₹ 26,646 करोड़) की तुलना में ₹ 4,081 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सामान्य क्षेत्र में ₹ 110.30 करोड़, सामाजिक क्षेत्र में ₹ 2,606.78 करोड़ तथा आर्थिक क्षेत्र में ₹ 1,363.81 करोड़ के व्यय में वृद्धि के कारण हुई। पाँच वर्षीय अवधि के दौरान आर्थिक क्षेत्र पूंजीगत व्यय में प्रमुख योगदानकर्ता रहा। विगत पाँच वर्षों में पूंजीगत व्यय में सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। पूंजीगत व्यय में आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों की उच्च हिस्सेदारी से राज्य की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिला तथा सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख योगदानकर्ता लोक निर्माण विभाग (₹ 103.50 करोड़) रहा। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर व्यय में ₹ 1,240.07 करोड़, शहरी विकास पर ₹ 196.58 करोड़ और जल आपूर्ति एवं सफाई पर ₹ 1,978.08 करोड़ की वृद्धि हुई।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 के दौरान, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों (₹ 157.85 करोड़), प्रमुख सिंचाई (₹ 601.73 करोड़) और सड़क एवं पुलों (₹ 3,148.30 करोड़) पर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पूंजीगत व्यय हुआ। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पेट्रोलियम और सड़क परिवहन पर कोई व्यय नहीं हुआ।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है, जिन्हें निरंतर सबसे अधिक हिस्सेदारी प्राप्त हुई और वर्ष 2023-24 में यह 60 प्रतिशत से अधिक पर पहुँच गई, जबकि वर्ष 2024-25 में इसमें हल्की कमी आई। हाल के वर्षों में सामाजिक सेवाओं की हिस्सेदारी में कमी आई, परंतु वर्ष 2024-25 में आंशिक सुधार देखा गया। वहीं, सामान्य सेवाओं तथा ऋण एवं अग्रिमों पर आवंटन न्यूनतम रहा। समग्र प्रवृत्ति विकासोन्मुख पूंजीगत व्यय की ओर संकेत करती है, साथ ही सामाजिक क्षेत्र में निवेश की प्राथमिकताओं में समय-समय पर समायोजन किया गया।

पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्तमान वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 4,080.92 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। **तालिका 1.27** में वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के मामलों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.27: वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष लेखा शीर्ष	2023-24	2024-25	परिवर्तन
वृद्धि			
5054 – सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6,472.88	9,621.18	3,148.30
4215 – जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,176.16	5,154.24	1,978.08
4210 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2,002.84	3,242.91	1,240.07
4700 – प्रमुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,465.45	4,067.18	601.73
4217 – शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	2,033.00	2,229.58	196.58
4515 – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	842.18	1,000.03	157.85
कमी			
4802 – पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	1,196.00	0.00	(-) 1,196.00
4202 – शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1,942.48	1,135.78	(-) 806.70
5055 – सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	648.49	0.00	(-) 648.49

पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में वृद्धि ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों, जल आपूर्ति योजनाओं, नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण, विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं, अमृत 2.0 योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि पर अधिक व्यय के कारण हुई।

इसके अलावा, व्यय में कमी का कारण एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में निवेश न किया जाना, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्यों में कमी तथा समर्पित सड़क सुरक्षा निधि से व्यय की कम प्रतिपूर्ति रहा।

वर्ष 2020-2025 की पाँच वर्षीय अवधि से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित मदों पर प्रमुख पूंजीगत व्यय हुआ, जैसाकि **तालिका 1.28** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.28: 2020-25 के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय का प्रमुख योगदान

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	2020-2021	2021-2022	2022-23	2023-24	2024-25
सामाजिक क्षेत्र					
सामान्य शिक्षा	1,280.49	627.20	1,446.63	1,942.48	1,303.27
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	631.85	1,961.64	2,300.49	2,002.84	3,242.91
जलापूर्ति एवं सफाई	3,832.74	4,917.78	2,372.73	3,176.16	5,154.24
शहरी विकास	1,483.67	3,067.98	1,945.62	2,033.00	2,229.58
आर्थिक क्षेत्र					
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	239.15	1,000.65	1,033.20	842.18	1,000.03
मुख्य सिंचाई	1,878.99	2,820.89	2,394.81	3,465.45	4,067.18
लघु सिंचाई	372.02	445.37	586.57	986.91	1,131.15
सड़क एवं पुल	3004.93	4,161.86	2,596.28	6,472.88	9,621.18

आनुपातिक प्रभार

अनुपातिक प्रभार वे व्यय होते हैं, जो किसी पूंजीगत परियोजना पर तब लगाए जाते हैं जब किसी नियमित स्थापना द्वारा संबंधित कार्य की निगरानी की जाती है, कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है तथा विभागीय संयंत्र और मशीनरी का उपयोग किया जाता है। राज्य बजट नियमावली तथा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार, पूंजीगत लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक पूंजीगत परियोजना/लेन-देन पर ठेकेदार के दावे के अतिरिक्त 13 प्रतिशत प्रभार किया जाना निर्धारित है। इसमें 8 प्रतिशत स्थापना व्यय, 3 प्रतिशत कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के लिए तथा 2 प्रतिशत विभागीय संयंत्र एवं मशीनरी के उपयोग के लिए शामिल हैं। पूंजीगत परियोजनाओं पर अनुपातिक प्रभार के रूप में लगाए गए इस योग को संबंधित राजस्व

लेखा शीर्ष के अंतर्गत व्यय में घटाव (माइनस व्यय) के रूप में दर्शाया जाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान अनुपातिक प्रभार तथा उसके समायोजन की स्थिति **तालिका 1.29** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.29: आनुपातिक प्रभारों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष (राजस्व पक्ष)	संबंधित उप-लेखा शीर्ष जिसमें आनुपातिक प्रभार काटे गए हैं	स्थापना/ संयंत्र एवं मशीनरी/ कर्मचारियों पर वास्तविक व्यय	पूंजीगत व्यय के अंतर्गत पूंजीगत कार्यों पर 13% की दर से वसूले गए आनुपातिक प्रभार	आनुपातिक प्रभारों के समायोजन के बाद राजस्व शीर्ष के अंतर्गत शुद्ध व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)-(4)
2059	80-001 एवं 052	434.66	691.42	(-) 256.76
3054	03-337	66.11	207.43	(-) 141.32
2700	02-001	18.04	32.49	(-) 14.45
2701	80-001	203.88	470.55	(-) 266.67
योग		**722.69**	**1,401.89**	**(-) 679.20**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संबंधित राजस्व लेखा शीर्ष के अंतर्गत वास्तव में किए गए व्यय की राशि की परवाह किए बिना, पूंजीगत व्यय का 13 प्रतिशत अनुपातिक प्रभार अधिक मात्रा में समायोजित किया गया। इसके परिणामस्वरूप संबंधित राजस्व शीर्षों में ऋणात्मक व्यय दर्शित हुआ, जिससे लेखों में व्यय की सही एवं वास्तविक स्थिति प्रतिबिंबित नहीं हो पाई।

इस प्रकार, अतः संबंधित राजस्व शीर्षों में ऋणात्मक व्यय यह संकेत करते है कि अनुपातिक प्रभार वास्तविक व्यय आंकड़ों के अनुरूप प्रभारित नहीं किए गए।

ब. कंपनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार का कंपनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में निवेश ₹ 62,818.06 करोड़ था, जिसमें सरकारी कंपनियाँ (₹ 53,962.64 करोड़), सहकारी समितियाँ (₹ 541.13 करोड़), वैधानिक निगम (₹ 3,805.94 करोड़), संयुक्त उद्यम कंपनियाँ (₹ 4,334.22 करोड़), अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ एवं साझेदारियाँ (₹ 100.44 करोड़) तथा ग्रामीण बैंक (₹ 73.69 करोड़) शामिल हैं।

वर्ष के अंत में कंपनियों, निगमों तथा सहकारी बैंकों और समितियों में निवेश की प्रवृत्तियों तथा इस निवेश पर प्राप्त प्रतिफल को **चार्ट 1.25** में दर्शाया गया है। सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की दर की तुलना में सरकारी उधारी पर औसत ब्याज दर को **चार्ट 1.26** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.25 : निवेश एवं प्रतिफल

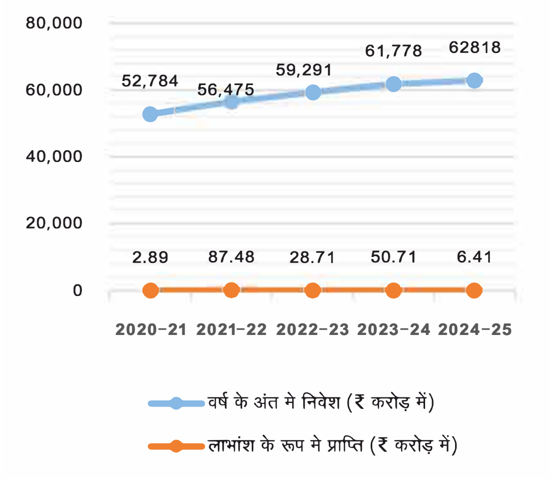

चार्ट 1.26: निवेश पर प्रतिफल की दर बनाम सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर

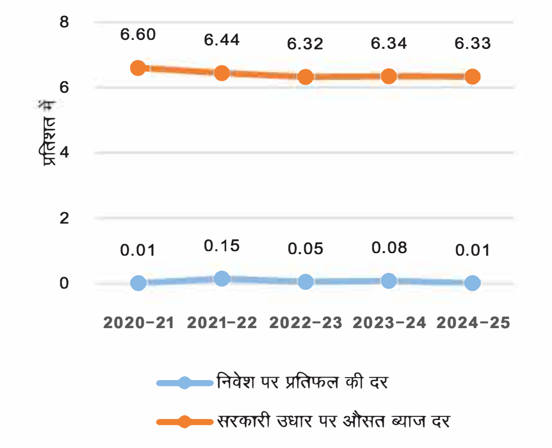

वर्ष 2024-25 के दौरान, निवेश पर प्रतिफल ₹ 6.41 करोड़[14] (0.01 प्रतिशत) था (ऐतिहासिक लागत के आधार पर और शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर नहीं)। वर्ष 2020-25 के दौरान प्रतिफल सिर्फ़ 0.01 प्रतिशत से 0.15 प्रतिशत के बीच था, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपने उधार पर दिया गया औसत ब्याज दर 6.32 प्रतिशत और 6.60 प्रतिशत के बीच था। पिछले पाँच सालों में, सरकारी उधार की लागत और सार्वजानिक उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल के बीच ₹18,585.64 करोड़ का अंतर था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 62,818 करोड़ का निवेश किया गया, जिसमें से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मात्र ₹ 6.41 करोड़ का प्रतिफल प्राप्त हुआ, जो कुल निवेश का मात्र 0.1 प्रतिशत था। हालांकि, सरकार ने औसतन 6.33 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण लिया।

भारी सार्वजनिक निवेश के बावजूद अत्यंत कम प्रतिफल से यह संकेत मिलता है कि राज्य स्वामित्व वाली संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय प्रतिफल है, तथा सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निवेश निष्पादन की आवधिक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। निवेश पर प्राप्त प्रतिफल और उधारी लागत के बीच लगातार नकारात्मक अंतर यह दर्शाता है कि उधार लिए गए धन से पर्याप्त वित्तीय लाभ उत्पन्न नहीं हो रहा है, जिससे सार्वजनिक निवेशों की दक्षता तथा राजकोषीय स्थिरता पर उनके प्रभाव को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती है।

लाभांश नीति और उसका प्रभाव

लाभ कमाने वाले उद्यमों से न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने वाली एक सुव्यवस्थित लाभांश नीति राज्य सरकार को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किए गए निवेश से प्रतिफल को अधिकतम करने में सक्षम बनाती है तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन की प्रभावी निगरानी को सुदृढ़ करती है। यह देखा गया कि राज्य सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए वर्ष 2004 में एक लाभांश नीति का निर्माण/प्रवर्तन किया है। मौजूदा राज्य नीति के अनुसार, लाभ कमाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों

14. सरकारी कंपनियाँ (₹ 3.58 करोड़); वैधानिक निगम (₹ 0.21 करोड़); तथा सहकारी बैंक एवं समितियाँ (₹ 2.62 करोड़)।

को सरकार को प्रदत शेयर अंश पूंजी पर न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रतिफल अथवा कर पश्चात लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, लाभांश के रूप में भुगतान करना अनिवार्य है

लाभांश की प्राप्ति न होने से छोड़ा गया राजस्व

राज्य सरकार ने 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (एसपीएसयू) में इक्विटी निवेश किया है। पूर्व वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान इन 35 में से 22 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया।

तथापि, राज्य सरकार ने इन संस्थाओं से लाभांश की समय पर और पूर्ण वसूली सुनिश्चित नहीं कर सकी। 22 लाभ कमाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम से ₹ 118.45 करोड़ के कुल पात्र लाभांश के मुकाबले, केवल पाँच राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम से वास्तव में ₹ 41.64 करोड़ ही प्राप्त हुए। इनमें से, एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (आरएसएससीएल) ने निर्धारित सीमा से कम लाभांश घोषित किया, जबकि चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (रीको, आरएमएससीएल आरपीआईडीसीएल एवं आरएसएमएमएल) ने लाभांश नीति के अनुसार लाभांश घोषित किया।

कुल 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से तीन उपक्रम निष्क्रिय थे (राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान सिविल एविएशन कॉरपोरेशन लिमिटेड अप्रचालनशील हैं तथा राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड परिसमापन की स्थिति में है), जिनमें किया गया ₹ 11.77 करोड़ का निवेश अब तक अप्रत्यावर्तित रहा। शेष 32 सक्रिय उपक्रमों में से 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश जारी नहीं किया।

राज्य सरकार को वर्तमान लाभांश नीति का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी लाभकारी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार लाभांश घोषित करने एवं उसे सरकार को प्राप्त कराने के निर्देश देने चाहिए। अनुपालन की निगरानी तथा लाभांश के न होने अथवा कम घोषित किए जाने के मामलों के समाधान हेतु एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जा सकता है। सुदृढ़ पर्यवेक्षण से सार्वजनिक निवेश पर प्रतिफल में वृद्धि होगी तथा राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

स. राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में किए गए निवेश के अतिरिक्त, राज्य सरकार विभिन्न संस्थानों/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती रही है। **तालिका 1.30** में 31 मार्च 2025 की स्थिति में बकाया ऋण एवं अग्रिमों की स्थिति तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर किए गए ब्याज भुगतान की तुलना में प्राप्त ब्याज आय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.30: वर्ष 2020-25 के दौरान संवितरित किये गए और वसूले गए ऋणों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया ऋण का प्रारम्भिक शेष	9,848	9,966	8,213	7,968	7,962
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	491	621	175	398	267
वर्ष के दौरान वसूली गयी राशि	373	2374	420	405	517
बकाया ऋण का अंतिम शेष	9,966	8,213	7,968	7,962	7,712
शुद्ध वृद्धि	118	(-)1,753	(-)245	(-)7	(-)250
ब्याज की प्राप्ति	1,253	55	238	59	124
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दर	12.65	0.61	2.94	0.74	1.56

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)[15]	6.60	6.44	6.32	6.34	6.33
प्राप्त ब्याज दर और भुगतान गई ब्याज दर के बीच का अंतर (प्रतिशत)	6.05	(-)5.83	(-)3.38	(-)5.60	(-) 4.77

स्रोतः वित्त लेखे

31 मार्च 2025 की स्थिति में सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋण एवं अग्रिमों के शेष (₹ 7,712 करोड़) में से ₹ 3,877 करोड़ (50.27 प्रतिशत) की राशि विद्युत परियोजनाओं को दिए गए ऋण एवं अग्रिमों की थी। वर्ष 2020-21 से ऋण वितरण की प्रवृत्ति असमान रही। वर्ष 2023-24 में ₹ 398 करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 में ऋण एवं अग्रिमों का वितरण ₹ 267 करोड़ रह गया। वर्ष के दौरान अग्रिम दिए गए कुल ₹ 267 करोड़ में से अधिकांश ऋण आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत पर्यटन, फसल कृषि-कर्म, खाद्य भंडारण एवं वेयरहाउसिंग तथा सहकारिता क्षेत्रों के लिए प्रदान किए गए। ऋण एवं अग्रिमों की वसूली में वर्ष 2023-24 के ₹ 405 करोड़ की तुलना में वर्ष 2024-25 में 27.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹ 517 करोड़ हो गई।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान ऋण एवं अग्रिमों की बकाया राशि में कमी आई, जिसका कारण नए ऋण प्रदान किए जाने के बजाय ऋणों की अधिक वसूली रहा। तथापि, ब्याज की प्राप्ति में अस्थिरता बनी रही तथा अधिकांश वर्षों में यह राज्य सरकार द्वारा उधारियों पर वहन की गई औसत लागत की तुलना में काफी कम रही। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न नकारात्मक ब्याज अंतर यह दर्शाता है कि ऋण प्रदान करने की यह प्रक्रिया राज्य के लिए एक अंतर्निहित राजकोषीय लागत को दर्शाती है।

ऋण खातों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी का गैर-प्रकटीकरण

राज्य सरकार के ऋण खातों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि बकाया ऋणों में ₹ 2,248.61 करोड़ के ऐसे ऋण शामिल हैं, जिसके संबंध में ऋणग्राही संस्थाओं द्वारा पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकार को कोई भी पुनर्भुगतान नहीं किया गया है। इसके बावजूद, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भी इस प्रकार की संस्थाओं (कुल पाँच) को ₹ 85.24 करोड़ के नए ऋण प्रदान किए गए। राशि ₹ 2,248.61 करोड़ की बकाया ऋण राशि में मुख्य रूप से राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फंड योजना को चिकित्सीय बिलों के भुगतान हेतु तथा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को पेंशन भुगतान हेतु दिए गए ऋण शामिल हैं। इन संस्थाओं को दिए गए अधिकांश ऋण आवर्ती प्रकृति के व्यय की पूर्ति के लिए थे। इसके अतिरिक्त, वितरित किए गए ऋणों की शर्तों एवं नियमों का संपूर्ण विवरण वित्त लेखों में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ऋण की अतिदेयता अथवा मूलधन एवं ब्याज की वसूली न होने के वित्तीय प्रभाव का सही-सही आकलन नहीं किया जा सका ।

1.3 आकस्मिकता निधि

राजस्थान सरकार की आकस्मिकता निधि का उद्देश्य राज्य विधानमंडल की स्वीकृति लंबित रहने तक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराना है। विधानमंडल द्वारा अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात इस निधि की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। इस निधि का कोष ₹ 1,000 करोड़ है।

15. सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर = ब्याज भुगतान / [पिछले वर्ष की वित्तीय देनदारियाँ + (चालू वर्ष की वित्तीय देनदारियाँ ÷ 2)] x 100

वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से कोई भी लेन-देन नहीं हुआ। 31 मार्च 2025 को आकस्मिकता निधि में ₹ 1,000 करोड़ का शेष उपलब्ध था।

1.4 लोक लेखा

कुछ संव्यवहारों जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित वे प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो समेकित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और ये राज्य विधानमंडल के मत के अधीन नहीं होते। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध निधि को दर्शाती है।

1.4.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में विभिन्न घटकों के अनुसार शुद्ध शेष की स्थिति **तालिका 1.31** में दी गईहैं।

तालिका 1.31: लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष*

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
अल्प बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	अल्प बचतें, भविष्य निधियां , इत्यादि	4,857	2,461	5,337	6,097	5,762
आरक्षित निधियां	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	697	188	628	1046	2,195
	(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	664	1,156	1,843	2,342	(-) 1,898
जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमायें	3,604	2,181	4,853	1,466	2,402
	(ख) बिना ब्याज वाली जमायें	(-)733	5,280	(-)3,405	(-)877	4,316
	(ग) अग्रिम	-	-	-	-	(-)1
उचंत एवं विविध	(क) उचंत	125	(-)72	(-)41	126	45
	(ख) अन्य लेखे	(-)9	(-)9	(-)11	(-)6	(-)13
	(ग) विदेशी देशों की सरकारों के साथ लेखे	-	-	-	-	-
	(घ) विविध	-	-	-	-	-
प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	-	-	(-)1	(-)9	(-)2
	(ख) अंतर-सरकारी समायोजन लेखा	12	-	-	-	-
योग		**9,217**	**11,185**	**9,203**	**10,185**	**12,806**

स्रोतः वित्त लेखे

नोटः धनात्मक आंकड़े डेबिट शेष और ऋणात्मक आंकड़े क्रेडिट शेष दर्शाते हैं।

** निवल शेष का अर्थ वर्ष के दौरान सम्बंधित घटकों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों के बीच का अन्तर है।*

राज्य की शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2020-21 में ₹ 9,217 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 12,806 करोड़ हो गईं। हालांकि, वर्ष 2024-25 में इनमें पिछले वर्ष (₹ 2,621 करोड़) की तुलना में 38.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की देनदारी में वृद्धि हुई। वर्ष 2024-25 में लोक लेखे के अंतर्गत शुद्ध शेष में उल्लेखनीय वृद्धि होकर यह ₹ 12,806 करोड़ तक पहुँच गया, जिसका मुख्य कारण जमा एवं आरक्षित निधियों में हुए परिवर्तन रहे। यद्यपि लघु बचत और आरक्षित निधियों के अंतर्गत शेष राशि पर्याप्त स्तर पर बनी रही, तथापि जमाओं, विशेषकर ब्याज रहित जमाओं में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। यद्यपि उचंत तथा प्रेषण खातों के अंतर्गत शेष तुलनात्मक रूप से कम रहे, फिर भी इनमें समय-समय पर होने वाले उतार-चढ़ाव यह दर्शाते हैं कि समय पर समायोजन तथा वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता हैं।

1.4.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों के लिए गठित की जाती हैं। इन निधियों की पूर्ति समेकित कोष से किए गए अंशदान या अनुदानों अथवा बाह्य एजेंसियों से प्राप्त सहायता से की जाती है। इनमें ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ तथा ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ शामिल होती हैं।

31 मार्च 2025 को, तीन ब्याज सहित निधियाँ तथा आठ ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ विद्यमान थीं। इन आरक्षित निधियों में 31 मार्च 2025 को उपलब्ध निधि शेष का विवरण **तालिका 1.32** में दिया गया है:

तालिका 1.32: प्रमुख आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	ब्याज प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2025 को शेष
अ	**ब्याज सहित आरक्षित निधियां**	**6,391.14**	**2,670.92**	**486.33**	**961.90**	**8,586.49**
1.	राज्य आपदा मोचन निधि	3,493.98	1,828.80	311.31	837.21	4,796.88
2.	राज्य आपदा शमन निधि	1,533.12	675.00	130.73	0.00	2,338.85
3.	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि	1,364.04	167.12	44.29	124.69	1,450.76
ब	**ब्याज रहित आरक्षित निधियां**	**12,055.07**	**5,909.00**	**707.62**	**8,514.94**	**10,156.75**
1	सिन्किंग फण्ड	0.00	1,834.51	0.00	0.00	1,834.51
2	गारंटी विमोचन निधि	8,968.62	0.00	707.62	3,426.00	6,250.24
3	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	1,475.05	0.00	0.00	1,185.24	289.81
4	जल संरक्षण उपकर निधि	541.08	319.98	0.00	67.55	793.51
5	समर्पित सड़क सुरक्षा निधि	400.73	33.00	0.00	60.86	372.87
6	राजस्थान गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि	232.21	1,114.60	0.00	1,216.89	129.93
7	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत कोष	135.87	595.48	0.00	568.62	162.72
8	राज्य सड़क एवं सेतु निधि	7.92	1,650.00	0.00	1,628.51	29.41
9	अन्य आरक्षित निधियाँ	293.59	361.43	0.00	361.27	293.75
	महा योग	**18,446.21**	**8,579.92**	**1,193.95**	**9,476.84**	**18,743.24**

स्रोतः वित्त लेखे

31 मार्च 2025 को, लोक लेखों में 25 आरक्षित निधियों के अंतर्गत में ₹ 18,743.24 करोड़ थे, जिसमें तीन ब्याज वाली निधियों में ₹ 8,586.49 करोड़ शामिल थे।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य की आरक्षित निधियों (ब्याज प्राप्तियों सहित) में ₹ 9,773.87 करोड़ जमा किए गए, जिसमें मुख्य रूप से राज्य सड़क एवं सेतु निधि (₹ 1,650.00 करोड़), राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 2,140.11 करोड़), गारंटी मोचन निधि (₹ 707.62 करोड़), राजस्थान गौ-संवर्धन एवं संरक्षण निधि (₹ 1,114.60 करोड़) और राज्य आपदा शमन निधि (₹ 805.73 करोड़) शामिल थे।

वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे के अनुसार, बिना ब्याज वाली दो[16] आरक्षित निधियां (₹ 3.27 करोड़) सात साल से ज़्यादा समय से निष्क्रिय थी।

16. (i) परिवर्तित आवासीय/शहरी भूमि के विकास हेतु विशेष शुल्क (परिधीय) की जमा राशिः ₹ 324.59 लाख, (ii) पूंजी खाते से/में अंतरण – जल आपूर्ति योजना, पीएमसी चूरू के लिए केएफडब्ल्यू जर्मनी से प्राप्त राशिः ₹ 2.22 लाख।

31 मार्च 2025 को आरक्षित निधियों में कुल शेषराशि लगभग ₹ 18,743 करोड़ पर व्यापक रूप से स्थिर रही। इस दौरान, विशेष रूप से आपदा-संबंधी ब्याज-अर्जित निधियों में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गारंटी विमोचन निधि तथा अवसंरचना-संबंधी निधियों जैसी कुछ गैर-ब्याज-अर्जित निधियों में उल्लेखनीय कमी देखी गई। सिंकिंग फंड के गठन तथा आपदा शमन आरक्षित निधियों के सुदृढ़ीकरण से सक्रिय राजकोषीय प्रबंधन का संकेत मिलता है, वहीं पर्याप्त पुनर्भुगतान से निर्दिष्ट निधियों के उद्देश्यपरक उपयोग की पुष्टि होती है। समग्रतः, वर्ष के दौरान आगत और निर्गत के संतुलन के साथ सक्रिय आरक्षित निधि प्रबंधन परिलक्षित होता है।

राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि

पन्द्रहवें वित्त आयोग ने अप्रैल 2020 से राज्य आपदा शमन निधि तथा राज्य आपदा मोचन निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के गठन की अनुशंसा की थी। इस निधि में योगदान का अंशदान अनुपात केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच 75:25 निर्धारित किया गया है। राजस्थान सरकार में आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग इस निधि के लिए नोडल विभाग है। पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि का कार्यक्षेत्र, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर गठित राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि तथा राज्य स्तर पर गठित राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरफ) की परिधि से विस्तृत है। राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि में दो घटक सम्मिलित हैं, अर्थात् राज्य आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा शमन निधि, जिनका आवंटन अनुपात क्रमशः 80 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया हैं।

केंद्रांश की प्राप्ति के उपरांत राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि में योगदान की राशि को 15 दिवस के भीतर लोक लेखा में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। निर्धारित अवधि के बाद अंतरण की स्थिति में, विलंब की अवधि के लिए ब्याज (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर पर) को निधि में जमा कराया जाना आवश्यक हैं।

निधि के प्रशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निधि में होने वाली सभी प्राप्तियां तथा निधि के निवेश से अर्जित आय को केन्द्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम की गई कोषागार बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज-अर्जित जमाओं में निवेश किया जाना चाहिए। निवेश न की गई राशि पर राज्य सरकार को आरबीआई की ओवरड्राफ्ट विनियमन मार्गदर्शिका के अंतर्गत लागू ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करना होता है, जिसे अर्द्धवार्षिक आधार पर खाते में जमा किया जाना चाहिए।

आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचनाओं की जाँच से निम्न दृष्टिगत हुएः

- पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में ₹ 1828.80 करोड़ (केन्द्रांशः ₹ 1,372.20 करोड़ तथा राज्यांशः ₹ 456.80 करोड़) की राशि हस्तांतरित की गई।
- पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर, आपदा शमन कार्यों हेतु परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का 03 मई 2021 को गठन किया गया। राज्य सरकार द्वारा

वर्ष 2024-25 के दौरान, एसडीएमएफ को राशि ₹ 675.00[17] करोड़ (केन्द्रांशः ₹ 506.40 करोड़ तथा राज्यांशः ₹ 168.60 करोड़) की राशि अंतरित की गई।

- भारत सरकार (14 जनवरी 2025) ने एसडीएमएफ की दूसरी किश्त के तौर पर राशि ₹171.50 करोड़ की स्वीकृति जारी की थी, जिसे राज्य सरकार ने अपने हिस्से (₹ 57.10 करोड़) के साथ 14 फरवरी 2025 को सोलह दिन के विलम्ब के बाद अंतरित किया गया।
- वर्ष 2024-25 के दौरान, एसडीआरएफ तथा एसडीएमएफ में निवेश न की गई राशि पर क्रमशः ₹ 287.26 करोड़ एवं ₹106.67 करोड़ का ब्याज राज्य सरकार द्वारा अदा किया गया। निधि के अप्रयुक्त शेष को निर्धारित निवेश साधनों में निवेश न किए जाने के कारण राज्य सरकार को संभावित राजस्व हानि हुई।
- वर्ष 2024-25 के दौरान, 'प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत' बजट शीर्ष के अंतर्गत ₹ 841.97 करोड़ (₹ 9.45 करोड़ के प्रशासनिक व्यय को छोड़कर) का व्यय किया गया, जिसे एसडीआरएफ से वहन किया गया। इसका विवरण **तालिका 1.33** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 1.33: राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	राशि
1.	2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 01-सूखा	102-पेयजल आपूर्ति	6.76
		104-चारे की आपूर्ति	(-)0.01
		800-अन्य व्यय	281.82
		उप-योग	**288.57**
2.	2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात इत्यादि	101-आनुग्रहिक राहत	2.93
		106-ख़राब सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार	144.83
		107-सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार	22.63
		111-शोकाकुल परिवारों को अनुग्रह भुगतान	1.45
		113-घर की मरम्मत /पुनर्निर्माण के लिए सहायता	4.73
		114-कृषि आगतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता	374.61
		117-पशु धन क्रय हेतु किसानों को सहायता	0.30
		122-खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण संबंधी निर्माण कार्यों की-मरम्मत तथा पुनः स्थापना	3.86
		282-लोक स्वास्थ्य	(-)1.94
		उप-योग	**553.40**
		योग	**841.97**
3.	2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 80-सामान्य	800-अन्य व्यय (प्राशासनिक व्यय)	9.45
		उप-योग	**9.45**
		महायोग	**851.42**

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 के दौरान, एसडीआरएफ का कुल व्यय ₹ 851.42 करोड़ रहा, जिसमें से अधिकांश राशि बाढ़ से संबंधित राहत उपायों, विशेष रूप से किसानों को सहायता और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर आवंटित की गई। सूखा सम्बन्धी व्यय भी महत्वपूर्ण रहा, हालांकि इसे मुख्य रूप से "अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। प्रशासनिक व्यय कुल व्यय का अत्यंत अल्प अनुपात रहा। कुछ मदों के अंतर्गत ऋणात्मक प्रविष्टियों की उपस्थिति अप्रयुक्त शेषराशि की वापसी/समायोजन को दर्शाती है। समग्रतः, व्यय की प्रवृत्ति प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिक्रिया में कृषि सुधार एवं अवसंरचना के पुनर्स्थापन पर केंद्रित रही।

17. इस राशि में वर्ष 2023-24 की द्वितीय किस्त से संबंधित ₹ 217.80 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 163.40 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 54.40 करोड़) भी शामिल है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 मार्च 2024 को स्थानांतरित किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा 09 अप्रैल 2024 को अग्रेतर निर्गत किया गया।

प्रत्याभूति मोचन निधि

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में प्रत्याभूति मोचन निधि (निधि) की स्थापना, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों एवं अन्य उधारी के संबंध में सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के कारण उत्पन्न भुगतान दायित्वों की पूर्ति हेतु की गई थी, जब ऐसी प्रत्याभूतियां लाभार्थियों द्वारा आहूत की जाती हैं।

वित्त (मर्गोपाय) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश (दिसंबर 2007) के अनुसार, इस निधि में संचित राशि तथा निवेश से अर्जित ब्याज को भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से भारत सरकार के 364-दिवसीय ट्रेजरी बिलों में निवेश किया जाना अपेक्षित है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रशासित इस निधि के लिए जारी मार्गदर्शिका के अनुसार, निधि के कोष को क्रमिक रूप से बकाया प्रत्याभूति के 5 प्रतिशत के वांछित स्तर तक बढ़ाया जाना था। 31 मार्च 2025 को प्रत्याभूति मोचन निधि में ₹ 6,250.24 करोड़ का शेष था, जो ₹ 1,16,800.35 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियों का 5.35 प्रतिशत था ।

1 अप्रैल 2024 को निधि में प्रारंभिक शेष राशि ₹ 8,968.62 करोड़ थी। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति कमीशन[18] की कोई राशि निधि में हस्तांतरित नहीं की गई तथा वर्ष के दौरान कोई प्रत्याभूति आहूत नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, निधि से किए गए निवेश पर ₹ 707.62 करोड़ की ब्याज राशि राज्य सरकार को वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त हुई। इसके अलावा, राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में निधि से ₹ 3,426.00 करोड़ (वांछित स्तर से अधिक पाई गई राशि) की निकासी कर उसे मुख्य शीर्ष 0075-800 (विविध प्राप्तियाँ) में जमा कराया।

31 मार्च 2025 को निधि का अंतिम शेष ₹ 6,250.24 करोड़ था, जिसमें से ₹ 5,394.29 करोड़ 364-दिवसीय ट्रेजरी बिलों में निवेशित थे, जबकि शेष ₹ 855.95 करोड़ की राशि निवेश रहित रही।

समेकित सिंकिंग फण्ड

राजस्थान सरकार द्वारा ऋणों के परिशोधन के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 में समेकित सिंकिंग फंड की स्थापना की गई। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को समेकित सिंकिंग फंड के कार्पस को क्रमशः बकाया दायित्वों (आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा दायित्वों सहित) के 5 प्रतिशत के वांछित स्तर तक निर्मित करना अपेक्षित है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा इस निधि में केवल ₹ 1,834.51 करोड़ का योगदान किया गया। 31 मार्च 2025 को निधि में कुल संचय ₹ 1,834.51 करोड़ था, जो वर्ष 2024-25 के दौरान कुल बकाया दायित्वों का मात्र 0.32 प्रतिशत था।

1.4.3 रोकड़ शेष

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ किए गए समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक/आरबीआई के पास ₹ 2.34 करोड़ का न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना आवश्यक है। यदि नकद शेष इस न्यूनतम स्तर से नीचे चला जाता है, तो कमी की पूर्ति मार्गोपाय अग्रिम (डब्लूएमए)/विशेष मार्गोपाय अग्रिम

18. शीर्ष '0075-108' के अंतर्गत ₹ 944.80 करोड़ की देय गारंटी शुल्क के सापेक्ष ₹ 944.54 करोड़ की प्राप्ति दर्ज की गई।

(एसडब्लूएमए)/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) अथवा ओवरड्राफ्ट (ओडी) जैसे साधनों के माध्यम से की जाती है। मार्गोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर आरबीआई द्वारा संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार अधिशेष नकद शेष, जिसमें आरक्षित/नामित निधियों से संबंधित अधिशेष राशि भी सम्मिलित है, को भारत सरकार की प्रतिभूतियों तथा कोषागार बिलों में निवेश करती है। इन निवेशों से अर्जित आय को '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त नकद शेष रखते हुए बाजार उधार लेना अवांछनीय है, क्योंकि इससे धन का उत्पादक उपयोग न होकर इसकी निष्क्रियता को बढ़ावा मिलता है। वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए नकद शेष तथा निवेश से संबंधित विवरण **तालिका 1.34** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.34: रोकड़ शेष तथा उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रेल 2024 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2025 को अंतिम शेष
अ. सामान्य रोकड़ शेष		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	10.75	18.75
रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश	627.51	799.68
कोषालयों में रोकड़	0.06	0.06
मार्गस्थ प्रेषण-स्थानीय	(-) 8.42	(-) 19.72
योग (अ)	**629.90**	**798.77**
ब. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा सार्वजनिक निर्माण एवं वन अधिकारियों के पास रोकड़	0.51	0.50
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	23.86	23.87
चिन्हित निधियों में निवेश	9,890.55	9,206.15
योग (ब)	**9,914.92**	**9,230.52**
योग (अ +ब)	**10,544.82**	**10,029.29**
प्राप्त ब्याज	**(-)1.10***	**0.17**

स्रोत : वित्त लेखे

* ऋणात्मक (माइनस) आंकड़ा निवेश की परिपक्वता से पूर्व उसके पुनःडिस्काउंटिंग के कारण है।

राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 172.17 करोड़ की वृद्धि के साथ वर्ष 2023-24 के ₹ 627.51 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 799.68 करोड़ हो गया। लेखा वर्ष 2024-25 के अंत में, महालेखाकार द्वारा गणना किए गए सामान्य नकद शेष (₹ 18.75 करोड़ (डेबिट)) और आरबीआई द्वारा रिपोर्ट किए गए ₹ 16.86 करोड़ (क्रेडिट) के बीच ₹ 1.89 करोड़ (क्रेडिट) का शुद्ध अंतर था। 31 जुलाई 2025 को ₹ 17,541 का शुद्ध अंतर था, जिसका मिलान अभी जारी है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान नकद शेष निवेश खाते का विवरण **तालिका 1.35** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.35: रोकड़ शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष-8673)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2020-21	5,807.73	4,440.13	(-)1,367.60	23.38
2021-22	4,440.13	8,218.92	3,778.79	43.69
2022-23	8,218.92	103.30	(-)8,115.62	14.08
2023-24	103.30	627.51	524.21	(-)1.10
2024-25	627.51	799.68	172.17	0.17

स्रोत : वित्त लेखे

राज्य सरकार के अधिशेष नकद शेष को स्वतः ही 14-दिवसीय कोषागार बिलों तथा आंशिक रूप से भारत सरकार के 91, 182 एवं 364 दिवसीय कोषागार बिलों में निवेश किया जाता है। 31 मार्च 2025 की स्थिति

के अनुसार, ₹ 799.51 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषागार बिलों में निवेशित थी। ऐसे निवेशों से अर्जित ब्याज को '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' शीर्ष के अंतर्गत लेखांकन किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, इन निवेशों पर ₹ 0.17 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 9,206.15 करोड़ की राशि चिन्हित निधियों में निवेशित की गई, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा आरक्षित निधियाँ सम्मिलित हैं।

सामान्य मार्गोपाय अग्रिम की सीमा 01 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक ₹ 3,585 करोड़ थी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के गिरवी रखे जाने के विरुद्ध विशेष मर्गोपाय अग्रिम की सुविधा भी प्रदान की गई। 01 अप्रैल 2024 को विशेष मर्गोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 9,357.51 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2025 को घटकर ₹ 3,975.32 करोड़ रह गई।

नकद शेष निवेश खाते के अंतर्गत शेष राशि में वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव देखा गया। यह वर्ष 2021-22 में ₹ 8,218.92 करोड़ से तेजी से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹ 103.30 करोड़ रह गई, तत्पश्चात वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹ 799.68 करोड़ हो गई। इसके बावजूद, ब्याज आय न्यूनतम बनी रही, जो अस्थायी नकद निवेशों से सीमित प्रतिफल को दर्शाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निर्धारित न्यूनतम नकद शेष बनाए रखने की स्थिति निम्नानुसार रही:

(i) विशेष मार्गोपाय अग्रिम: 1 अप्रैल 2024 को विशेष मार्गोपाय अग्रिम के अंतर्गत शेष शून्य था। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 133 अवसरों पर 271 दिनों के लिए ₹ 91,250.55 करोड़ की राशि भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष मार्गोपाय अग्रिम के रूप में प्राप्त की गई। इस पर ₹ 160.58 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया। वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर इस मद के अंतर्गत शेष शून्य रहा।

(ii) सामान्य मार्गोपाय अग्रिम: 1 अप्रैल 2024 तक सामान्य मार्गोपाय अग्रिम के तहत शेष शून्य था। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 57 अवसरों पर 101 दिनों के लिए ₹ 31,028.90 करोड़ की राशि सामान्य मर्गोपाय अग्रिम के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त की गई तथा इस पर ₹ 19.43 करोड़ का ब्याज अदा किया गया। इन 101 दिनों की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा विशेष मार्गोपाय अग्रिम भी प्राप्त किए गए। वर्ष 2024-25 के अंत में इस मद के अंतर्गत शेष शून्य रहा।

(iii) ओवरड्राफ्ट: पिछले वर्ष अर्थात 2023-24 के अंत में ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत कोई शेष नहीं था। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया, तथा वर्ष 2024-25 के अंत में भी शेष शून्य रहा।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 133 अवसरों पर कुल 271 दिनों के लिए मार्गोपाय सुविधाओं का उपयोग किया गया तथा इस पर ₹ 180.01 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया। यह स्थिति राज्य सरकार के अपर्याप्त नकद प्रबंधन को दर्शाती है।

1.5 राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता से तात्पर्य सरकार की उस क्षमता से है जिसके अंतर्गत वह अपने राजस्व एवं व्यय का प्रबंधन इस प्रकार कर सके कि वह वर्तमान तथा भावी दायित्वों-जैसे सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति, अवसंरचना विकास एवं ऋणों की अदायगी को बिना अत्यधिक उधारी या अस्थिर ऋण भार के पूरा कर सके। इसका तात्पर्य दीर्घावधि में राजस्व सृजन एवं व्यय के मध्य संतुलित भुगतान क्षमता को बनाए रखने से है।

चार्ट 1.27 और **चार्ट 1.28** में वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान, जीएसडीपी के प्रतिशत के तौर पर राज्य की प्राप्तियाँ और व्यय दर्शाए गए हैं।

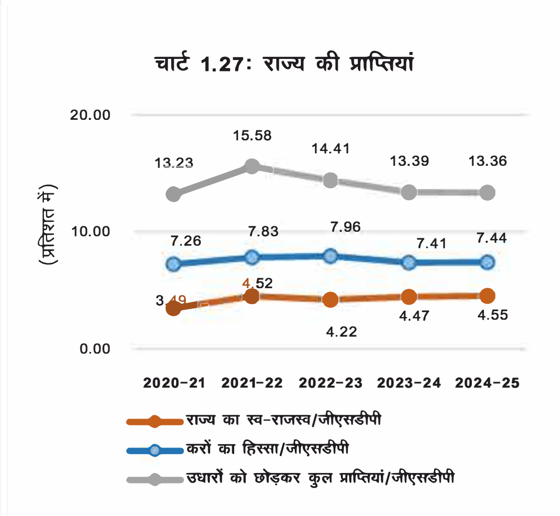

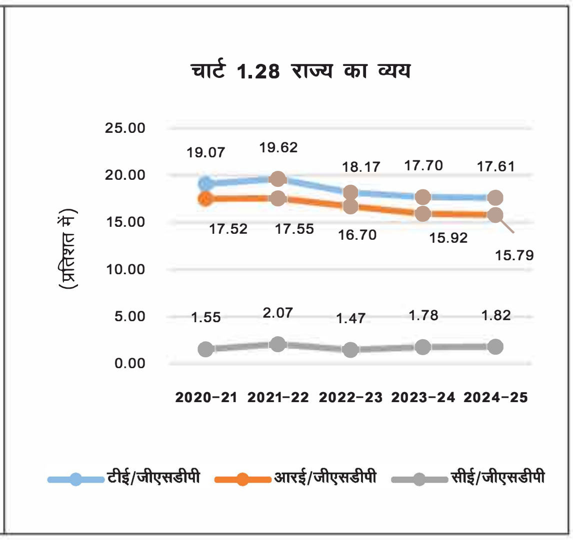

ऊपर दिए गए ग्राफ़ दर्शाते हैं कि राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ उसके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं, क्योंकि सभी पाँच वर्षों में कुल प्राप्तियों और सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत तथा कुल व्यय और जीएसडीपी के प्रतिशत में लगभग चार प्रतिशत का अंतर बना रहा। यद्यपि, जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व जुटाना लगभग स्थिर रहा और केंद्रीय अन्तरणों में सुधार हुआ, फिर भी हाल के वर्षों में कुल प्राप्तियों (ऋण को छोड़कर) में कुछ संयम परिलक्षित हुआ। व्यय के मामले में, कुल व्यय और राजस्व व्यय का जीएसडीपी से अनुपात घटा है, जबकि पूंजीगत व्यय का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। यह प्रवृत्ति क्रमिक राजकोषीय समेकन के साथ-साथ पूंजीगत व्यय की तीव्रता में क्रमिक वृद्धि को दर्शाती है।

1.5.1 सार्वजनिक दायित्व प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार अपनी देयताओं के प्रबंधन हेतु एक रणनीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करती है, ताकि आवश्यक वित्तपोषण की व्यवस्था की जा सके, जोखिम एवं लागत संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके तथा विधायी प्रावधानों अथवा वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, राज्य की बकाया देयताओं तथा उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुपात **चार्ट 1.29** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.29: बकाया सार्वजानिक दायित्व और जीएसडीपी में इसका प्रतिशत

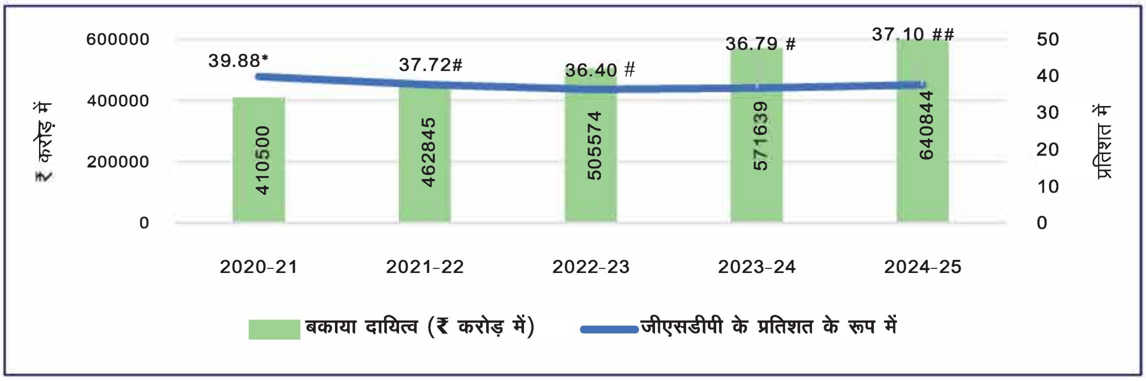

स्रोत:वित्त लेखा

* *कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत एक-के-बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹4,604 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को घटाने के उपरांत यह निर्धारित आंकड़ा सामने आया है।*

कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत एक के बाद एक ऋण के तौर पर मिले ₹11,872 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को घटाने के उपरांत यह आंकड़ा सामने आया है।

कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत एक के बाद एक ऋण के तौर पर मिले ₹ 8,518.91 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को घटाने के बाद यह आंकड़ा सामने आया है (जिसमें भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान की गई ₹ 3,353.38 करोड़ की प्रोफार्मा कमी का समायोजन सम्मिलित है)।

राज्य सरकार की कुल देयताएँ वर्ष 2020-21 में ₹ 4,05,896 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 6,32,326 करोड़ हो गईं। वर्ष 2024-25 के दौरान, यह देयताएँ पिछले वर्ष की तुलना में 12.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। वर्ष 2024-25 में ये देयताएँ राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,27,250 करोड़) की लगभग तीन गुना तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों (₹ 1,26,812 करोड़) की पाँच गुना से अधिक रहीं थीं।

बकाया सार्वजनिक देयताओं में वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान परिलक्षित रूप से निरंतर वृद्धि दर्ज की गई। जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋणों को अपवर्जित करने के उपरांत, वर्ष 2024-25 में यह अनुपात जीएसडीपी का 37.10 प्रतिशत रहा, जो यद्यपि वर्ष 2020-21 के स्तर से कम है, तथापि हाल के वर्षों में इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। यह स्थिति ऋण स्थिरता की निरंतर निगरानी की आवश्यकता को दर्शाती है।

1.5.1.1 देयताओं की रुपरेखा: घटक

राज्य सरकार की कुल देयताएँ सामान्यतः राज्य का आंतरिक ऋण (जिसमें बाजार उधार, भारतीय रिज़र्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण आदि सम्मिलित हैं), केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, तथा लोक लेखा दायित्वों से मिलकर बनती हैं। वर्ष 2020-21 से प्रारंभ होकर पाँच वर्षों की अवधि के दौरान राज्य की देयताओं की घटक-वार प्रवृत्ति **तालिका 1.36** में प्रदर्शित की गई हैं।

तालिका 1.36: घटक-वार देयताओं की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय दायित्व के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल बकाया देयताऐ*	**4,05,896**	**4,50,973**	**4,93,702**	**5,59,767**	**6,32,326**
लोक ऋण	3,03,717	3,41,684	3,76,512	4,34,780	4,93,878
आतंरिक ऋण	*2,84,789*	*3,21,807*	*3,50,962*	*3,99,858*	*4,48,790*
*भारत सरकार से ऋण***	*18,928*	*19,877*	*25,550*	*34,922*	*45,088*
लोक लेखा दायित्व	1,02,179	1,09,289	1,17,190	1,24,987	1,38,448
अल्प बचत, प्रावधायी निधि, आदि	*56,326*	*58,786*	*64,123*	*70,220*	*75,981*
ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	*4,529*	*3,345*	*4,668*	*5,039*	*6,651*
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	*4,610*	*2,984*	*2,776*	*3,516*	*2,886*
ब्याज वाली जमाएँ	*11,270*	*13,451*	*18,304*	*19,770*	*22,172*
बिना ब्याज वाली जमाएँ	*25,444*	*30,723*	*27,319*	*26,442*	*30,758*
बकाया समग्र देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.08	11.11	9.47	13.38	12.96
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	10,17,917	11,95,641	13,56,480	15,21,510	17,04,339
बकाया कुल देयताओं/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	39.88	37.72	36.40	36.79	37.10
उधार और अन्य देयताये					
कुल प्राप्तियां	2,68,770	3,02,174	2,90,718	3,64,764	4,02,564
कुल पुनर्भुगतान	2,10,972	2,49,829	2,47,990	2,98,699	3,30,004
उपलब्ध शुद्ध निधियां	57,798	52,345	42,728	66,065	72,560
पुनर्भुगतान/ प्राप्तियां (प्राप्तियां)	78.50	82.68	85.30	81.89	81.98

स्रोत : वित्त लेखे

* *वर्ष 2019-20 के लिए बकाया उदय ऋण सहित: ₹ 44,730 करोड़, वर्ष 2020-21: ₹ 37,825 करोड़, वर्ष 2021-22: ₹ 30,919 करोड़, वर्ष 2022-23: ₹ 24,013 करोड़, वर्ष 2023-24: ₹ 17,107 करोड़ और वर्ष 2024-25: ₹ 10,202 करोड़*

*** वर्ष 2020-21, 2022-24 और 2024-25 के दौरान, इसमें जीएसटी मुआवज़े की कमी के बदले भारत सरकार से लिए गए एक के बाद एक ऋण के तौर पर क्रमशः ₹4,604 करोड़, ₹11,872.29 करोड़ (₹ 4,604 करोड़ + ₹ 7,268.29 करोड़) और ₹ 8,518.91 करोड़ शामिल नहीं हैं, जिसका पुनर्भुगतान राज्य को अपने संसाधनों से नहीं करना है।*

वर्ष 2024-25 के अंत में कुल बकाया देयताओं का घटक-वार विभाजन **चार्ट 1.30** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.30: वर्ष 2024-25 के अंत में बकाया कुल देनदारियों का घटक-वार विभाजन

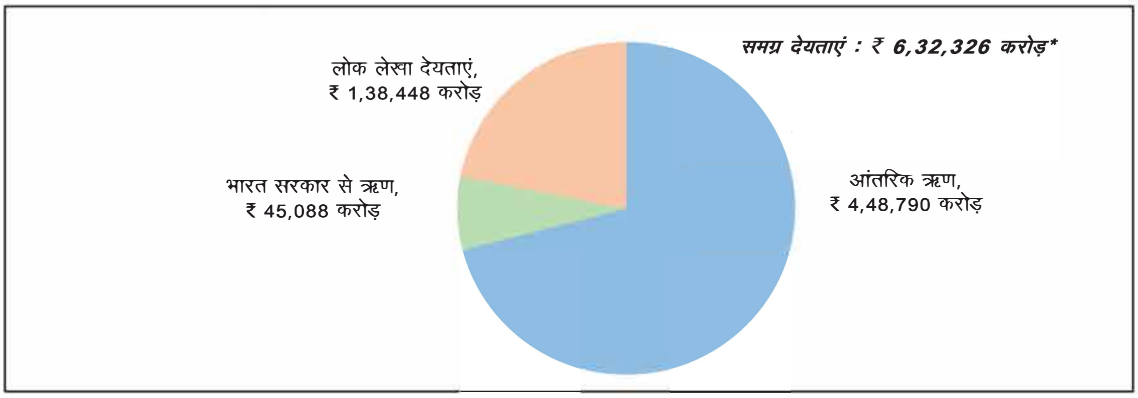

स्रोतः वित्त लेखा

* *इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी की पूर्ति के एवज में प्राप्त ₹ 8,518.91 करोड़ की बेक-टू-बेक ऋण राशि शामिल नहीं है, जिसे राज्य सरकार को ऋण प्राप्ति के रूप में दर्शाया गया है तथा जिसके पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य पर नहीं है।*

वर्ष 2020--25 की पाँच वर्षीय अवधि के दौरान लिए गए तथा चुकाए गए आंतरिक ऋण की मात्रा को **चार्ट 1.31** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.31: लिया गया आंतरिक ऋण बनाम चुकाया गया ऋण

(₹ करोड़ में)

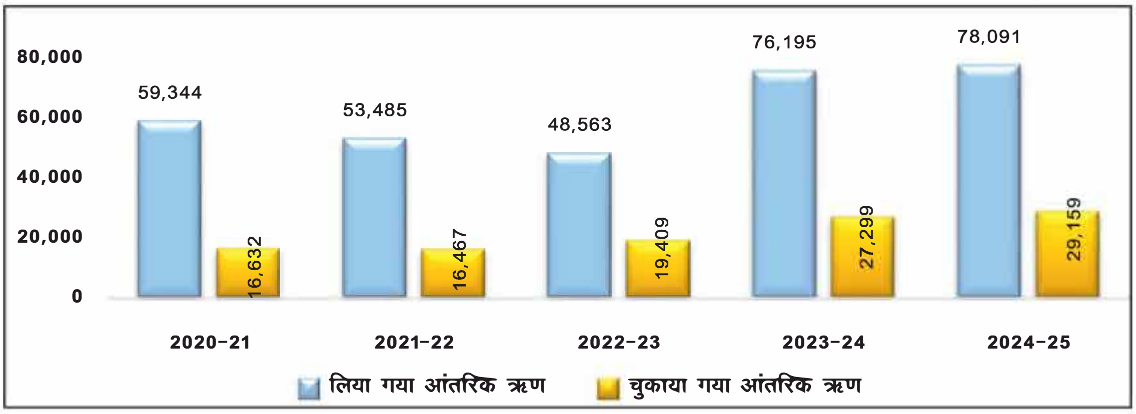

स्रोतः वित्त लेखा

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार की कुल देयताओं में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 72,559 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका प्रमुख कारण लोक ऋण में 13.59 प्रतिशत (₹ 59,098 करोड़) की वृद्धि रही।

कुल देयता-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2023-24 में 36.79 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 37.10 प्रतिशत हो गया, हालांकि, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्य सीमा (38.20 प्रतिशत) के भीतर है।

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण वर्ष 2020-21 में ₹ 2,84,789 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 4,48,790 करोड़ हो गया, जिसमें ₹ 1,64,001 करोड़ (57.59 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त,

वर्ष 2024-25 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 31,010 करोड़ की राशि ब्याज भुगतान के रूप में चुकाई गई।

आंतरिक ऋण से प्राप्तियाँ वर्ष 2020-21 में ₹ 59,344 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 78,091 करोड़ हो गया, जो 7.10 प्रतिशत की सीएजीआर वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि, चुकाए गए आंतरिक ऋण में 15.07 प्रतिशत की उच्च सीएजीआर वृद्धि हुई, जो वर्ष 2020-21 में ₹ 16,632 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 29,159 करोड़ हो गया। इससे पता चलता है कि ऋण चुकाने की देनदारी साल दर साल बढ़ती जा रही है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि ऋणों के पुनर्भुगतान से संबंधित देयता वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। साथ ही, यह भी परिलक्षित होता है कि वर्ष 2024-25 में किए गए नए उधार का 37.34 प्रतिशत हिस्सा पुराने ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान (ब्याज भुगतान को छोड़कर) में प्रयुक्त हुआ, जबकि शेष ₹ 48,932 करोड़ की नई आंतरिक उधारी राज्य सरकार के पास अन्य प्रयोजनों के लिए उपलब्ध रही।

1.5.1.2 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का आदर्शतः उपयोग पूंजी सृजन तथा विकासात्मक गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु किया जाना चाहिए। उधार की गई राशि का उपयोग वर्तमान उपभोग व्यय की पूर्ति अथवा बकाया ऋणों पर ब्याज भुगतान के लिए किया जाना स्वस्थ वित्तीय प्रवृत्ति नहीं मानी जाती। वर्ष 2020-25 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग तथा इसकी प्रवृत्तियों को क्रमशः **तालिका 1.37** एवं **चार्ट 1.32** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.37: उधार ली गई निधियों का उपयोग एवं अन्य दायित्व

क्र.सं.	वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	कुल उधार (वर्ष के दौरान लोक ऋण एवं अन्य दायित्व)*	2,68,770	3,02,174	2,90,718	3,64,764	4,02,564
2.	पूर्व के अन्य दायित्वों एवं उधारों (मूलधन) का पुनर्भुगतान	2,10,972	2,49,829	2,47,990	2,98,699	3,30,004
3.	निवल पूंजीगत व्यय	15,257	24,121	19,782	26,632	30,720
4.	निवल ऋण एवं अग्रिम	118	-1753	-245	-7	-250
5.	उपलब्ध निवल उधारों से पूरा किया गया राजस्व व्यय का हिस्सा	42,423	29,977	23,191	39,440	42,090

स्रोत: वित्त लेखे

** वर्ष के दौरान मार्गोपाय अग्रिम के अलावा*

चार्ट 1.32 : उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियाँ

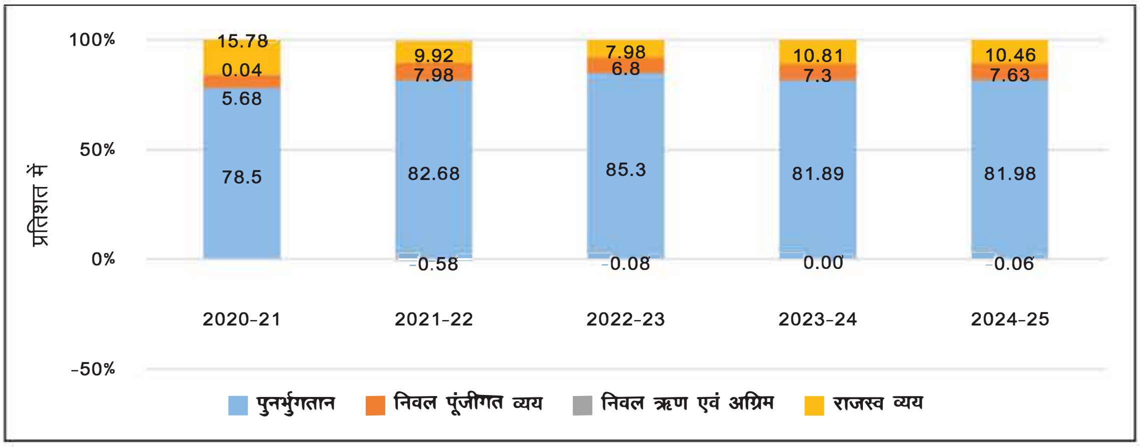

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 में कुल उधारी (सार्वजनिक ऋण एवं अन्य दायित्व) के सापेक्ष पूर्ववर्ती उधारियों (मूलधन) के पुनर्भुगतान तथा अन्य दायित्वों का प्रतिशत 78.50 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 81.98 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उधार का एक महत्वपूर्ण भाग पूंजी सृजन के स्थान पर पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान में प्रयुक्त किया गया। वर्ष 2024-25 में, कुल उधार (सार्वजनिक ऋण एवं अन्य दायित्व) का 81.98 प्रतिशत भाग पूर्ववर्ती उधारियों (मूलधन) के पुनर्भुगतान तथा अन्य दायित्वों की पूर्ति में उपयोग किया गया, जिससे विकासात्मक व्यय हेतु उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश सीमित रह गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 42,090 करोड़ की उधारी का उपयोग राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु किया गया, जो यह दर्शाता है कि पूंजीगत प्राप्तियों का प्रयोग वर्तमान उपभोग व्यय के वित्तपोषण में किया गया।

यह प्रवृत्ति पूर्ववर्ती देयताओं एवं वर्तमान व्ययों के प्रबंधन हेतु ऋण पर बढ़ती निर्भरता को इंगित करती है, जबकि शुद्ध पूंजीगत व्यय के लिए अपेक्षाकृत सीमित संसाधन उपलब्ध कराए गए। इस प्रकार का उपयोग राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता को कमजोर करता है, उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश को सीमित करता है तथा दीर्घकालीन राजकोषीय संवहनीयता के लिए जोखिम उत्पन्न करता है। नियमित व्यय की पूर्ति हेतु उधार पर निरंतर निर्भरता संरचनात्मक ऋण चक्र को जन्म दे सकती है, जिससे व्यय संरचना में सुधार एवं राजस्व सृजन को सुदृढ़ करने हेतु सुधारात्मक राजकोषीय उपायों की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

1.5.1.3 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान रूपरेखा सरकार द्वारा ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा **चार्ट 1.33** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.33: सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

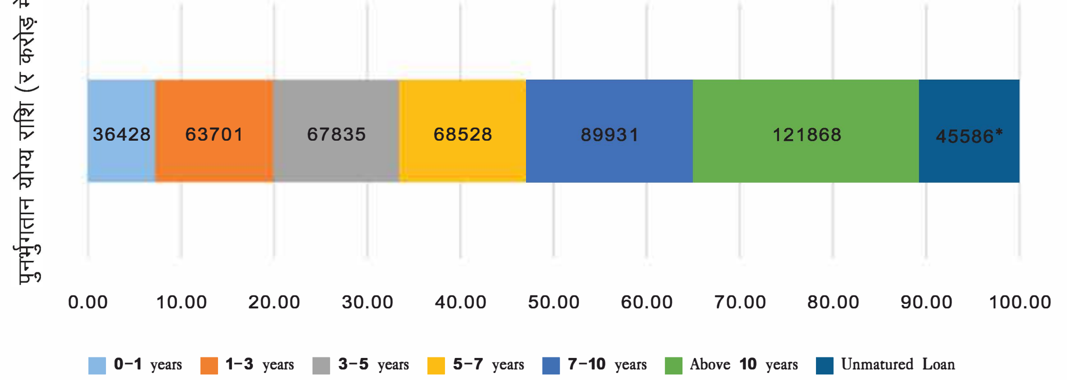

स्रोत : वित्त लेखे

* *इसमें भारत सरकार से जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले बेक-टू-बेक गए ऋण के ₹8.519 करोड़ के शामिल नहीं हैं, जिन्हें राज्य को अपने संसाधनों से चुकाना नहीं है।*

31 मार्च 2025 तक सार्वजनिक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा से पता चलता है कि ₹ 4,93,878 करोड़ के बकाया सार्वजनिक ऋण में से 47.88 प्रतिशत (₹ 2,36,492 करोड़) अगले सात वर्षों के भीतर देय है, जबकि 42.88 प्रतिशत (₹ 2,11,799 करोड़) सात वर्षों से अधिक की परिपक्वता अवधि में है और शेष राशि (₹ 45,586 करोड़) की पुनर्भुगतान कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है।

अल्प से मध्यम अवधि की परिपक्वता रूपरेखा का संकेंद्रण संभावित रोलओवर जोखिम और तरलता दबाव का संकेत देता है। यद्यपि वर्तमान परिपक्वता तरीका तत्काल पुनर्भुगतान दबाव को कम करता है, परंतु कुल ऋण में निरंतर वृद्धि भविष्य में पुनर्भुगतान और ब्याज दायित्वों को बढ़ाएगी। यह सावधानीपूर्वक ऋण प्रबंधन और नियंत्रित उधारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

1.5.1.4 राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरुप

तालिका 1.38 में 2020-25 तक के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरुप को दर्शाया गया है:

तालिका 1.38: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्त पोषण का स्वरुप

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजकोषीय घाटा		**59,376**	**48,238**	**51,028**	**65,580**	**72,420**
1	राजस्व घाटा	44,001	25,870	31,491	38,955	41,950
2	निवल पूंजीगत व्यय	15,257	24,121	19,782	26,632	30,720
3	निवल ऋण और अग्रिम	118	(-)1,753	(-)245	(-)7	(-)250
राजकोषीय घटे का वित्तपोषण स्वरुप						
1	बाजार से उधार	51,179	45,149	37,016	56,624	56,385
2	भारत सरकार से ऋण	6229	8217	5673	9,372	10,166
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधियों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	(-)1584	(-)1585	(-)1585	(-)1585	(-)1585
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-)6882	(-)6546	(-)6277	(-)6143	(-)5868
5	अल्प बचत, भविष्य निधि , आदि	4,857	2,461	5337	6097	5,762
6	जमा तथा अग्रिम	2871	7461	1,448	589	6,717
7	उचंत तथा विविध	116	(-)81	(-)52	120	32
8	प्रेषण	12	0	(-)1	(-)9	(-)2
9	आरक्षित निधियां	1361	1344	2471	3388	297
10	**समग्र घाटा**	**58,159**	**56,420**	**44,030**	**68,453**	**71,904**
11	नकद शेष में वृद्धि/कमी/	1217	(-)8182	6998	(-)2873	516
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	**59,376**	**48,238**	**51,028**	**65,580**	**72,420**

स्रोतः वित्त लेखे

** शेष राशि वर्ष के दौरान किए गए वितरणों और प्राप्तियों के शुद्ध परिणाम को दर्शाती है।*

राजकोषीय घाटा राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरुप यह दर्शाता है कि राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों से अधिक धन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु राज्य ने किस सीमा तक विभिन्न उधार साधनों का सहारा लिया है।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 में ₹ 59,376 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 72,420 करोड़ हो गया, जिसमें पिछले दो वर्षों में वृद्धि का रुझान देखा गया। घाटे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्व घाटे से उत्पन्न हुआ, जो यह इंगित करता है कि उधारी का उपयोग केवल पूंजी निर्माण के लिए ही नहीं, बल्कि वर्तमान व्यय को वित्तपोषित करने के लिए भी किया गया था।

पूरे अवधि के दौरान बाजार से उधारी वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत रहे, इसके बाद भारत सरकार से लिए गए ऋणों का स्थान रहा। कुछ वर्षों में लघु बचत, जमा और आरक्षित निधियों से प्राप्त योगदान ने वित्तपोषण में पूरक भूमिका का निर्वाहन किया। वित्तीय संस्थानों से ऋण और एनएसएसएफ को विशेष प्रतिभूतियों के अंतर्गत ऋणों में नकारात्मक प्रविष्टियाँ उन मदों के अंतर्गत शुद्ध पुनर्भुगतान को दर्शाती हैं।

बाजार उधारी पर बढ़ती निर्भरता और सतत राजस्व घाटा सार्वजनिक वित्त पर संरचनात्मक दबाव का संकेत देता है। वित्तपोषण का यह स्वरूप राजकोषीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण साधनों पर निर्भरता को इंगित करता है, जो भविष्य में राजकोषीय दबाव को नियंत्रित करने के लिए राजस्व जुटाने को सुदृढ़ करने और व्यय की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

1.5.2 लेखापरीक्षा पश्चात घाटे के संकेतक

वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्तीय लेखा के अनुसार, राज्य का राजस्व घाटा ₹ 41,950 करोड़ (जीएसडीपी का 2.46 प्रतिशत), राजकोषीय घाटा ₹ 72,420 करोड़ (जीएसडीपी का 4.25 प्रतिशत) और प्राथमिक घाटा ₹ 34,075 (जीएसडीपी का 2.00 प्रतिशत) हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2024-25 के दौरान राज्य सरकार ने राजस्व संबंधी ₹ 931.66 करोड़ की राशि को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया (विवरण अध्याय-II के अनुच्छेद 2.5.6 में दिया गया है)। इसके अलावा, उपकर/अधिभार और ब्याज के कम/अधिक हस्तांतरण का भी पता चला, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में कमी/अधिकता हुई, जैसा कि **तालिका 1.39** में दिए गए विवरण में बताया गया है।

तालिका 1.39: लेखापरीक्षा के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिक आँका गया	कम आँका गया	अधिक आँका गया	कम आँका गया
	अन्य हस्तांतरण				
1.	राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण (पैरा 2.5.6)	-	931.66	-	-
2.	ब्याज समायोजन (पैरा 3.2.1)	-	84.69	-	84.69
	योग	**कम आँका गया 1,016.35**		**कम आँका गया 84.69**	
	उपकर/अधिशुल्क का आरक्षित निधि/जमा निधि में हस्तांतरण				
3.	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर के लिए अल्प हस्तांतरण (पैरा 3.2.3)	-	24.44	-	24.44
4.	राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन कोष में अल्प हस्तांतरण (पैरा 3.2.5)	-	318.91	-	318.91
5.	राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि का अतिरिक्त हस्तांतरण (पैरा 3.2.6)	22.52	-	22.52	-
6.	जल संरक्षण उपकर का कम हस्तांतरण (पैरा 3.2.7)	-	9.00	-	9.00
7.	शहरी विकास उपकर निधि की अतिरिक्त हस्तांतरित राशि (पैरा 3.2.8)	54.28	-	54.28	-
	कुल (उपकर/अधिशुल्क)	**(निवल) कम आँका गया 275.55**		**(निवल) कम आँका गया 275.55**	
	महायोग	**(निवल) कम आँका गया 1,291.90**		**(निवल) कम आँका गया 360.24**	

स्रोतः वर्ष 2024-25 के वित्तीय खाते और उसका विश्लेषण

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य सरकार का राजस्व घाटा (₹ 41,950 करोड़) ₹ 1,291.90 करोड़ से कम बताया गया था और राजकोषीय घाटा (₹ 72,420 करोड़) ₹ 360.24 करोड़ से कम बताया गया था।

1.5.3 राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, राज्य सरकार ने 'राजस्थान राजकोषीय उत्तरदा यित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआ रबीएम) अधिनियम, 2005' अधिनियमित किया, ताकि राजकोषीय प्रबंधन में विवेकशीलता और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य राजस्व घाटे में क्रमिक कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार की राजकोषीय का र्यवहियों में अधिक पा रदर्शितातथा मध्यम-अवधि राजकोषीय ढाँचे में राजकोषीय नीति का संचालन करना और उससे संबंधित अन्य विषयों का प्रावधान करना था।

राजस्थान के एफआरबीएम अधिनियम और 15वें वित्त आयोग के अनुरूप इसके संशोधनों के अनुसार, राज्य का लक्ष्य हैः

- राजस्व घाटे को उन्मूलन करना;
- राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर बनाए रखना, जिसमे सुधारात्मक लक्ष्यों को पूरा करने पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत की अनुमति के साथ।
- बकाया देनदारी-जीएसडीपी अनुपात को 38.20 प्रतिशत से नीचे रखना।

राज्य की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

(i) एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम 2011 की धारा 6(क) में निहित प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाए रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। हा लांकि, राज्य सरकार केवल वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान ही राजस्व अधिशेष बनाए रख सकी और उसके बाद वर्ष 2024-25 तक पिछले बारह लग ातार वर्षों में राजस्व घाटा रहा है।

पिछले पांच वर्षों के बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक राजस्व घाटे का सारांश **तालिका 1.40** में दिया गया है।

तालिका 1.40: बीई/आरई और वास्तविक के संदर्भ में राजस्व घाटे/अधिशेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	बजट अनुमान	(-) 12,346	(-) 23,750	(-)23,489	(-) 24,896	(-)25,758.11
2.	संशोधित अनुमान	(-) 41,722	(-) 35,689	(-) 32,310	(-) 30,072	(-)31,939.15
3.	वास्तविक	(-) 44,001	(-) 25,870	(-) 31,491	(-) 38,955	(-)41,950.04

स्रोतः वित्त लेखा एवं बजट दस्तावेज

उपरोक्त ता लिका से यह स्पष्ट है कि राजस्व घाटा ₹ 41,950.04 करोड़ था, जो बजट अनुमान (₹ 25,758.11 करोड़) से ₹ 16,192 करोड़ और संशोधित अनुमान (₹ 31,939.15 करोड़) से ₹ 10,011 करोड़ अधिक था।

वास्तविक राजस्व प्राप्ति ₹ 2,27,250 करोड़ रही, जो बजट अनुमान ₹ 2,64,461 करोड़ की तुलना में ₹ 37,211 करोड़ (14.07 प्रतिशत) कम थी, जबकि वास्तविक राजस्व व्यय ₹ 2,69,200 करोड़ रहा, जो बजट अनुमान ₹ 2,90,219 करोड़ की तुलना में अपेक्षाकृत कम कमी के साथ ₹ 21,019 करोड़ (7.24 प्रतिशत) घटा।

(ii) एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम 2011 की धारा 6(बी) के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इस अनुपात को बनाए रखना अथवा घटाना था। इसके अतिरिक्त, एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम[19], 2021 के अनुसार, राज्य को 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए, विद्युत क्षेत्र में कुछ प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने पर, केंद्रीय सरकार द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त 0.50 प्रतिशत की उधारी की अनुमति दी गई। तथापि, यद्यपि अधिनियम में अतिरिक्त 0.50 प्रतिशत उधारी का प्रावधान किया गया, परंतु राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में संशोधन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य को भारत सरकार द्वारा सामान्य सीमा से अधिक ₹ 9,139.21 करोड़ (जीएसडीपी का 0.5362 प्रतिशत) ब्याज-मुक्त पूंजी ऋण 50 वर्षों के लिए प्रदान किया गया। इस प्रकार, 2024-25 के लिए राज्य को दी गई राजकोषीय गुंजाइश या उधार लेने की अधिकतम सीमा जीएसडीपी का 4.04 प्रतिशत थी।

निम्न तालिका में पिछले तीन वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटा जीएसडीपी अनुपात की प्रवृत्ति दर्शाई गई है:

तालिका 1.41: बीई/आरई और वास्तविक के संदर्भ में राजकोषीय घाटे की स्थिति

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1.	2022-23	4.36	4.33	3.76
2.	2023-24	3.98	4.26	4.31*
3.	2024-25	3.93	4.11	4.25

स्रोत: बजट दस्तावेजों से प्राप्त बीई और आरई

** प्रतिशत परिवर्तन संशोधित जीएसडीपी अनुमानों के कारण है।*

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2024-25 में राज्य का राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का 4.25 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य (जीएसडीपी का 3.50 प्रतिशत, विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए सकल घरेलू उत्पाद मूल्य के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा सहित) उधार सीमा से अधिक था। यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई कुल राजकोषीय संभावना (जीएसडीपी का 4.04 प्रतिशत) से भी अधिक था। राजकोषीय घाटा ₹ 72,420 करोड़ (जीएसडीपी का 4.25 प्रतिशत) रहा, जो बीई (₹ 70,009 करोड़) और आरई (₹ 70,091 करोड़) दोनों अनुमानों से अधिक था।

(iii) राज्य सरकार ने मार्च 2021 में राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) की धारा 6(सी) के प्रावधानों में संशोधन किया और कुल बकाया ऋण (देयता) की सीमा को जीएसडीपी के 38.20 प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया, जिसे 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले छह वर्षों की अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना था और उसके बाद, उक्त अनुपात को बनाए रखना या कम करना था। वर्ष 2024-25 के दौरान देयता-जीएसडीपी अनुपात 37.10 प्रतिशत[20] था, जो राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था।

लेखापरीक्षा के पश्चात, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियों का विवरण **तालिका 1.42** में

19. धारा 6 (फ) का प्रावधान 25 सितम्बर 2021 को अधिनियमित किया गया।

20. जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी हेतु प्राप्त ₹ 8,519 करोड़ ऋण को बकाया देनदारियों से बाहर करने के उपरांत गणना की गई।

दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख राजकोषीय एवं आर्थिक मानदंडों का दस वर्षीय विश्लेषण ***परिशिष्ट 1.4*** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.42: एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय मापदंड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि									
			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	राजस्व अधिशेष	(-) 5,954	(-)9,114	(-) 6,535	(-) 16,900	(-) 36,371	(-)44,001	(-)25,870	(-)31,491	(-)38,955	(-)41950
			✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
2.	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	तीन प्रतिशत*	63,070 (9.25)	46,318 (6.09)	25,342 (3.04)	34,473 (3.78)	37,654 (3.77)	(-)59,376 (5.83)	(-)48,238 (4.03)	(-)51,028 (3.76)	(-)65,580 (4.31)	(-)72420 (4.25)
			✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3.	कुल बकाया देयता और सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	36.50	36.50	35.50	35.00	34.00	38.20	38.20	38.20	38.20	38.20
		उपलब्धि	30.72	33.53	33.77	34.16	35.27	39.88	37.72	36.40	36.79	37.10
			✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓

* *विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए सकल घरेलू उत्पाद मूल्य (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई थी।*

राज्य ने वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान राजस्व संतुलन और राजकोषीय घाटे के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया। अधिनियम में राजस्व अधिशेष बनाए रखने का प्रावधान है; हालांकि, राज्य ने वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान सभी वर्षों में राजस्व घाटा दर्ज किया, जो यह इंगित करता है कि राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए लगातार उधारी पर निर्भरता रही।

इसी प्रकार, पिछले दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा से अधिक रहा और यह 3.04 प्रतिशत से 9.25 प्रतिशत के बीच रहा।

कुल बकाया देनदारियों और जीएसडीपी के अनुपात के संबंध में, राज्य ने वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान सभी वर्षों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया, वर्ष 2020-21 को छोड़कर जब यह अनुपात निर्धारित लक्ष्य से अधिक था। यद्यपि हाल के वर्षों में ऋण अनुपात लक्ष्य के भीतर रहा है, लेकिन सतत राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे की सीमा का उल्लंघन संरचनात्मक राजकोषीय तनाव और एफआरबीएम ढांचे के तहत परिकल्पित समेकन मार्ग का अपूर्ण अनुपालन दर्शाता है।

चार्ट 1.34: घाटे की प्रवृत्तियों का विश्लेषण

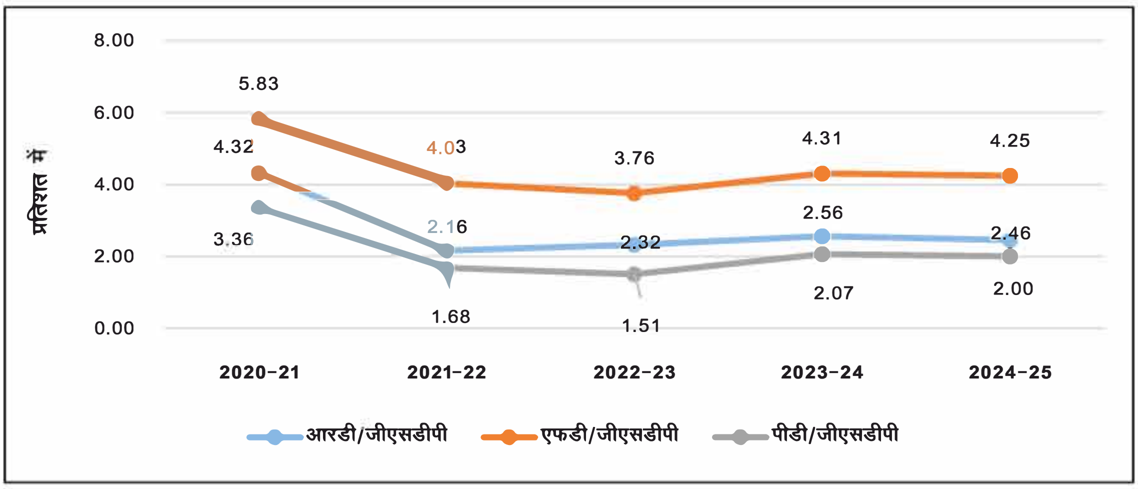

पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-एफसी) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और राज्य बजट में अनुमानित लक्ष्यों के सापेक्ष, वर्ष 2024-25 के दौरान जीएसडीपी के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के संबंध में उपलब्धियों **तालिका 1.43** में दी गई हैं।

तालिका 1.43: वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख राजकोषीय समष्टियों के संबंध में लक्ष्य बनाम उपलब्धियां

राजकोषीय चर (1)	15 वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (2)	बजट में लक्ष्य (3)	वास्तविक (4)	वास्तविक से प्रतिशत भिन्नता	
				15 वें वित्त आयोग का लक्ष्य (4-2=5)	बजट में लक्ष्य (4-3=6)
राजस्व घाटा/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	(-) 1.7	(-)1.51	(-) 2.46	(-) 4.16	(-) 0.95
राजकोषीय घाटा/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	(-) 3.5*	(-)3.93	(-) 4.25	(-) 0.75	(-) 0.32
कुल बकाया देनदारी/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	38.9	35.97	37.10$	(-) 1.8	1.13

स्रोतः पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशें, बजट और वित्त लेखा

नोटः घाटे के आंकड़े ऋणात्मक दर्शाए गए हैं।

$ जीएसटी मुआवजे के बदले भारत सरकार से ₹ 8,519 करोड़ के एक के बाद एक प्राप्त ऋण को छोड़कर

* विद्युत सुधार के लिए जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा सहित

15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और राज्य बजट में अनुमानित लक्ष्यों की तुलना में, वर्ष 2024-25 के दौरान जीएसडीपी के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के संबंध में प्राप्त उपलब्धियां, **चार्ट 1.35, चार्ट 1.36** और **चार्ट 1.37** में दी गई हैं।

चार्ट 1.35: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा

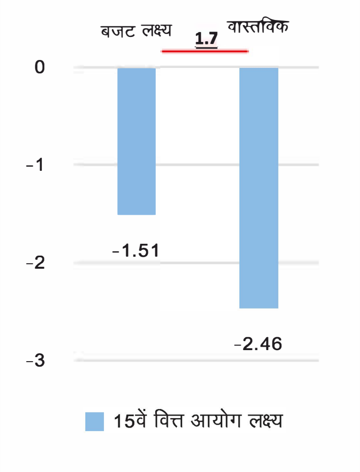

चार्ट 1.36: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा

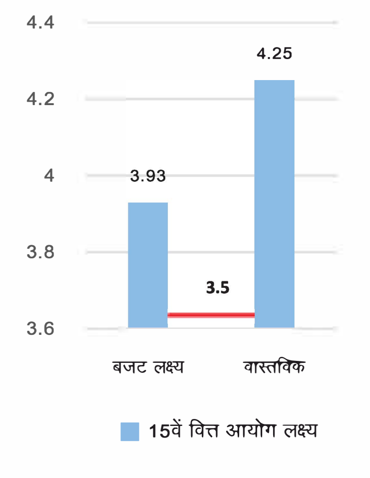

चार्ट 1.37: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया देयताएं

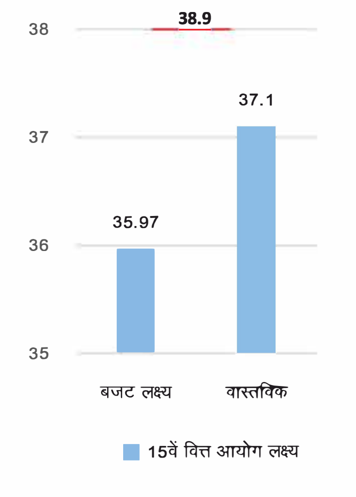

स्रोतः वित्त लेखा एवं बजट दस्तावेज

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार राजस्व घाटा-जीएसडीपी और राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी अनुपात को 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों और बजट अनुमानों में अनुमानित स्तरों के भीतर रखने में असमर्थ रही, लेकिन कुल बकाया ऋण-जीएसडीपी अनुपात निर्धारित स्तरों के भीतर ही रहा।

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किए गये मध्यम अवधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों के लक्ष्यों की तुलना वर्तमान वर्ष के वास्तविक आंकड़ों से **तालिका 1.44** में दी गई है।

तालिका 1.44: वर्ष 2024-25 के लिए एमटीएफपी में अनुमानित आंकड़ों की तुलना में वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय चर	एमटीएफपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2024-25)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1	स्व कर राजस्व	12,5525	1,03,310	(-) 17.70
2	गैर-कर राजस्व	22,665	23,502	3.70
3	केंद्रीय करों का हिस्सा	79,587	77,548	(-) 2.56
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान	36,684	22,890	(-) 37.60
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	2,64,461	2,27,250	(-) 14.07
6	पूंजीगत प्राप्ति	326	524	60.74
7	राजस्व व्यय	2,90,219	2,69,200	(-) 7.24
8	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-6)	(-)25,758	(-) 41,950	62.86
9	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-)70,009	(-) 72,420	3.44
10	प्राथमिक घाटा	(-)32,472	(-) 34,075	4.94
11	ऋण (देयता)-जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत)	35.97	37.10	3.14
12	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.02	12.02	0.00

स्रोतः वित्त लेखा और बजट दस्तावेज

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वास्तविक राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और वास्तविक देयता-जीएसडीपी अनुपात एमटीएफपी के प्रक्षेपित अनुमानों से अधिक रहे।

राज्य सरकार को व्यय पक्ष पर मध्यम अवधि के सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि व्यय को संयमित किया जा सके और साथ ही राज्य के राजस्व को संगठित कर ऋण स्तर को कम किया जा सके।

1.5.4 ऋण स्थिरता विश्लेषण (डीएसए)

ऋण स्थिरता का विश्लेषण राजकोषीय एवं ऋण मानकों तथा संबंधित एफआरबीएम लक्ष्यों के अनुपालन के आधार पर किया गया है।

ऋण स्थिरता से तात्पर्य राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता से है। ऋण स्थिरता संकेतकों में भिन्नताओं का विश्लेषण **तालिका 1.45** में दिया गया है।

तालिका 1.45: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ऋण स्थिरता संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	कुल प्रभावी देनदारियां या कुल ऋण*, जिसमें से	**405896.00**	**450973.00**	**493702.00**	**559767.00**	**632325.54**
2	कुल ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.08	11.11	9.47	13.38	12.96
3	जीएसडीपी (सांकेतिक रूप में)	1017917	1195641	1356480	1521510	1704339
4	**सांकेतिक जीएसडीपी वृद्धि (प्रतिशत)**	**1.79**	**17.46**	**13.45**	**12.17**	**12.02**
5	**कुल ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत)##**	**39.88**	**37.72**	**36.40**	**36.79**	**37.10**
6	सकल उधारों का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	87.87	91.98	95.83	91.24	91.50
7	सकल उधारों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध शुद्ध उधार#	12.13	8.02	4.17	8.76	8.50
8	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	25202.00	28100.00	30602.00	34128.00	38344.64
9	**कुल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत)**[21]	**7.23**	**7.11**	**7.02**	**7.03**	**7.05**

21. समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर की गणना, आरक्षित निधियों, बिना ब्याज वाले जमा तथा पूंजीगत व्यय हेतु राज्य को प्रदान की गई 50 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज-मुक्त केंद्रीय सहायता को समायोजित कर की गई है। प्रभावी ब्याज दर = (ब्याज भुगतान ÷ ऋण की उद्घाटन एवं समापन शेष राशि का औसत [बिना ब्याज वाली देनदारियों को छोड़कर]) × 100

क्र. सं.	ऋण स्थिरता संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
10	**राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत)**	18.76	15.28	15.69	16.79	16.87
11	**प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी)**	-18799	2230	-889	-4827	-3605
12	**राजकोषीय घाटा**	-59376	-48238	-51028	-65580	-72420
13	**प्राथमिक शेष/घाटा (पीबी)**	-34174	-20138	-20426	-31452	-34075
14	**पीबी/जीएसडीपी (प्रतिशत)**	-3.36	-1.68	-1.51	-2.07	-2.00
15	तरलता प्रबंधन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ उपलब्ध वित्तीय सुविधा साधनों का उपयोग) (घटनाओं की संख्या में)	50	71	133	170	190
16	**निवेश पर प्रतिफल (आरओआई)**	12.65	0.61	2.94	0.74	1.58
17	**आरओआई और कुल देयता पर प्रभावी ब्याज दर[22] के बीच अंतर**	5.42	-6.51	-4.08	-6.29	-5.47
18	**ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड[23] + प्राथमिक शेष)**	-54570	22871	8926	-5075	-5583
19	**डोमर गैप**					
A	**जीएसडीपी (स्थिर रूप में)**	665963	725464	779196	840599	906294
B	**वास्तविक वृद्धि (स्थिर रूप में)**	-1.82	8.93	7.41	7.88	7.82
C	**सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)**	3.69	4.86	6.91	6.39	4.32
D	**समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (क्रम संख्या 9 में दर्शाई गई)**	7.23	7.11	7.02	7.03	7.05
E	**वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर - मुद्रास्फीति) (19d-19c)**	3.54	2.25	0.11	0.64	2.73
F	**वृद्धि-ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि - वास्तविक प्रभावी ब्याज दर) (19b-19e)**	-5.36	6.68	7.30	7.24	5.08
G	**प्राथमिक संतुलन (पीबी)**	-34174	-20138	-20426	-31452	-34075

स्रोतः वित्त लेखा एवं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

* *बकाया देनदारियाँ, मद 6003–'आंतरिक ऋण' तथा 6004–'केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम' के अंतर्गत बकाया शेष राशि तथा सार्वजनिक खाता शेष का योग होती हैं। वर्ष 2020-21, 2021-24 और 2024-25 के दौरान, क्रमशः ₹ 4,604 करोड़, ₹ 11,872 करोड़ (₹ 4,604 करोड़ + ₹ 7,268 करोड़) तथा ₹ 8,519 करोड़ को भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के स्थान पर प्राप्त एक-के-बाद एक ऋण के रूप में बाहर रखा गया, जिन्हें राज्य को अपने स्रोतों से चुकाना नहीं है।*

\# *राज्य सरकार के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना, कुल ऋण प्राप्तियों में से कुल ऋण पुनर्भुगतान तथा सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान को घटाकर की जाती है।*

चार्ट 1.38: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृतियां

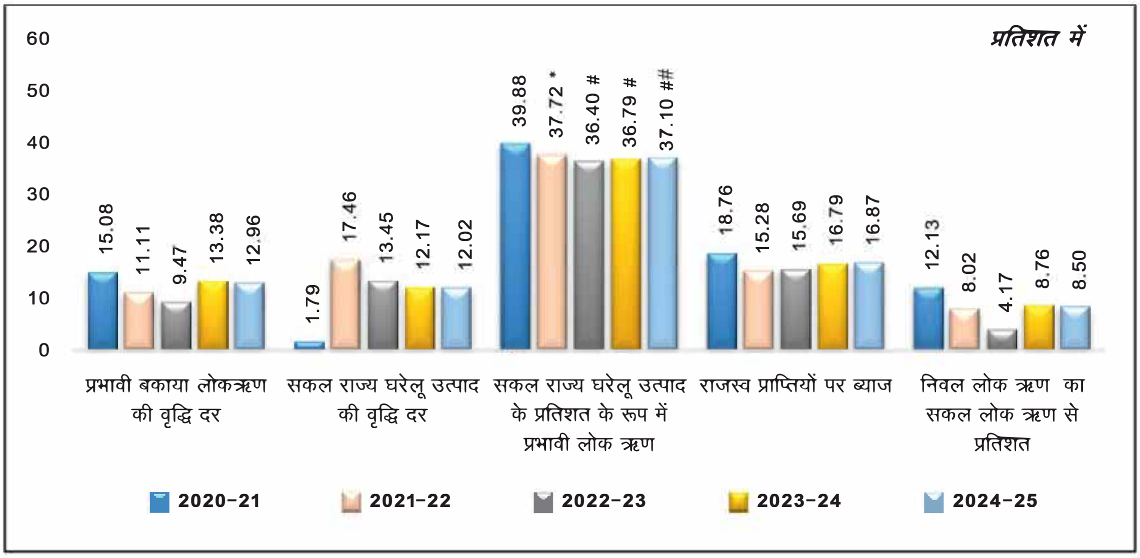

22. निवेश पर प्रतिफल (RoI) को प्रभावी ब्याज प्राप्तियों की दर से मापा गया है।
आरओई = (ब्याज प्राप्तियाँ ÷ वितरित ऋण एवं अग्रिमों की उद्घाटन एवं समापन शेष राशि का औसत) × 100
23. क्वांटम स्प्रेड = ब्याज स्प्रेड × ऋण (बिना ब्याज वाली देनदारियों को छोड़कर)

* *कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत लगातार ऋणों के रूप में प्राप्त ₹4,604 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को घटाने के बाद प्राप्त राशि।*

\# *कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत लगातार ऋणों के रूप में प्राप्त ₹11,872 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को घटाने के बाद प्राप्त राशि।*

\#\# *कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत लगातार ऋणों के रूप में प्राप्त ₹8,518.91 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को घटाने के बाद प्राप्त राशि।*

तालिका 1.45 और चार्ट 1.38 में दर्शाए गए विभिन्न ऋण स्थिरता संकेतकों के विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलेः

- **ऋण का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में आंकलनः** पिछले पाँच वर्षों के दौरान ऋण जीएसडीपी अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक रहा। राज्य का राजकोषीय घाटा भी पिछले पाँच वर्षों में लक्षित तीन प्रतिशत जीएसडीपी से अधिक रहा। पिछले पाँच वर्षों में 88 प्रतिशत से अधिक उधारी का उपयोग बकाया ऋण (ब्याज सहित) के पुनर्भुगतान हेतु किया गया। उच्च ऋण– जीएसडीपी अनुपात यह दर्शाता है कि राज्य का बोझ उसकी आर्थिक उत्पादन क्षमता की तुलना में पर्याप्त है तथा यह वित्तीय असुरक्षा और सीमित राजकोषीय लचीलापन दर्शाता है।

- **जीएसडीपी की नाममात्र वृद्धि दर और ऋण वृद्धि दरः** वर्ष 2021-22 और 2022-23 को छोड़कर, नाममात्र जीएसडीपी वृद्धि दर कुल ऋण वृद्धि दर से कम रही। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 2020-21, 2023-24 और 2024-25 में ऋण वृद्धि नाममात्र वृद्धि से अधिक रही, जिससे इन वर्षों में राज्य पर ऋण का बोझ और बढ़ गया।
- **प्राथमिक संतुलन और प्राथमिक राजस्व संतुलनः** सभी पाँच वर्षों में प्राथमिक संतुलन एवं प्राथमिक राजस्व संतुलन नकारात्मक रहे (सिवाय वर्ष 2021-22 में सकारात्मक प्राथमिक राजस्व संतुलन के)। प्राथमिक संतुलन वर्ष 2021-22 में ₹ 20,138 करोड़ से निरंतर बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 34,075 करोड़ तक पहुँच गया, जो यह इंगित करता है कि ऋण अस्थिर मार्ग पर है।
- **राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतानः** समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान का बोझ, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में, सभी पाँच वर्षों में 15 प्रतिशत से अधिक रहा। यह वर्ष 2021-22 में 15.28 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 16.87 प्रतिशत तक पहुँच गया। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में भी यह पिछले पाँच वर्षों में 13 प्रतिशत से अधिक रहा तथा पिछले चार वर्षों में वृद्धि का रुझान प्रदर्शित किया। यह प्रवृत्ति ऋण की अस्थिर दिशा को इंगित करती है।
- **परिपक्वता रुपरेखा और उधार की लागतः** राज्य के बाजार ऋण की परिपक्वता प्रोफ़ाइल से यह स्पष्ट होता है कि 31 मार्च 2025 को कुल बाजार ऋण का 65.99 प्रतिशत (₹ 3,25,914 करोड़) पाँच वर्षों से अधिक अवधि के बाद देय है, जो ऋण की लंबी अवधि को इंगित करता है। इससे आगामी अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि में पुनर्वित्त जोखिम सीमित हो जाता है।
- **तरलताः** वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 91,250.55 करोड़ विशेष तरीकों एवं साधनों की अग्रिम राशि तथा ₹ 31,028.90 करोड़ सामान्य तरीकों एवं साधनों की अग्रिम राशि प्राप्त की। भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए गए मार्गोपाय अग्रिमों के अवसरों की संख्या वर्ष 2019-20 में तीन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 190 बार हो गईं। वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा मार्गोपाय अग्रिम पर ₹180.01 करोड़ ब्याज का भुगतान किया गया। बड़े पैमाने पर मार्गोपाय अग्रिम का निरंतर उपयोग कमजोर तरलता प्रबंधन को दर्शाता है, जो कमजोर राजकोषीय प्रबंधन का संकेत है तथा अल्पकालिक स्थिरता में बाधा उत्पन्न करता है।

- **राजकोषीय असंतुलनः** वर्ष 2024-25 के दौरान समग्र ऋण का जीएसडीपी के अनुपात में स्तर पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया। यह इंगित करता है कि राज्य के पास उधारी के माध्यम से राजकोषीय विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है। चूँकि राज्य का प्राथमिक संतुलन पिछले तीन वर्षों में लगातार बढ़ता रहा है, जो यह दर्शाता है कि ऋण स्थिर नहीं है।
- **डोमार मॉडल - सकल घरेलू उत्पाद की (स्थिर कीमतों पर) वास्तविक वृद्धि दर और समग्र ऋण पर प्रभावी वास्तविक ब्याज दरः** वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान वास्तविक वृद्धि दर, वास्तविक प्रभावी ब्याज दर से अधिक रही। अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ, जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण -1.82 प्रतिशत के संकुचन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 8.93 प्रतिशत हो गई तथा वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में 7 प्रतिशत से अधिक स्थिर रही, जिससे इन वर्षों में उधारी की लागत को वहन किया जा सका। तथापि, राज्य का प्राथमिक संतुलन पिछले पाँच वर्षों में नकारात्मक ही रहा। प्राथमिक घाटा अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। राज्य की उधारी पर बढ़ते ब्याज दायित्वों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाज़ी होगी कि ऋण राज्य के लिए स्थिर है।

(ब) एमटीएफपी में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का विवरण **तालिका 1.46** में दिखाया गया है।

तालिका 1.46: एमटीएफपी में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियाँ

राजकोषीय मापदंड		एमटीएफपी/एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (प्रतिशत में)	टी	(-) 7.12	(-) 12.88	(-) 10.93	(-) 10.64	(-) 9.74
	ए	(-) 32.76	(-) 14.07	(-) 16.15	(-) 19.16	(-)18.46
जीएसडीपी के सापेक्ष राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (प्रतिशत में)	टी	(-) 2.99	(-) 3.98	(-) 4.36	(-) 3.98	(-) 3.93
	ए	(-) 5.83	(-) 4.03	(-) 3.76	(-) 4.31	(-) 4.25
कुल बकाया देयता से जीएसडीपी का अनुपात (प्रतिशत में)	टी	33.12	38.15	39.80	36.78	35.97
	ए	39.88[24]	37.72[25]	36.40[25]	36.79[25]	37.10[26]

स्रोतः वित्त लेखा एवं बजट दस्तावेज

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य सरकार पिछले पांच वर्षों से लगातार राजस्व घाटे का राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही। राज्य सरकार वर्ष 2020-21 से 2021-22 तथा 2023-24 और 2024-25 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे के एमटीएफपी लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी। बकाया देनदारियों का जीएसडीपी के अनुपात में एमटीएफपी लक्ष्य वर्ष 2020-21 और 2024-25 में हासिल नहीं किया जा सका।

1.5.5 प्रत्याभुतियों की स्थिति – आकस्मिक देनदारियां

ऋणकर्ता द्वारा ऋण चुकाने में चूक होने की स्थिति में प्रत्याभूति समेकित निधि पर आकस्मिक देनदारी होती है। राज्य वैधानिक निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थाओं जैसी संस्थाओं द्वारा लिए गए

24. कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के तहत 2020-21 में बैक-टू-बैक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 4,604 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को छोड़कर यह आंकड़ा निकाला गया है।
25. कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के तहत 2020-21 और 2021-22 के दौरान बैक-टू-बैक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को छोड़कर यह आंकड़ा निकाला गया है।
26. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रोफोर्मा में कमी आने के बाद ऋण प्राप्तियों के तहत, ₹ 8,519 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को, जो कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान बैक-टू-बैक ऋणों के रूप में प्राप्त हुआ था, कुल बकाया देनदारियों से बाहर रखा गया है।

ऋणों के लिए प्रत्याभूति प्रदान करता है। एफआरबीएम अधिनियम, 2005 (अप्रैल 2016 में संशोधित) के अनुसार, 31 मार्च 2017 को कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति उस वित्तीय वर्ष में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछले पांच वर्षों के लिए प्रत्याभूतियों का विवरण और कुल प्राप्तियों के मुकाबले बकाया प्रत्याभूतियों की स्थिति **तालिका 1.47** में दी गई है।

सारणी 1.47: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटीयां

(₹ करोड़ में)

गारंटियां	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियाँ	2,19,467	2,46,909	3,38,075	3,82,674	4,86,805
बकाया प्रत्याभूतियों की राशि पर लागू सीमा (अर्थात समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों का 60 प्रतिशत)	1,31,680	1,48,145	2,02,845	2,29,604	2,92,083
वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	80,631	82,612	95,868	1,04,832	1,10,918
वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	82,612	95,868	1,04,832	1,10,918	1,16,800

स्रोतः वित्त लेखे और वार्षिक वित्तीय विवरण

बकाया प्रत्याभूति वर्ष 2023-24 में ₹ 1,10,918 करोड़ की 5.30 प्रतिशत की वृद्धि की दर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 1,16,800 करोड़ हो गई, जो राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,27,250 करोड़) का 51.40 प्रतिशत है।

31 मार्च 2025 तक ₹ 1,16,800 करोड़ की बकाया प्रत्याभूति विद्युत (₹ 86,748.84 करोड़); सहकारी समितियों (₹ 3,134.09 करोड़); सड़क एवं परिवहन (₹ 6,011.69 करोड़); राज्य वित्त निगम/कंपनियों (₹ 1,332.50 करोड़); शहरी विकास एवं आवास (₹ 6,782.85 करोड़) से संबंधित और अन्य (₹ 12,790.39 करोड़) थी । बिजली कंपनियों को दी गई प्रत्याभूतियां ऋण/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉन्ड/डेबेंचर जारी कर जुटाई गई राशि तथा निर्धारित दरों पर ब्याज भुगतान हेतु थी।

वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित सीमा के भीतर प्रत्याभूतियां प्रदान की। बकाया प्रत्याभूति का अनुमानित प्राप्तियों के अनुपात में स्तर (23.99 प्रतिशत) वर्ष 2024-25 में एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा (60 प्रतिशत) के भीतर रहा।

बकाया प्रत्याभूति पूरे वर्षों में अनुमेय सीमा के भीतर रही, जो राजकोषीय विवेकशीलता को दर्शाती है।

1.5.6 राजकोषीय स्थिरता के मार्ग

घाटों में सुधार राजस्व वृद्धि एवं व्यय का युक्तिकरण करके किया जा सकता है। इसमें कर अनुपालन को सुदृढ़ करना, कर आधार का विस्तार करना, उपभोक्ता शुल्कों का पुनरीक्षण करना तथा निष्क्रिय सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण शामिल है। व्यय पक्ष पर, अर्थ-सहाय्यों का बेहतर लक्ष्यीकरण, वेतन एवं पेंशन वृद्धि पर नियंत्रण तथा व्यय का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करना प्रमुख कारक हैं। उत्पादक पूंजी निवेश को प्राथमिकता देना तथा पारदर्शी एवं दक्ष उधारी के माध्यम से ऋण प्रबंधन में सुधार करना राजकोषीय दबाव को और कम कर सकता है। ये उपाय सामूहिक रूप से राजकोषीय स्थान उत्पन्न करते हैं तथा राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों को स्थायी रूप से कम करने में सहायक होते हैं। इन पर आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

1.5.6.1 राज्य के राजस्व में सुधार

अप्रयुक्त राजस्व क्षमता, यदि प्रभावी रूप से उपयोग की जाए, तो राजकोषीय स्थान को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकती है और ऋण पर निर्भरता को कम कर सकती है। मूल्यांकन में अक्षमताएँ, कम मूल्यांकन तथा राज्य जीएसटी, स्टाम्प शुल्क और उत्पाद शुल्क जैसे प्रमुख कर स्रोतों में सीमित प्रवर्तन तंत्र, राजस्व वृद्धि को दबा देंगे। अवास्तविक गैर-कर राजस्व, जिसमें कम उपभोक्ता शुल्क, कमजोर लागत वसूली तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों एवं निवेशों पर उप-इष्टतम प्रतिफल शामिल हैं, भी राजकोषीय स्थान को बाधित करते हैं। लंबित बकाया (कर एवं गैर-कर) की समय पर वसूली राजकोषीय स्थान को बढ़ाने की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है।

अ. राजस्व बकाया का विश्लेषण

राजस्व की बकाया राशि सरकार द्वारा राजस्व की प्राप्ति में विलंब को इंगित करती है तथा मूल्यांकन की बकाया राशि संभावित राजस्व को दर्शाती है जो विलंबित मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध है। दोनों ही स्थितियाँ सरकार को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करती हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करती हैं।

31 मार्च 2025 को कुछ प्रमुख राजस्व मदों से संबंधित राजस्व की बकाया राशि ₹ 11,958.49 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 4,139.07 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि **तालिका 1.48** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.48: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2025 को कुल बकाया राशि और पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि		31 मार्च 2025 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वाणिज्यिक कर *	8,246.60	6,805.18	(-) 17.48	3,373.87
2.	परिवहन*	43.64	36.07	(-) 17.35	22.30
3.	भू-राजस्व*	194.55	205.66	(-) 5.71	-
4.	प्रमुख और मध्यम सिंचाई*	3.33	3.44	3.30	-
5.	खान और भूविज्ञान	252.06	234.94	(-) 6.79	103.82
6.	पंजीयन एवं मुद्रांक*	1,968.90	1,383.30	(-)29.74	260.55
7.	भूमि कर	1,252.32	1,107.93	(-)11.53	190.49
8.	राज्य उत्पाद शुल्क*	1,970.77	2,181.97	10.72	188.04
	योग	**13,932.17**	**11,958.49**	**(-) 14.17**	**4,139.07**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

** प्रारंभिक शेष राशि विभागों द्वारा अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के कारण पिछले वर्ष की समापन शेष राशि से भिन्न हैं।*

राजस्व की बकाया राशि 1 अप्रैल 2024 को ₹ 13,932.17 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2025 को ₹ 11,958.49 करोड़ हो गई, जो वर्ष के दौरान 14.17 प्रतिशत की समग्र कमी को दर्शाती है। वाणिज्यिक कर तथा पंजीकरण एवं मुद्रांक के अंतर्गत उल्लेखनीय कमी देखी गई, जो कुल बकाया का एक बड़ा हिस्सा हैं।

तथापि, राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत बकाया वर्ष के दौरान 10.72 प्रतिशत बढ़ा, जो इस क्षेत्र में उभरती हुई वसूली संबंधी चिंताओं को इंगित करता है। इसके अतिरिक्त ₹ 4,139.07 करोड़, विशेषकर वाणिज्यिक कर, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा खान एवं भूविज्ञान के अंतर्गत जो कुल बकाया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित रहा।

यद्यपि, बकाया में समग्र कमी वसूली में कुछ सुधार को इंगित करती है, परंतु दीर्घकालिक लंबित देनदारियों की निरंतरता और कुछ मदों में बकाया की वृद्धि यह दर्शाती है कि वसूली तंत्र को सुदृढ़ करने तथा लंबित मामलों की समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि वसूल नहीं किये गये राजस्व का संचय रोका जा सके।

वित्त (कर) विभाग ने सूचित (नवंबर 2025) किया कि 31 मार्च 2024 को विभिन्न विभागों की बकाया शेष राशि में से ₹ 379.76 करोड़ (पंजीकरण एवं स्टाम्प्स विभाग तथा भूमि कर से संबंधित) की वसूली की जा चुकी है तथा उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा बकाया शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

ब. मूल्यांकन की बकाया राशि

वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों, वर्ष के दौरान मूल्यांकन हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिमीकरण हेतु बकाया मामलों का विवरण वाणिज्यिक कर, परिवहन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा खान एवं भूविज्ञान विभागों द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो **तालिका 1.49** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.49: मूल्यांकन में बकाया

विभाग का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष 2024-25 के दौरान मूल्यांकन के लिए नए मामले	कुल मूल्यांकन बकाया	वर्ष 2024-25 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत (स्तंभ 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
वाणिज्यिक कर*	945	5,118	6,063	4,665	1,398	76.94
परिवहन	1,154	19,303	20,457	19,525	932	95.44
पंजीयन एवं मुद्रांक * #	4,646	8,365	13,011	9,597	3,414	73.76
खान और भूविज्ञान*	11,427	7,305	18,732	8,980	9,752	47.94

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी।

** प्रारंभिक शेष राशि विभागों द्वारा अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के कारण पिछले वर्ष की समापन शेष राशि से भिन्न है।*

 # भूमि कर सहित

वर्ष 2024-25 के दौरान, वाणिज्यिक कर, परिवहन, पंजीयन एवं मुद्रांक और खान एवं भूविज्ञान में मूल्यांकन संबंधी मामलों में पर्याप्त लंबितता दर्ज की गई। परिवहन विभाग ने 95.44 प्रतिशत की उच्च निपटान दर प्राप्त की, जिससे इसकी समापन शेष राशि में उल्लेखनीय कमी आई। अन्य विभागों ने मध्यम से निम्न निपटान दर दर्ज की। वाणिज्यिक कर विभाग ने कुल देय मामलों का 76.94 प्रतिशत तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने 73.76 प्रतिशत मामलों का निपटान किया, जिससे वर्षांत में पर्याप्त लंबित मामले शेष रहे।

खान एवं भूविज्ञान विभाग ने सबसे कम 47.94 प्रतिशत निपटान दर दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप 9,752 मामले लंबित रहे, जो वर्ष के दौरान कुल देय मामलों का आधे से अधिक है। मूल्यांकन में उच्च लंबितता, विशेषकर खान एवं भूविज्ञान तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभागों में, यह इंगित करती है कि मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ करने तथा निपटान की गति बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि बकाया का संचय रोका जा सके और राजस्व की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित हो।

वित्त (कर) विभाग ने सूचित किया(नवंबर 2025 में) कि 31 मार्च 2024 तक विभिन्न विभागों के लंबित मूल्यांकन बकाया मामलों में से पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से संबंधित 2,251 मामले निपटा दिए गए हैं और शेष मामलों के निपटान के लिए अन्य विभागों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

स. विभागों द्वारा पता लगाए गए कर चोरी के मामलों का विवरण

कर चोरी के मामलों का पता लगाना तथा अतिरिक्त कर की माँग उठाना राज्य सरकार के राजस्व संग्रह प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कर चोरी के 291 मामले दर्ज किए गए। 322 मामलों में मूल्यांकन/जाँच पूर्ण की गई तथा 31 मार्च 2025 को 370 मामले अंतिमीकरण हेतु लंबित थे। इसके अतिरिक्त, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में वर्ष 2024-25 के दौरान कर चोरी के 493 मामले दर्ज किए गए। 31 मार्च 2025 तक सभी मामलों में मूल्यांकन/जाँच पूर्ण कर ली गई थी और कोई भी मामला अंतिमकरण हेतु लंबित नहीं था। लंबित मामलों का विवरण **तालिका 1.50** में दिया गया है।

तालिका 1.50: पता लगाई गई कर चोरी

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2024 को लंबित मामले	वर्ष 2024-25 के दौरान पता चले मामले	कुल	वे मामले जिनमें मूल्यांकन/जाँच पूर्ण की गई तथा अतिरिक्त माँग (दंड आदि सहित) उठाई गई।		31 मार्च 2025 को अंतिम निर्णय के लिए लंबित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	मांग की राशि	
वाणिज्यिक कर	401	291	692	322	827.42	370
पंजीयन एवं मुद्रांक*	1,967	493	2,460	2,460	23.59	0

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी।

* प्रारंभिक शेष राशि विभाग द्वारा अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के कारण पिछले वर्ष की समापन शेष राशि से भिन्न हैं।

वाणिज्यिक कर विभाग के मामले में यह देखा गया कि लंबित मामलों की संख्या वर्ष के दौरान 31 मार्च 2024 को 401 से घटकर 31 मार्च 2025 को 370 हो गई।

वित्त (कर) विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2025) कि शेष मामलों के निपटान हेतु विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

विभाग को लंबित मामलों के अंतिमीकरण हेतु समन्वित प्रयास करने चाहिए।

1.5.6.2 व्यय पक्ष से संबंधित मुद्दे

अ. प्रतिबद्ध व्यय एवं अर्थ-सह्यायो से उत्पन्न राजकोषीय तनाव

चार्ट 1.39 और चार्ट 1.40 क्रमशः वित्तीय वर्ष 2020-25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और अर्थ-सह्यायो को संयुक्त रूप से प्रदर्शित करते हैं।

चार्ट 1.39: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और अर्थसहाय

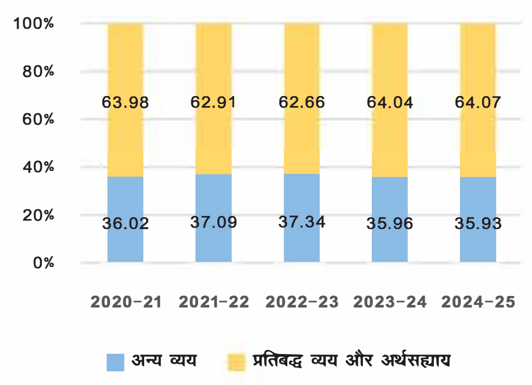

चार्ट 1.40: राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और अर्थसहाय

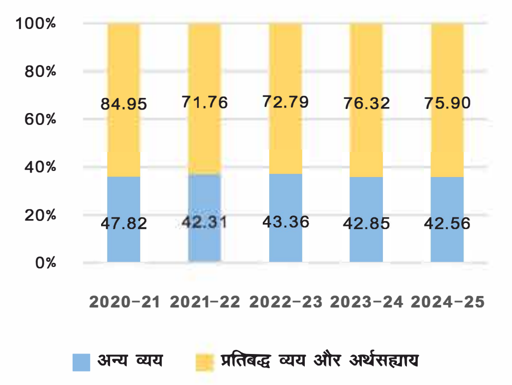

वर्ष 2024-25 में, राज्य का प्रतिबद्ध व्यय ₹ 1,48,264 करोड़ रहा, जिसमें वेतन एवं मजदूरी (₹ 80,601 करोड़), पेंशन (₹ 29,318 करोड़) तथा ब्याज भुगतान (₹ 38,345 करोड़) शामिल हैं। यह राजस्व प्राप्तियों का लगभग 65.24 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, अर्थसहाय ₹ 34,024 करोड़ रहीं, जिससे कुल कठोर व्यय ₹ 1,82,288 करोड़ हो गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 80.21 प्रतिशत है। प्रतिबद्ध व्यय एवं अर्थ-सहाय्यों का राजस्व व्यय के प्रति प्रतिशत सभी पाँच वर्षों में 65 प्रतिशत से अधिक रहा।

इस प्रकार के उच्च एवं कठोर व्यय की प्रकृति राजकोषीय स्थान को उल्लेखनीय रूप से संकुचित करती है, जिससे राज्य की पूंजी निवेश एवं विकासात्मक प्राथमिकताओं की ओर संसाधन आवंटित करने की क्षमता सीमित हो जाती है। यह संरचनात्मक असंतुलन राजस्व एवं प्राथमिक घाटे की स्थिरता के जोखिम को बढ़ाता है, दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता को बाधित करता है तथा सरकार की उभरती सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को कम करता है। अतः अर्थ-सहाय्यों के युक्तिकरण, बेहतर लक्ष्यीकरण तथा वेतन एवं पेंशन प्रतिबद्धताओं के विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से व्यय सुधार की तत्काल आवश्यकता है, ताकि राजकोषीय लचीलापन बढ़ाया जा सके और एक स्थायी राजकोषीय पथ सुनिश्चित किया जा सके।

ब. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अधूरी पूंजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी का आकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को भी इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और राज्य को परियोजनाओं के अपेक्षित लाभों से लंबे समय तक वंचित करता है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संबंधित वर्षों में उधार ली गई निधियाँ ऋण सेवा एवं ब्याज देनदारियों के रूप में अतिरिक्त बोझ उत्पन्न करती हैं। अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण **तालिका 1.51** में दर्शाया गया है (यह जानकारी वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे के ***परिशिष्ट-IX*** के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है)।

तालिका 1.51: अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

(₹ करोड़ में)

को अपूर्ण परियोजनाओं की आयु का विवरण				विभागवार अधूरी परियोजनाओं का विवरण			
31 मार्च 2025				31 मार्च 2025 तक			
वर्ष (शुरुआत)	अधूरी परियोजाओं की संख्या	अनुमानित लागत (संशोधित लागत सहित)	व्यय (31 मार्च 2025 तक)	विभाग	अधूरी परियोजाओं की संख्या	अनुमानित लागत (संशोधित लागत सहित)	व्यय (31 मार्च 2025 तक)
2015-16 तक	24	9,682.71	8,376.36	जल संसाधन	75	14619.79	11,074.62
2016-17	4	608.29	466.33				
2017-18	7	1,133.94	967.66				
2018-19	5	1,487.70	1,240.24	सार्वजानिक निर्माण	219	7,079.18	3,601.77
2019-20	3	48.32	28.32				
2020-21	3	82.90	51.55				
2021-22	30	1,273.78	890.47	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	3	409.29	678.87
2022-23	66	2,324.41	1,629.46				
2023-24	153	5,413.18	1,704.87				
2024-25	2	53.03	0				
योग	**297**	**22,108.26**	**15,355.26**	**योग**	**297**	**22,108.26**	**15,355.26**

इन 297 प्रगतिरत परियोजनाओं पर अनुमानित लागत ₹ 22,108.26 करोड़ में से ₹ 15,355.26 करोड़ व्यय किया गया था (वित्तीय वर्ष 2024-25 तक)। अतः इन 297 परियोजनाओं के अपूर्ण रहने के कारण

₹ 15,355.26 करोड़ का पूंजीगत व्यय अवरुद्ध रहा, जो राज्य के संचयी पूंजीगत व्यय (₹ 3,19,315.92 करोड़) का 4.81 प्रतिशत है।

वित्तीय लेखों (2024-25) के ***परिशिष्ट-IX*** (सरकार की प्रतिबद्धताएँ-अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची) में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अपूर्ण होने के कारण, लेखा परीक्षा 31 मार्च 2025 तक लंबित भुगतान (भविष्य की देनदारी) की स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकी।

अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में लंबे समय तक निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और राज्य की जनता को अपेक्षित लाभों से वंचित करता है। इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि लाभ जनता तक पहुँच सके और अतिरिक्त लागत वृद्धि से बचा जा सके।

स. राजकोषीय सीमा पर अप्रदत्त देनदारियां

यदि अप्रदत्त/स्थगित देनदारियों का समय पर निपटान नहीं किया जाता है, तो यह भविष्य में विकासात्मक एवं अवसंरचनात्मक व्यय हेतु उपलब्ध राजकोषीय सीमा को कम कर देगी। पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता की कमी उत्पन्न करने के अतिरिक्त, यह राज्य की संसाधन जुटाने की क्षमता को स्थायी रूप से प्रभावित करता है, जिससे समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य एवं दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने वर्षों से कई अप्रदत्त देनदारियाँ संचित कर रखी हैं, जिनका राजकोषीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। वर्ष के दौरान इनमें शामिल हैं:

- भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड जैसे वैधानिक निधियों/उपकरों का ₹ 24.44 करोड़ का अल्प हस्तांतरण
- राजस्थान गौ-संरक्षण एवं संवर्धन कोष में ₹ 318.91 करोड़ का अल्प हस्तांतरण
- जल संरक्षण उपकर का ₹ 9.00 करोड़ का अल्प हस्तांतरण
- ₹ 84.69 करोड़ की अप्रदत्त ब्याज देनदारियां
- ऋण स्टॉक में सम्मिलित न की गई बजट से इतर उधार और अन्य देनदारियां ₹ 9,044.58 करोड़

इन अप्रदत्त देनदारियों का संचयी मूल्य ₹ 9,481.62 करोड़ है, जो वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.56 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे का 13.09 प्रतिशत है।

लेखा परीक्षा अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार सभी अप्रदत्त देनदारियों का पारदर्शी रूप से प्रकटीकरण करे तथा इनके समय पर निपटान हेतु प्रावधान सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में राजकोषीय दबाव से बचा जा सके।

इसके अतिरिक्त, एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें राज्य सरकार ने अपनी देनदारी का अनियमित रूप से हस्तांतरण किया, विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य सरकार द्वारा राजमेस को देनदारी का अनियमित हस्तांतरण पर केस स्टडी

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत एक संस्था है (अक्टूबर 2016)। राजमेस की स्थापना भारत सरकार द्वारा संचालित केंद्र प्रायोजित योजना "नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन और संबद्ध जिला अस्पतालों का उन्नयन" के तहत अनुमोदित कॉलेजों के संचालन और नियंत्रण के लिए की गई थी।

इस योजना के तहत, भारत सरकार ने पहले चरण में सात[27] जिला मुख्यालयों, दूसरे चरण में एक[28] जिला मुख्यालय और तीसरे चरण में 13[29] जिला मुख्यालयों में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की। भारतीय चिकित्सा परिषद ने इन नए मेडिकल कॉलेजों में 2,580 स्नातक और 200 स्नातकोत्तर सीटों को मंजूरी दी। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, नए मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे और इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए धनराशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी, जिसमें धनराशि को एसएनए खाते में रखने का प्रावधान होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को परियोजना की बढ़ी हुई लागत का पूरा भार वहन करना होगा। राजमेस द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/सूचनाओं की जांच से पता चला कि:

1. राज्य सरकार ने 31 मार्च 2025 तक स्वीकृत निधि ₹ 4,355 करोड़ (केंद्रीय हिस्साः ₹ 2,613 करोड़, राज्य हिस्साः ₹ 1742 करोड़) के मुकाबले ₹ 4,000.59 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹ 2,406.27 करोड़, राज्य हिस्साः ₹ 1,594.32 करोड़) हस्तांतरित किए, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा ₹ 354.41 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹ 206.73 करोड़, राज्य हिस्सा ₹ 147.68 करोड़) की कम राशि जारी की गई। इससे संकेत मिलता है कि राज्य सरकार ने योजना के दिशानिर्देशों (केंद्र-राज्य अनुपात 60:40) का पालन नहीं किया और अपनी राज्य प्राप्तियों को उस अनुपात में बढ़ा दिया।
2. सात मेडिकल कॉलेजों की प्रारंभिक स्वीकृत लागत सीटों की संख्या ₹1,323 करोड़, जिसे सीटों की संख्या में वृद्धि (100 से 150) के कारण ₹ 1,623 करोड़ कर दिया गया । हालांकि, राज्य सरकार ने इस अंतर को राजमेस नामक कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से बैंक से ऋण लेकर पूरा करने का निर्णय लिया।
3. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने (दिसंबर 2022 में) राजमेस द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जयपुर से ₹ 897.35 करोड़ का ऋण लेने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की, जो राज्य अंश के रूप में प्रथम चरण के "नए मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों की स्थापना" की अतिरिक्त लागत के लिए है। यह पाया गया कि अब तक लिए गए कुल ₹ 673 करोड़ के ऋण (दिसंबर 2022: ₹ 448 करोड़ और मई 2023: ₹ 225 करोड़) में से ₹ 628.30 करोड़ कार्यकारी एजेंसियों को फरवरी 2023 से जुलाई 2025 के दौरान निर्माण कार्यों के लिए वितरित[30] किए गए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि तत्काल उपयोग के लिए धन की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, ₹ 628.30 करोड़ में से ₹3.62 करोड़ राजमेस भवन के निर्माण के लिए भी हस्तांतरित किए गए थे।

चूंकि इस योजना के तहत राज्य अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है और नियमित रूप से राज्य बजट के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है, इसलिए अतिरिक्त लागत भी राज्य सरकार द्वारा ही वहन की जानी थी क्योंकि योजना के तहत निर्मित परिसंपत्तियां भी राज्य सरकार की हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इन तथ्यों को स्वीकार किया (जनवरी 2026) और अवगत कराया कि राजमेस द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए ऋणों का उपयोग संशोधित लागत में अंतर को पूरा करने के लिए किया गया था।

---

27. भरतपुर, चूरू, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर और सीकर
28. धौलपुर
29. श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, दौसा, हनुमानगढ़, अलवर, करौली, बूंदी, बारां, बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनूं और सवाई माधोपुर
30. 2022-23: ₹ 134.38 करोड़, 2023-24: ₹ 240.59 करोड़, 2024-25: ₹ 205.10 करोड़, 2025-26: ₹ 48.22 करोड़

हालांकि, राजमेस द्वारा योजना के तहत राज्य अंश के रूप में अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए लिया गया ऋण अनियमित है, क्योंकि योजना के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान था कि बढ़ी हुई परियोजना लागत का पूरा भार राज्य सरकार को ही वहन करना होगा। इसलिए, अंतर निधि के लिए लिए गए ₹ 673 करोड़ के ऋण की देनदारी राज्य सरकार को अपने संसाधनों से वहन करनी चाहिए थी।

1.6 निष्कर्ष

राज्य की राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 11.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन बजट अनुमानों की तुलना में यह 14.07 प्रतिशत कम रही। कुल राजस्व प्राप्ति में से 55.80 प्रतिशत हिस्सा राज्य के अपने संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायतार्थ अनुदान का योगदान मिलाकर 44.20 प्रतिशत रहा, यह स्थिति दर्शाती है कि राजस्थान की राजकोषीय स्थिति भारत सरकार पर निर्भरता को दर्शाती है।

वर्ष 2024-25 में पूंजीगत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 1.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह मुख्य रूप से ऋण-आधारित बनी हुई है, जिसमें लगभग 82.07 प्रतिशत राशि आंतरिक ऋण से प्राप्त हुई है।

वर्ष 2024-25 में कुल व्यय में 11.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-25 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक रहा, जो 89.44 प्रतिशत से 91.90 प्रतिशत के बीच था। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का सापेक्षिक हिस्सा 10.23 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से 9.89 प्रतिशत बढ़ा।

राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा वर्ष 2020-21 में 58.29 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 55.08 प्रतिशत हो गया, तथा यह पिछले वर्ष (56.04 प्रतिशत) की तुलना में भी थोड़ा कम हुआ। प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों के साथ अनुपात वर्ष 2020-21 में 77.39 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 65.24 प्रतिशत हो गया, और यह पिछले वर्ष (66.78 प्रतिशत) की तुलना में भी थोड़ा कम रहा।

अर्थ-सहाय्य का परिमाण तथा राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में हिस्सा निरंतर बढ़ता रहा। वर्ष 2024-25 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य क्रमशः 14.97 प्रतिशत और 12.64 प्रतिशत रही। वर्ष 2024-25 के दौरान अर्थ-सहाय्य पर भुगतान (₹ 34,024 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 28,402 करोड़) की तुलना में 19.79 प्रतिशत बढ़ गया।

राज्य सरकार लगातार बारह वर्षों तक राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल करने में असफल रही। राजस्व घाटा वर्ष 2023-24 के ₹ 38,955 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 41,950 करोड़ हो गया, तथा इसी अवधि में राजकोषीय घाटा भी वर्ष 2023-24 के ₹ 65,580 करोड़ से बढ़कर ₹ 72,420 करोड़ हो गया।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, उधारों का एक बड़ा हिस्सा पूंजी निर्माण के बजाय पूर्व ऋणों के पुनर्भुगतान में प्रयुक्त हुआ। वर्ष 2024-25 में कुल उधारी (सार्वजनिक ऋण एवं अन्य दायित्व) का 81.98 प्रतिशत पूर्व उधारी (मूलधन) और अन्य दायित्वों के पुनर्भुगतान में उपयोग किया गया। इससे विकासात्मक व्यय हेतु सीमित राजकोषीय गुंजाइश उपलब्ध रहा, जो पूंजीगत प्राप्तियों का वर्तमान उपभोग के वित्तपोषण में उपयोग को दर्शाता है।

31 मार्च 2025 तक ₹ 11,958.49 करोड़ के राजस्व बकाया आकलन में विलंब के कारण लंबित थे, जिनमें से ₹ 4,139.07 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।

मार्च 2025 के अंत में, नकद शेष ₹ 799 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने सामान्य और विशेष मार्गोपाय अग्रिम का 271 दिनों तक उपयोग किया और ₹ 180.01 करोड़ का ब्याज भुगतान किया।

1.7 सकारात्मक पहलू

राज्य सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के सकारात्मक पहलू निम्नलिखित हैं:

- राजस्थान सरकार ने ऋणों के परिशोधन के लिए वर्ष 2024-25 में समेकित सिंकिंग फंड की स्थापना की।
- बकाया देयता-जीएसडीपी अनुपात, एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था।
- प्रत्याभूति कमीशन नियमित रूप से प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) में जमा किया जा रहा है और जीआरएफ का कोष दिशा-निर्देशों के अनुसार वांछित स्तर पर पहुंच गया है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान, बकाया प्रत्याभूति का अनुमानित प्राप्तियों के साथ अनुपात 23.99 प्रतिशत रहा, जो एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा (60 प्रतिशत) के भीतर था।

1.8 सिफारिशे

1. राजस्व पूर्वानुमान और संकलन को सुदृढ़ बनाना

- वित्त विभाग को त्रैमासिक राजस्व पूर्वानुमान समीक्षा तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों के बीच विचलन,विशेषरूप से स्व-कर राजस्व में न्यूनतम हो।
- संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने से पहले, विभागवार अंतर विश्लेषण किया जाना चाहिए और सुधारात्मक उपायों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।
- स्व-कर राजस्व-जीएसडीपी अनुपात बढ़ाने हेतु एक लक्षित रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें मापनीय वार्षिक मील के पत्थर निर्धारित हों।

2. व्यय की गुणवत्ता में सुधार

- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारी का उपयोग क्रमिक रूप से पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण की ओर उन्मुख हो, न कि राजस्व व्यय के वित्तपोषण के लिए।
- कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत का न्यूनतम मानक निर्धारित किया जाए और इसका वार्षिक रूप से अनुश्रवण किया जाए।
- प्रमुख राजस्व व्यय मदों के लिए परिणाम-आधारित निगरानी लागू की जाए, ताकि व्यय की प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

3. प्रतिबद्ध व्यय को नियंत्रित करना

- ब्याज भार को कम करने के लिए ऋण पुनर्गठन या स्वैप रणनीतियों के माध्यम से ब्याज लागत की आवधिक समीक्षा पर विचार किया जाए।

पेंशन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन

राज्य सरकार को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कुल पेंशन देनदारियों का स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन कराना चाहिए। इस मूल्यांकन में मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, मुद्रास्फीति सूचकांक, सारांशीकरण और वैकल्पिक परिदृश्यों के अंतर्गत संवेदनशीलता विश्लेषण से संबंधित उचित मान्यताएँ शामिल होनी चाहिए। मूल्यांकन को समय-समय पर अद्यतन किया जाए, अधिमानतः प्रत्येक दो से तीन वर्षों में, ताकि दीर्घकालिक दायित्वों का यथार्थ आकलन हो सके।

परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन ढाँचे का संस्थागतकरण

राज्य सरकार दीर्घकालिक पेंशन देनदारियों का व्यापक आकलन करने और उन्हें राजकोषीय स्थिरता उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए एक औपचारिक परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) ढाँचा स्थापित करना चाहिए। ऐसे आकलन से प्राप्त प्रक्षेपणों को *मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरण* में सम्मिलित किया जाए, ताकि सूचित राजकोषीय योजना संभव हो सके।

समर्पित पेंशन कोष की स्थापना

पुरानी पेंशन योजना के जारी रहने की स्थिति में, राज्य एक अलग पेंशन स्थिरता कोष स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत नियोक्ता अंशदान की समाप्ति से प्राप्त बचत, साथ ही एनएराडीएल/पीएफआरडीए या अन्य संबंधित स्रोतों से प्राप्त शेष राशि को इस कोष में जमा किया जावे । इस कोष का पेशेवर प्रबंधन किया जाए और विवेकपूर्ण निवेश रणनीति अपनाई जाए, ताकि मध्यम और दीर्घकाल में पेंशन देनदारियों की संभावित वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके।

उन्नत राजकोषीय पारदर्शिता

राज्य को एफआरबीएम दस्तावेज़ों में वार्षिक प्रकटीकरण करना चाहिए, जिसमें पेंशन देनदारियों का वर्तमान मूल्य, निहित पेंशन ऋण तथा अनुमानित *पेंशन-से-राजस्व अनुपात* शामिल हो। ऐसे प्रकटीकरण पारदर्शिता बढ़ाएंगे और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता के सुदृढ़ आकलन में सहायता करेंगे।

4. ऋण स्थिरता को सुदृढ़ करना

ऋण-से-जीएसडीपी प्रक्षेप पथ को एफआरबीएम अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप किया जाए, जिसके लिए चरणबद्ध राजकोषीय समेकन अपनाया जाए।

5. अनुदान प्रबंधन और समयबद्ध हस्तांतरण में सुधार

- सभी वित्त आयोग अनुदान निर्धारित समयसीमा के भीतर हस्तांतरित किए जाएँ, ताकि ब्याज देनदारियों से बचा जा सके।
- विभागवार अनुदान ट्रैकिंग डैशबोर्ड तैयार किया जाए, जिसमें प्राप्ति, हस्तांतरण और उपयोग की स्थिति प्रदर्शित हो।
- सरकारी लेखों के बाहर अनुदान जमा करने की प्रथा बंद की जाए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

6. आकलन और बकाया वसूली में सुधार

- राजस्व उत्पन्न करने वाले विभागों में आकलन मामलों के लिए समयबद्ध निपटान लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान हो सके।

7. नकदी और तरलता प्रबंधन में सुधार

- राज्य सरकार को अधिक कुशल नकद प्रबंधन प्रणाली लागू करनी चाहिए, ताकि मार्गोपाय अग्रिमों का न्यूनतम उपयोग हो।

8. उपकर का समयबद्ध मिलान

- सभी उपकर और अधिभार का मिलान कर उन्हें समय पर नामित सरकारी खातों में हस्तांतरित किया जाए, जिससे राजकोषीय पारदर्शिता और बेहतर कोष प्रबंधन सुनिश्चित हो, और एफआरबीएम लक्ष्यों का पालन किया जाए और बजट से इतर उधारों का प्रकटीकरण किया जाए।

9. आनुपातिक शुल्कों की समीक्षा

- राज्य सरकार को पूंजीगत परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले आनुपातिक (प्रोरेटा) प्रभारों की समीक्षा और युक्तिकरण करना चाहिए, ताकि ये प्रभार परियोजनाओं से संबंधित वास्तविक स्थापना लागत, कार्य-आधारित स्टाफ लागत तथा संयंत्र एवं मशीनरी व्यय को उचित रूप से प्रतिबिंबित करें, इससे राजस्व व्यय को नकारात्मक रूप में दर्शाने से रोका जा सकेगा।

अध्याय II

बजटीय प्रबंधन

अध्याय II : बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राजस्थान की बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा करता है, जिसमें बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतराल के साथ-साथ आधिक्य व्यय, निरन्तर बचतें और अंतिम समय में निधियों के अभ्यर्पण जैसे मुद्दों को उजागर करता है। यह वित्तीय नियोजन, नियंत्रण और अनुपालन में कमजोरियों को उजागर करता है, तथा यथार्थवादी बजट निर्माण, निधियों के समय पर उपयोग और जेंडर एवं चाइल्ड बजटिंग जैसी आधुनिक प्रथाओं की आवश्यकता पर बल देता है।

2.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 की अनुपालना में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है। व्यय के अनुमानों में व्यय की 'प्रभारित' और 'दत्तमत' मदों को अलग-अलग दर्शाया जाता हैं और राजस्व लेखों पर होने वाले व्यय को अन्य प्रकार के व्यय से अलग दर्शाया जाता हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायी अनुमोदन अनिवार्य होता है।

राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) के अनुसार, वित्त विभाग विभिन्न विभागों से अनुमान एकत्र कर वार्षिक बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। विभागाध्यक्षों की सलाह पर प्राप्तियों और व्यय के विभागीय अनुमान, नियंत्रण अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और 'अनुदानों की मांग' नामक विस्तृत अनुमान तैयार करता है। राज्य के बजट में मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेजों से मिलकर बना होता हैः

- वार्षिक वित्तीय विवरण
- अनुदानों की मांग
- एफआरबीएम विवरण
- मध्यावधि राजकोषीय योजना
- राजकोषीय जोखिम विवरण
- अन्य

बजट प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष सामान्यतः अगस्त माह में बजट परिपत्र जारी किए जाने से आरंभ होती है,जो विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपने अनुमान तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करती है।

राज्य का बजट मुख्य रूप से सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विभाजित है। राजस्थान बजट नियमावली बजट तैयार करने, बजट निष्पादन और बजट अनुश्रवण की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। क्षेत्रवार बजटिंग, जैसे कि सामाजिक बजटिंग और निष्पादन बजटिंग, नवीन बजटिंग तकनीकों को दर्शाता हैं। राजस्थान में, समेकित बजट के अलावा, राज्य सरकार कुछ उप-बजट/विवरण जैसा कि कृषि बजट, जेंडर बजट विवरण, चाइल्ड बजट विवरण और दो प्रकार के प्रदर्शन बजट दस्तावेज यानी आउटकम बजट और आउटपुट बजट भी तैयार करती है।

चाइल्ड बजट और जेंडर बजट के अंतर्गत बजट आवंटन और व्यय का विस्तृत लेखा-परीक्षा विश्लेषण **अनुच्छेद 2.7 और 2.8** में प्रस्तुत किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 202-204 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जैसे ही विस्तृत अनुमान और अनुदान विधानसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, वित्त विभाग सभी विभागाध्यक्षों और अन्य बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट वर्ष के दौरान उनके निपटान हेतु बजट आवंटन के बारे में सूचित करता है। वित्त विभाग बजट दस्तावेज की प्रतियां महालेखाकार को भी भेजता है। वित्त विभाग द्वारा ऐसी सभी जानकारी और बजटीय आंकड़े एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड की जाती है और इस तक पहुंच संबंधित अधिकारियों के पास उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की जाने वाली अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/ विनियोजन का उद्देश्य, मूल रूप से बजट में निर्धारित राशि से अधिक होने वाले व्यय को पूरा करना अथवा ऐसे व्ययों को वहन करना होता है जिनकी बजट में पहले से कोई परिकल्पना नहीं की गई थी।

वित्त विभाग वर्ष के दौरान विभागों द्वारा अनुपूरक अनुदान और पुनर्विनियोजन के लिए किए गए अनुरोधों की भी समीक्षा करता है । अनुपूरक अनुदान के अलावा अनुदान के अंतर्गत निधि को फिर से आवंटित करने के लिए पुनर्विनियोग का उपयोग भी किया जा सकता है । वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित समस्त राशियाँ नीचे दर्शाई गई है:

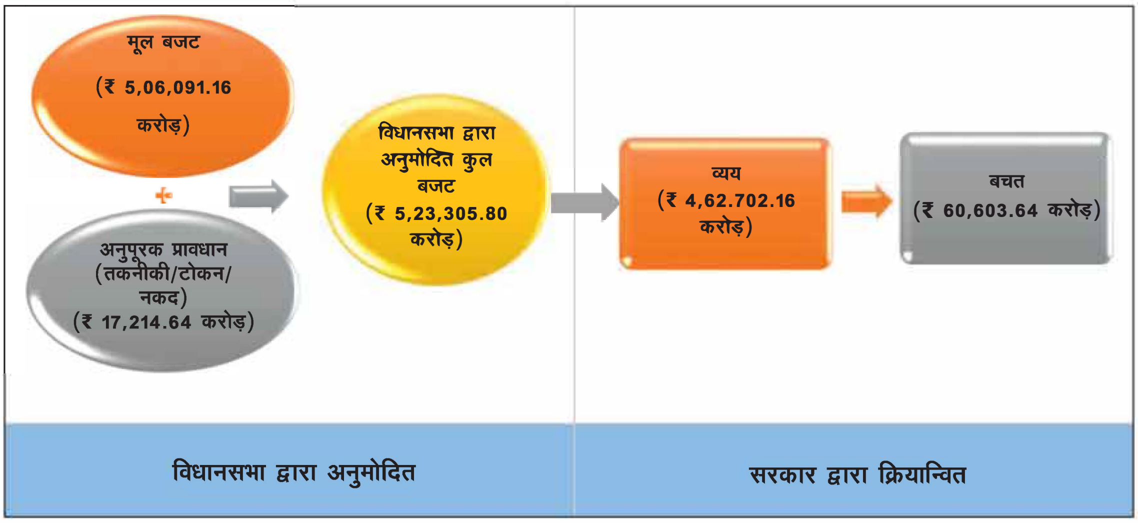

राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) यह निर्धारित करती है कि व्यय के अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए। अनुमान में परिहार्य आधिक्य उतनी ही वित्तीय अनियमितता है जितनी कि वास्तविक व्यय में आधिक्य है। बजट प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि किसी विशेष मद पर व्यय के अनुमान में प्रदान की गई राशि वह राशि होनी चाहिए जिसे वर्ष में व्यय किया जा सके और यह न तो अधिक और न ही कम होनी चाहिए।

2.2 बजट अनुमान तथा प्रत्याशित और वास्तविक व्यय के मध्य अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन, योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी क्षमता को सुदृढ़ करने तथा राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों के इष्टतम उपयोग का संतुलन बनाए रखता है। निरन्तर बचतें/आधिक्य अंतर्निहित बजटीय प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

राज्य विधानमंडल से प्राप्त कुल विनियोग, वास्तविक व्यय और बचत का विवरण **तालिका 2.1** में सारांशित किया गया है।

तालिका 2.1: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	2,59,637.14	9,669.31	2,69,306.45	2,35,971.04	33,335.41	32,751.49	98.25
	II. पूंजीगत	47,494.14	885.66	48,379.80	34,847.40	13,532.40	13,201.60	97.56
	III. ऋण और अग्रिम	360.42	104.57	464.99	267.34	197.65	221.01	-
कुल		**3,07,491.70**	**10,659.54**	**3,18,151.24**	**2,71,085.78**	**47,065.46**	**46,174.10**	
प्रभारित	V. राजस्व	37,923.21	1,633.08	39,556.29	38,734.59	821.70	315.89	38.44
	VII. पूंजीगत	5.44	4.18	9.62	9.58	0.04	0.05	100.00
	VIII. सार्वजनिक ऋण-पुनर्भुगतान	1,60,670.81	4,917.84	1,65,588.65	1,52,872.21	12,716.44	12,716.44	100.00
कुल		**1,98,599.46**	**6,555.10**	**2,05,154.56**	**1,91,616.38**	**13,538.18**	**13,032.38**	96.26
आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग (यदि कोई हो)		-	-	-	-	-	-	-
कुल योग		**5,06,091.16**	**17,214.64**	**5,23,305.80**	**4,62,702.16**	**60,603.64**	**59,206.48**	

स्रोतः विनियोग लेखे

नोटः उपरोक्त दर्शाया गया व्यय सकल आंकड़े हैं, जिनमें उन वसूली की राशियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें राजस्व शीर्षो (₹ 5,505.57 करोड़) और पूंजीगत शीर्षो (₹ 4,130.33 करोड़) के अंतर्गत व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित किया गया हैं।

उपरोक्त तालिका में दत्तमत अनुभाग में ₹ 47,065.46 करोड़ और प्रभारित अनुभाग में ₹ 13,538.18 करोड़ की बचत दर्शाई गई है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60,603.64 करोड़ की शुद्ध बचत हुई। राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 63 अनुदानों और पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 60 अनुदानों में कुल मिलाकर ₹ 60,678.50 करोड़ की समग्र बचते हुई, जो पूंजीगत अनुभाग की एक अनुदान में ₹ 74.86 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसादित हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60,603.64 करोड़ की निवल बचत रही। इसके अलावा निवल बचत का 2.30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक अभ्यर्पित नहीं किया गया। बजट के पूंजीगत दत्तमत व्यय में ₹13,532.40 करोड़ की उल्लेखनीय बचत, जो इस अनुभाग के मूल बजट का 28.49 प्रतिशत है, यह दर्शाती है कि राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

वर्ष के दौरान ₹ 17,214.64 करोड़ का लिया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रहा क्योंकि वर्ष के दौरान व्यय मूल बजट के स्तर तक भी नहीं पहुँचा। अनुपूरक प्रावधान से कुल बचत में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आवश्यकताओं के समुचित आकलन के बिना किए गए थे और यह कमजोर वित्तीय प्रबंधन की ओर भी दर्शाता है।

वर्ष के दौरान बजट निष्पादन के विश्लेषण से वित्तीय नियंत्रण के तीन स्तरोंः मूल अनुमान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोग समायोजन की कमज़ोरियाँ सामने आती हैं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका 2.2: बचत, अनुपूरक और पुनर्विनियोग का संचयी प्रभाव

स्तर	असमानता की प्रकृति	₹ प्रभाव (अनुमानित)
स्तर 1: निरन्तर बचतें (प्रत्येक अनुदान में 100 करोड़ से ज़्यादा)	निरन्तर बचतें	₹ 40,385.12 करोड़
स्तर 2: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में 10 करोड़ या उससे ज़्यादा)	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	₹ 8,409.73 करोड़
स्तर 3: 13 मामलों में निष्फल/अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग का अस्पष्ट अनुमान	₹ 412.74 करोड़
मापनीय बजट विचलन		**₹ 49,207.59 करोड़**

लगभग ₹ 49,207.59 करोड़ का संचयी प्रभाव जो बचत, परिहार्य अनुपूरक प्रावधान, अस्पष्ट पुनर्विनियोग से उत्पन्न व्यय अनुमान- निधियों की आवश्यकताओं की मध्य-वर्षीय समीक्षा और वर्ष के दौरान व्यय की निगरानी में कमियों को दर्शाता है।

राज्य बजट तीन प्रकार के आँकड़े प्रस्तुत करता है: (i) बजट अनुमान: आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान, (ii) संशोधित अनुमान: चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों में संशोधन, और (iii) वास्तविक: पिछले वर्ष के अंतिम लेखापरीक्षित राशि। राज्य विधानमंडल बजट अनुमानों के आधार पर आगामी वर्ष के बजट को मंजूरी देता है। संशोधित अनुमान वर्तमान वर्ष में सरकार के वित्त का अधिक यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वे उस वर्ष में दर्ज वास्तविक लेनदेन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। वास्तविक आंकड़े बजट अनुमानों से कम या अधिक हो सकते हैं और यह तुलना प्रस्तावित बजट की विश्वसनीयता को समझने में सहायक होती है।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियां **तालिका 2.3** में दी गई हैं।

तालिका 2.3: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट	2,32,058.98	2,58,083.86	3,55,222.83	4,03,547.25	5,06,091.16
अनुपूरक बजट	36,253.96	72,779.09	52,734.39	1,01,422.88	17,214.64
कुल बजट (टीबी)	2,68,312.94	3,30,862.95	4,07,957.22	5,04,970.13	5,23,305.80
संशोधित अनुमान (आरई)	2,54,390.10	3,25,930.77	3,91,286.54	4,89,652.42	5,08,483.12
वास्तविक व्यय (एई)	2,41,261.12	2,98,234.12	3,84,698.86	4,43,375.52	4,62,702.16
बचतें	27,051.82	32,628.83	23,258.36	61,594.61	60,603.64
मूल प्रावधान के सापेक्ष अनुपूरक का प्रतिशत	*15.62*	*28.20*	*14.85*	*25.13*	*3.40*
कुल प्रावधान के सापेक्ष कुल बचत/अधिक्य का प्रतिशत	*10.08*	*9.86*	*5.70*	*12.20*	*11.58*
टीबी – आरई	13,922.84	4,932.18	16,670.68	15,317.71	14,822.68
आरई - एई	13,128.98	27,696.65	6,587.67	46,276.90	45,780.96
(टीबी - आरई) टी बी के % रूप में	*5.19*	*1.49*	*4.09*	*3.03*	*2.83*
(आरई - एई) टी बी के % रूप में	*4.89*	*8.37*	*1.61*	*9.16*	*8.75*

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण और विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए ₹ 17,214.64 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, मूल प्रावधान के 3.40 प्रतिशत थे, जबकि गत वर्ष यह 25.13 प्रतिशत थे।

चार्ट 2.1: आरई, बीई और वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियां

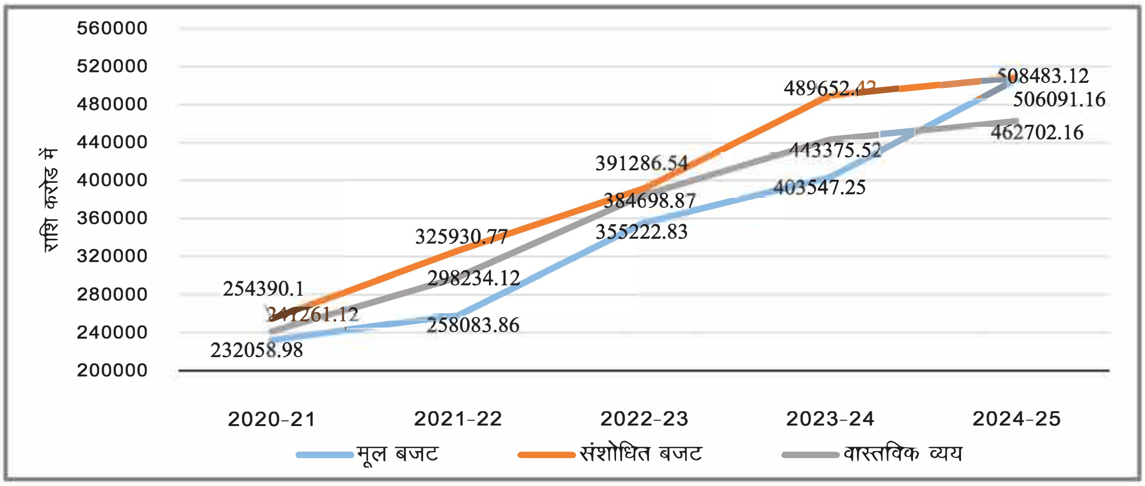

उपर दर्शाई गई तालिका और चार्ट से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक राज्य का संशोधित अनुमान (आरई) हमेशा मूल बजट से अधिक रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान संशोधित अनुमान (आरई)और कुल बजट(टीबी) के बीच का अंतर ₹ 16,670.68 करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 14,822.68 करोड़ रह गया।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-25 की अवधि में, संशोधित अनुमान (आरई) हमेशा राज्य के वास्तविक व्यय (एई) से अधिक था । वर्ष 2021-22 आर ई और वास्तविक व्यय (एई) के बीच का अंतर ₹ 27,696.65 करोड़ से कम होकर वर्ष 2022-23 में ₹ 6,587.67 करोड़ रह गया, लेकिन वर्ष 2024-25 में यह वापस बढ़कर ₹ 45,780.96 करोड़ हो गया। प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो एई वर्ष 2022-23 में आरई से 1.61 प्रतिशत कम था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 8.75 प्रतिशत हो गया।

इससे यह पता चलता है कि बजटीय प्रावधान असत्यापित प्रस्तावों पर आधारित थे, क्योंकि राज्य के बजट अनुमान सदैव बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए और वास्तविक व्यय कुल बजटीय प्रावधानों से कम रहा। फलस्वरूप, वर्ष 2024-25 में किए गए अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुँचा, जबकि वर्ष 2020-2025 की अवधि के दौरान अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक थे।

यह दर्शाता है कि बजट तैयार करने से पहले उचित विश्लेषण नहीं किया गया था।

1. बजट और व्यय में विचलन

कई वर्षों में बजटीय प्रावधान राज्य की वास्तविक व्यय क्षमता से अधिक रहे।

2. संशोधित अनुमान संरेखण की सीमित प्रभावशीलता

संशोधित अनुमान निरंतर रूप से वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करने में विफल रहे।

3. विधायी वित्तीय निरीक्षण पर प्रभाव

पर्याप्त बचतें बजटीय नियंत्रण की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती हैं ।

4. अनुपूरक - बचत में असंगति

उच्च अनुपूरक प्रावधानों के बाद कुछ वर्षों में उल्लेखनीय बचतें यह संकेत देती हैं कि व्यय नियोजन में सुधार की पर्याप्त संभावना है।

2.2.1 बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक-वार/सेवा-वार विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट और व्यय का घटक-वार विश्लेषण **तालिका 2.4** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 2.4: वर्ष 2024-25 के लिए घटक-वार बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

घटक	बजट	व्यय	कुल बजट का प्रतिशत	कुल व्यय का प्रतिशत	बजट के समक्ष व्यय का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3/2*100)
प्रतिबद्ध व्यय	3,66,823.74	3,06,626.95	70.10	66.27	83.59
राज्य योजनाएं	1,13,097.65	1,12,811.24	21.61	24.38	99.75
सीएसएस के लिए केंद्रीयांश	21,257.15	21,148.93	4.06	4.57	99.49
सीएसएस के लिए राज्यांश	19,079.44	19,067.22	3.65	4.12	99.94
ईएपी - बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	3,047.82	3,047.82	0.58	0.66	100.00
कुल	**5,23,305.80**	**4,62,702.16**			**88.42**

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि राज्य के बजट का दो-तिहाई से अधिक भाग प्रतिबद्ध व्यय मुख्यतः वेतन, पेंशन, अर्थ-सहाय्य, ब्याज भुगतान, सहायतार्थ अनुदान तथा अन्य मदें आदि हेतु प्रावधित था, जिसमे से वर्ष के दौरान प्रतिबद्ध व्यय हेतु किए गए बजटीय प्रावधानों में से 16.41 प्रतिशत अप्रयुक्त रहे।

महालेखाकार (लेखा व हक़), राजस्थान द्वारा व्यय में अंतर अर्थात बचत/आधिक्य के संबंध में बजट नियंत्रक अधिकारियों से 1705 उप-शीर्षों पर स्पष्टीकरण मांगा गया तथापि, 1087 उप-शीर्षों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ (नवंबर 2024)।

विनियोग लेखों में भिन्नताओं के मामले में प्राप्त स्पष्टीकरणों का सारांश **चार्ट 2.2** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.2: भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण का सारांश

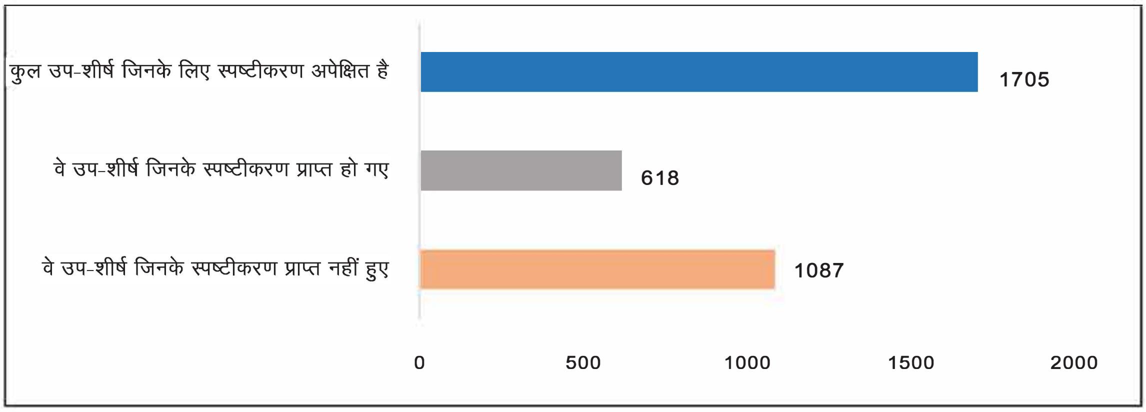

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक़), राजस्थान द्वारा दी गई सूचना

बजटीय प्रावधानों और उनके उपयोग के बीच भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरणों की अनुपस्थिति, सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है ।

2.3 बजट की सटीकता

व्यय संरचना का आउटटर्न

व्यय संरचना का आउटटर्न यह मापता है कि बजट निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच किए गए पुनर्विनियोग ने व्यय संरचना में विचलन का किस सीमा तक योगदान दिया है।

अनुदानों, अधिक्य और बचतों का वर्ष-वार विश्लेषण, राज्य द्वारा किए गए बजट निष्पादन और वित्तीय प्रबंधन की दक्षता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसे **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: वर्ष-वार अनुदानें, आधिक्य और बचतें

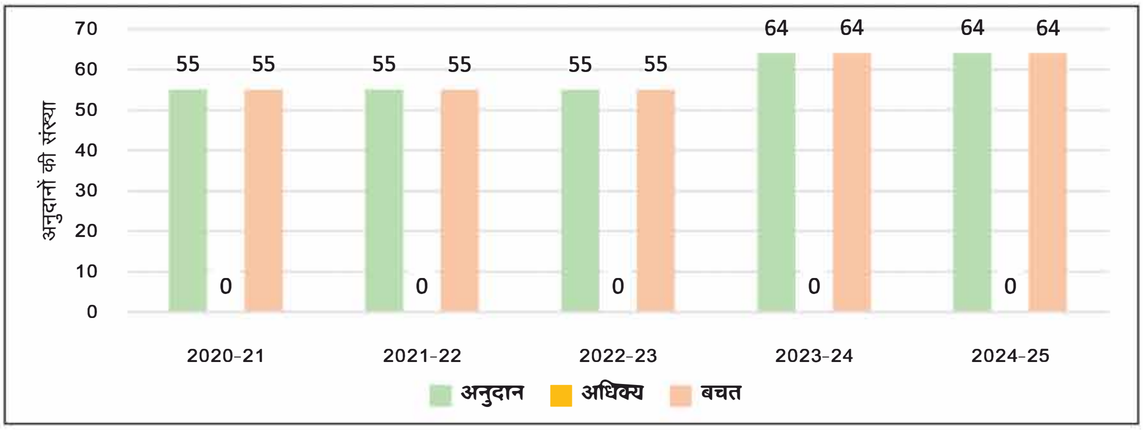

स्रोतः विनियोग लेखे

आकडे सूचित करते है कि व्यय नियंत्रणों ने आधिक्यों को रोका, वहीं सभी अनुदानों में बचत की एकसमान स्थिति बजट निर्माण और वास्तविक मांग के अनुमान में संरचनात्मक कमियों की ओर संकेत करती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए व्यय संरचना का परिणाम **तालिका 2.5** में दिया गया है ।

तालिका 2.5: वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय संरचना में समग्र विचलन

श्रेणी	समग्र विचलन (प्रतिशत)	विचलन की सीमा (प्रतिशत)	अनुदानों की संख्या
राजस्व (दत्तमत)	(-) 12.84	0 to ± 25	49
		± 25 to ± 50	10
		± 50 to ± 100	2
पूंजीगत (दत्तमत)	(-) 28.69	0 to ± 25	10
		± 25 to ± 50	22
		± 50 to ± 100	24
		≥ 100	5
राजस्व (प्रभारित)	(-) 2.17	0 to ± 25	22
		± 25 to ± 50	7
		± 50 to ± 100	21
		≥ 100	5
पूंजीगत (प्रभारित)	(-) 7.91	0 to ± 25	3
		≥ 100	1

हालाँकि, राजस्व-दत्तमत के तीन अनुदानों, राजस्व-प्रभारित के नौ अनुदानों, पूंजीगत-दत्तमत के तीन अनुदानों और पूंजीगत प्रभारित श्रेणी के साठ अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में, बीई की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 12.84 प्रतिशत रहा । यह मुख्य रूप से 49 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के बीच और दस अनुदानों में ± 25 से ± 50 प्रतिशत के

बीच, दो अनुदान में ±50 प्रतिशत से ±100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण हुआ। हालांकि, राजस्व-दत्तमत अनुभाग की तीन अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

इसी प्रकार पूंजीगत अनुभाग में, बीई की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 28.69 प्रतिशत रहा। यह मुख्य रूप से 22 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, 24 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण हुआ। हालांकि, पूंजीगत-दत्तमत अनुभाग के तीन अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

2.4 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं, जिसकी तुलना भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के तहत पारित विनियोग अधिनियम में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिए गए अनुदानों और प्रभारित विनियोग की राशि से की जाती है। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग के मुकाबले वास्तविक व्यय को स्पष्ट रूप से सकल आधार पर दर्शाते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त प्राधिकरण के अनुरूप है और क्या संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के तहत प्रभारित किए जाने वाले आवश्यक व्यय को प्रभारित किया गया है। साथ ही लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

2.5 बजटीय और लेखाकंन प्रक्रिया

2.5.1 कानून के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

राज्य की समेकित निधि से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जाएगी, जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित विधि द्वारा अनुमोदित अनुदान के अंतर्गत हो। एसबीएम के पैरा 24.1 के अनुसार, व्यय न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जाएगा और न ही उन मदों पर किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, एक अनुदान के अंतर्गत बिना प्रावधान के ₹ 2.98 लाख का व्यय किए जाने का एक मामला पाया गया, जैसाकि नीचे **तालिका 2.6** में दिया गया है।

तालिका 2.6: ऐसे मामले जहां बजट प्रावधान के बिना व्यय किया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग		
1.	42-जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	4700-03-001-02-02 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से	₹ 1000	0.00	(-) ₹ 1,000	0.00	2.98	2.98
	योग		**₹ 1000**	**0.00**	**(-) ₹ 1,000**	**0.00**	**2.98**	**2.98**

स्रोत: विनियोग लेखे

इस शीर्ष के तहत बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (नवंबर 2025)। बजट के बिना व्यय वित्तीय नियमों के साथ-साथ विधायिका के संकल्प का उल्लंघन है । यह सरकारी विभागों में वित्तीय अनुशासन की कमी को भी दर्शाता है।

2.5.2 आधिक्य और उसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित करवाया जाए। हालांकि, इस अनुच्छेद के तहत व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अधिक व्यय का नियमितीकरण लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों की चर्चा पूरी होने के बाद किया जाता है।

अ. वर्तमान वर्ष के दौरान आधिक्य

एसबीएम के पैरा 24.1 के अनुसार, न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक व्यय किया जाएगा और न ही उन मदों पर व्यय किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यद्यपि, समग्र अनुदान में कोई आधिक्य नहीं था, तथापि, वर्ष 2024-25 के दौरान एक अनुदान के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए प्राधिकरण से ₹ 74.86 करोड़ का अधिक संवितरण हुआ और संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत इसके नियमितीकरण की आवश्यकता है जैसा कि **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: 2024-25 के दौरान आधिक्य जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या/विनियोग	अनुदान/विनियोग विवरण	अधिक व्यय की राशि
44	सार्वजनिक निर्माण विभाग (पूंजीगत - दत्तमत)	74.86
	कुल	**74.86**

स्रोतः विनियोग लेखे

ब. गत वित्तीय वर्षो के अधिक व्यय का नियमितीकरण

पिछले वर्षो से संबंधित अधिक व्यय, जिनका राज्य विधानमंडल द्वारा नियमितीकरण लंबित है, नीचे तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 2.8: पिछले वर्षो से संबंधित अधिक व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या/विनियोग	अनुदान/विनियोग विवरण	अधिक राशि जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है
2022-23	21	सड़क और पुल (राजस्व-दत्तमत)	142.20
	-	लोक ऋण (पूंजीगत-प्रभारित)	20,927.41
2023-24	22	उच्च शिक्षा विभाग (राजस्व-प्रभारित)	1.32
	44	सार्वजनिक निर्माण विभाग (पूंजीगत-दत्तमत)	76.41
		योग	**21,147.34**

स्रोतः विनियोग लेखे

अनियमित अधिक व्यय का लगातार बने रहना, विशेषकर लोक ऋण के अंतर्गत उल्लेखनीय आधिक्य, बजट अनुमान और राजकोषीय पूर्वानुमान में कमियों को इंगित करता है। राज्य की 'समेकित निधि' से होने वाले व्यय पर विधायी अनुश्रवण को सुदृढ़ करने के लिए, इन अधिक व्ययों का शीघ्र नियमितीकरण आवश्यक है, और राज्य सरकार को ऐसे अधिक व्ययों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। अधिक व्ययों का नियमितीकरण नहीं किया जाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, और यह सार्वजनिक धन के उपयोग के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करता है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 से 2023-24 के लिए अधिक व्यय के नियमितीकरण की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया है।

2.5.2.1 कुछ अनुदानों में निरंतर अधिक व्यय

लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि एक अनुदान के अंतर्गत एक उप-शीर्ष में पिछले पाँच वर्षों में से चार वर्षों में लगातार ₹ पाँच करोड़ से अधिक का अतिरिक्त व्यय किया गया, जिसका विवरण **तालिका 2.9** में दिया गया है:

तालिका 2.9: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान निरंतर अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	**<u>अनुदान सं. 44- सार्वजनिक निर्माण विभाग</u>** 5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 02- महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें 337-सड़क कार्य (03) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से	अनुदान व्यय अधिकता	0.00 16.65 16.65	₹1,000 0.00 (-)	0.00 4.12 4.12	414.62 506.30 91.68	298.84 426.91 128.07

स्रोतः विनियोग लेखे

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सूचित किया कि वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान "44-सार्वजनिक निर्माण विभाग" के तहत अधिक व्यय मुख्य रूप से सीमा सड़क विकास मण्डल द्वारा सड़क कार्यों के लिए अधिक व्यय दर्ज करने के कारण हुआ। मण्डल ने बताया कि ये कार्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सीधे भारत सरकार की स्वीकृतियों के अनुसार संपादित किए गए थे और इन कार्यों के लिए बजट प्रावधान की उपलब्धता के बिना वित्तीय वर्ष के समापन के बाद व्यय अंकित किया गया था।

तथापि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की समेकित निधि से अनुमोदन से अधिक किए गए व्यय के संबंध में वित्त विभाग द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान को कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

वर्ष के दौरान अनुदानों के अंतर्गत बजट प्रावधान से किया गया अधिक व्यय

एसबीएम के पैरा 8.5(5) के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो। एसबीएम के पैरा 24.1 के अनुसार, न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक व्यय किया जाएगा और न ही उन मदों पर व्यय किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एसबीएम के पैरा 23.15.5 के अनुसार, यह आवश्यक है कि व्यय विवरण अत्यंत सावधानी के साथ तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि आधिक्य और बचत के त्रुटिपूर्ण विवरण से न केवल वित्त विभाग को असुविधा होती है बल्कि इससे आधिक्य व्यय भी हो सकता है, जिसके लिए संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी उत्तरदायी होगा। तथापि,

यह देखा गया कि 29 बजट शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध बजट प्रावधान से अधिक व्यय किया गया, यद्यपि समग्र अनुदान में कोई अधिकता नहीं थी। विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

तालिका 2.10: बजट प्रावधान से अधिक किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	बजट शीर्ष	कुल प्रावधान (मू+अ+पु)	व्यय	अधिक व्यय
1	3-ब्याज अदायगियां	2049-01-123-01- राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण पर ब्याज-प्रतिबद्ध	725.03	726.47	1.44
2		2049-03-104-01-22- वर्ष 2004 से नियुक्त राज्य कर्मचारियों की सामान्य प्रावधायी निधियों पर ब्याज-प्रतिबद्ध	532.64	532.70	0.06
3	7-मंत्रिपरिषद	2013-105-01-03- अन्य मंत्रिगण द्वारा विवेकाधीन अनुदान की राशि-प्रतिबद्ध	0.10	0.13	0.03
4	9-निर्वाचन विभाग	2015-105-01- चुनाव संबंधी प्रभार-प्रतिबद्ध	293.99	299.91	5.92
5		2015-106-01- चुनाव संबंधी प्रभार-प्रतिबद्ध	60.57	60.66	0.09
6	15-पेंशन	2071-01-111-01-01- विधायकों को पेंशन एवं कौटुम्बिक पेंशन-प्रतिबद्ध	33.15	33.17	0.02
7	16-राजस्व विभाग	2053-094-02- तहसील कार्यालय-प्रतिबद्ध	395.47	395.50	0.03
8	17-सामान्य प्रशासन विभाग	2235-60-107-01-स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों आदि को पेंशन सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध	9.99	10.14	0.15
9	18-गृह विभाग	4055-207-01-03- वितंतु पुलिस	7.01	7.07	0.06
10	19-कारागार विभाग	2056-001-01-01- मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय-प्रतिबद्ध	11.75	11.91	0.16
11	28-चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-07-03- चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	0.03	0.10	0.07
12	30-जनजाति क्षेत्र विभाग	4702-796-04-01- वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर	159.78	159.87	0.09
13		2401-796-73-05- राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशनः कृषि में ई-गवर्नेंस योजना-प्रतिबद्ध	0.14	0.35	0.21
14	35-अल्पसंख्यक मामलात विभाग	2225-04-277-01-01- अनुप्रति योजना हेतु अनुदान	8.56	9.24	0.68
15	36-आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-02-106-08-01- सड़कों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	142.22	142.60	0.38
16		2245-02-107-02-01- बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत	19.98	22.63	2.65
17	41-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	2215-01-102-03- जनता जल योजनान्तर्गत संधारण-प्रतिबद्ध	262.79	262.99	0.20
18	42-जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	2700-05-001-01-01- इंदिरा गांधी नहर फीडर-प्रतिबद्ध	8.70	8.73	0.03
19		2700-45-800-01- अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	15.57	15.62	0.05
20		4700-80-001-01-01- राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रकचरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया	270.27	270.39	0.12
21		4701-80-800-03-01- निर्माण कार्य	19.41	20.33	0.92
22	43-सिंचित क्षेत्र विकास विभाग	2705-101-01-06- कृषि प्रसार (स्टेज-II)	3.06	3.08	0.02
23	44-सार्वजनिक निर्माण विभाग	3054-02-337-01-02- संधारण एवं जीर्णोद्धार	89.25	127.50	38.25
24		5054-03-337-11- राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-I (एडीबी)	680.09	682.06	1.97
25		5054-02-337-03- सीमा सड़क विकास मण्डल के माध्यम से	298.84	426.91	128.07
26	45-वन एवं पर्यावरण विभाग	4406-01-101-15-01- वनारोपण	2.27	2.30	0.03
27	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2406-01-789-05- जलवायु परिवर्तन और मरुप्रसार रोक	6.35	6.40	0.05
28	59-पर्यटन विभाग	3452-80-001-01-01- प्रशासनिक व्यय	18.14	18.17	0.03
29		3452-80-800-02- पर्यटक सूचना और प्रचार	66.21	66.28	0.07

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे

वर्ष के दौरान अधिक व्यय मुख्य रूप से सार्वजानिक निर्माण विभाग में, विशेष रूप से सीमा सड़क विकास मण्डल और संधारण तथा जीर्णोद्धार शीर्षों के अंतर्गत, हुआ। शेष अधिक व्यय मामूली और काफी हद तक तकनीकी प्रकृति के थे; तथापि, छोटे-मोटे विचलन भी इस बात की आवश्यकता को दर्शाते हैं कि व्यय की अधिक सुदृढ़ वास्तविक-समय निगरानी की जाए तथा बजटीय अनुशासन बनाए रखने के लिए समय पर

अनुपूरक प्रावधानों का सहारा लिया जावे ।

2.5.3 अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए

संविधान का अनुच्छेद 205 मूल प्रावधानों से अधिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की आवश्यकता निर्धारित करता है। एसबीएम का पैरा 24.2 यह निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान, यदि किसे उद्देश्य के लिए प्रदान की गई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के दौरान किसी वस्तु या सेवा पर व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो विधानमंडल द्वारा एक अनुपूरक अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

राज्य विधानमंडल ने वर्ष 2024-25 के लिए 54 अनुदानों में ₹ 17,214.64 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (फरवरी 2025 तक) को मंजूरी दी । यह पाया गया कि 21 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) भले ही ₹ 8,409.73 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए थे ***(परिशिष्ट 2.1)***, फिर भी वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाया।

अनुदान में अनुपूरक प्रावधानों की शीर्ष-वार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है, जहाँ कुल अनुपूरक प्रावधान बाद में अनावश्यक सिद्ध हुए।

तालिका 2.11: शीर्ष-वार अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	कारण
1	17-सामान्य प्रशासन विभाग	2070-114-01-राज्य गैरेज और ऑटोमोबाइल विभाग-प्रतिबद्ध	78.90	10.05	73.96	4.94	नए पद पर भर्ती न होना और पद रिक्त रहना, सक्षम स्तर से मंजूरी न मिलना।
2	20-प्रारंभिक शिक्षा विभाग	4202-01-201-01-90-निर्माण कार्य	₹ 1,000	3.86	0.00	₹1,000	स्वीकृति जारी न होने के कारण स्कूल की मरम्मत के लिए राशि का हस्तांतरण न होना।
3		4202-01-201-15-01-राजकीय विद्यालयों में योजनान्तर्गत पूंजीगत व्यय	158.90	65.33	87.34	71.56	पीएम्श्री योजना के तहत स्वीकृत राशि के मुकाबले कम राशि जारी होना।
4	21-माध्यमिक शिक्षा विभाग	2202-02-101-01- साधारण व्यय-प्रतिबद्ध	10.00	6.00	8.56	1.44	सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होना।
5	36-आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-08-101-01-04- बाढ़, ओलावृष्टि से बचाव एवं रोकथाम	157.20	552.20	0.00	157.20	बाढ़, ओलावृष्टि आदि से सुरक्षा और रोकथाम के लिए तकनीकि समिति का गठन न होना।
6	38-सूचना एवं जन-संपर्क विभाग	4220-60-101-02-90-निर्माण कार्य	3.00	0.63	2.20	0.80	निर्माण कार्य पर कम व्यय होना।
7	39-नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	2217-80-191-05- जयपुर विकास प्राधिकरण को अनुदान	₹ 2,000	44.95	0.00	₹ 2000	विभाग द्वारा कारणों से अवगत नहीं कराया गया ।
8	44-सार्वजनिक निर्माण विभाग	5054-04-337-17-06-नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXX (सड़क उन्नयन परियोजना)	206.07	92.62	197.26	8.81	विभाग द्वारा कारणों से अवगत नहीं कराया गया ।
9	45-वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-001-02- अधीनस्थ और दक्ष कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध	1.80	0.47	1.67	0.13	विभाग द्वारा कारणों से अवगत नहीं कराया गया ।
10	47-पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग	4403-101-11-01- निर्माण कार्य	15.42	13.33	13.08	2.34	निर्माण कार्य पर कोई व्यय नहीं होना।

क्र. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	कारण
11	48-उद्यानिकी विभाग	2401-119-26- प्रवाह सिंचाई से बूँद-बूँद सिंचाई में रूपांतरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - सूक्ष्म सिंचाई)	303.35	54.06	281.72	21.63	विभाग द्वारा कारणों से अवगत नहीं कराया गया।
12	50-सहकारिता विभाग	2425-800-02- सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान	336.00	70.00	336.00	0	विभाग द्वारा कारणों से अवगत नहीं कराया गया।
13	61-विज्ञान एवं तकनीकि विभाग	3425-01-800-12-01-स्थापना व्यय-प्रतिबद्ध	8.54	0.51	7.87	0.67	पद रिक्त रहना और और उप-केंद्र जयपुर द्वारा कम व्यय किया जाना।
		कुल	**1,279.18**	**914.01**	**1,009.66**	**269.52**	

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 12 विभाग/अनुदानों के तहत, विभिन्न शीर्षों में अनुपूरक अनुदान के रूप में ₹ 914.01 करोड़ प्राप्त किए गए थे लेकिन संपूर्ण अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों तक भी नहीं आया।

चयनित शीर्षों के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान, स्वीकृतियों की प्राप्ति न होने, प्रशासनिक निष्क्रियता, तकनीकी तैयारियों के अभाव तथा कमजोर कार्यान्वयन क्षमता के कारण अनावश्यक सिद्ध हुए। जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, 13 मामलों में, बड़ी मात्रा में आवंटित धनराशि पूरी तरह से अप्रयुक्त रह गई। यह प्रवृत्ति मध्य-वर्षीय व्यय आकलन में कमियों को दर्शाता है और अनुपूरक अनुदान की मांग से पहले अधिक सुदृढ़ जांच-पड़ताल की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

इसी प्रकार, 13 अनुदानों में ₹ 8,663.31 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) अत्यधिक सिद्ध हुए क्योंकि अनुपूरक प्रावधानों की संपूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। अनुदान-वार और विशिष्ट मद-वार अनुदान में अनुपूरक प्रावधानों की स्थिति, जहाँ कुल अनुपूरक प्रावधान बाद में अत्यधिक या अपर्याप्त पाए गए, ***परिशिष्ट 2.2*** में दी गई है।

ऐसे मामलों की प्रतिवर्ष पुनरावृत्ति यह संकेत करती है कि बजट प्रभाग अवास्तविक बजट निर्माण से बचने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है।

इससे यह संकेत मिलता है कि मूल प्रावधान की पर्याप्तता का उचित आकलन किए बिना ही अनुपूरक अनुदान प्राप्त कर लिए गए थे और इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कुल बजटीय बचत में वृद्धि हुई। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अनुपूरक प्रावधान संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों/मुख्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा वास्तविक आवश्यकता के बिना किए गए थे।

चयनित अनुदान-वार अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

इस वर्ष के दौरान, दो अनुदानों, अनुदान संख्या 41 (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) और अनुदान संख्या 46 (कृषि विभाग) को विस्तृत समीक्षा हेतु चयन गया। इन दोनों अनुदानों में अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों की स्थिति पर नीचे चर्चा की गई है।

अनुदान संख्या 41 और अनुदान संख्या 46 की अनुदान समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि प्राप्त किए गए अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुँचा था; इसके परिणामस्वरूप काफी बचत हुई, जिसका विवरण **तालिका 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.12: चयनित अनुदानो के तहत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

अनुदान स.	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	बचत
41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पूंजीगत - दत्तमत)	4,084.50	98.53	3,634.38	548.65
46- कृषि (राजस्व- दत्तमत)	3,475.16	70.18	2,525.28	1,020.06
46- कृषि (पूंजीगत -दत्तमत)	149.59	54.72	148.80	55.51

स्रोत: विनियोग लेखे

अनुदान-46 के तहत एक उपशीर्ष "6401-800-09-01-" में, ₹1,000 के मूल प्रावधान के समक्ष, 'महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को ऋण' के लिए ₹ 50 करोड़ की अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। हालाँकि, वास्तविक व्यय शून्य रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 50 करोड़ की बचत हुई, जिसे 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित कर दिया गया। विभाग ने इस बचत का कारण विश्वविद्यालय के पास गत वर्ष की ऋण राशि की उपलब्धता होना बताया।

संबंधित विभागों को अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति से पूर्व वित्त विभाग (बजट), राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रकार के अवास्तविक बजटों की गहन जाँच की जानी चाहिए।

2.5.4 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोग किसी अनुदान के अंतर्गत एक विनियोग इकाई से दूसरी इकाई में निधियों का हस्तान्तरण, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है। एसबीएम के पैरा 23.3 के अनुसार, पुनर्विनियोग तभी अनुमेय है जब यह ज्ञात हो अथवा प्रत्याशित हो कि विनियोजन के लिए जिस इकाई से निधियो को निकाला जाना है, वहां इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा या उसमें बचत निश्चित रूप से प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, 64 अनुदानों के तहत ₹ 20,908.42 करोड़ की राशि के पुनर्विनियोग आदेश जारी किए गए। सभी पुनर्विनियोग आदेश 31 मार्च 2025 को जारी किए गए थे।

यह देखा गया कि 13 मामलों में, पुनर्विनियोग अपर्याप्त/अत्यधिक या अविवेकपूर्ण साबित हुआ, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3*** में विस्तृत किया गया है। यह परिशिष्ट पुनर्विनियोग प्रबंधन में तीन विशिष्ट नियंत्रण विफलताओं को प्रकट करता है: (i) बढ़ते हुए अतिरिक्त व्यय के बावजूद कटौती, (ii) अविवेकपूर्ण वृद्धि जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई, और (iii) अपर्याप्त वृद्धि जिसके कारण अंत में अतिरिक्त व्यय हुआ।

विभाग द्वारा एक योजना में पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से ₹ 24.91 करोड़ के प्रावधान में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय पुनर्विनियोजित राशि से अधिक हुआ था। छह मामलों में, पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान में ₹ 63.93 करोड़ की वृद्धि अनावश्यक साबित हुई, क्योंकि व्यय कुल उपलब्ध प्रावधान से कम रहा अथवा मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुँचा, और तीन मामलों में पुनर्विनियोग अत्यधिक था। इसी प्रकार, तीन मामलों में ₹ 134.50 करोड़ का पुनर्विनियोग अपर्याप्त था क्योंकि व्यय कुल उपलब्ध प्रावधान से अधिक था।

संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियंत्रण अधिकारियों ने सूचित किया कि पुनर्विनियोग के माध्यम से निधियाँ संधारण और मरम्मत, कार्य की त्वरित प्रगति और जिलों में बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत के लिए आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हुई थी । इसके अलावा, संबंधित प्राधिकारी द्वारा कुछ शीर्षों में अंतिम आधिक्य/बचतों के विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए थे ।

उपरोक्त उदाहरण इस तथ्य को दर्शाते हैं कि बजट नियंत्रण अधिकारीयों ने आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से आकलन नहीं किया और पुनर्विनियोजन से पूर्व व्यय के संबंध में अद्यतन सूचना उपलब्ध नहीं थी।

2.5.5 अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोग तथा/या बड़ी बचते/अभ्यर्पण

बजट प्रस्तावों को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि सभी संभावित व्ययों का उपयुक्त स्तर पर अनुकूलन हो सके, जिससे व्यय की गुणवत्ता संतुलित रहे और बजट निधियों का अपर्याप्त उपयोग कम किया जा सके। व्यय इकाइयों द्वारा समय पर अभ्यर्पण अनुमोदित बजट के अंतर्गत निधियों के सर्वोत्तम पुनर्विनियोग हेतु एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

एसबीएम के पैरा 13.7 प्रावधित करता है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करते समय गत तीन वर्षों के दौरान हुए वास्तविक व्यय और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए किए गए संशोधित अनुमानों को ध्यान में रखना चाहिए। पूर्ववर्ती आँकड़ों का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि व्यय में वृद्धि अथवा कमी की कोई उल्लेखनीय प्रवृत्ति पहचानी जा सके, पूर्व वर्षों में कोई असामान्य स्थिति रही हो तो उसका आकलन किया जा सके, व्यय की गति में कोई नियमितता दिखाई दे तो उसे पहचाना जा सके तथा कोई विशेष घटना जो व्यय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, उसे ध्यान में रखा जा सके।

उल्लेखनीय बचतें

अनुदानों और विनियोगों के विश्लेषण से यह पाया गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान पाँच मामलों (पाँच अनुदानों के अंतर्गत) में ₹1,177.62 करोड़ की बचत (अभ्यर्पण को छोड़कर) हुई, जो प्रत्येक मामले में ₹100 करोड़ से अधिक थी। विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत अनुदानवार/शीर्षवार अंतिम बचत का विवरण ***परिशिष्ट 2.4*** में दिया गया है।

सम्बंधित आहरण एवं संवितरण/मुख्य नियंत्रक अधिकारी ने बचत के मुख्य कारण-मरम्मत और रखरखाव पर कम व्यय, पदों का रिक्त रहना और निर्माण कार्यों पर कम व्यय होना बताए हैं। इसके अलावा, युवा मामले और खेल विभाग के अंतर्गत बचत का मुख्य कारण 27 मार्च 2025 को राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा ₹ 241.91 करोड़ चालान से जमा किए, क्योंकि युवा छात्रावास भवन बनाने की योजना रद्द कर दी गई थी। शेष अनुदानों में हुई अंतिम बचत के विस्तृत कारण संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं बताए गए।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि दो अनुदानों में वर्ष 2024-25 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया, जैसा कि **तालिका 2.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सम्पूर्ण अनुदान का अप्रयुक्त रहना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	राशि
1	57-पेट्रोलियम विभाग (पूंजीगत – दत्तमत)	400.00
2	58- खान विभाग (पूंजीगत – दत्तमत)	7.87
कुल		**407.87**

स्रोतः विनियोग लेखे

संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियंत्रण अधिकारियों ने सूचित किया कि संबंधित कार्यालयों द्वारा कार्यालय भवन के लिए नक्शा और उचित तकनीकी अनुमान प्रस्तुत न करने के कारण बजट प्रावधान की स्वीकृति नहीं मिल सकी और संशोधित परियोजना लागत के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप निवेश शून्य रहा।

चयनित अनुदान-वार उल्लेखनीय बचते

अनुदान संख्या 41 और अनुदान संख्या 46 की अनुदान समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभिन्न शीर्षों के तहत ₹10 करोड़ और उससे अधिक की पर्याप्त बचत पाई गई, जिसका विवरण निचे दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: अनुदानों के विभिन्न उप-शीर्षों के तहत पायी गई उल्लेखनीय बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष/योजना का नाम	कुल (मूल+अनुपूरक)	व्यय	बचत	बचत प्रतिशत
अनुदान संख्या 41					
1	2215-02-001-04 - शिल्प शाला	22.91	10.72	12.19	53.21
2	4215-01-101-01-17 पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइपलाइनों का बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल की सुविधा हेतु	20.40	5.86	14.54	71.27
3	4215-01-101-11-26 देवास जल प्रदाय योजना-तृतीय एवं चतुर्थ (शहरी)	119.35	14.69	104.66	87.69
4	4215-01-102-21-जनता जल योजना	20.00	7.13	12.87	64.35
5	4215-01-102-99-13 चंबल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)	13.74	1.29	12.45	90.61
6	4215-01-102-99-21 नागौर लिफ्ट योजना चरण-प्रथम	20.70	1.18	19.52	94.30
अनुदान संख्या 46					
7	2401-102-01-05 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन	26.28	5.43	20.85	79.34
8	2401-109-20-01 कृषि विभाग के माध्यम से	13.60	0.00	13.60	100.00
9	2401-110-02 फसल बीमा कृषि विभाग के अभिकरण के माध्यम से	1,400.00	718.10	681.90	48.71
10	2401-196-06-26 राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन - कृषि अभियांत्रिकी	54.42	20.18	34.24	62.90
11	2401-196-06-37 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – पौष्टिक अनाज	75.90	29.68	46.22	60.90
12	2401-800-27-01 कृषि विभाग के माध्यम से	59.72	30.77	28.95	48.48
13	2401-800-37-01 कृषि विभाग के माध्यम से-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	68.07	31.49	36.58	53.74
14	2435-60-800-02-01 राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सहायता	79.40	6.79	72.61	91.45

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अवगत कराया (दिसंबर 2025 में) कि बचत मुख्यतः पद रिक्त रहने, अनुमोदन एवं कार्यादेश जारी न होने, वन स्वीकृति संबंधी समस्याओं, कार्य की धीमी प्रगति, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों तथा न्यायालय में लंबित मामलों आदि के कारण हुई।

कृषि विभाग ने बताया (दिसंबर 2025) कि बचत मुख्यतः भारत सरकार से स्वीकृति/निधि का कम/न जारी होना, उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने के कारण निधि का हस्तांतरण नही होना, योजनाओं की गतिविधियों का अंतिम रूप न लेना, नवंबर 2024 से केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में नई आय-व्यय प्रणाली एसएनए स्पर्श लागू होना तथा भारत सरकार से द्वितीय चरण की मुख्य स्वीकृति न मिलने आदि कारणों से हुई।

बजट आवंटन के विरुद्ध हुई उल्लेखनीय बचतें यह दर्शाती है कि बजट निर्माण/अनुदान की माँगों की तैयारी तथा व्यय की निगरानी संबंधी एसबीएम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। यह विभागीय स्तर पर कार्य प्रगति की कमजोर निगरानी को भी दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, दो चयनित अनुदानों की सात शीर्षों (प्रत्येक ₹10 करोड़ से अधिक) में संपूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत है।

तालिका 2.15: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न होना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
	अनुदान संख्या-41			
1	4215-01-101-11-22 परवन अकावद पेयजल परियोजना, जिला बारां, झालावाड़, कोटा (शहरी भाग)	25.28	0.00	25.28
2	4215-01-101-11-23 नवनेरा जल प्रदाय परियोजना, जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)	43.55	0.00	43.55
3	4215-01-102-99-03 जल जीवन मिशन की सहायक गतिविधियाँ	40.00	0.00	40.00
4	4215-01-102-99-10 क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर-जवाजा	10.35	0.00	10.35
5	4215-01-102-99-18 भीनमाल एवं 256 गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	13.74	0.00	13.74
	अनुदान संख्या-46			
6	2401-109-20-01 कृषि विभाग के माध्यम से	13.60	0.00	13.60
7	6401-800-09-01 महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को ऋण	50.00	0.00	50.00

स्रोतः विस्तृत विनियोग खाते

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अवगत कराया (दिसंबर 2025) कि पेयजल परियोजनाओं हेतु कार्यादेश जारी न किए जाने के कारण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। इसके पश्चात यह भी बताया गया कि यदि आरडब्ल्यूएसएससी (कार्यकारी एजेंसी) को इसके लिए धन की आवश्यकता होती है, तो जल जीवन मिशन गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वित्त विभाग के निर्देशानुसार प्रावधान किए गए हैं।

कृषि विभाग ने में सूचित किया (दिसंबर 2025) कि निधियों का अप्रयुक्त रहना योजनाओं की गतिविधियों के अंतिम रूप न लेने के कारण था।

अनुदान के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का बचत में परिवर्तित होना यह संकेत करता है कि बजट अनुमान यथार्थवादी रूप से तैयार नहीं किए गए। यह भी दर्शाता है कि व्यय के अनुमान संबंधी एसबीएम के अध्याय 13 के प्रावधानों का पालन विभागों एवं इन अनुदानों के बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट अनुमान तैयार करते समय नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60,603.64 करोड़ की भारी समग्र शुद्ध बचत हुई।

निरंतर बचतें

निरंतर बचत का आशय है कि बजट शीर्ष में पिछले तीन वर्षों में प्रावधान के विरुद्ध लगातार ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत से है। यह भी देखा गया कि 26 अनुदानों के 35 मामलों में, वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की लगातार बचत (***परिशिष्ट 2.5***) थी।

संबंधित विभागों द्वारा दिए गए कारणों के अनुसार, निरंतर बचत मुख्यतः भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा हिस्सेदारी/निधि का कम/न जारी किया जाना था। अन्य कारणों में निधियों का कम हस्तांतरण, उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुत न होना, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कम स्वीकृति (वित्तीय एवं प्रशासनिक) जारी करना, निर्माण कार्य का प्रारंभ न होना तथा कार्य की धीमी प्रगति आदि सम्मिलित थे । इस अवधि के दौरान निरंतर बचत इस बात का संकेत देती है कि अनुमानित व्यय के आंकलन में अवास्तविकता रही, व्यय पर कमजोर नियंत्रण रहा तथा वित्तीय अनुश्रवण में कमी रही।

निरंतर बचत की प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट की जाती रही है, किन्तु संबंधित विभागों द्वारा इस स्थिति को सुधारने हेतु कोई ठोस सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि पिछले तीन वर्षों से लगातार अनावश्यक प्रावधान किए जा रहे थे। ऐसे उदाहरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 2.16: ऐसे मामले जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नवीन योजना का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
1.	16- राजस्व विभाग	2029-103-(04)-[02] भू-प्रबंधन विभाग	₹ 6000	16.29	7.50
2.	18- गृह विभाग	4055-207-(01)-[01] पुलिस आधुनिकीकरण-आपराधिक शाखा	5.24	1.20	1.40
3.	25- कला एवं संस्कृति विभाग	2205-102-(35)-[01] महात्मा गाँधी विद्यापीठ-गांधी अध्ययन केंद्र, जयपुर	₹ 2000	6.30	1.25
4.	28- चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-(14)-[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	1.74	2.34	7.07
5.	30- जनजाति क्षेत्र विभाग	2202-01-796-(16)-[01] प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से	1.90	2.55	2.55
6.		2245-80-796-(01)-[01] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा	₹ 2000	67.40	67.40
7.		4210-03-796-(04)-[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	1.10	1.10	1.70
8.		4215-01-796-(02)-[75] नव्नेरा जलापूर्ति परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)	₹ 1000	7.69	8.56
9.		4215-01-796-(04)-[08] क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर जवाजा	8.31	0.78	1.95
10.		4215-01-796-(04)-[16] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करने की योजना	4.99	7.10	2.70
11.		4215-01-796-(04)-[22] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना	4.99	0.71	1.56
12.	36- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-08-101-(01)-[01] लोक स्वास्थ्य	₹ 2000	100.00	100.00
13.		2245-08-101-(01)-[02] अग्नि से बचाव एवं रोकथाम	₹ 2000	100.00	100.00
14.		2245-08-101-(01)-[03] सूखा की रोकथाम एवं बचाव	₹ 2000	100.00	100.00
15.		2245-08-101-(01)-[04] बाढ़, ओलावृष्टि आदि से बचाव एवं रोकथाम	₹ 2000	135.60	709.40

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नवीन योजना का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
16.	40- स्वायत्त शासन विभाग	2217-80-192-(55)-[10] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के लिए अनुदान (सामान्य)	52.43	69.24	72.70
17.	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	3435-03-102-(10)-[01] सांभर झील प्रबंधन एजेंसी-पर्यावरण विभाग के माध्यम से	₹ 2000	1.00	1.00
18.		4406-02-110-(16)-[01] आकल वुड फॉसिल पार्क-विकास कार्य	₹ 1000	5.00	5.00
19.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2217-80-191-(50)-[17] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के लिए अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	5.38	1.97	2.06
20.		2217-80-192-(55)-[11] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के लिए अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	13.61	17.97	18.87
21.		2245-80-789-(01)-[01] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा	₹ 2000	89.15	89.15
22.		3454-02-789-(13)-[01] राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, जोधपुर-सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	₹ 2000	2.30	1.80
23.		4215-01-789-(02)-[75] नवनेरा जलापूर्ति परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)	₹ 1000	10.14	11.28
24.		4215-01-789-(03)-[08] ब्यावर-जवाजा क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन	11.52	1.03	2.70
25.		4215-01-789-(03)-[12] चंबल-धौलपुर-भरतपुर क्लस्टर परियोजना-प्रथम चरण भाग द्वितीय (नाबार्ड)	5.76	0.60	1.80
26.		4215-01-789-(03)-[16] भीनमाल और 256 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	6.91	10.25	3.56
27.		4215-01-789-(03)-[22] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना	6.91	0.94	2.16
28.		4215-01-789-(03)-[40] चित्तोर्गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ ब्लॉक के 38 ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना	1.73	1.00	1.80
29.		4215-01-789-(03)-[44] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण,	2.74	7.71	1.80
30.	60- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	5475-800-(08)-[35] संपर्क केंद्र संचालन	₹ 1000	1.80	2.72

अंतर्दृष्टियाँ:

चूँकि संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा, अतः यह प्रावधान राशि स्वयं अवरुद्ध राजकोषीय स्थान का प्रतिनिधित्व करती है:

- वित्तीय वर्ष 2022-23: सूचीबद्ध शीर्षों में अनुमानित संचयी प्रावधानः लगभग ₹ ~130 करोड़.
- वित्तीय वर्ष 2023-24: अनुमानित संचयी प्रावधानः लगभग ₹ ~740 करोड़
- वित्तीय वर्ष 2024-25: अनुमानित संचयी प्रावधानः लगभग ₹ ~1,311 करोड़

लगातार तीन वर्षों तक विभिन्न विभागों में संपूर्ण बजटीय प्रावधान का अप्रयुक्त रहना इस तथ्य को दर्शाता है कि योजना निर्माण, क्रियान्वयन की तत्परता तथा निष्क्रिय शीर्षों की आवधिक समीक्षा में प्रणालीगत कमियाँ विद्यमान हैं। ऐसे शीर्षों का लगातार बने रहना यह दर्शाता है कि वित्तीय विश्वसनीयता तथा सार्वजनिक

निधियों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है, जो निष्क्रिय योजनाओं की समीक्षा, समेकन अथवा समाप्ति पर विचार कर सके।

चयनित अनुदान-वार निरंतर बचत

अनुदान 41 और 46 के अभिलेखों के लेखा परीक्षा से यह पता चला है कि वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान 11 योजनाएं ऐसी थीं जिनमें निरंतर बचत (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक) रही, जैसाकि नीचे दी गई **तालिका** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.17: चयनित अनुदानों के अंतर्गत विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत देखी गई निरंतर बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	बचत (प्रावधान के विरुद्ध बचत का प्रतिशत)		
		2022-23	2023-24	2024-25
अनुदान संख्या 41				
1.	2215-02-001-04 शिल्प शाला	10.22 (30.34)	15.62 (50.51)	12.19 (53.21)
2.	4215-01-101-11-10 पुनर्गठित शहरी पेयजल परियोजना, बीकानेर	5.73 (8.34)	52.34 (38.77)	29.94 (30.18)
3.	4215-01-102-99-13 चंबल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)	125.26 (100)	43.74 (96.39)	12.45 (90.61)
4.	4215-01-102-99-21 नागौर लिफ्ट योजना चरण- प्रथम	146.43 (98.12)	37.68 (92.90)	19.52 (94.30)
5.	4215-01-102-99-03 जल जीवन मिशन (JJM) की सहायक गतिविधियाँ	88.50 (100)	40.00 (100)	40.00 (100)
6.	4215-01-102-99-18 भीनमाल और 256 गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	26.50 (100)	37.42 (100)	13.74 (100)
अनुदान संख्या 46				
7.	2401-196-06-20 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	74.14 (48.34)	97.30 (64.56)	31.85 (20.60)
8.	2401-196-06-26 राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन- कृषि अभियांत्रिकी	19.59 (55.25)	25.81 (41.99)	34.24 (62.93)
9.	2401-196-06-37 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- पौष्टिक अनाज	16.21 (53.25)	35.58 (60.98)	46.22 (60.90)
10,	2401-800-37-01 कृषि विभाग के माध्यम से	48.09 (78.59)	23.70 (38.74)	36.58 (53.74)
11,	2435-60-800-02-01 राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड को सहायता	118.72 (96.76)	53.22 (65.12)	72.61 (91.44)

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे

कृषि विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025) कि निरंतर बचत मुख्य रूप से विभिन्न कृषि योजनाओं की द्वितीय किश्त का हस्तांतरण न होना तथा एसएनए स्पर्श प्रणाली के क्रियान्वन में तकनीकी समस्या के कारण थी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025) कि लगातार बचत पद खाली रहने, आवश्यक स्वीकृतियां और कार्य आदेश जारी न होने, भूमि प्राप्त करने में देरी, भूमि विवाद, चल रही परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर बजट प्रावधान में संशोधन के कारण हुई। इसके अलावा सूचित किया गया कि यदि आरडब्ल्यूएसएससी (कार्यकारी एजेंसी) को इसके लिए धन की आवश्यकता होती है, तो जल जीवन मिशन गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वित्त विभाग के निर्देशानुसार प्रावधान किए गए थे।

निरंतर बचत यह दर्शाती है कि विभाग इन विकास कार्यों/कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु आवंटित बजटीय निधि का नियमित रूप से उपयोग नहीं कर सका। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि निधि की आवश्यकता का आंकलन एवं बजट आवंटन पूर्व वर्षों के व्यय प्रवृत्तियों को ध्यान में रखे बिना किया गया था।

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 76वीं रिपोर्ट (15वीं विधानसभा) में अनुशंसा की थी कि लगातार वर्षों में बचत होना बिना आवश्यकता के बजट का अधिक आंकलन तथा उचित अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है। अतः विभागों को भविष्य में बजट अनुमान अधिक यथार्थवादी बनाने के प्रयास करने चाहिए। इन अनुशंसाओं के बावजूद, वर्ष 2024-25 में भी निरंतर बचत की घटनाएँ जारी रहीं।

अनुदानों के अंतर्गत प्रावधान का उपयोग

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल बचत के साथ उपयोग के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदान का विवरण ***परिशिष्ट 2.6*** और ***चार्ट 2.4*** में दिखाया गया है। कम उपयोग यह दर्शाता है कि उस क्षेत्र पर कम ध्यान देने के साथ-साथ बजट निर्माण प्रक्रिया में कमी रही।

चार्ट 2.4: कुल बचत सहित उपयोगिता के प्रतिशत द्वारा समूहीकृत अनुदान/विनियोग की संख्या का वितरण

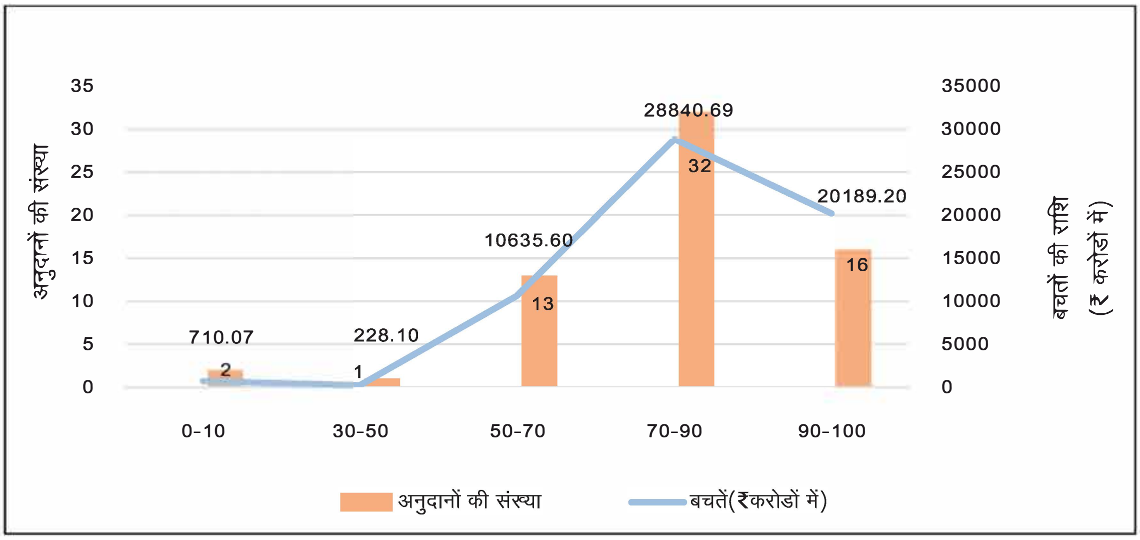

स्रोतः विनियोग लेखे

वर्ष 2024-25 के दौरान, 64 अनुदानों में से 16 अनुदानों में बजट आवंटन का उपयोग 70 प्रतिशत से कम रहा। यह स्थिति उन मुद्दों की ओर संकेत करती है जिनकी गहन समीक्षा सरकार द्वारा की जानी आवश्यक है, ताकि सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

विभागों द्वारा प्रस्तुत उल्लेखनीय बचतों के प्रमुख कारणों में शामिल थे-विभागों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त बचत का मुख्य कारण कार्य शुरू न करना, पीडब्लूडी द्वारा निर्माण कार्य का कम निष्पादन, नए कार्य के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होना, कार्य प्रारंभ नही होना, भारत सरकार से प्राप्त तृतीय और चतुर्थ किस्त जारी न होना और उसके आनुपातिक राज्यांश, एसएनए बैंक खाते में राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम सुदृढ़ीकरण योजनाओं की दूसरी किस्त का हस्तांतरण न करना, स्कूल भवन की मरम्मत के लिए समग्र शिक्षा अभियान के पीडी खाते में राशि का हस्तांतरण न करना, भारत सरकार से प्रासंगिक अनुमोदन प्राप्त न होना, राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होना, निर्माण कार्य पर कम खर्च, नाबार्ड के तहत राज्य सरकार से मंजूरी नहीं मिलना, निर्माण कार्य की धीमी प्रगति, फसल बीमा योजना की गतिविधियों के कार्यान्वयन में देरी और संशोधित परियोजना लागत के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त न होना।

विभिन्न शीर्षों में कम उपयोग और बार-बार होने वाली अल्प-उपयोग के उदाहरण यह दर्शाते हैं कि विभिन्न कार्यों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया तथा बजट निर्माण प्रक्रिया में कमी रही। अतः सरकार को विभिन्न अनुदानों में कम उपयोग के कारणों की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

प्रत्याशित बचतों को अभ्यर्पित नहीं करना

एसबीएम के पैरा 23.16 के अनुसार, जिन अनुदानों का उचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए। यह देखा गया कि 54 अनुदानों और तीन विनियोगों के तहत ₹ 1,543.39 करोड़ (***परिशिष्ट 2.7***) की राशि की बचत अभ्यर्पित नहीं की गई थी, जिसे बचत के मुकाबले अन्य अनुदानों/ विनियोगों से ₹ 146.23 करोड़ के अतिरिक्त व्यय द्वारा समायोजित किया गया था और इस प्रकार वर्ष के अंत में राशि ₹ 1,397.16 करोड़ अभ्यर्पित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, 11 अनुदानों से संबंधित ऐसे मामले पाए गए जहाँ ₹ 146.23 करोड़ की राशि बचत से अधिक अभ्यर्पित की गई, जैसाकि विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.18: ऐसे मामले जहां बचतों से अधिक अभ्यर्पण किया गया

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	समर्पित राशि	अतिरिक्त समर्पित राशि
	राजस्व दत्तमत								
1	7	मंत्रिपरिषद	21.65	0.60	22.25	19.02	(-) 3.23	3.26	0.03
2	9	निर्वाचन विभाग	552.09	0.00	552.09	493.00	(-) 59.09	59.20	0.11
3	17	सामान्य प्रशासन विभाग	339.41	30.90	370.31	343.69	(-) 26.61	26.65	0.04
4	31	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	11,685.96	0.00	11,685.96	10,488.53	(-) 1,197.43	1,198.54	1.11
5	35	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	246.61	0.00	246.61	199.75	(-) 46.85	47.55	0.69
6	44	सार्वजनिक निर्माण विभाग	2,941.36	419.79	3,361.15	3,178.03	(-) 183.12	220.96	37.85
7	59	पर्यटन विभाग	109.91	0.00	109.91	93.76	(-) 16.15	16.26	0.11
	पूंजीगत दत्तमत								
8	18	गृह विभाग	359.67	18.24	377.91	232.92	(-) 144.99	145.04	0.05
9	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	3,362.93	0.00	3,362.94	2,590.47	(-) 772.46	773.36	0.89
10	44	सार्वजनिक निर्माण विभाग	8,173.69	403.69	8,577.38	8,652.25	(+) 74.86	30.48	105.35
		कुल	**27,793.28**	**873.22**	**28,666.51**	**26,291.42**	**(-)2,524.79**	**2,521.30**	**146.23**

स्रोतः विनियोग लेखे

उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट है कि अधिक समर्पण के मामले मुख्यतः निम्न विभागों में केंद्रित हैं:

- लोक निर्माण विभाग (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों)
- जल संसाधन (अल्प अंतर)
- सामाजिक क्षेत्र विभाग (कम मार्जिन)

यह संकेत करता है:

- वर्ष के अंत में व्यय का पूर्वानुमान बिल बुकिंग के अनुरूप नहीं है।
- संभवतः समर्पण आदेश जारी होने के बाद व्यय का लेखांकन किया गया।
- सूत्र विभागों और वित्त विभाग के बीच कमजोर समन्वय रहा।

विभागों ने वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित करने का कारण प्रस्तुत नहीं किये (नवंबर 2025)।

ऐसे मामले, जहाँ अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचत से अधिक रही, यह दर्शाते हैं कि अभ्यर्पण के समय अप्रयुक्त शेष राशि के आकलन में त्रुटियाँ थीं। वास्तविक समय में व्यय के मिलान को सुदृढ़ करने तथा अभ्यर्पण आदेशों और व्यय की अंतिम लेखांकन के बीच समन्वय सुनिश्चित करने से बजट क्रियान्वन और राजकोषीय रिपोर्टिंग की सटीकता बढ़ेगी।

मार्च 2025 के अंतिम दिन बचत एवं समर्पण का विवरण **चार्ट 2.5** में दिया गया है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2024-25 के लिए बचत और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ों में)

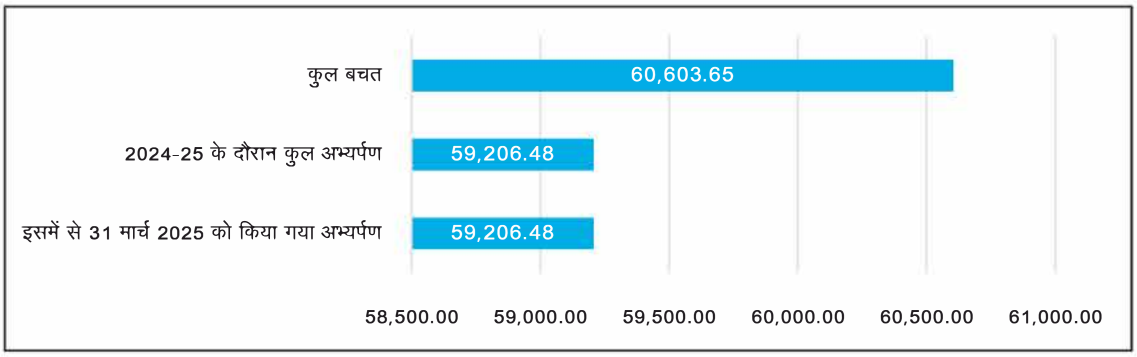

स्रोतः विनियोग लेखे

चार्ट 2.5 के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि कुल बचत का 97.69 प्रतिशत अभ्यर्पित किया गया। ₹ 60,603.65 करोड़ की अभ्यर्पित राशि में से ₹ 59,206.48 करोड़ (97.69 प्रतिशत) 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। मार्च 2025 के अंतिम दिन अभ्यर्पित की गई बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ से अधिक) का विवरण ***परिशिष्ट 2.8*** में दिया गया है।

चयनित अनुदान जहां बचत पूरी तरह से अभ्यर्पित नहीं की गई

अनुदान संख्या 41 की जांच के दौरान, यह पाया गया कि पांच मदों में, बचत पूर्ण रूप से अभ्यर्पित नहीं की गई थी जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.19: उन शीर्षों का विवरण जहां बचत अभ्यर्पित नहीं की गई

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	मद	बचते	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई राशि
1.	2215-01-101-12 अन्य शहरी जल आपूर्ति योजनाएँ-प्रतिबद्ध	78.13	73.45	4.68
2.	2215-01-102-01 अन्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ-प्रतिबद्ध	68.63	62.98	5.65
3.	4215-01-101-01-02 अन्य शहरी जल आपूर्ति योजनाएँ	101.81	101.71	0.10
4.	4215-01-102-03-01 अन्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ	71.30	71.17	0.13
5.	4215-01-102-19 चम्बल-बालेर-सवाई-माधोपुर जल प्रदाय योजना	8.77	8.38	0.39
	कुल	**328.64**	**317.69**	**10.95**

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अवगत कराया (दिसंबर 2025) कि तकनीकी कारणों से कोषागारों द्वारा बिलों के ईसीएस का भुगतान न करने के कारण बचत मुख्य रूप से अभ्यर्पित नहीं की गई थी।

यदि समय पर अभ्यर्पण किया जाता, तो संसाधनों का अधिक उत्पादक उपयोग उन क्षेत्रों में किया जा सकता था जहाँ कमी थी। यह स्थिति दर्शाती है कि विभाग ने आवश्यकताओं का यथार्थवादी आकलन नहीं किया तथा मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रण नहीं रखा।

2.5.6 राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग-I के नियम 338(1) में यह प्रावधान है कि अस्थायी संपत्तियों या सहायतार्थ अनुदान पर होने वाले व्यय को सामान्यतः पूंजीगत प्रकृति का व्यय नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सरकारी लेखा नियम, 1990 के नियम 30(1) के अंतर्गत दी गई टिप्पणी में भी यह उल्लेख किया गया है कि किसी अस्थायी परिसंपत्ति पर किया गया व्यय या स्थानीय निकायों अथवा संस्थानों को दिए गए सहायतार्थ अनुदान पर किया गया व्यय (ऐसी परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से जो इन स्थानीय निकायों या संस्थानों से सम्बंधित होगी) सामान्यतः पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, साथ ही, जब तक कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न किया गया हो, इसे किसी पूंजीगत लेखा शीर्ष में नामे नहीं किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 931.66 करोड़ को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया था। लेखापरीक्षा ने इस राशि से संबंधित स्वीकृति आदेशों और व्यय वाउचरों की जांच की और यह पाया कि ₹ 931.66 करोड़ का राजस्व प्रकृति का व्यय पूंजीगत व्यय के तहत दर्ज किया गया था और यह व्यय संचालन, रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण आदि से सम्बंधित था।*(परिशिष्ट 2.9)*।

तालिका 2.20: विभाग-वार गलत वर्गीकरण का संकेंद्रण

विभाग	राशि (₹ करोड़ में)	% हिस्सा
सार्वजनिक निर्माण विभाग	611.34	65.6
अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	158.69	17.0
जनजातीय क्षेत्र विकास (पीएमजीएसवाई)	133.66	14.3
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	22.77	2.4
जनजातीय क्षेत्र विकास (रखरखाव और मरम्मत)	5.20	0.6

(क) राज्य सरकार ने पूंजीगत अनुभाग में शीर्ष '4215-01-101-07-17-प्रमुख निर्माण कार्य' के अंतर्गत ₹ 20.97 करोड़ का बजट प्रावधान किया और ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता से संबंधित ₹ 22.77 करोड़ का व्यय दर्ज किया। इससे पता चलता है कि आवर्ती प्रकृति के व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। वित्त (बजट) विभाग ने बताया (मई 2025) कि जांच के बाद अगले वर्ष आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

(ख) राज्य सरकार ने पूंजीगत अनुभाग में शीर्ष '4210-03-796-01-01-72-आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण और उन्नयन' के अंतर्गत ₹ 8.79 करोड़ का बजट प्रावधान किया तथा ₹ 5.20 करोड़ का व्यय पूंजीगत शीर्ष में दर्ज किया, जबकि यह व्यय राजस्व व्यय शीर्ष में दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि मरम्मत, पुनः वायरिंग और अनुरक्षण कार्य स्थायी एवं ठोस परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं करते, जैसा कि सरकारी लेखा नियम, 1990 के नियम 30 में अपेक्षित है ।

वित्त (बजट) विभाग ने सूचित किया (मई 2025) कि यह बजट शीर्ष पूंजीगत परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन से संबंधित है, जिससे परिसंपत्तियों की स्थायित्व अवधि बढ़ती है। अतः जीवन चक्र दृष्टिकोण से यह व्यय पूंजीगत शीर्ष में दर्ज किया जाना चाहिए। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वाउचरों की जांच से स्पष्ट हुआ कि व्यय अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण से संबंधित था और इसे लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम के नियम 11(47-अ) के अंतर्गत मरम्मत में दर्ज किया जाना चाहिए ।

(ग) 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पैरा 10.71 और 10.72 में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण हेतु वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए अनुरक्षण अनुदान की अनुशंसा की गई थी। वर्ष के दौरान ₹ 903.69 करोड़ का प्रावधान शीर्ष 5054-04-789-13 (₹ 158.69 करोड़), शीर्ष 5054-04-796-16 (₹ 133.66 करोड़) एव शीर्ष 5054-04-800-22 (₹ 611.34 करोड़) शीर्षों के अंतर्गत किया गया, जबकि इसे राजस्व शीर्ष '3054-सड़क तथा सेतु' में किया जाना चाहिए था। ₹ 903.69 करोड़ का व्यय भी इन पूंजीगत शीर्षों में दर्ज किया गया, जबकि व्यय की प्रकृति के आधार पर इसे राजस्व शीर्षों में दर्ज किया जाना चाहिए था।

वित्त विभाग (बजट) ने तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया (मई 2025) कि आवश्यक सुधारात्मक कदम अगले वर्ष उठाए जाएंगे।

राजकोषीय प्रभाव:

₹ 931.66 करोड़ के गलत वर्गीकरण के कारण:

- पूंजीगत व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया
- राजस्व व्यय को कम बताया गया
- कृत्रिम रूप से सुधार दर्शाया गया:
  - राजस्व घाटे की स्थिति में
  - पूंजी निर्माण अनुपातों में

इस प्रकार, राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत दर्ज करना, सरकारी लेखा नियम और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधानों का उल्लंघन था। राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत करने से राजस्व घाटा उतनी ही राशि तक कम दर्शाया गया। इससे राजकोषीय संकेतकों की शुद्धता प्रभावित होती है और यह इस बात को प्रभावित करता है कि व्यय दर्ज करते समय वर्गीकरण की गहन जांच को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

2.5.7 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और उनके कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उनका वास्तविक वित्तपोषण

सरकार द्वारा आरंभ की गई कई नीतिगत पहलें पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाई, जिसके कारणों में योजना दिशा-निर्देश/प्रक्रियाओं की स्वीकृति का अभाव, प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने से

कार्य प्रारंभ न होना, बजट का निर्गमन न होना आदि शामिल थे। यह पाया गया कि 34 योजनाओं में ₹ 1,908.13 करोड़ (₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) का बजटीय प्रावधान संशोधित कर ₹ 1,429.64 करोड़ कर दिया गया, परंतु कोई व्यय नहीं किया गया, जैसाकि ***परिशिष्ट 2.10*** में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, 151 योजनाओं में ₹ 5,070.18 करोड़ का स्वीकृत प्रावधान, संशोधित प्रावधानों में पूर्णतः वापस ले लिया गया, जैसाकि ***परिशिष्ट 2.11*** में दिखाया गया है।

इस संबंध में विभागों द्वारा दिए गए विभिन्न कारणों में निर्माण कार्य पर कम व्यय, निविदा का रद्द होना, निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होना, योजना का अनुमोदन न होना, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी न करना, कार्य का निष्पादन न होना, भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होना, योजनाओं का प्रारंभ न होना, भूमि का आवंटन न होना, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना आदि शामिल थे।

वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्षो के बजट भाषणों में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन का अभाव

वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत करते समय, राज्य सरकार ने कई योजनाओं/नीतियों की घोषणा की थी। संबंधित विभागों ने इन प्रमुख नीतिगत पहलों (2019-24) की वर्तमान प्रगति के बारे में (जून-सितंबर 2025) सूचित किया था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इन परियोजनाओं/नीतिगत पहलों पर सीमित प्रगति हुई है या कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, पिछले वित्तीय वर्षों में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं के संबंध में संबंधित विभागों से प्राप्त प्रगति की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी बजट घोषणाओं को लागू नहीं किया गया था। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरण ***परिशिष्ट 2.12*** में दिए गए हैं।

चयनित अनुदानों में बजट घोषणाएँ

अनुदान संख्या 41 और 46 से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति ***परिशिष्ट 2.12*** में शामिल है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वर्ष 2021-23 की अवधि की बजट घोषणाएं अभी तक लंबित हैं, क्योंकि वित्त विभाग द्वारा कार्यादेश जारी करने की अनुमति तकनीकी बोली मूल्यांकन/सर्वेक्षण लंबित रहने के कारण प्रदान नहीं की ।

पिछले और वर्तमान वर्षों के बजट भाषण की प्रमुख घोषणाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव इस तथ्य का संकेतक है कि बजट भाषण में घोषित पहलों की निगरानी एवं अनुपालन पर्याप्त रूप से नहीं किया गया।

2.5.8 त्रैमासिक व्यय सीमा का पालन न करना

व्यय की एक समान गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। एसबीएम के अनुसार, राज्य की संभावित नकद शेष स्थिति का पूर्वानुमान तैयार करने में वित्त विभाग की सहायता हेतु सभी बजट नियंत्रक अधिकारियों को प्रत्येक माह, वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट तिथियों के अनुसार, राजस्व एवं व्यय के अपेक्षित प्रवाह का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता से बचा जाना चाहिए। वित्त सचिव, राजस्थान सरकार ने निर्देश दिया (अगस्त 2023) कि व्यय का प्रवाह इस प्रकार बनाए रखा जाए कि दिसंबर माह के अंत तक व्यय कुल का 90 प्रतिशत किया जा सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित नियंत्रक अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

तालिका 2.21: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय की प्रवाह

	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष में कुल व्यय का प्रतिशत
वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च 2025)	92,548.85	30.83
वर्ष का अंतिम महीना (मार्च 2025)	39,605.16	13.19
वर्ष का अंतिम दिन (31 मार्च 2025)	3,609.55	1.20

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल मासिक प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां और ऋण एवं अग्रिम) और व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) की प्रवृत्ति क्रमशः **चार्ट 2.6** और **चार्ट 2.7** में दिखाई गई है।

चार्ट 2.6: प्राप्तियों का माह-वार प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

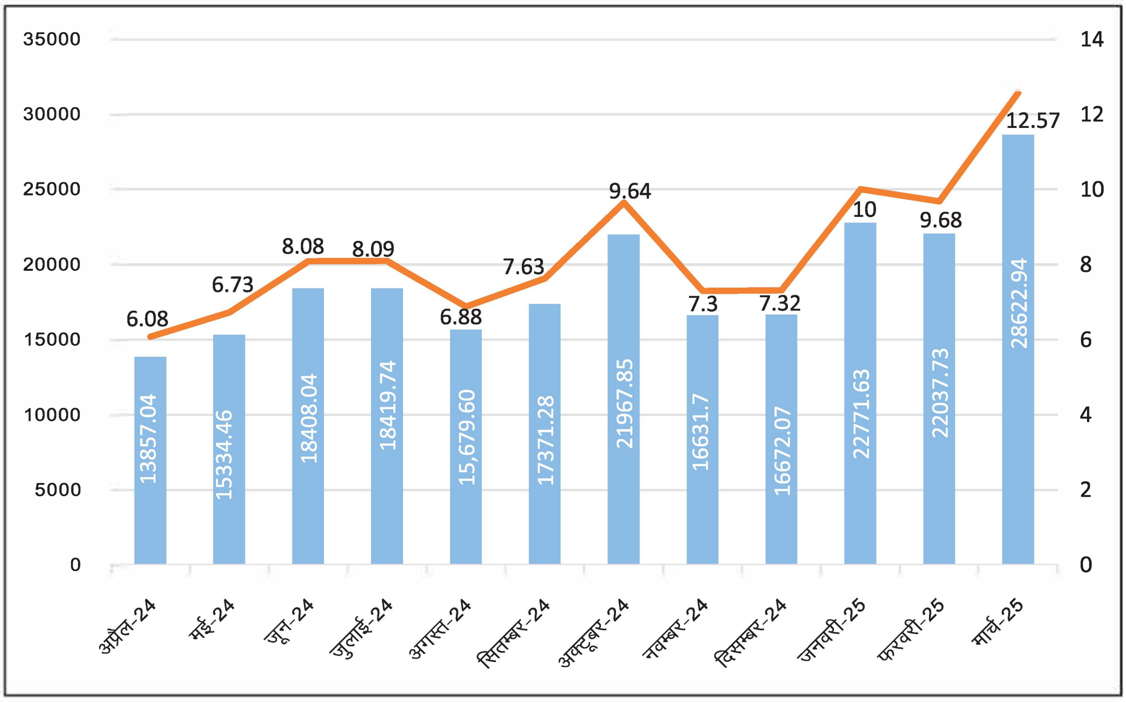

वर्ष 2024-25 के दौरान, यह देखा गया कि कुल प्राप्तियों (₹ 2,27,774.09 करोड़) में से का 32.24 प्रतिशत (₹ 73,432.30 करोड़) अकेले अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुई।

माहवार प्राप्तियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्राप्तियाँ अंतिम तिमाही, विशेषकर मार्च माह में केंद्रित रहीं, जो वर्ष भर में राजस्व प्राप्ति की असमानता को इंगित करता है। वर्ष के अंत में प्राप्तियों का ऐसा संकेन्द्रण अंतर-वर्षीय राजस्व पूर्वानुमानों की राजस्व अनुमानों की विश्वसनीयता और नकदी प्रबंधन की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है।

चार्ट 2.7: व्यय का माह-वार प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

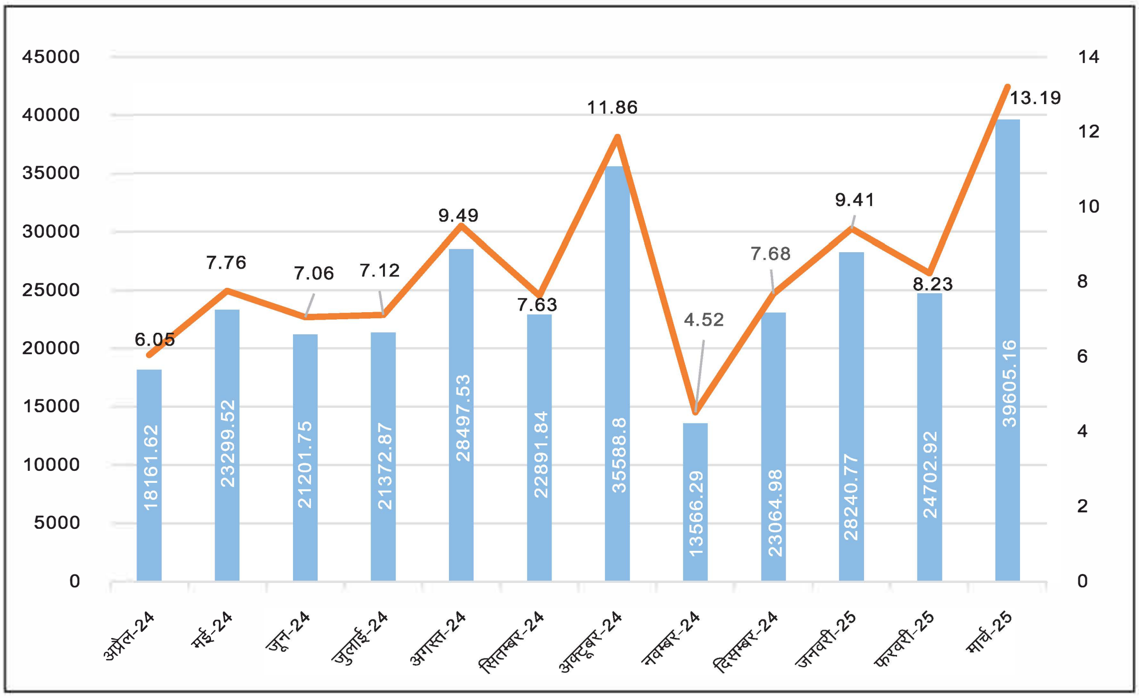

माहवार व्यय की प्रवृत्ति से यह स्पष्ट होता है कि व्यय अंतिम तिमाही, विशेषकर मार्च माह में केंद्रित रहा, जो वर्ष भर में व्यय की असमानता को दर्शाता है। इस प्रकार का संकेन्द्रण नकदी प्रबंधन की दक्षता तथा व्यय की निगरानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।

सात मुख्य शीर्षों जिनमें मार्च के महीने में किया गया व्यय, कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था, का विवरण, नीचे तालिका में प्रदान किया गया है:

तालिका 2.22: वर्ष 2024-25 में मार्च माह के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले मुख्य शीर्ष

(₹ करोड़ों में)

क्र. संख्या	लेखा मद	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च मे व्यय	कुल	कुल व्यय के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही के व्यय का प्रतिशत	कुल व्यय के सापेक्ष मार्च का प्रतिशत।
1	2403	पशु-पालन	352.95	901.11	609.44	844.72	1,393.08	2,708.21	31.19	51.44
2	3054	सड़क तथा सेतु	-6.78	275.60	81.14	2,871.43	2,327.79	3,221.39	89.14	72.26
3	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	21.13	77.51	-3.88	87.74	94.76	-	92.59
4	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00	100.00	100.00
5	4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	1.09	100.00	99.98
6	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	-0.37	0.30	4.54	2.88	4.46	101.62	64.49
7	6408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	65.59	56.64	65.59	100.00	86.36
		कुल	**346.17**	**1197.47**	**768.39**	**3,953.48**	**4,039.23**	**6,265.51**	**63.10**	**64.47**

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी

इसके अलावा, 23 उप-शीर्षों में ₹ 941.72 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय केवल मार्च 2025 माह में किया गया था (***परिशिष्ट 2.13***)।

आंकड़े यह दर्शाते है कि:

- पूंजीगत शीर्ष वर्ष के अंत में लेखांकन में अत्यधिक संकेन्द्रण हैं।
- व्यय की गति त्रैमासिक वितरण के अनुरूप नहीं है।
- मार्च माह में लंबित बिलों का निपटान संभावित है।
- व्यय के समान चरणबद्ध वितरण के लिए आवश्यक व्यय नियंत्रण दिशा-निर्देशों का सीमित अनुपालन।

व्यय की स्थिर गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इससे राजकोषीय असंतुलन एवं अस्थायी नकदी संकट से बचा जा सकता है। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान व्यय को चरणबद्ध रूप से नियंत्रित करने हेतु त्रैमासिक प्रतिशत (प्रथम तिमाही-30 प्रतिशत; द्वितीय तिमाही-30 प्रतिशत; तृतीय तिमाही-30 प्रतिशत; चतुर्थ तिमाही-10 प्रतिशत) निर्धारित किए हैं। विनियोग लेखों के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान, 64 अनुदानों के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹ 1,27,934.07 करोड़ का कुल व्यय किया गया था, जो कुल व्यय (₹ 4,53,066.25 करोड़) का 28.23 प्रतिशत था और अकेले मार्च 2025 में ₹ 51,153.41 करोड़ (11.29 प्रतिशत) व्यय किए गए थे। सभी अनुदानों में किए गए व्यय का तिमाही विवरण ***परिशिष्ट 2.14*** में दिखाया गया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्तियों और व्यय के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्राप्तियों एवं व्यय की प्रवृत्ति निर्धारित त्रैमासिक व्यय मानदंडों के अनुरूप नहीं रही। यद्यपि, वित्त विभाग ने निर्देश दिया था कि दिसंबर माह तक 90 प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए, वास्तविकता में कुल व्यय का 30.83 प्रतिशत (₹ 92,548.85 करोड़) अंतिम तिमाही में किया गया, जिसमें 13.19 प्रतिशत (₹ 39,605.16 करोड़) अकेले मार्च माह में ही व्यय हुआ, जिसमे वर्ष के अंतिम दिन व्यय कियए गए ₹ 3,609.55 करोड़ शामिल है। प्राप्तियों में भी इसी प्रकार का संकेन्द्रण देखा गया, जहाँ 32.24 प्रतिशत प्राप्तियाँ अंतिम तिमाही में हुई। माहवार प्रवृत्ति से स्पष्ट है कि राजस्व एवं व्यय दोनों का वर्षांत में अत्यधिक संकेन्द्रण हुआ, जो वित्तीय संचालन की असमान गति को दर्शाता है।

पूंजीगत शीर्षों में यह संकेन्द्रण और अधिक स्पष्ट था, जहाँ कुछ प्रमुख शीर्षों में वार्षिक व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक मार्च माह में ही किया गया तथा 23 उप-शीर्षों में ₹ 941.72 करोड़ का संपूर्ण व्यय मार्च माह में ही हुआ। चयनित अनुदानों की विस्तृत जांच से यह पाया गया कि अंतिम तिमाही में व्यय 40 से 94 प्रतिशत तक रहा। विभागों द्वारा बताए गए कारण-संशोधित प्रावधानों को जारी करने में देरी, बिल जमा करने में देरी और प्रक्रिया से जुड़ी रुकावटें वर्ष के दौरान किये जाने वाले नियोजन और अनुश्रवण में कमज़ोरियों की ओर इशारा करते हैं। यह प्रवृत्ति इस आवश्यकता को दृष्टिगत करती है कि त्रैमासिक समीक्षा को सुदृढ़ किया जाए, बजट समायोजन समय पर किए जाएँ तथा वित्तीय निर्गम को भौतिक प्रगति के अनुरूप संरेखित किया जाए, ताकि संतुलित एवं दक्ष राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

चयनित अनुदान-वार व्यय के प्रवाह का विश्लेषण

अनुदान संख्या 41 (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) में वर्ष 2024-25 के दौरान, अनुदान के तहत तीन योजनाओं में अंतिम तिमाही में किया गया व्यय कुल व्यय का 44 से 94 प्रतिशत के बीच रहा, जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान व्यय की एक समान गति बनाए नहीं रखी जा सकी।

तीन योजनाओं का विवरण, जिनमें अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय कुल व्यय के 40 प्रतिशत से अधिक था, नीचे दी गई **तालिका** में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 2.23: वर्ष 2024-25 के दौरान अंतिम तिमाही में 40 प्रतिशत से अधिक व्यय वाली योजनाएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	कुल व्यय के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही का प्रतिशत
1	4215-01-101-11 अभिवृद्धि शहरी जल आपूर्ति योजना	76.89	91.58	221.81	302.80	693.08	44
2	4215-01-102-01 अभिवृद्धि ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	2.03	2.48	2.89	113.30	120.70	94
3	4215-01-102-79 इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	29.64	18.45	18.26	44.81	111.16	40

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025) कि राज्य सरकार ने प्रत्येक योजना के लिए संशोधित बजटीय प्रावधान केवल उसी माह में उपलब्ध कराए जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा था। इसके कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीनों में, संभागीय कार्यालयों में लंबित बिलों एवं नियमित बिलों का भुगतान पूर्व बजट के अभाव में किया गया। परिणामस्वरूप, अधिकतम व्यय उसी महीने में हुआ जिसमें वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा था। इसके अतिरिक्त, अधिकांश बिल भी ठेकेदारों द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय के अत्यधिक संकेन्द्रण को पर्याप्त रूप से उचित नहीं ठहराता। प्रभावी बजट प्रबंधन हेतु समय पर पुनर्मूल्यांकन एवं निधियों का चरणबद्ध निर्गमन आवश्यक है, जो कार्यों की भौतिक प्रगति के अनुरूप हो। अंतिम तिमाही में संचित बिलों का भुगतान पूर्व तिमाहियों में व्यय योजना एवं निगरानी की कमियों को दर्शाता है।

इसके अलावा, ठेकेदारों द्वारा अधिकांश बिलों का अंतिम तिमाही में प्रस्तुत किया जाना माइलस्टोन-आधारित बिलिंग के कमजोर प्रवर्तन तथा अपर्याप्त वित्तीय पर्यवेक्षण को दर्शाता है। कुछ योजनाओं में अंतिम तिमाही में व्यय 94 प्रतिशत तक होना व्यय प्रबंधन की असमानता को दर्शाता है और अंतर-वर्षीय बजटिंग एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को मजबूत करने का आह्वान करता है।

इसी प्रकार, वर्ष 2024-25 के दौरान, अनुदान संख्या 46-(कृषि विभाग) के तहत छह योजनाओं में व्यय अंतिम तिमाही में कुल व्यय का 34 से 100 प्रतिशत के बीच रहा, जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान व्यय की एक समान गति बनाए नहीं रखी जा सकी। ऐसी योजनाओं का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.24: वर्ष 2024-25 के दौरान अंतिम तिमाही में 30 प्रतिशत से अधिक व्यय वाली योजनाएं

(₹ करोड़ में)

क्र. संख्या	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	कुल व्यय में चौथी तिमाही का प्रतिशत
1.	2401-109-16 राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकि मिशन	6.62	3.39	2.89	18.71	31.61	59.19

क्र. संख्या	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	कुल व्यय में चौथी तिमाही का प्रतिशत
2.	2401-196-06 जिला स्तरीय कृषि योजनाएं	4.41	42.59	50.10	219.78	316.90	69.35
3.	2401-800-27 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)	3.59	2.39	0.54	24.25	30.77	78.81
4.	2401-800-37 राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना (वि.के.स.)	9.36	0.00	0.00	22.13	31.49	70.28
5.	2415-01-277-01 विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा	68.59	79.07	72.45	115.53	335.65	34.42
6.	6408-02-190-01 गोदामों का निर्माण	0.00	0.00	0.00	65.59	65.59	100

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना

कृषि विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025) कि व्यय की अधिकता का कारण संबंधित संस्थाओं/क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा वर्ष के अंतिम महीनों में बिलों का प्रस्तुत किया जाना, निविदा प्रक्रिया का अंतिम माह में पूर्ण होना, कार्यों की वित्तीय स्वीकृति का अंतिम माह में प्राप्त होना तथा नए आय-व्यय प्रणाली में तकनीकी समस्याएँ थीं। इन कारणों से प्रारंभिक महीनों में व्यय की गति धीमी रही और परिणामस्वरूप अंतिम माह में व्यय अधिक हुआ।

2.6 राज्य में चयनित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने यह अनिवार्य किया (मार्च 2021) कि प्रत्येक केंद्रीय प्रवर्तित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत प्रत्येक सीएसएस के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से धन जारी करने और उनके उपयोग की निगरानी करने का आदेश दिया। प्रत्येक एसएनए के पास एक अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में समर्पित बैंक खाता होना आवश्यक है। राज्य सरकार को प्राप्त केंद्रीय अंश को संबंधित एसएनए के खाते में राज्य अंश के साथ हस्तांतरित करना आवश्यक है। राज्य सरकार को केंद्रीय अंश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर केंद्रीय अंश तथा समतुल्य राज्य अंश एसएनए खाते में स्थानांतरित करना अनिवार्य है। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया (29 अगस्त 2022) कि राज्य में सभी सीएसएस योजनाओं के एसएनए बैंक खाते खोले जा चुके हैं तथा इन योजनाओं को पीएफएमएस. पोर्टल पर भी लिंक कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार को अपने कोषागार खाते में ₹ 12,265.55 करोड़ का केंद्रीय अंश प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने ₹ 27,280.40 करोड़ {केंद्रीय अंश ₹ 13,923.76 करोड़ (जिसमें वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त निधियाँ भी सम्मिलित हैं) तथा राज्य अंश ₹ 13,356.64 करोड़} एसएनए को हस्तांतरित किए। पीएफएमएस आँकड़ों (31.03.2025 तक) के अनुसार निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं :

- राज्य सरकार ने मार्च 2025 में ₹ 2,606.27 करोड़ की राशि प्राप्त की, जिसमें से ₹ 2,444.83 करोड़ 31 मार्च 2025 तक एसएनए के बैंक खातों में हस्तांतरित नहीं किए गए थे।

- 76 योजनाओं के एसएनए बैंक खातों में ₹ 3,407.10 करोड़ की अनुपयोगी शेष राशि पड़ी है, जैसाकि ***परिशिष्ट 2.15*** में विस्तृत विवरण दिया गया है, इन शेष राशियों को संबंधित सरकारी

खाते में वापस किया जाना था। इतनी बड़ी राशि का एसएनए बैंक खातों में बिना वापसी के रखा जाना वर्ष 2025-26 में निधियों की समय पर जारी करने को प्रभावित कर सकता है।

- पीएफएमएस- एसएनए की एसएनए रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को "आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए फ्लेक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन" योजनाओं के तहत वस्तु (कमोडीटी) के रूप में ₹ 179.26 करोड़ सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हुआ।

- एसएनए से वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे।

केंद्र एवं राज्यों दोनों के स्तर पर नकदी प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने हेतु भारत सरकार ने (जुलाई 2023) सीएसएस निधियों के लिए एकीकृत ढाँचे के अंतर्गत पीएफएमएस, राज्य आईएफएमएस तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से निधि प्रवाह तंत्र "एसएनए-स्पर्श" (त्वरित अंतरण हेतु एकीकृत वास्तविक समय प्रणाली) नामक निधि प्रवाह तंत्र शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत, राज्य सरकार को सीएसएस के अनुरूप प्रत्येक राज्य संबद्ध योजना (एसएलएस) को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करनी थी।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचित किया (21 मई 2024 एवं 04 अक्टूबर 2024) कि 28 सीएसएस योजनाएँ दिनांक 1 जून 2024 से एसएनए-स्पर्श के माध्यम से लागू की जाएँगी तथा भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि 37 अतिरिक्त सीएसएस योजनाएँ 1 जुलाई 2025 से सभी राज्यों एवं विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों में एसएनए-स्पर्श के माध्यम से लागू की जाएँगी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि 1 नवंबर 2025 से सभी सीएसएस योजनाएँ एसएनए-स्पर्श के माध्यम से सभी राज्यों एवं विधानमंडल वाले केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू की जाएगी।

पीएफएमएस आँकड़ों (31.03.2025 तक) के अनुसार निम्नलिखित अवलोकन किये गए:

- योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से एसएनए-स्पर्श पर ऑन-बोर्ड करने की प्रक्रिया में राज्य सरकार ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में 6 योजनाएँ (21 जून 2024), 15 योजनाएँ (28 जून 2024) तथा 4 योजनाएँ (14 अक्टूबर 2024) अनुमोदित कीं।

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 09 अगस्त 2024 के अनुसार, राज्य को कम से कम पाँच केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को 31 जनवरी 2025 तक एसएनए-स्पर्श मॉडल पर ऑन-बोर्ड करने तथा राज्य के आई.एफ.एम.आई.एस. को पी.एफ.एम.एस. एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर सिस्टम से एकीकृत करने पर ₹ 250 करोड़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए पात्र माना गया।

- वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को 28 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं को एसएनए स्पर्श मॉडल पर ऑन-बोर्ड करने के लिए ₹ 500.00 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई।

- 31 मार्च, 2025 तक, राजस्थान सरकार ने 28 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं को ऑन-बोर्ड कर लिया है, जिनके अंतर्गत 70 राज्य संबद्ध योजनाएं (एसएलएस) शामिल हैं।

तालिका 2.25: वर्ष के दौरान पांच सर्वाधिक व्यय वाली केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा जारी राशि	राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया केंद्रीय अंश	वित्त पोषण पैटर्न के अनुसार राज्य का अंश	जारी किया गया राज्य अंश	कुल जारी राशि	व्यय
1.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता	समग्र शिक्षा	3,093.05	2,981.32	2,060.43	9,563.48	12,544.80	12,544.80
2.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए फ्लेक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	1,584.59	1,944.10	1,056.39	1,677.78	3,621.88	3,621.88
3.	ग्रामीण विकास	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	1,370.76	2,016.88	427.78	592.99	2,609.87	2,609.87
4.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्व में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम)	597.87	600.92	398.58	475.09	1,076.01	1,076.01
5.	आवास और शहरी मामलात मंत्रालय	शहरी पुनरुत्थान मिशन-शहर	386.17	439.43	386.17	567.49	1,006.93	1,006.93

उपरोक्त योजनाओं, के विश्लेषण में यह देखा गया कि:

- उपरोक्त पांच केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (सीएसएस) में से केवल एक योजना "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम" को ही एसएनए स्पर्श मॉडल पर सम्मिलित किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत, पांच राज्य संबद्ध योजनाओं (एसएलएस) में से केवल दो एसएलएस योजनाओं, "मनरेगा-सामग्री आरजे" और "मनरेगा-प्रशासन" को ही एसएनए-स्पर्श के साथ जोड़ा गया है।
- इन उपरोक्त पांच केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (सीएसएस) के एसएनए खातों में ₹ 436.35 करोड़[1] की राशि अव्ययित थी।

पाँच सर्वाधिक व्यय वाली केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं का वर्ष 2024-25 में पूर्ण रूप से उपयोग किया गया। तथापि, कई योजनाओं में, राज्य द्वारा जारी अंश निधि, निधि पैटर्न के अंतर्गत निर्धारित अंश से अधिक रही। यह स्थिति निधि घटकों के सामंजस्य तथा केंद्र एवं राज्य अंशदान की गहन निगरानी की आवश्यकता को दर्शाती है, ताकि अनुमोदित मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके और वित्तीय रिपोर्टिंग सटीक रहे ।

2.7 चाइल्ड बजट

चाइल्ड बजट राज्य सरकार की उन योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो बच्चों पर केंद्रित हैं और जिन्हें एक वित्तीय वर्ष के समग्र बजट से आवंटित किया जाता है। राज्य सरकार ने चाइल्ड बजट विवरण तैयार करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग घोषित किया। प्रथम चाइल्ड बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत किया गया था।

1. (i) समग्र शिक्षा: ₹ 147.60 करोड़; (ii) आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए फ्लेक्सी पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन: ₹ 19.18 करोड़; (iii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम: ₹16.22 करोड़; (iv) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पूर्व में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम): ₹14.48 करोड़ और (v) शहरी पुनरुत्थान मिशन-शहर: ₹ 238.87 करोड़।

वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य सरकार ने बाल-विशिष्ट योजनाओं हेतु ₹ 46,889.78 करोड़ (राज्य के कुल बजट का 8.96 प्रतिशत) आवंटित किया, जो पिछले वर्ष (₹ 39,693.08 करोड़) के चाइल्ड बजट की तुलना में 18.13 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2024-25 के दौरान, चाइल्ड बजट के अंतर्गत आवंटित निधि एवं व्यय व्यय का विवरण नीचे **तालिका** में दिया गया है:

तालिका 2.26: वर्ष 2024-25 के दौरान चाइल्ड बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान के उपयोग का प्रतिशत
₹ 46,889.78	₹ 38,925.35	83.01

स्रोत: वर्ष 2024-25 के बजट और विस्तृत विनियोग लेखा के अनुसार

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान 174 योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत 18 विभागों में ₹ 46,889.78 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध 85.15 प्रतिशत बजट अनुमान का उपयोग किया गया था। आगे, विश्लेषण से यह तथ्य सामने आए:

i. 11 विभागों[2] की 37 योजनाओं (174 में से) में ₹ 2,795.93 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 612.45 करोड़ का उपयोग 20 योजनाओं में किया गया, जो 0.78 से 34.69 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि ***परिशिष्ट 2.16*** में दिए गए विवरण के अनुसार, 17 योजनाओं में व्यय शून्य रहा।

ii. राज्य सरकार ने 31 (174 में से) योजनाओं में टोकन प्रावधान किया था और प्रावधान में वृद्धि किए बिना पूरे प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया तथा 9 योजनाओं में कोई प्रावधान नहीं किए गए थे।

पिछले दो/तीन वर्षों से पाँच विभागों की सात योजनाओं में अनावश्यक प्रावधान किए जा रहे थे, जिन्हें वित्तीय वर्ष के अंत में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया गया, जैसाकि नीचे दी गई **तालिका** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.27: पिछले दो/तीन वर्षों के दौरान अनुपयोजित प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	2024-25	2023-24	2022-23
1.	अल्पसंस्यक मामलात विभाग (58)	काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	12.61	13.95	_
2.	बाल अधिकारिता विभाग (259)	बाल गृह/क्रेच का संचालन (2543)	1.45	1.45	1.74
3.	प्रारंभिक शिक्षा विभाग (29)	सहरिया क्षेत्र के जनजातीय वर्ग के छात्रों के शैक्षिक उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता (3029)	2.55	2.55	_
4.	माध्यमिक शिक्षा विभाग (13)	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (3063)	5.00	5.00	_
5.		सहरिया क्षेत्र के छात्रों को वित्तीय सहायता (3025)	1.40	1.40	1.75
6.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (43)	काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	50.00	11.56	_
7.		छात्रावास में रहने वालों के लिए साइकिल वितरण योजना (2541)	2.74	0.50	1.80

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि बजट की उपलब्धता के बावजूद संबंधित विभागों द्वारा पिछले दो से तीन वर्षों के दौरान योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया। यह संबंधित विभाग के स्तर पर क्रियान्वयन

2. अल्पसंस्यक मामलात विभाग, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) विभाग, परिवार कल्याण विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, मिड-डे मील राजस्थान, एकीकृत बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

की कमी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, योजनाओं को क्रियान्वित न करने के कारणों से विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।

बाल विकास विभाग ने सूचित किया (जून 2025) कि कम व्यय का कारण भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होना था । आयुक्त, मिड-डे मील, राजस्थान जयपुर ने सूचित किया (जून 2025) कि कम व्यय वित्त विभाग द्वारा निधियाँ जारी न किए जाने के कारण हुआ। निदेशालय, विशेष योग्यजन विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2025) कि कम उपयोग का कारण कम आवेदन प्राप्त होना तथा संस्थाओं द्वारा बजट की माँग न करना था । विभिन्न विभागों से अन्य योजनाओं में कम/शून्य व्यय के कारण प्रतीक्षित है(सितंबर 2025)।

बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कम/शून्य व्यय, महिला एवं बाल विकास विभाग (नोडल विभाग) द्वारा उचित निगरानी की कमी और योजनाओं के क्रियान्वन में विभागों की शिथिलता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं में प्रावधान न करना तथा टोकन प्रावधान में वृद्धि हेतु राशि उपलब्ध न कराना भी विभाग स्तर पर शिथिलता तथा नोडल विभाग एवं वित्त विभाग स्तर पर निगरानी की कमीयों को इंगित करता है, जिससे चाइल्ड बजट का प्रभावी क्रियान्वयन प्रभावित हुआ ।

प्रमुख योजनाएँ जिनमें निधियाँ अप्रयुक्त रहीं, वे निम्नलिखित थीः

- छात्रवृत्ति
- जनजातीय शिक्षा
- बालिका प्रोत्साहन योजनाए
- आंगनवाड़ी अवसंरचना
- पोषण कार्यक्रम
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग श्रेणियों का कल्याण

चयनित कल्याण एवं शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत केवल 21.91 प्रतिशत उपयोग से यह स्पष्ट होता है कि योजना निर्माण, क्रियान्वयन तत्परता तथा वर्ष के दौरान निगरानी में महत्वपूर्ण कमियाँ रही हैं। अनेक योजनाओं में शून्य व्यय की स्थिति यह दर्शाता है कि निष्क्रिय मदों का युक्तिकरण, क्रियान्वयन अवरोधों की समय पर समीक्षा तथा बजट प्रावधानों का वास्तविक क्रियान्वयन क्षमता के अनुरूप संरेखण आवश्यक है, ताकि सामाजिक क्षेत्र के लाभों की प्रभावी सुपुर्दगी सुनिश्चित की जा सके।

2.8 जेंडर बजट

जेंडर उत्तरदायी बजटिंग एक ऐसा साधन है जो राज्य के विशिष्ट लैंगिक समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से सार्वजनिक संसाधनों का न्यायसंगत आवंटन सुनिश्चित करता है। यह समग्र बजट का हिस्सा है और महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण हेतु अभिप्रेत है। जेंडर बजटिंग का एक उद्देश्य राज्य बजट में योजनाओं का समेकन करना है, जिससे लैंगिक आधारित विश्लेषण को सुगम बनाया जा सके। राज्य में जेंडर बजटिंग का विनियमन राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जिसके अंतर्गत वार्षिक जेंडर बजट विवरण तैयार करने हेतु निर्दिष्ट विभागों के बजट नियंत्रक अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा जारी बजट परिपत्र में निर्धारित प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है। राज्य सरकार ने जेंडर बजट विवरण तैयार करने हेतु महिला अधिकारिता विभाग को नोडल विभाग नामित किया है। जेंडर बजट में सम्मिलित योजनाओं की श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:

अ	ऐसी योजनाएं जिनके अंतर्गत महिलाओं के लिए किया गया प्रावधान 70 प्रतिशत से अधिक है।
ब	ऐसी योजनाएं जिनके अंतर्गत महिलाओं के लिए किया गया प्रावधान 70 प्रतिशत से कम है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, जेंडर बजट के अंतर्गत कुल 538 योजनाएँ/कार्यक्रम सम्मिलित थे, जिनमें 104 'क' श्रेणी की योजनाएँ तथा 434 'ख' श्रेणी की योजनाएँ थीं, जिनसे 13.46 करोड़ महिलाएँ/बालिकाएँ लाभान्वित हुईं। राज्य सरकार ने जेंडर बजट हेतु ₹ 54,015.36 करोड़ का आवंटन किया, जो 2024-25 के कुल राज्य बजट[3] का 10.32 प्रतिशत था। यह प्रावधान वर्ष 2023-24 में किए गए बजट प्रावधान (₹ 38,679.43 करोड़) की तुलना में 39.65 प्रतिशत अधिक था।

वर्ष 2019-20 से 2024-25 की अवधि में 104 'क' श्रेणी एवं 434 'ख' श्रेणी योजनाओं के अंतर्गत जेंडर बजट का वर्षवार आवंटन एवं व्यय निम्न **तालिका** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.28: जेंडर बजटिंग के बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़ों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	वर्ष	जेंडर बजट में शामिल योजनाओं में कुल बजट प्रावधान	जेंडर बजट की ऐसी योजनाओं में महिलाओं के लिए प्रावधान	योजनाओं में वास्तविक व्यय	व्यय का प्रतिशत
1.	2019-20	37,415.03	18,928.78	15,700.39	82.94
2.	2020-21	28,595.68	14,481.66	15,202.61	104.98
3.	2021-22	35,730.36	18,198.64	18,155.67	99.77
4.	2022-23	69,851.91	33,745.11	28,630.92	84.84
5.	2023-24	76,614.07	38,679.43	33,812.88	87.42
6.	2024-25	1,15,890.09	54,015.36	47,181.27*	87.35

स्रोतः बजट दस्तावेज और विभागीय उत्तर

** स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत योजनाओं का व्यय विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया*

लेखापरीक्षा जांच में यह सामने आया कि वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 538 योजनाओं में से, श्रेणी 'क' की 16 योजनाओं के अंतर्गत 9 विभागों द्वारा ₹ 153.65 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया तथा श्रेणी 'ख' की 80 योजनाओं के अंतर्गत 32 विभागों द्वारा ₹ 1,008.43 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया।

जेंडर बजट विवरण में सम्मिलित अनेक योजनाओं में ₹ 1,162.08 करोड़ के बजटीय प्रावधान के बावजूद व्यय न होने से यह स्पष्ट होता है कि लैंगिक केंद्रित कार्यक्रमों की क्रियान्वयन योजना एवं निगरानी में कमियाँ रही हैं। श्रेणी 'क' एवं श्रेणी 'ख' दोनों योजनाओं में शून्य उपयोग से यह संकेत मिलता है कि जेंडर बजट ढाँचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि आवंटन वास्तविक व्यय एवं महिलाओं को लक्षित लाभों में परिवर्तित हो सके।

जेंडर बजट के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा बजट आवंटन के विरुद्ध शून्य व्यय वाली योजनाओं का विवरण ***परिशिष्ट 2.17*** में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि राज्य सरकार ने 22 विभागों की 47 योजनाओं में टोकन प्रावधान किया था, किन्तु संपूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया। यह दर्शाता है कि जेंडर बजट के अंतर्गत दर्शाई गई अनेक योजनाएँ वास्तव में संबंधित विभागों द्वारा निधि उपलब्ध न होने के कारण क्रियान्वित नहीं की गईं।

3 ₹ 5,23,305.80 करोड़ (विनियोग लेखे)

यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹ 2,003.18 करोड़ का कुल बजट प्रावधान किया था, जिसे संशोधित बजट अनुमान में घटाकर ₹ 96.97 करोड़ कर दिया गया (महिलाओं हेतु ₹ 1,112.87 करोड़ का प्रावधान भी उसी अनुपात में घटाया गया), जैसाकि ***परिशिष्ट 2.18*** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि पिछले दो/तीन वर्षों से 21 विभागों की 30 योजनाओं में अनावश्यक प्रावधान किए जा रहे थे, जिन्हें वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया, जैसाकि ***परिशिष्ट 2.19*** में दर्शाया गया है।

संबंधित विभागों ने सूचित किया (जून–जुलाई 2025) कि जेंडर बजट का कम/शून्य उपयोग भारत सरकार से निधि की कम/शून्य प्राप्ति, राजस्थान सरकार द्वारा छात्रावासों की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर प्रतिबंध, लोक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय, भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होना, वित्त विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति कम प्राप्त होना, सरकार से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होना, निविदा रद्द होना तथा निर्माण कार्य हेतु निधि की विलंबित प्राप्ति आदि कारणों से हुआ।

यह स्थिति क्रियान्वयन विभागों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की कमी तथा वित्त विभाग एवं नोडल विभाग द्वारा निगरानी की कमी को दर्शाती है।

अभिलेखों की आगे की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 28 अगस्त 2009 के अनुसार एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन (अगस्त 2009) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों के बजट को समय पर जाँचना, समीक्षा करना एवं उसे लैंगिक संवेदनशील एवं लैंगिक उन्मुख बनाने हेतु सुझाव देना था। यह समिति स्थायी समिति के रूप में गठित की गई थी और इसे कम से कम प्रत्येक दो माह में एक बार बैठक करनी थी। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान एच.एल.सी. की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। यह भी देखा गया कि जेंडर बजट योजनाओं की निगरानी हेतु गठित एचएलसी को जून 2024 में भंग कर दिया गया। यह स्थिति लैंगिक संवेदनशील योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट के अंतर्गत ₹ 54,015.36 करोड़ (कुल राज्य बजट का 10.32 प्रतिशत) आवंटित किया, जिसमें कुल उपयोग 87.35 प्रतिशत रहा। तथापि, विस्तृत परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि 96 योजनाओं में ₹ 1,162.08 करोड़ का शून्य व्यय दर्ज किया गया, 47 योजनाओं में किए गए टोकन प्रावधान पूर्ण रूप से अभ्यर्पित कर दिए गए तथा संशोधित अनुमान चरण में पर्याप्त कटौतियाँ की गईं। ऐसे प्रावधानों की निरंतरता, साथ ही जेंडर बजट की निगरानी हेतु उच्च स्तरीय समिति का निष्क्रिय रहना एवं तत्पश्चात भंग होना, यह दर्शाता है कि आवंटन एवं क्रियान्वयन तत्परता के बीच कमजोर सामंजस्य है, जिससे जेंडर उत्तरदायी बजटिंग की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

2.9 आकस्मिकता निधि

राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान आकस्मिकता निधि नियम, 1957 बनाए, जिनके द्वारा निधि की अभिरक्षा, निधि में धनराशि जमा करने तथा निधि से धनराशि आहरण से संबंधित अथवा सहायक सभी विषयों का विनियमन किया जाता है। राजस्थान राज्य की आकस्मिकता निधि का कोष ₹ 1,000 करोड़ है। वित्तीय वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से कोई लेन-देन नहीं हुआ। 31 मार्च 2025 को आकस्मिकता निधि में ₹ 1,000 करोड़ की शेष राशि उपलब्ध थी।

2.10 निष्कर्ष

कुल बजट प्रावधान ₹ 5,23,305.80 करोड़ के विरुद्ध विभाग ने वर्ष 2024-25 में ₹ 4,62,702.16 करोड़ का व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60,603.64 करोड़ (कुल अनुदान एवं विनियोग का 11.58 प्रतिशत) की बचत हुई। यह राज्य की वित्तीय प्रबंधन में कमी को दर्शाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 10 करोड़ एवं उससे अधिक की राशि वाले 21 मामलों में ₹ 8,409.73 करोड़ के अनुपूरक अनुदान दिए गए, जबकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुँचा। यह दर्शाता है कि अनुपूरक अनुदान असंगत रूप से प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त 13 अनुदानों में ₹ 8,663.31 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया, जो ₹ 2,496.10 करोड़ अत्यधिक सिद्ध हुआ। अनुपूरक प्रावधानों के अत्यधिक/अनावश्यक होने के मामले यह दर्शाते हैं कि विभागों ने आवश्यकताओं का यथार्थ आकलन नहीं किया तथा बजट नियंत्रक अधिकारियों ने मासिक व्यय के माध्यम से व्यय प्रवाह पर आवश्यक नियंत्रण नहीं रखा।

₹ 931.66 करोड़ का राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय के रूप में, गलत वर्गीकृत किया गया।

वर्ष के दौरान 13 मामलों में पुनर्विनियोग अपर्याप्त/अत्यधिक/अविवेकपूर्ण सिद्ध हुए। अपर्याप्त/अत्यधिक अथवा अनावश्यक पुनर्विनियोग के मामले यह दर्शाते हैं कि बजट नियंत्रक अधिकारियों ने अपने नियंत्रणाधीन लेखा शीर्षों में निधि की आवश्यकता का पर्याप्त आकलन नहीं किया।

वर्ष 2022-2025 के दौरान 26 अनुदानों में निरंतर बचतें रही, जो सरकार स्तर पर प्रणालीगत एवं निगरानी की कमीयों को दर्शाता है।

वर्ष 2024-25 में एक अनुदान में ₹ 74.86 करोड़ का प्रावधान से अधिक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-2023 से 2023-2024 के दौरान ₹ 21,147.34 करोड़ का आधिक्य व्यय नियमितीकरण हेतु लंबित है।

वर्ष के अंतिम माह/अंतिम तिमाही में भारी व्यय होना आंतरिक नियंत्रणों की कमजोरी तथा व्यय/प्राप्तियों पर बजटीय नियंत्रण एवं प्रबंधन की कमी को दर्शाता है।

2.11 सकारात्मक पहलू

राज्य सरकार के बजटीय प्रबंधन के उत्तम पहलू नीचे दिए गए हैं:

- वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सभी पुनर्विनियोजन आदेशों और अभ्यर्पण आदेशों को प्रस्तुत किया जाना।
- अधिकांश बचतों का वर्ष के अंत से पहले अभ्यर्पण किया जाना।

2.12 सिफारिशें

- वित्त विभाग यह सुनिश्चित करे कि बजट अनुमान वास्तविक व्यय प्रवृत्तियों, प्रतिबद्ध देयताओं तथा योजनाओं की क्रियान्वयन तत्परता के आधार पर तैयार किए जाएं।
- वित्त विभाग अनुपूरक अनुदानों के प्रस्तावों की अधिक कठोरता से जाँच की जाए, ताकि ऐसे प्रावधानों से बचा जा सके जो अप्रयुक्त रहने की संभावना रखते हैं।

- बजट नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पुनर्विनियोग आदेश अद्यतन व्यय आँकड़ों तथा बचत एवं अतिरिक्त आवश्यकताओं के यथार्थ आकलन पर आधारित हों।
- अनुच्छेद 205 के अनुसार, सभी आधिक्यों को समयबद्ध तरीके से नियमितीकरण के लिए विधानमंडल के समक्ष रखा जाए।
- विभागों द्वारा निष्क्रिय अथवा अप्रभावी बजट मदों की पहचान एवं उन्हें बंद करने हेतु आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित किया जाए।
- बजट और वास्तविक व्यय के बीच के अंतर के लिए समय पर और सटीक स्पष्टीकरण महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाए, ताकि विधायी निगरानी सुदृढ़ हो सके।
- सरकार आंतरिक निगरानी एवं व्यय पूर्वानुमान प्रणालियों को सुदृढ़ करने पर विचार करे, जिससे बजट की विश्वसनीयता में सुधार हो और बार-बार होने वाली बचतों को कम किया जा सके।

अध्याय III

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं

अध्याय III : वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं

यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों द्वारा दिए गए राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता और तय वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के पालन की स्थिति के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की अनुपालना के साथ साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की पूर्णता, समयबद्धता और गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है ।

लेखों की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

3.1 राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से बजट से इतर उधार

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 (3) यह प्रावधान करता है कि यदि किसी राज्य सरकार पर भारत सरकार का कोई बकाया ऋण या प्रत्याभूति है, तो उसे उधार लेने के लिए भारत सरकार की सहमति अनिवार्य है । इसके अलावा, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि 2023-24 से 2025-26 तक राज्य सरकारों के लिए सामान्य निवल उधर सीमा (एनबीसी) राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत और बिजली सुधारों के लिए 2024-25 तक अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत तय की जा सकती है।

उपर्युक्त बताई गई निवल उधार सीमा को नजरअंदाज करके, राज्य सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एसपीएसयू)/निगमों/अन्य निकायों के ज़रिए बजट से इतर उधार लेने से, जबकि ऐसे उधार को चुकाने का दायित्व राज्य का है, राजकोषीय स्वास्थ्य और सरकारी वित्त में पारदर्शिता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। अब भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के एक वित्तीय वर्ष के लिए उधार की सीमा को बजट से इतर उधार की सीमा तक कम किया जा रहा है।

राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 में यह बताया गया था कि राज्य सरकार को सार्वजनिक हित में अपने वित्तीय कामकाज में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए जिसमे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन साधनों और अन्य समान दस्तावेजों से होने वाले बजट से इतर उधार से उत्पन्न होने वाली वास्तविक देनदारियों का प्रकटीकरण करेगी, जहाँ भुगतान का दायित्व राज्य सरकार के आवंटन पर होता है। इसके अतिरिक्त, राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अभिनियम, 2006 में यह प्रावधान किया गया था कि बजट दस्तावेजों के साथ विधानमंडल के समक्ष पेश किए जाने वाले 'मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) विवरण' में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और राज्य सरकार के कुल बकाया ऋण[1] के संबंध में पाँच-वर्षीय रोलिंग लक्ष्य शामिल होंगे।

1. जैसा कि राज्य एफआरबीएम अधिनियम में बताया गया है, राज्य के कुल बकाया कर्ज़ में आंतरिक कर्ज़, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, छोटी बचतें, भविष्य निधि इत्यादि, आरक्षित निधि और जमाएं सम्मिलित हैं।

वर्ष 2024-25 के लिए, एमटीएफपी के तहत ऋण को जीएसडीपी का 35.97 प्रतिशत और एफआरबीएम अधिनियम के तहत 38.20 प्रतिशत के रूप में लक्षित किया गया था। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 2024-25 के दौरान राज्य के लिए ₹ 59,073 करोड़ की उधार सीमा (अनुमानित जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत) निर्धारित की थी।

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024-25 के अपने बजट में किसी भी बजट से इतर उधार का प्रकटीकरण नहीं किया है। इसके अलावा, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगमों/अन्य निकायों से एकत्र की गई सूचना और राज्य सरकार के प्रासंगिक स्वीकृति आदेशों की जांच से पता चला कि राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से बजट से इत्तर ₹ 9410 करोड़ के ऋण लिए, जैसा कि **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: 31 मार्च 2025 को बजट से इतर उधार का विवरण

(₹ करोड़ में)

सरकार की ओर से उधार लेने वाले संस्थान	बजट से इतर उधार का वर्ष	उधर देने वाली वित्तीय संस्था	स्वीकृत ऋण	वितरित ऋण	ऋण का उद्देश्य	31 मार्च 2025 को बकाया ऋण
राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज निगम	2021-22 से 2024-25	आवास और शहरी विकास निगम लि., बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9,410	9,410	जल जीवन मिशन में राज्यांश	9,044.58

स्रोतः संबंधित संस्थानों द्वारा प्रदत्त जानकारी

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया बजट से इतर उधर चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: 31 मार्च 2025 को GSDP के प्रतिशत के रूप में बकाया बजट इतर उधार

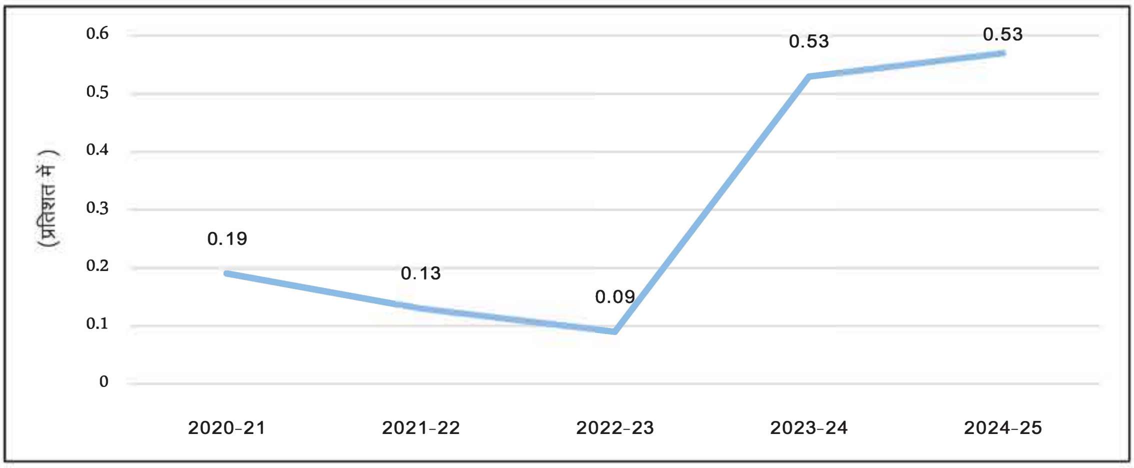

तालिका 3.2: 2024-25 के दौरान ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र स.	संस्थानों के नाम	मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु सहायता	ब्याज के भुगतान हेतु सहायता
		राशि	राशि
1	आरडब्लूएसएससी	365.42	694.70

स्रोतः संबंधित संस्थानों द्वारा प्रदत्त जानकारी

1979 में स्थापित राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज निगम (आरडब्लूएसएससी) का उद्देश्य राजस्थान में जल आपूर्ति एवं सीवरेज और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए योजनाओं को तैयार करना, लागू करना, बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता करना था । राज्य सरकार ने अभी तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्य

आरडब्लूएसएससी को हस्तांतरित नहीं किए हैं, इसलिए यह अकार्यशील है। यद्यपि, जल जीवन मिशन के संचालन दिशानिर्देश (दिसंबर 2019) और भारत सरकार के संशोधित दिशानिर्देश (मई 2023) के अनुसार, जल जीवन मिशन का राज्यांश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था, जिसके लिए बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधान किया जाना था।

हालाँकि, यह देखा गया कि राजस्थान सरकार ने 2021-25 की अवधि के दौरान ₹ 10,167.51 करोड़ की प्रत्याभूति प्रदान की, जिसके समक्ष आरडब्लूएसएससी ने हुडको और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ₹ 9,410 करोड़ का ऋण लिया और जल जीवन मिशन (जेजेएम) के राज्यांश के रूप में ₹ 11,120.12 करोड़[2] मिशन के एसएनए खाते में हस्तांतरित किए।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि आरडब्लूएसएससी ने पिछले तीन वर्षों में इन ऋण के समक्ष ₹ 1,579.95 करोड़ (₹ 365.99 करोड़: 2022-23, ₹ 519.26 करोड़: 2023-24 और ₹ 694.70 करोड़: 2024-25) का ब्याज और 2024-25 के दौरान ₹ 365.42 करोड़ का मूलधन चुकाया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि यह पुनर्भुगतान 2022-25 के दौरान ₹ 1213.26 करोड़[3] के संग्रहीत जल उपयोगकर्ता शुल्क और राजस्थान सरकार द्वारा आरडब्लूएसएससी को हस्तांतरित किए गए ₹ 377.29 करोड़[4] के सहायतार्थ अनुदान से किया गया था। यह भी पाया गया कि राज्य सरकार ने शून्य भुगतान वाउचर द्वारा आरडब्लूएसएससी के ब्याज सहित जमा खाते में ₹ 2,243.86 करोड़ की राशि हस्तांतरित की।

यह संकेत करता है कि ब्याज और मूलधन का पुनर्भुगतान राज्य सरकार द्वारा जल उपयोगकर्ता शुल्क, सहायतार्थ अनुदान और बजट शीर्ष के माध्यम से निधियां हस्तांतरित कर अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है। चूंकि, इस ऋण की देनदारी राजस्थान सरकार के लेखों के स्थान पर आरडब्लूएसएससी के लेखों में दिखाई जा रही है। जो राज्य सरकार की बजट से इतर उधार का निर्माण करती है। राज्य सरकार जेजेएम के तहत जल आपूर्ति योजना को निधियां देने के लिए बाजार से ऋण लेने के लिए आरडब्लूएसएससी का प्रयोग सिर्फ एक माध्यम के रूप में कर रही है। इस तरह, राज्य सरकार पर ऋण का भार उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण तरीके से कम दिखाया जा रहा है।

आरडब्लूएसएससी ने स्वीकार किया (नवंबर 2024) कि वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार, संग्रहीत जल उपयोगकर्ता शुल्क निगम के पीडी खाते में जमा किए जा रहे हैं और उसी का उपयोग ऋण पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा है। हुडको, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा राजस्थान पॉवर फाइनेंस एंड फाइनेंसज सर्विसेज लिमिटेड से आरडब्लूएसएससी द्वारा लिए गए ₹ 9,690 करोड़ के ऋण के संबंध में, विभाग ने अवगत कराया (दिसंबर 2025) कि आरडब्लूएसएससी अपने स्तर पर जेजेएम् के राज्यांश को पूरा करने के लिए ऋण के माध्यम से निधियां जुटा रहा है।

तथापि, जन स्वास्थ्य *अभियांत्रिकी* विभाग के स्वामित्व वाली जल आपूर्ति योजनाओं से उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जा रहा है जो राज्य की समेकित निधि में जमा की जानी चाहिए थी।

2. 2021-22: ₹ 841.43 करोड़, 2022-23: ₹ 2671.91 करोड़, 2023-24: ₹ 3361.67 करोड़. और 2024-25: ₹ 4245.12 करोड़
3. 2022-23: ₹ 518.91 करोड़ 2023-24: ₹ 365.51 करोड़ एवं 2024-25: ₹ 328.84 करोड़
4. 2022-23: ₹ 2.11 करोड़: 2023-24: ₹ 0.34 करोड़: और 2024-25: ₹ 365.51 करोड़

इस संदर्भ में, प्रधान सचिव, वित्त ने सूचित किया (फरवरी 2026) कि राज्य सरकार ने इस वर्ष आरडब्ल्यूएसएससी को निधियाँ, कार्य और कार्यक्षमता को चरणबद्ध तरीके से हस्तांतरित करने के उपाय शुरू किए हैं। यह भी सूचित किया गया कि विभिन्न पदों के 144 अभियांत्रिकी पद आरडब्ल्यूएसएससी को स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्राधिकार के साथ जनवरी 2026 में स्थानांतरित किए गए हैं। इसके अलावा, कुछ जल आपूर्ति योजनाएँ, जो पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अंतर्गत थीं, उन्हें भी जनवरी 2026 में आरडब्ल्यूएसएससी को स्थानांतरित किया गया है और राज्य सरकार निधियाँ, कार्य और कार्यक्षमता को आरडब्ल्यूएसएससी को स्थानांतरित करने के प्रति सकारात्मक है।

चूंकि आरडब्ल्यूएसएससी के संचालन में संस्थागत व्यवस्थाओं/सुधारों की पहल राज्य सरकार द्वारा 2025-26 में की गई है, इसके परिणामों का मूल्यांकन आगामी वर्षों में लेखापरीक्षा द्वारा किया जाएगा।

मुख्य अंतर्दृष्टियाँ:

1. ऋण स्थिरता जोखिमः हालांकि यह बजट से इतर है, दायित्व पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी अंततः राज्य सरकार पर ही रहती है।
2. उधारी सीमा पर प्रभावः भारत सरकार अब ऐसे बजट से इतर उधार को ध्यान में रखते हुए निवल उधार सीमा को समायोजित करती है।

31 मार्च 2025 को ₹ 9,044.58 करोड़ की बकाया बजट से इतर उधर राज्य की एक महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई वित्तीय जोखिम को दर्शाती है। ये उधार, भले ही आरडब्ल्यूएसएससी के लेखों में दर्ज किये गए हों, लेकिन इनको मूल रूप से भुगतान राज्य के बजटीय समर्थन, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की योजनाओं से जुड़े जल उपयोगकर्ता शुल्क, और सहायता अनुदान हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता हैं।

इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप राज्य के वास्तविक ऋण का कम मूल्यांकन होता है और एफआरबीएम् ढांचे के तहत परिकल्पित राजकोषीय पारदर्शिता कमजोर होती है और एफआरबीएम् ढांचे के तहत परिकल्पित वित्तीय पारदर्शिता को कमजोर कर देता है। इन प्रणालियों पर निरंतर निर्भरता भविष्य में ऋण लेने की क्षमता को सीमित कर सकती है और वास्तविक ऋण स्थिरता की स्थिति को अस्पष्ट कर सकती है जब तक की इन्हें पूरी तरह से बजट और मध्यम अवधि के राजकोषीय नियोजन में एकीकृत नहीं किया जाता।

3.2 सरकार की अनुन्मोचित देनदारियां

अनुन्मोचित देनदारियां, यथा संग्रहीत उपकर नामित निकायो को हस्तांतरित न करना अथवा नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में कम प्रेषण, इत्यादि के लंबे समय तक वित्तीय और शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। ये बिना चुकाए गए दायित्व समय के साथ जमा होते जाते हैं, जिससे छिपी हुई देनदारियां बनती हैं जो राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति को ख़राब कर देती हैं। इसके अतिरिक्त, उपकर हस्तांतरण में देरी वांछित विकास या कल्याण परिणामों में बाधक बनती है, जिससे ऐसे कर लगाने का मकसद ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार, एनपीएस में कम पैसे हस्तांतरित करने से न केवल वैधानिक प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन होता है, बल्कि कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। वर्षों से चली आ रही ऐसी प्रथाओं से विश्वास समाप्त हो सकता है, कानूनी देनदारियां उत्पन्न हो सकती हैं और भविष्य में व्यय दायित्व बढ़ सकता हैं, जिससे राजकोषीय संभावना कम और राजकोषीय स्थिरता कमजोर हो जाती है। ऐसे प्रकरणों पर आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.2.1 अनुन्मोचित ब्याज देनदारियां

सरकार का यह दायित्व है कि वह ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधि में जमा रकम पर ब्याज दे और उसका भुगतान करे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि **तालिका 3.3** में दर्शाये गए अनुसार 1 अप्रैल 2024 को ब्याज सहित जमा /आरक्षित निधि में रखे ₹ 5,731.70 करोड़ के शेष पर ₹ 522.91 करोड़ का ब्याज देय था।

तालिका 3.3: ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधि के संबंध में अनुन्मोचित ब्याज देनदारी का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	ब्याज सहित जमा का नाम/ शीर्ष	01 अप्रैल 2024 को आरंभिक शेष	ब्याज की गणना का आधार	देय ब्याज	दत्त ब्याज	अदत्त ब्याज
1.	एमएच 8121-122 राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ)	2,818.03	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित ओवरड्राफ्ट पर दिए जाने वाले 8.46 प्रतिशत की औसत दर पर गणना किया गया ब्याज	312.98	287.26	25.72
2.	एमएच 8121-130 राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ)	857.18		115.07	106.67	8.40
3	एमएच 8121-129 राज्य प्रतिपूर्ति वनरोपण निधि	1,364.04	3.35 प्रतिशत (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित)	45.70	44.29	1.41
4	परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	692.45	सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि पर देय ब्याज 7.10 प्रतिशत की दर से गणना किया गया ब्याज	49.16	0.00	49.16
	कुल	**5,731.70**		**522.91**	**438.22**	**84.69**

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25

सरकार ने ब्याज सहित जमा पर राशि ₹ 84.69 करोड़ के ब्याज दायित्व का भुगतान नहीं किया था। ब्याज दायित्व का भुगतान न करने से राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा,उस सीमा तक कम दिखाया गया। यह दर्शाता है कि वर्तमान वर्ष में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थगित देनदारी सरकार के राजस्व व्यय पर भविष्य के समय में भार बढ़ा देती है।

जहां कुल कमी देय कुल ब्याज राशि का एक छोटा हिस्सा बनाती है, वहीं परिभाषित योगदान पेंशन योजना में ब्याज का पूर्ण गैर-भुगतान विशेष ध्यान की मांग करता है। ऐसी देयताओं की स्थगित सेवा वर्ष के लिए राजस्व और वित्तीय घाटे को कम दिखाती है और व्यय का बोझ अगले वर्षों में हस्तांतरित कर देती है। यदि निरंतर स्थगन जारी रहता है, तो यह वित्तीय पारदर्शिता को प्रभावित कर सकता है।

3.2.2 नवीन पेंशन योजना के अंशदान का एनएसडीएल को हस्तांतरित न करना

राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू करने की घोषणा की, जिसके कारण राज्य में पदस्थापित अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के अधिकारियों को छोड़कर सभी 5,25,713 राज्य सरकार के कर्मचारियों को 01 अप्रैल 2022 से ओपीएस में हस्तांतरित कर दिया गया। 31 मार्च 2022 तक कर्मचारियों के हिस्से की प्राप्तियां, सरकार के अंशदान और पेंशन निधि में हस्तांतरण का विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है।

2021-22 (अप्रैल 2021-मार्च 2022) के दौरान कर्मचारियों के ₹ 2,565.87 करोड़ के अंशदान के समक्ष, ₹1,881.40 करोड़ (जो 2021-22 से संबंधित था) एनएसडीएल को हस्तांतरित कर दिया गया और राज्य कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान से संबंधित ₹ 684.47 करोड़ (जनवरी से मार्च 2022) की राशि मार्च

2025 तक एनएसडीएल को हस्तांतरित नहीं की गई और वर्ष 2024-25 के अंत में राज्य के लोक लेखा में पड़ी रही।

इस प्रकार, कर्मचारियों के अंशदान का कम हस्तांतरण और 31 मार्च 2025 तक एनएसडीएल को राज्य सरकार द्वारा ₹ 684.47 करोड़ के मैचिंग अंशदान का हस्तांतरित न होना, राज्य सरकार की लंबित की गई देनदारी है। इसके अलावा, 2024-25 के दौरान हस्तांतरण न की गई रकम पर ₹ 49.16 करोड़ का ब्याज हस्तांतरण न करने से कर्मचारियों के प्रतिफल पर बुरा असर पड़ रहा है और यह राज्य सरकार के लिए ₹ 1,418.10 करोड़ की आस्थगित देनदारी बन गई है।

पेंशन कटौतियों की न्यासी प्रकृति को देखते हुए, इस तरह के स्थगन का कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति कोष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इससे सरकार के लिए एक निहित ब्याज दायित्व उत्पन्न हो सकता है। यद्यपि ये शेष राशियाँ अस्थायी रूप से नकदी प्रवाह के दबाव को कम कर सकती हैं, लेकिन ये वास्तविक राजकोषीय बचत का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं और भविष्य में राजस्व व्यय संबंधी दायित्वों को जन्म दे सकती हैं।

3.2.3 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का कम हस्तांतरण

भारत सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाने और लागू करने के लिए भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 एवं भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम) जैसे कानून बनाए। राज्य सरकारों द्वारा गठित किए गए भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के संसाधन बढ़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 3 में केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, अर्ध-सरकारी संगठनों, निजी संगठनों जैसे नियोक्ताओं द्वारा किए गए निर्माण की लागत का दो प्रतिशत से ज़्यादा, लेकिन एक प्रतिशत से कम नहीं की दर से उपकर (श्रम उपकर) लगाने का प्रावधान किया गया है।

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार विनियमन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2009 बनाए और भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया । राजस्थान सरकार ने राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण निधि (निधि) बनाई, जिसे बोर्ड द्वारा निजी निक्षेप (पीडी) खाते के रूप में चलाया जाना था । भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम 1998 की धारा 5 (3) के अनुसार, राज्य की समेकित निधि[5] में जमा किया गया उपकर, जमा होने के 30 दिनों के अंदर निधि में हस्तांतरित किया जाना था।

पिछले पांच वर्षों में उपकर के संग्रहण और बोर्ड को उसके हस्तांतरण का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.4: उपकर संग्रहीत करने और बोर्ड को हस्तांतरित करने की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	अहस्तांतरित राशि का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संग्रहीत उपकर	कुल	बोर्ड को हस्तांतरित राशि	अहस्तांतरित उपकर का अंतिम शेष (5-6)	बोर्ड द्वारा किया गया व्यय	किए गए व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2020-21	412.82	367.55	780.37*	357.56	367.55	338.81	94.75
2	2021-22	367.55	500.87	868.42	367.55	500.87	154.90	42.14

5 मुख्य शीर्ष 'श्रम और रोजगार' (0230-800-06) के अंतर्गत।

क्र. सं.	वर्ष	अहस्तांतरित राशि का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संग्रहीत उपकर	कुल	बोर्ड को हस्तांतरित राशि	अहस्तांतरित उपकर का अंतिम शेष (5-6)	बोर्ड द्वारा किया गया व्यय	किए गए व्यय का प्रतिशत
3	2022-23	500.87	624.32	1125.19	500.87	624.32	170.37	34.01
4	2023-24	624.32	760.04	1384.36	624.32	760.04	297.61	47.67
5	2024-25	760.04	784.48	1544.52	760.04	784.48	450.10	59.22
	कुल				**2610.34**		**1411.78**	

** विभाग द्वारा पीडी खाते में हस्तांतरित किए बिना प्रत्यक्षतः व्यय की गई ₹55.26 करोड़ की राशि सम्मिलित है।*

तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष के दौरान संग्रहीत उपकर निधि में आगामी वित्तीय वर्ष में हस्तांतरित किया जा रहा था, जो भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम 1998 की धारा 5 (3) का स्पष्ट उल्लंघन है।

वर्ष के दौरान राशि ₹ 24.44 करोड़ निधि में कम हस्तांतरित की गई। परिणामस्वरुप राज्य की राजस्व प्राप्ति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया और राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा उस सीमा तक कम दिखाया गया।

यह भी देखा गया कि पिछले पांच वर्षों में, बोर्ड ने श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाओं पर उपलब्ध निधि ₹ 2,610.34 करोड़ के समक्ष ₹ 1,411.78 करोड़ (54.08 प्रतिशत) व्यय किए, जिससे ₹ 1,198.56 करोड़ का शेष बचा रहा।

विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2025) कि बोर्ड के निजी निक्षेप खाते में उपकार की राशि मासिक आधार पर जमा करने तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक़) के कार्यालय से मासिक उपकार जमा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

संग्रहित उपकर का हस्तांतरण न होना और उपलब्ध निधियों के मुकाबले कम व्यय किया जाना, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के अभीष्ट उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

3.2.4 राष्ट्रीय/ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास निधि

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी)

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की स्थापना अगस्त 2015 में खान और खनिज विकास और विनियमन (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 9सी के तहत की गई थी। इस अधिनियम की धारा 9सी (4) के अनुसार, खनन पट्टा या खनिज रियायत धारक को दूसरी अनुसूची के क्रम में चुकाई गई रॉयल्टी का दो प्रतिशत ट्रस्ट में देना होता है । एनएमईटी नियमों के अनुसार, राज्य सरकार इस अंशदान को संग्रहीत करने, उन्हें मुख्य शीर्ष '8449–123–एनएमईटी जमा' के अंतर्गत लोक लेखे में जमा करने और प्रतिमाह निधि को भारत की समेकित निधि में हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदायी है ।

2020-21 से 2024-25 के दौरान, इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 512.96 करोड़ जमा किए गए और पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा एनएमईटी को हस्तांतरित कर दी गई ।

राज्य खनिज अन्वेषण न्यास निधि (एसएमईटी)

राजस्थान सरकार ने 'राज्य खनिज अन्वेषण न्यास' (एसएमईटी) को अधिसूचित किया (सितंबर 2020) और 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,1957' के तहत अनिवार्य प्रावधानों के अनुरूप, राज्य में खनिज संसाधनों के नियोजित विकास तथा उनके अन्वेषण हेतु एसएमईटी की स्थापना की।

तदनुसार, राजस्थान सरकार ने खनिज संसाधनों के वित्तपोषण, विकास और उनकी खोज के लिए पीडी खाता संख्या 18400 के तहत एसएमईटी कोष की स्थापना की। एसएमईटी नियम, 2020 के नियम 8 (3) के अनुसार, खनन पट्टे या खनिज रियायत के धारकों को पहले पाँच वर्षों के लिए दो प्रतिशत का योगदान देना आवश्यक है, और उसके बाद, राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम (आरएमएमसीआर), 2017 की अनुसूची II के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के 1 प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान देना होगा।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, निधियों के संग्रहण और निजी निक्षेप (पीडी) खाते में हस्तांतरण की वर्ष-वार स्थिति नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

तालिका 3.5: निधि संग्रहीत करने और पीडी खाते में हस्तांतरित करने की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	पीडी खाते का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संग्रहीत निधि	कुल (3+4)	पीडी खाते से व्यय	पीडी खाते का अंतिम शेष
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	2020-21	0.00	5.38	5.38	0.00	5.38
2	2021-22	5.38	45.00	50.39	0.00	50.39
3	2022-23	50.39	43.58	93.97	2.56	91.41
4	2023-24	91.41	51.61	143.02	14.44	128.57
5	2024-25	128.57	58.33	186.90	7.86	179.04
	कुल	**0.00**	**203.90**		**24.86**	

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) की 2020-21 से 2024-25 के दौरान हुई जमा राशि को वैधानिक प्रावधानों के अनुसार पूरी तरह से भारत की संचित निधि में हस्तांतरित कर दिया गया, जो राज्य स्तर पर प्रक्रियात्मक अनुपालन को दर्शाता है। हालाँकि, राज्य खनिज अन्वेषण न्यास (एसएमईटी) के मामले में, पिछले पाँच वर्षों में ₹ 203.90 करोड़ जमा होने के बावजूद, केवल ₹ 24.86 करोड़ (12.19 प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹ 179.04 करोड़ की अव्ययित राशि शेष रह गई।

उपयोग का निम्न स्तर यह दर्शाता है कि नियोजित खनिज अन्वेषण और विकास का अभीष्ट उद्देश्य, आनुपातिक रूप से ज़मीनी स्तर की गतिविधियों में परिवर्तित नहीं हो पाया है। पीडी खाते में निधियों का लगातार जमा होना, जबकि उसके अनुरूप व्यय न हो रहा हो, परियोजना नियोजन, प्राथमिकीकरण या निष्पादन क्षमता में कमियों का संकेत हो सकता है; जिसके परिणामस्वरूप राज्य में व्यवस्थित खनिज अन्वेषण के नीतिगत उद्देश्य की प्राप्ति में विलंब हो सकता है।

3.2.5 राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्धन निधि में कम हस्तांतरण

राजस्थान सरकार ने मार्च 2016 में यह अधिसूचना जारी की थी कि गौ और गौ-वंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए (अधिभार) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 के तहत स्टाम्प कर पर दस प्रतिशत अधिभार लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार ने में 'राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्धन निधि' (निधि) का गठन किया (नवंबर 2016) और इस निधि के प्रशासन के लिए 'राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्धन निधि' नियम, 2016 (नियम) बनाए, जिनमें अक्टूबर 2021 में संशोधन किया गया।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार ने राजस्थान मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत लगाए गए मूल्य वर्धित कर पर अधिभार लगाया, जिसकी आय का उपयोग भी गौ और गौ-वंश की सुरक्षा और विकास के उद्देश्य के लिए किया जाना था।

नियमों के अनुसार, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम[6] और राजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम[7] के तहत उद्ग्रहीत और संग्रहित किया गया अधिभार पशुपालन[8] के मुख्य शीर्ष को नामे कर निधि[9] में हस्तांतरित किया जाना था। इस निधि का मुख्य उद्देश्य गायों की सुरक्षा और विकास करना तथा गौशालाओं और कांजी घरों के लिए स्थायी संरचना का निर्माण करना था। इसके अतिरिक्त, निधि में प्राप्त राशि का एक प्रतिशत गोपालन विभाग द्वारा प्रशासनिक खर्चों के लिए व्यय किया जा सकता था।

पिछले पांच वर्षों में अधिभार के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की वर्ष-वार स्थिति नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका 3.6: उपकर/अधिभार के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	वर्ष के आरंभ में अहस्तांतरित राशि	वर्ष के दौरान अधिभार प्राप्तियाँ	कुल (3+4)	निधि मे हस्तांतरित की गयी राशि	वर्ष के अंत में अहस्तांतरित राशि (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	2020-21	634.84	735.43	1,370.27	599.12	771.15
2	2021-22	771.15	899.56	1,670.71	647.14	1,023.57
3	2022-23	1,023.57	1,101.28	2,124.85	857.56	1,267.29
4	2023-24	1,267.29	1,227.47	2,494.76	1,226.60	1,268.16
5	2024-25	1,268.16	1,433.51	2,701.67	1,114.60	1,587.07

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना।

यह स्पष्ट है कि हालाँकि गायों के संरक्षण और संवर्धन के मुख्य उद्देश्य से अधिभार नियमित रूप से एकत्रित किया जाता था, फिर भी राज्य सरकार ने नियमों के अनुसार निर्धारित निधि में सम्पूर्ण राशि जमा नहीं की। जमा न की गई शेष राशि लगातार बढ़ती गई है। यह 2020-21 में ₹ 771.15 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 तक ₹ 1,587.07 करोड़ हो गई है, जिससे पता चलता है कि लगातार कम राशि जमा की जा रही है। केवल 2024-25 के दौरान, संग्रहित होने के बावजूद ₹ 318.91 करोड़ जमा नहीं किए गए। अधिभार से प्राप्त रकम को निर्धारित निधि में जमा करने के स्थान पर समेकित निधि में ही संचित करना, निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं है और इससे तय लक्ष्यों के लिए राशि के उपयोग में विलम्ब होता है। इस प्रकार से कम राशि जमा करने से राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा भी उसी सीमा तक कम दिखाया जाता है, और निर्धारित निधि की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता पर भी असर पड़ता है।

3.2.6 राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि में कम हस्तांतरण

राजस्थान सरकार ने 2004 में राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम (अधिनियम) बनाकर राज्य की सड़कों और राज्य सड़क विकास की अन्य परियोजनाओं के विकास के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि (निधि) का गठन किया। यह अधिनियम मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल तेल के नाम से जाना जाता है) की बिक्री पर उपकर उद्ग्रहीत और संग्रहित करने का प्रावधान करता है। यह उपकर पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर क्रमशः ₹ 1.50 और ₹ 1.75 प्रति लीटर की दर से उद्ग्रहीत किया जाता है। अधिनियम की धारा 4 में यह बताया गया है कि उद्ग्रहीत उपकर राज्य की

6. शीर्ष 0030-02-800 (मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क-गैर-न्यायिक स्टाम्प-अन्य प्राप्तियां) के अंतर्गत।
7. शीर्ष 0040-800 (बिक्री, व्यापार आदि पर कर-अन्य प्राप्तियां) के अंतर्गत।
8. शीर्ष 8229-104-02 एवं 8229-104-03 के अंतर्गत।
9. शीर्ष 2403-797 (पशुपालन-आरक्षित निधियों में हस्तांतरण) के अंतर्गत।

समेकित निधि[10](सीएफएस) में जमा किया जाएगा और बाद में समायोजन के माध्यम से निधि में जमा किया जाएगा। इस निधि का गठन लोक लेखे में एक ब्याज रहित आरक्षित निधि के रूप में किया गया था और इसे राज्य सरकार के लेखों में "8225-02-101 राज्य सड़कें और पुल निधि" शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

पिछले पांच वर्षों में उपकर के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की वर्ष-वार स्थिति नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

तालिका 3.7: उपकार के संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	वर्ष	वर्ष के आरंभ में अहस्तांतरित राशि	वर्ष के दौरान उपकर प्राप्तियाँ	कुल (3+4)	निधि मे हस्तांतरित की गयी राशि	अहस्तांतरित राशि का अन्तिम शेष (5-6)	निधि से व्यय (पीडब्ल्यूडी द्वारा)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2020-21	4,397.27	1,176.62	5,573.89	1,011.46	4,562.43	990.68
2	2021-22	4,562.43	1,260.25	5,822.68	2,290.70	3,531.98	1894.70
3	2022-23	3,531.98	1,438.03	4,970.01	3,000.00	1,970.01	3227.22
4	2023-24	1,970.01	1,534.35	3,504.36	3390.12	114.24	3602.09
5	2024-25	114.24	1,627.48	1,741.72	1650.00	91.72	1628.51

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि पिछले पाँच वर्षों में उपकर संग्रहण और उसके हस्तांतरण के बीच बेहतर तालमेल को दर्शाता है; इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि हस्तांतरित न की गई शेष राशि 2020-21 के ₹ 4,562.43 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2025 तक ₹ 91.72 करोड़ रह गई है। वर्ष 2024-25 के दौरान, कोष में किया गया हस्तांतरण (₹ 1,650 करोड़) उपकार संग्रहण (₹ 1,627.48 करोड़) से थोड़ा अधिक रहा, जो पिछले बकाया को निपटाने के प्रयासों को दर्शाता है। इस कोष का उपयोग सड़कों के उन्नयन और सुरक्षा परियोजनाओं के लिए किया गया है; हालाँकि, वर्ष के अंत में ₹ 91.72 करोड़ की राशि का हस्तांतरण अभी भी लंबित होना यह संकेत देता है कि अधिनियम के तहत अनिवार्य किए गए अनुसार, उपकर की राशि को कोष में पूर्ण रूप से और समय पर जमा करने का लक्ष्य अभी तक पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2025) कि निधि का उपयोग राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम जैसी योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कों, ग्रामीण सड़कों को उन्नत करने और सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने जैसी परियोजनाओं के लिए किया गया था। तथापि, 31 मार्च 2025 तक समेकित निधि से निधि में हस्तांतरण के लिए ₹ 91.72 करोड़ की राशि अभी भी शेष थी।

3.2.7 जल संरक्षण उपकर का कम हस्तांतरण

सरकार किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये उपकर उद्ग्रहीत करती है, और प्राप्तियों को एक पृथक निधि के रूप में रखना होता है, जिसका विशिष्ट लेखांकन किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे आगम का व्यय उसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

बजट भाषण (संशोधित) 2009-10 के अनुसार, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2009 में राज्य में जल संरक्षण के उद्देश्य से उपयोग की गई बिजली पर प्रति यूनिट दस पैसे की दर से जल संरक्षण उपकर उद्ग्रहण का

10. बजट शीर्ष 0040-800 (बिक्री, व्यापार आदि पर कर-अन्य प्राप्तियां)

प्रावधान किया गया था। इस उपकर का उद्देश्य वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए जल संचयन संरचनाएं बनाने, भूजल रिचार्ज करने और लोगों को रोज़मर्रा के जीवन में जल संरक्षण की आदत डालने के लिए जागरूक करने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना था।

तदनुसार, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 में 8 जुलाई 2009 से उपकर संग्रहण का प्रावधान किया गया। यह उपकर राज्य समेकित निधि[11](सीएसएफ) में जमा किया जाता है। जल संरक्षण उपकर निधि (निधि) को लोकलेखे में ब्याजरहित आरक्षित निधि[12] के रूप में गठित किया गया था। संग्रहीत उपकर मुख्य शीर्ष 2040-797 (बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर) को नामे करके राज्य समेकित निधि से निधि में अंतरण किया जाता है। पिछले पांच वर्षों में उपकर संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की वर्ष-वार स्थिति निम्न तालिका में दी गई है।

तालिका 3.8: उपकर संग्रहण और निधि में अंतरण की वर्ष-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	अहस्तांतरित राशि का आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान संग्रहीत उपकर	कुल	निधि में अंतरित राशि	अहस्तांतरित राशि का अन्तिम शेष
1	2020-21	1,006.64	196.37	1,203.01	268.84	934.17
2	2021-22	934.17	249.19	1,183.36	196.37	986.99
3	2022-23	986.99	309.62	1,296.61	249.19	1,047.42
4	2023-24	1,047.42	319.98	1,367.40	309.62	1,057.78
5	2024-25	1,057.78	328.98	1,386.76	319.98	1,066.78

पिछले पांच वर्षों में निधि में हस्तांतरित राशि की स्थिति और निधि के उपयोग की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका 3.9: निधि की प्राप्तियां और उपयोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	निधि का आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान निधि में प्राप्तियां	कुल (3+4)	वर्ष के दौरान उपयोग	निधि का अंतिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	2020-21	236.31	268.84	505.15	270.68	234.47
2	2021-22	234.47	196.37	430.84	313.13	117.71
3	2022-23	117.71	249.19	366.90	31.85	335.05
4	2023-24	335.05	309.62	644.67	103.59	541.08
5	2024-25	541.08	319.98	861.06	67.55	793.51
	कुल		1344.00		786.80	

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना।

जल संरक्षण उपकर आरोपित किए जाने का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों के लिए राशि की व्यवस्था करना था, और यह आवश्यक था कि इस राशि को एक अलग आरक्षित निधि में जमा किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका उपयोग सिर्फ़ इसी काम के लिए हो। लेकिन, 31 मार्च 2025 तक, राज्य के समेकित निधि से जल संरक्षण उपकर निधि में ₹ 1,066.78 करोड़ हस्तांतरित नहीं किए गए थे; पिछले पाँच सालों में यह बिना हस्तांतरित हुआ बकाया लगातार बढ़ता ही गया है। सिर्फ़ 2024-25 के दौरान ही, ₹ 9 करोड़ कम हस्तांतरित किए गए, जिसकी वजह से राजस्व प्राप्तियाँ ज़्यादा दिखाई गई और राजस्व व राजकोषीय घाटा उसी सीमा तक कम दिखाया गया। इसके अलावा, पिछले पाँच सालों में उपलब्ध ₹ 1,580.31 करोड़ के निधि में से, सिर्फ़ ₹ 786.80 करोड़ (49.79 प्रतिशत) का ही उपयोग

11. बजट शीर्ष 0043-800-04 (विद्युत पर कर एवं शुल्क- अन्य प्राप्तियां)
12. राज्य सरकार के खातों में शीर्ष '8229-200-11' के अंतर्गत वर्गीकृत

किया गया, जिससे ₹ 793.51 करोड़ बकाया शेष रह गया। बिना हस्तांतरण हुए और बिना उपयोग हुए बकाए का लगातार जमा होते रहना यह दर्शाता है कि जल संरक्षण के लिए उपकर से मिली राशि का समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित करने का मकसद पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाया है।

वित्त विभाग से कम व्यय के कारण अपेक्षित है।

3.2.8 नगरीय विकास उपकर निधि का कम हस्तांतरण

2010-11 के बजट भाषण के अनुसार, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्या 3) में उपयोग की गई बिजली पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से नगरीय उपकर (उपकर) लगाने का प्रावधान किया गया था, जिसे राजस्थान वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्या 15) द्वारा पंद्रह पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया। इस उपकर का उद्देश्य नगर निगम क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग, स्वच्छता, सड़कों के रखरखाव और ऊर्जा संरक्षण जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए था।

तदनुसार, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम संख्या 12), में 01.04.2010 से उपकर संग्रह का प्रावधान किया गया था। यह उपकर राज्य की समेकित निधि[13] (सीएफएस)में जमा किया जाना था। राजस्थान नगरीय विकास उपकर निधि (निधि) को लोक लेखे के अंतर्गत एक ब्याज रहित आरक्षित निधि[14] के रूप में गठित किया गया था । संग्रहित किया गया उपकर मुख्य शीर्ष 2217-80-797 (बिक्री, व्यापार आदि पर कर) को नामे करके राज्य की समेकित निधि से निधि में अंतरण किया जाना था।

पिछले पांच वर्षों में उपकर संग्रहण और निधि में हस्तांतरण की वर्ष-वार स्थिति निम्न तालिका में दी गई है।

तालिका 3.10: नगरीय उपकर के संग्रहण और निधि में अंतरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	अहस्तांतरित राशि का आरंभिक शेष	विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा संग्रहित उपकर	राज्य की समेकित निधि में जमा	कुल	निधि को अंतरित राशि	राज्य की समेकित निधि में अहस्तांतरित राशि का अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6=3+5	7	8
1	2020-21	1,253.47	168.53	0	1,253.47	138.25	1,115.22
2	2021-22	1,115.22	191.49	300.00	1,415.22	300.00	1,115.22
3	2022-23	1,115.22	231.50	0	1,115.22	0	1,115.22
4	2023-24	1,115.22	240.41	209.68	1,324.90	100.00	1,224.90
5	2024-25	1,224.90	273.90	304.26	1,529.16	358.54	1,170.62
	कुल		**1109.83**	**818.94**		**903.79**	

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना।

नगरीय विकास उपकर आरोपित किये जाने का मुख्य उद्देश्य नगर निगम क्षेत्रों में आधारभूत नागरिक सुविधाओं के लिए राशि की व्यवस्था करना था, और इसे एक विशिष्ठ आरक्षित निधि में जमा करना ज़रूरी था, ताकि इसका उपयोग पारदर्शी और निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाए। हालाँकि, 2020-21 से 2024-25 के दौरान, डिस्कॉम द्वारा जमा किया गया उपकर (₹ 1,109.83 करोड़) समेकित निधि में जमा की गई रकम (₹ 818.94 करोड़) से ज़्यादा था, और ऐसे मामले भी सामने आए जहाँ उपकर जमा नहीं किया गया या फिर शहरी स्थानीय निकायों के बिजली के बकाए के बदले उपकर को समायोजित कर दिया

13. बजट शीर्ष 0043-800-04 (विद्युत पर कर एवं शुल्क- अन्य प्राप्तियां)
14. राज्य सरकार के खातों में 'राजस्थान नगरीय विकास निधि शीर्ष '8229-200-(10)' शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत

गया; ये काम न तो कानून के प्रावधानों के अनुसार हैं और न ही उपकर लगाने के मुख्य उद्देश्य को पूरा करते हैं।

हालांकि 2024-25 के दौरान ₹ 54.28 करोड़ की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की गई थी, फिर भी 31 मार्च 2025 तक फंड में ₹ 1,170.62 करोड़ की राशि हस्तांतरित नहीं हो पाई थी। हस्तांतरित न की गई शेष राशियों का लगातार जमा होना और अनियमित समायोजन, सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में कमजोरी को दर्शाता है; साथ ही, यह इस बात को सुनिश्चित करने में पारदर्शिता को भी प्रभावित करता है कि उपकर से प्राप्त राशि का शहरी विकास के उद्देश्यों के लिए पूर्ण और समय पर उपयोग किया जाए। संग्रहित उपकर का हस्तांतरण न होना, निधि के मूल उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसके परिणामस्वरूप राज्य पर उस सीमा तक एक आस्थगित दायित्व भी उत्पन्न हो जाता है।

3.2.9 प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

प्रतिदाय प्रकरणों का त्वरित निस्तारण भी विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। वर्ष 2024-25 के आरंभ में प्रतिदाय के बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदाय और वर्ष 2024-25 के अंत में बकाया प्रकरण जैसा कि विभागों द्वारा बताया गया है, निम्न तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 3.11: प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वाणिज्यिक कर विभाग		परिवहन		पंजीयन एवं मुद्रांक		खान एवं भूविज्ञान-	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	809	62.99	282	7.06	1,852	21.91	13*	34.22
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	808	114.09	580	3.82	2,659	33.30	05	0.10
3.	वर्ष के दौरान किये गये प्रतिदाय	460	50.15	604	5.13	3,139	33.79	01	0.01
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत	479	61.11	46	4.04	59	0.56	0	0
5.	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण	678	65.82	212	1.71	1,313	20.86	17	34.31

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना

** 2023-24 के अंतिम शेष से 4 मामलों का अंतर है।*

वित्त विभाग ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि 31 मार्च 2024 तक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के कुल बकाया 1,852 प्रकरणों में से 1,167 प्रकरण वर्ष के दौरान निस्तारित हो गए हैं।

संबंधित विभागों को प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए जिससे न केवल दावेदारों को लाभ होगा बल्कि इससे देरी से भुगतान किए गए प्रतिदाय के प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार को बचत हो सकेगी।

3.3 सरकारी लेखों के बाहर रही निधियाँ

3.3.1 उपभोक्ता कल्याण निधि

भारत सरकार के पत्र दिनांक 8 फरवरी 2010 के अनुसार, प्रत्येक इच्छुक राज्य में ₹10 करोड़ का एक उपभोक्ता कल्याण कॉर्पस निधि स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें 75% राशि भारत सरकार देगी और 25% राज्य का अंश होगा। इस कॉर्पस निधि को ₹ 10 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 20 करोड़ किया गया (सितम्बर 2019)। उपभोक्ता कल्याण निधि का उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और देश में उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। उपभोक्ता कल्याण विभाग, भारत सरकार ने 2019 में उपभोक्ता कल्याण निधि दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के अनुसार,

राज्य/केंद्र शासित सरकार को एकमुश्त अनुदान पाने के लिए अपना अंश एक गैर-योजनागत, गैर-व्यपगत लोक लेखे में जमा करना होगा।

तदनुसार,राज्य सरकार ने शीर्ष 8342-00-120-(61)-[01] के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि हेतु निजी निक्षेप खाता 6445 खोला (जनवरी 2018)। तथा 5 जुलाई 2018 को इस खाते में ₹ 2.50 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। हालाँकि, भारत सरकार के निर्देशों (सितंबर 2018) के अनुसार, राज्य सरकार ने भारत सरकार से निधि/अंश प्राप्त करने और अपना अंश जमा करने के लिए एक बैंक खाता खोलने की अनुमति दी (सितंबर 2018)। यह अनुमति इस शर्त के साथ दी गई थी कि जैसे ही भारत सरकार से पूरी राशि प्राप्त होगी, ब्याज सहित पूरी राशि पीडी खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी और उसके बाद, बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा। उपरोक्त अनुमति के अनुपालन में, राज्य सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक में एक बचत बैंक खाता खोला (सितंबर 2018) और 28 सितंबर 2018 से 26 फरवरी 2021 की अवधि के दौरान, भारत सरकार का ₹ 15 करोड़ का अंश और राज्य का ₹ 5 करोड़ का मेचिंग भाग इस बैंक खाते में जमा किया गया।

लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि राज्य सरकार, राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, लोक लेखों में पीडी खाते के स्थान पर बैंक खाते के माध्यम से राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि का संचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त, निधि के उद्देश्य के लिए भारत सरकार से पूरी राशि प्राप्त होने के उपरांत भी राजस्थान सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए खाता बंद नहीं किया गया।

इसके अलावा,राजस्थान उपभोक्ता कल्याण नियम, 2016 के नियम 3 में कहा गया है कि निधि में केन्द्रीय कल्याण निधि से सीड मनी के साथ-साथ जिला मंचों और राज्य आयोग में उपार्जित न्यायालय शुल्क और उपभोक्ता उत्पादों के विनिर्माताओं या सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किए जाने के लिए आदेशित कोई जुर्माना जमा किया जाएगा। इस बारे में राजस्थान सरकार ने स्वीकार (नवम्बर 2025) किया और उत्तर दिया कि न्यायालय शुल्क और जुर्माना/दंड के रूप में कोई भी राशि इस निधि में जमा नहीं की गई थी।

उपभोक्ता कल्याण विभाग ने बताया (नवंबर 2025) कि इस निधि पर ब्याज के रूप में ₹ 6.01 करोड़ प्राप्त हुए और 2018-2025 के दौरान केवल ₹ 1.06 करोड़ का उपयोग किया गया।

यह सूचित करता है कि निधि का उपयोग उपभोक्ता कल्याण के वांछित उद्देश्य से नहीं किया गया। इस प्रकार, निधि में केवल भारत सरकार की सीड मनी और राजस्थान सरकार का अंश बैंक खाते में जमा किया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि ₹ 20.00 करोड़ का सरकारी धन सरकारी खाते से बाहर पड़ा रहा।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

3.4 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सावि एवं लेनि), 2012 के नियम 68(i) में विहित किया गया है कि सभी वित्तीय स्वीकृति और आदेश जो प्रशासनिक विभाग अपनी वित्तीय शक्तियों के भीतर जारी करता है उन्हें यह बताते हुए कि वे किन शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं महालेखाकार को सीधे संसूचित किया जाएगा एवं सा.वि.एवं ले.नि.के नियम 284 और 286 में प्रावधान है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिए गए अनुदान के उपयोगिता प्रमाणपत्र विभाग के अधिकारियों को अनुदानग्राही से लेने चाहिए और सत्यापन के पश्चात, स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हक) को भेज देने चाहिए, जब

तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए। राजस्थान में, राज्य सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान (जीआईए) तीन कार्यात्मक शीर्ष के तहत दिए जाते हैं (i)12-सहायतार्थ अनुदान (गैर-संवेतन); (ii) 92- सहायतार्थ अनुदान (वेतन) और (iii) 93-पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्थान सरकार ने ₹ 48,327.93 करोड़[15] का सहायतार्थ अनुदान जारी किया, जिसमें से ₹ 38,768.15 करोड़ कार्यात्मक शीर्ष 12 (सहायतार्थ अनुदान, गैर-संवेतन) के तहत तथा ₹ 550.94 करोड़ कार्यात्मक शीर्ष 93 (पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान) के अंतर्गत जारी किए।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि विभिन्न विभागों ने 31 मार्च 2025 तक महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय में 2010-11 से 2023-24 की अवधि से संबंधित ₹ 427.33 करोड़ के कुल 449 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 328.85 करोड़ के 341 उपयोगिता प्रमाणपत्र 'पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान' से जुड़े थे। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों के आयुवार लंबित रहने को निम्न तालिका में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.12: आयु-वार बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

बकाया वर्ष	आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों मे वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		प्रस्तुतीकरण के लिये बकाया	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2022-23	770	183.32	1,333	542.26	1208	6148.58	895	1107.25
2023-24	895	1107.25	1797	6887.49	1696	6872.62	996	1122.12
2024-25	996	1122.12	1102	6774.14	1649	7468.92	449	427.34

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संकलित सूचना

तालिका 3.13: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष*	उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
2011-12	4	₹ 76000
2012-13	4	0.02
2013-14	6	0.02
2014-15	6	0.03
2018-19	20	0.13
2019-20	3	1.62
2020-21	11	34.28
2021-22	2	0.04
2022-23	3	19.56
2023-24	2	0.22
2024-25	388	371.42
कुल	**449**	**427.34**

स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

* उपर्युक्त उल्लेखित वर्ष "बकाया वर्ष" से संबंधित है, अर्थात वास्तविक निकासी के 12 महीने के पश्चात।

15. सामान्य उद्देश्य के लिये जारी अनुदान के अलावा जैसे कि वेतन एवं स्थापना और राज्य निधि या केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत योजना के लिये व्यय (₹ 9,008.84 करोड़), जिनके लिए सा.वि. एवं ले.नि. के नियम 285 (4) के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, राशि ₹ ₹0.81 करोड़ लघु शीर्ष-192 (₹ 0.40 करोड़) और लघु शीर्ष-196 (₹ 0.41 करोड़) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जिसके लिए उसी नियम के तहत उपयोगिता प्रमाणपत्रों की आवश्यकता नहीं है।

बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की राशि मुख्य रूप से 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम', सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य तथा पशुपालन से संबंधित थी। 31 मार्च 2025 तक बकाया 449 उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभागवार विवरण नीचे **चार्ट 3.2** में दिया गया है:

चार्ट 3.2: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

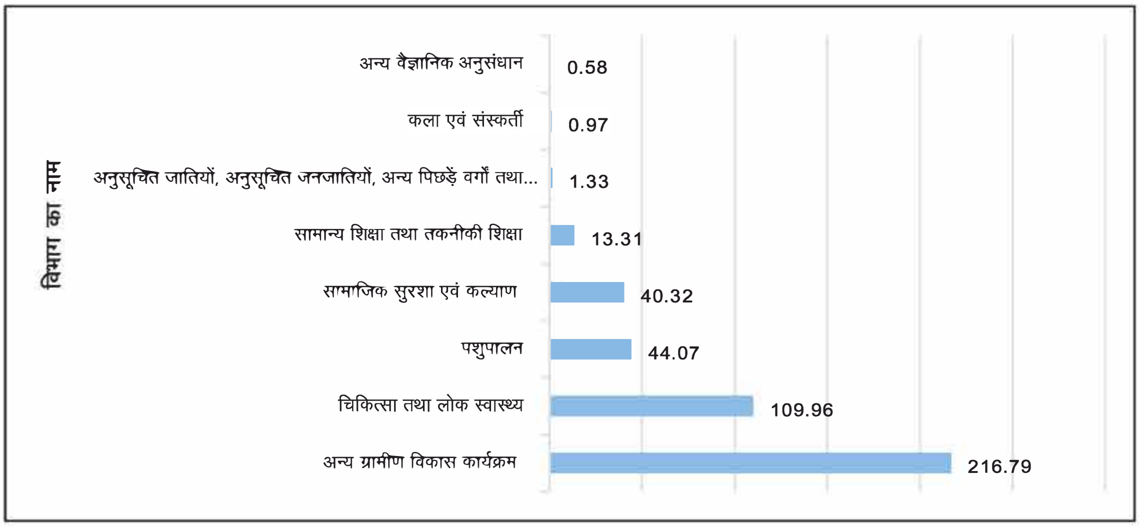

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संकलित सूचना

चूँकि उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा न करने से उनके दुरुपयोग का खतरा बना रहता है, इसलिए यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार इस पहलू पर बारीकी से नज़र रखे और संबंधित व्यक्तियों को समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने के लिए जवाबदेह ठहराए।

पशुपालन विभाग ने बताया (अगस्त 2025) कि लम्पी त्वचा रोग के लाभार्थियों को डीबीटी के ज़रिए वित्तीय सहायता के भुगतान के लिए कोषागार में बिल जमा किए गए थे, लेकिन कोषागार द्वारा ईसीएस नही किए जाने के कारण कुछ लाभार्थियों के बिल भुगतान के लिये अभी भी बकाया हैं।

संबंधित विभागों से उपयोगिता प्रमाणपत्रों प्रस्तुत नहीं करने के कारण पूछे गए थे। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित (अगस्त 2025) हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लेखापरीक्षा ने पाया कि ऊपर दी गई तालिका में दर्शाए गए ₹ 427.34 करोड़ के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत दिए गए सहायतार्थ अनुदान के लिए ₹ 76.74 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी बकाया थे, जिसका सारांश नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.14: विभागों से बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग/स्वायत्त निकायों का नाम	अवधि	प्राप्त सहायतार्थ अनुदान	प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र
1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर	2023-24	1.50	1.32	0.18
2.	पशुपालन निदेशालय, जयपुर	2017-18 से 2023-24	176.57	130.17	46.39
3.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़	2021-22	0.85	0.36	0.49

क्रम सं.	विभाग/स्वायत्त निकायों का नाम	अवधि	प्राप्त सहायतार्थ अनुदान	प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र
4.	दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर	2020-21	5.00	1.26	3.74
5.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर	2023 - 24	2.70	1.50	1.20
6.	राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर	2019-20 से 2023-24	29.87	11.21	18.66
7.	राजस्थान पुलिस	2017-18 से 2023-24	7.75	5.61	2.14
8.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम	2020 - 21	10.00	6.06	3.94
	कुल		**234.24**	**157.49**	**76.74**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना

तथापि, यह सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हक) के कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं थी क्योंकि विभागों ने सा.वि.एवं ले.नि. के नियम 68 (i), 284 और 286 के नियमों का उल्लंघन करते हुए महालेखाकार (लेखा एवं हक) को स्वीकृति और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के बारे में आवश्यक जानकारी नहीं दी थी। यह लंबितता अपर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग को भी दर्शाता है क्योंकि योजनाओं को लागू करने के लिए दिए गए अनुदान की बड़ी राशि विभागों के पास रखी हुई है और इसको उचित रूप से प्रतिवेदित और लेखांकित नहीं किया गया।

पशुपालन विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025) कि जे.के. ट्रस्ट को 'वैट्स प्रोडक्शन' के लिए भुगतान न होने के कारण उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए।

राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने सूचित किया (अक्टूबर 2025) कि कंप्यूटर खरीदने की प्रक्रिया चल रही है और उपयोगिता प्रमाणपत्र शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2025) कि विभाग एनसीआरटीसी से उपयोगिता प्रमाणपत्र संकलित करने का प्रयास कर रहा है।

निर्धारित अवधि से ज़्यादा समय तक बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र न केवल वित्तीय जवाबदेही तंत्र को कमज़ोर करते हैं, किन्तु यह भी दर्शाता हैं कि विभाग के अधिकारी अनुदान के इच्छित उद्देश्य के लिए समय पर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहे हैं।

अनुदानग्राही संस्थान के बारे में जानकारी का अभाव

लेखापरीक्षा तथा लेखा विनियम (संशोधन), 2020 का विनियम 88 यह प्रावधान करता है कि सरकारें और विभागाध्यक्ष जो निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदानों और/अथवा ऋणों को संस्वीकृत करते हैं वे ऐसे निकायों और प्राधिकरणों जिन्हे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदानों और/अथवा ऋणों का भुगतान किया गया है, प्रत्येक वर्ष जुलाई की समाप्ति तक (क) सहायता की राशि; (ख) प्रयोजन जिसके लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी और; (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण का कुल व्यय दर्शाते हुए लेखापरीक्षा कार्यालय को एक विवरण प्रस्तुत करेंगे।

वित्त लेखे 2024-25 के अनुसार, राज्य के कुल व्यय में सहायतार्थ अनुदान का हिस्सा 18.25 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान, कुल ₹ 54,819.47 करोड़ के सहायतार्थ अनुदान में से ₹ 20,780.97 करोड़ (37.90 प्रतिशत) की राशि 'अन्य' प्रकार के अनुदानग्राही संस्थानों को संवितरित की गई, जहाँ 'अन्य' का अर्थ विभिन्न विभागों से है, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.15: संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	कुल अनुदान	39,744.68	49,126.65	49,443.69	48,328.54	54,819.47
2.	अन्य	12,431.88	14,537.75	16,553.25	20,150.18	20,780.97
3.	कुल अनुदान से 'अन्य' का प्रतिशत	31.28	29.59	33.48	41.69	37.90
4.	राज्य का कुल व्यय	1,94,071	2,34,563	2,46,452	2,69,275	3,00,194
5.	राज्य के कुल व्यय से कुल अनुदान का प्रतिशत	20.48	20.94	20.06	17.95	18.25

स्रोत: वित्त लेखे

यह देखा जा सकता है कि 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान 'अन्य' को दिया गया अनुदान कुल सहायतार्थ अनुदान के 29.59 प्रतिशत से 41.69 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार, 'अन्य' प्रकार के संस्थानों के लिये सहायतार्थ अनुदान, राज्य के कुल अनुदान और कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लेखों की पारदर्शिता और सहायतार्थ अनुदान के उपयोग की निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

3.5 सारांशीकृत आकस्मिक बिल

जहाँ राशि की अग्रिम आवश्यकता होती है, या जब वे आवश्यक उचित राशि का सही से मुल्यांकन नहीं लगा पाते, तो आहरण और वितरण अधिकारी (डीडीओ) को सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से, बिना किसी सहायक दस्तावेज़ के राशि निकासी की अनुमति होती है; इसके लिए वे कार्यात्मक शीर्ष को डेबिट करते हैं और यह व्यय कार्यात्मक शीर्ष के तहत एक व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सा.वि.एवं ले.नि.), 2012 के नियम 219 के अनुसार, सेवा शीर्षों को नामे कर सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिल तैयार करके राशि आहरित करने के लिये नियंत्रक एवं संवितरण अधिकारियों को अधिकृत किया गया है उन्हें विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल (अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर) कोषागार के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रस्तुत करना होता है । एसी बिल के माध्यम से राशि आहरित करने का लेखा राज्य की समेकित निधि में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के समक्ष रखा जाता है। सा.वि.एवं ले.नि. का नियम 220 (1) में एसी बिलों के माध्यम से धन आहरित करने से तीन महीने[16] की अवधि के भीतर डीसी बिल प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने मार्च 2025 तक समायोजन हेतु ₹29.92 करोड़ के 20 एसी बिलों के डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किए। बकाया डीसी बिलों की वर्ष-वार जानकारी और उनका आयुवार विश्लेषण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.16: एसी बिल के समक्ष डीसी बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वृद्धि		निस्तारण		अंतिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2021-22 तक	117	31.37	505	58.50	533	56.68	89	33.19
2022-23	89	33.19	526	78.28	530	90.47	85	21.00
2023-24	85	21.00	876	218.57	764	158.27	197	81.29
2024-25	197	81.29	610	97.30	787	148.67	20	29.92

स्रोत: वित्त लेखे

16. विदेशों से मशीनरी/उपकरण और अन्य सामान साख पत्र द्वारा क्रय के प्रकरणों के अलावा, जहाँ डीसी बिल सक्षम अधिकारी को एसी बिल आहरित किये जाने के छः महीने में प्रस्तुत किये जायेंगे।

तालिका 3.17: बकाया एसी बिलों की आयु-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

बकाया की अवधि	बकाया एसी बिलों की संख्या	राशि
15 वर्ष से अधिक	1	₹ 30,000
10 वर्ष से 15 वर्ष	1	1.04
5 वर्ष से 10 वर्ष	1	0.02
1 वर्ष से 5 वर्ष	07	10.66
0 से 1 वर्ष	10	18.20
योग	**20**	**29.92**

स्रोतः वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हक) के कार्यालय द्वारा संकलित सूचना।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राशि ₹ 1.06 करोड़ के तीन एसी बिल पाँच वर्षों से अधिक समय से समायोजन के लिए लंबित रहे ।

31 दिसंबर 2025 तक, इन 20 लंबित एसी बिलों में से, केवल 3 एसी बिल समायोजन के लिए लंबित थे, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तृत है:

तालिका 3.18: बकाया एसी बिलों का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष / एसी बिलों की संख्या	एसी बिल न. और दिनांक	राशि	विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए विलम्ब के कारण
1	आयुक्त, राहत विभाग, जयपुर	2245 (1)	813/19.03.2013	103.50	विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया (दिसंबर 2025)।
2	प्राचार्य, डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	4210 (1)	45168506/ 28.03.2023	1008.05	विभाग ने सूचित किया (जून 2025 में) कि संस्थापन कार्य के लिए डीआरएम् प्रशिक्षित डॉक्टर और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियन की तैनाती हेतु राज्य सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा है। डीसी बिल संभवतः जुलाई 2025 तक जमा कर दिया जाएगा
3	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर।	2051 (7)	299/06.10.2016	2.00	विभाग ने सूचित किया कि दो कर्मचारियों से वसूली की प्रक्रिया चल रही है (जून 2025 में)।

(i) विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने में देरी

सा.वि.एवं ले.नि. का नियम 220(1) प्रावधान करता है कि एसी बिलों के माध्यम से निधियों का आहरण करने के तीन माह की अवधि के भीतर डीसी बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान, डीसी बिल प्रस्तुत करने में छह महीने से लेकर ग्यारह महीने तक की अत्यधिक देरी देखी गई, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 3.19: डीसी बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब की मात्रा

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	देरी से प्रस्तुत किये गये डीसी बिलों की संख्या (एसी बिल संख्या के साथ)	विलंब की अवधि (महीनों में)
1.	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड	04 (49996996, 50326394, 50667342, 50641870)	10 से 11
2.	राष्ट्रीय केडेट कोर	07 (52550149, 52550112, 48773449, 46582919, 46582912, 52747813, 52085057)	06 से 09
3.	निर्वाचन विभाग	03 (49178743, 49178749, 49086472)	06 से 09

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	देरी से प्रस्तुत किये गये डीसी बिलों की संख्या (एसी बिल संख्या के साथ)	विलंब की अवधि (महीनों में)
4.	राज्यपाल सचिवालय	03 (49834205, 49912408, 50539540)	07 से 08
5.	पुलिस अधीक्षक, अजमेर	01 (49848434)	06
6.	डा. एस.एन. चिकित्सा महाविद्यालय , जोधपुर	01 (44966688)	06
7.	उप निदेशक, जिला उद्योग केंद्र, बाड़मेर	02 (48665075, 52696329)	06
8.	कमांडिंग ऑफिसर, राजस्थान गर्ल्स बटालियन, एनसीसी, जयपुर	01 (49884216)	06
	कुल	22	

संबंधित विभागों ने सूचित किया (अक्टूबर-नवंबर 2025 में) कि डीसी बिल जमा करने में हुई देरी का कारण जिला कलेक्टर स्तर पर लगने वाला समय, सामान्य प्रशासन विभाग से प्रतिपूर्ति राशि मिलने में विलंब, वर्ष के अंत में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) संबंधी समस्याओं के कारण बिलों का अस्वीकृत होना और चुनाव आचार संहिता का लागू होना आदि था।

विस्तृत आकस्मिक बिल जमा करने में देरी या लंबे समय तक जमा न करने से खातों की पूर्णता एवं सटीकता प्रभावित होती है।

(ii) बिना तत्काल आवश्यकता के आकस्मिक बिलों के माध्यम से निकाली गई धनराशि

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, 2012 के नियम 8(2) में यह निर्धारित किया गया है कि निधियों को केवल तभी निकाला जाएगा जब तत्काल भुगतान के लिए आवश्यक हो तथा व्यय या भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत हो।

नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 के दौरान 59 एसी बिलों की जाँच से पता चला कि 33 मामलों में, आहरित की गई एसी बिल की पूरी राशि चालान के माध्यम से जमा कर दी गई थी; और 26 मामलों में, डीसी बिल जमा करते समय 62.31 प्रतिशत से 99.08 प्रतिशत के मध्य अव्ययित हुई राशि चालान के माध्यम से जमा की गई थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2*** में विस्तार से बताया गया है।

चालानों के माध्यम से सम्पूर्ण धनराशि/ अव्ययित हुई राशि को जमा कराना यह दर्शाता है कि वास्तविक आवश्यकताओं का उचित आंकलन किए बिना सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से धनराशि निकाली गई थी।

समायोजन के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन न करना और धनराशि की समय-पूर्व निकासी, डीडीओ स्तर पर कमज़ोर वित्तीय अनुशासन और निगरानी को दर्शाता है। अग्रिमों का लंबे समय तक समायोजन न होना न केवल सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि वित्तीय लेखों की पूर्णता और विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है; क्योंकि, सहायक डीसी बिलों की अनुपस्थिति में, इन लेखों में दर्शाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता।

3.6 निजी निक्षेप खाते

निजी निक्षेप (पी.डी) खाता संबंधित कोषागार में लोक लेखे के जमा शीर्ष मद के अंतर्गत खोला जाता है। इस तरह के खाते को कोषागार में बैंक खाते की तरह संधारित किया जाता है।

राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 260(1) में यह प्रावधित करता है कि सरकारी लेखो में जमा के लिए कोई राशि तब तक प्राप्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे किसी वैधानिक प्रावधान या सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के आधार पर सरकार की अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी गई हो।

1. राजस्थान में निजी निक्षेप खातों की स्थिति

वर्ष 2020-25 की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निजी निक्षेप खातों में पड़ी हुई निधियों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 3.20: वर्ष 2020-25 के दौरान निजी निक्षेप खातों में निधियों का भंडारण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में निजी निक्षेप खातों की संख्या			अंतिम शेष
	सक्रिय	निष्क्रिय	कुल	
2020-21	1,895	33	1,928	14,382.95
2021-22	2,001	52	2,053	18,220.62
2022-23	2,067	133	2,200	14,114.10
2023-24	2,336	115	2,451	13,762.90
2024-25	2,282	75	2,357	15,120.09

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदत सूचना

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निजी निक्षेप खातों के अंतर्गत अंतिम शेष राशि 2020-21 में 1,928 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 14,382.95 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 2,357 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 15,120.09 करोड़ हो गई है।

वित्तीय वर्ष के अंत में निजी निक्षेप खातों में बड़ी रकम का लगातार जमा रहना, खर्च पर विधायी निगरानी को कमज़ोर करता है; क्योंकि ऐसी शेष राशियाँ समाप्त नहीं होतीं और सामान्य बजटीय प्रक्रिया से बाहर रहती हैं। नियम 260(1) के तहत समय-समय पर समीक्षा और कड़े औचित्य के अभाव में, ऐसी प्रथाएँ पारदर्शिता और राजकोषीय अनुशासन को कमज़ोर कर सकती हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार के व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

तालिका 3.21: वर्ष 2024-25 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	व्यक्तिगत जमा खातों में शेष (2024-25)	
1.	**आरंभिक शेष (1 अप्रैल 2024)**	13,762.90
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि	42,836.17
	(i) समेकित निधि से हस्तांतरित धनराशि	26,946.98
	(ii) *व्यक्तिगत* जमा खातों में सीधे जमा की गई धनराशि	15,889.19
3.	वर्ष के दौरान निकासी	41,478.98
4.	**31 मार्च 2025 को अंतिम शेष**	**15,120.09**
	मार्च 2025 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हुए लेनदेन	
5.	महीने के दौरान *व्यक्तिगत* जमा खातों में स्थानांतरित/जमा की गई राशि	6,687.64
	(i) समेकित निधि से हस्तांतरित धनराशि	4,298.17
	(ii) *व्यक्तिगत* जमा खातों में सीधे जमा की गई धनराशि	2,389.47
6.	माह के दौरान निकासी	6,442.69

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान द्वारा प्रदत सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2024-25 के दौरान, मुख्य शीर्ष 8443-नागरिक जमा-106-निजी निक्षेप के अंतर्गत पीडी खातों में ₹ 42,836.17 करोड़ की राशि हस्तांतरित/जमा की गई, जो

राज्य के कुल व्यय (₹ 3,00,194 करोड़) का 14.27 प्रतिशत है। इस राशि में से ₹ 26,946.98 करोड़ राशि स्वायत्त निकायों को अनुदान सहायता के रूप में संबंधित कोषागार में उनके नाम पर खोले गए निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित तथा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में खनन गतिविधियों से प्राप्त राजस्व, स्वायत्त संस्थाओं की अपनी आय इत्यादि व्यक्तिगत जमा खातों में सीधे जमा किए गए ₹ 15,889.19 करोड़ शामिल हैं।

निजी निक्षेप खातों के शेषों के विश्लेषण से पता चलता है किः

i. राशि ₹ 26,946.98 करोड़ में से, ₹ 4,298.17 करोड़ (15.95 प्रतिशत) राशि मार्च 2025 में निजी निक्षेप खातों में स्थानांतरित की गई। राज्य बजट नियमावली(एसबीएम) के अनुसार, बजट अनुदानों के व्यपगत होने से बचने के उद्देश्य से धनराशि निकालना और ऐसी धनराशि को सार्वजनिक खाते या बैंक में जमा करना निषिद्ध है। इसलिए, मार्च माह के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में इतनी बड़ी राशि का हस्तांतरण राज्य बजट नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन है।

ii. 2,357 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹15,120.09 करोड़ की अप्रयुक्त शेष राशि में 23 निजी निक्षेप खाते (जिनमें प्रत्येक में ₹100 करोड़ और उससे अधिक की शेष राशि है) शामिल हैं, जिनमें ₹8,813.50 करोड़ अर्थात् कुल अप्रयुक्त शेष राशि का 58.29 प्रतिशत हिस्सा ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शये अनुसार अनुसार पड़ा हुआ है।

iii. राज्य सरकार के विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा धारित निजी निक्षेप खातों की जांच में पाया गया कि 31 मार्च 2025 को 247 खातों में "शून्य" शेष राशि थी, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** में दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा इस अप्रयुक्त शेष राशि और निजी निक्षेप खाते से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण जारी नहीं किया गया, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि जीआईए से कितनी राशि खर्च की गई और निजी निक्षेप खाते में प्राप्त प्रत्यक्ष राजस्व से कितनी राशि खर्च की गई। इससे यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार द्वारा निजी निक्षेप खातों के संचालन में पर्याप्त पारदर्शिता और व्यय की जवाबदेही बनाए नहीं रखी गई है।

चूँकि पीडी खातों में जमा शेष राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त नहीं होती, इसलिए ऐसे हस्तांतरणों का प्रभाव यह होता है कि धनराशि समेकित निधि और नियमित बजटीय नियंत्रण ढाँचे से बाहर बनी रहती है।

निजी निक्षेप खातों में प्रतिकूल शेष राशि

निजी निक्षेप खातों के शेषों की जांच के दौरान यह पाया गया कि चार निजी निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष थे। विवरण नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध हैं:

तालिका 3.22: व्यक्तिगत जमा खातों में प्रतिकूल शेष राशि

क्र. सं.	कोषालय कोड	कोषालय नाम	निजी निक्षेप खाता	नाम	राशि
1	09	बीकानेर	6689	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी), बीकानेर	(-) 39,35,000
2	14	धोलपुर	479	नई पेंशन योजना	(-) 21,333
3	19	जयपुर पीपीओ	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	(-) 10,57,157
4	30	नागौर	2598	अधिशासी अभियंता, पीएचईडी, डीडवाना	(-) 4,48,522

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदत सुचना।

निजी निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष राशि यह दर्शाती है कि निजी निक्षेप खातों में उपलब्ध शेष राशि से अधिक भुगतान किया गया है, जो कोषागार स्तर पर पर्याप्त अंक मिलान की कमी को दर्शाता है।

लोक लेखे के तहत रखे जाने वाले निजी निक्षेप खातों का उद्देश्य उन निधियो के वास्तविक शेष को दिखाना होता है, जो सरकार की सुरक्षा में किसी विशेष अधिकृत उदेश्य के लिए रखे गए हैं। जमा खातो के प्रक्रिया में ऋणात्मक शेष का होना एक असामान्य बात है, क्योंकि ऐसे लेखो में अधिक निकासी की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। नकारात्मक शेष, मिलान, कोषागार नियंत्रण या लेखांकन समायोजन में कमियों की ओर इशारा करते हैं, और जमा शीर्ष रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता को कमज़ोर करते हैं।

निजी निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष राशि के संबंध में 2021-22 में जनलेखा समिति द्वारा 42वीं रिपोर्ट (15वीं विधानसभा) पर की गई सिफारिश के अनुपालन में, विभाग ने सूचित किया था (अगस्त 2020) कि सभी निजी निक्षेप खातों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण निजी निक्षेप खातों में शेष राशि से अधिक धनराशि निकालना संभव नहीं होगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस तरह की प्रणाली के अस्तित्व के बावजूद उपर्युक्त निजी निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष राशि अभी भी किस कारण मौजूद है।

2. निष्क्रिय निजी निक्षेप खाते

राजस्थान राजकोष नियम 2012 के नियम 98 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में कोषालय अधिकारी संचालित पीडी खातों की समीक्षा करेगा और पिछले दो वित्तीय वर्षों से लगातार निष्क्रिय पड़े खातों की सूची वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भेजने के लिए तैयार करेगा। लोक लेखा समिति ने अपने 42वे प्रतिवेदन (15वीं विधानसभा) में निष्क्रिय पीडी खातों के संबंध में राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के प्रावधानों का पालना करने और भविष्य में निष्क्रिय खातों को समय पर बंद करना सुनिश्चित करने की सिफारिश की।

विभिन्न विभागों के पीडी खातों की समीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2025 तक कुल 75 पीडी खाते, जिनमें ₹17.18 करोड़ की राशि पड़ी थी, पिछले दो वर्षों (2023-25) से निष्क्रिय थे, जिनमें से 23 निष्क्रिय पीडी खातों में पिछले दो वर्षों शून्य शेष था। इन पीडी खातों का विवरण ***परिशिष्ट 3.5*** में उल्लेखित है।

3. स्थानीय निधियों की जमाएं

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 64 में यह प्रावधान है कि जिला परिषद(जिप), पंचायत समिति(पंस) तथा ग्राम पंचायत(ग्रांप) क्रमशः[17] जिप निधि, पंस निधि तथा ग्रापं निधि संधारित करेंगे। इन निधियो में, इस अधिनियम के तहत वसूल किए गए या वसूली योग्य सभी धनराशियाँ सम्मिलित होगी और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ, यथा केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग पारितोषिक के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान एवं पंचायत की स्वयं का राजस्व, जिसमें कर तथा गैर-कर प्राप्तियां शामिल हैं। इसी प्रकार, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 79 में परिकल्पित है कि नगरपालिका को नगरपालिका निधि संधारित करनी होगी। इस अधिनियम के तहत वसूल अथवा वसूली योग्य सभी धनराशि और नगरपालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धनराशि को नगरपालिका निधि[18] में रखा जाना है।

17. मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा राशि, 109-पंचायत निकायों की निधियों के अंतर्गत।

18. मुख्य शीर्ष 8448- स्थानीय निधियों की जमा राशि-102-नगरपालिका निधियों के अंतर्गत।

31 मार्च 2025 तक, पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय कोष तथा नगरपालिका कोष की पिछले पांच वर्षों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.23: स्थानीय निधियों की जमा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निधि का नाम	वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्ति	खर्चा	अंतिम शेष
1	जिला परिषद निधि (8448-109-03)	2020-21	1,300.07	1,318.54	1,128.13	1,490.48
		2021-22	1,490.48	2,327.99	1,951.25	1,867.22
		2022-23	1,867.22	1,883.18	1,986.55	1,763.85
		2023-24	1,763.85	1,737.65	2,097.72	1,403.78
		2024-25	1,403.78	1,861.38	1,546.82	1,718.34
2	पंचायत समिति निधि (8448-109-02)	2020-21	1,172.55	1,797.45	1,545.79	1,424.21
		2021-22	1,424.21	2,640.36	2,210.78	1,853.79
		2022-23	1,853.79	2,452.99	2,160.82	2,145.95
		2023-24	2,145.95	2,144.37	2,742.86	1,547.13
		2024-25	1,547.13	2,606.59	2,241.04	1,912.68
3	नगर पालिका निधि (8448-102)	2020-21	1,442.73	4,591.66	3,614.48	2,419.91
		2021-22	2,419.91	4,662.10	4,492.33	2,589.68
		2022-23	2,589.68	5,712.06	6,315.85	1,985.89
		2023-24	1,985.89	6,818.12	7,513.45	1,290.56
		2024-25	1,290.56	7761.06	7537.23	1514.39

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदत सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2020-25 के दौरान, ज़िला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि तथा नगर पालिका निधि में बड़ी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रही। 2024-25 के दौरान इन निधियों में क्रमशः ₹1,718.34 करोड़, ₹1,912.68 करोड़ तथा ₹1,514.39 करोड़ अंतिम शेष था।

ग्राम पंचायतें निकटतम अनुसूचित बैंक की शाखा में अपने खाते रखती हैं। ग्राम पंचायतो के इन खातों में पड़ी अप्रयुक्त राशि की स्थिति का रखरखाव पंचायत समिति या जिला परिषद् स्तर पर ठीक से नहीं किया जा रहा। हालांकि, पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के पास पड़ी अप्रयुक्त निधियों के संकलन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

स्थानीय निधियों में बड़ी मात्रा में शेष धनराशि का लगातार जमा रहना, व्यय नियोजन को सुदृढ़ करने तथा निर्धारित विकासात्मक उद्देश्यों हेतु निधियों के समयबद्ध उपयोग की संभावना को दर्शाता है। चूंकि इन निधियों में वित्त आयोगों से प्राप्त अनुदान तथा विकेंद्रीकृत शासन हेतु अभिप्रेत स्थानीय राजस्व शामिल होते हैं, अतः व्यय में होने वाला विलंब अथवा असंतुलित व्यय स्थानीय सेवाओं के वितरण को प्रभावित कर सकता है।

स्थानीय निकाय विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2025) वर्ष के अंत में शेष बची राशि का कारण निविदा प्रक्रिया में लगने वाला समय, परियोजनाओं/योजनाओं की समयावधि के अनुसार भुगतान की अनुसूची, तथा वर्ष के अंत में योजनाओं से संबंधित निधियों की प्राप्ति था।

राज्य सरकार को स्थानीय निधियों और नगरपालिका निधियों के समय पर उपयोग के लिए एक तंत्र स्थापित करने, बंद हो चुकी योजनाओं की अप्रयुक्त शेष राशियों को राजस्व मद में जमा करने और ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में रखी शेष राशियों की निगरानी करने की आवश्यकता है।

3.7 लघु शीर्ष-800 का संचालन

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद ए.10 प्रावधित करता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए कि व्यय को उचित कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाए और जहाँ तक संभव हो 'अन्य व्यय' की श्रेणी में वर्गीकरण से बचा जाना चाहिए।

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित मद 800 का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए, जब लेखों में इसके लिए कोई उपयुक्त 'लघु शीर्ष' उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष-800 का नियमित उपयोग लेखों को अस्पष्ट बना देता है और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 55 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹18,332.72 करोड़ की राशि, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 6.11 प्रतिशत (₹ 2,99,926.71 करोड़) है, को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत लेखो में वर्गीकृत किया गया था, जबकि वर्ष 2023-24 में ₹14,260.44 करोड़ को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया था ।

चालू वर्ष के दौरान, ₹ 6,264.32 करोड़ की राशि वाले सात मुख्य शीर्षों के संबंध में, एक बड़ा भाग अर्थात 50 प्रतिशत या उससे अधिक लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। ऐसे मुख्य शीर्षों का विवरण, जहाँ व्यय ₹ 50 करोड़ से अधिक था और व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.24: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
	800-अन्य व्यय			
1.	2211-परिवार कल्याण	2,355.00	4,583.10	51.38
2	2425-सहकारिता	1,439.74	2,588.61	55.62
3	2700-वृहत सिंचाई	1,931.52	2,446.34	78.96
4	3452-पर्यटन	70.29	95.59	73.53
5	4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत व्यय	73.59	90.59	81.23
6	4885- उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य पूंजीगत व्यय	40.67	65.82	61.79
7	5475- अन्य सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	353.51	505.64	69.91
	योग	**6,264.32**	**10,375.69**	

इसी प्रकार, 44 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 12,600.90 करोड़,जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,27,250.02 करोड़) का 5.54 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जबकि 2024-25 में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुकिंग ₹ 9,138.35 करोड़ थी।

चालू वर्ष के दौरान, ₹ 5,292.37 करोड़ की राशि वाले सात मुख्य शीर्षों के संबंध में, एक बड़ा भाग अर्थात 50 प्रतिशत या उससे अधिक लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियो के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। ऐसे मुख्य शीर्षों का विवरण, जहाँ व्यय ₹ 50 करोड़ से अधिक था और व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक भाग लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियो के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.25: लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
	800-अन्य प्राप्तियां			
1.	0035- कृषि भूमि के अतिरिक्त अचल संपत्ति पर कर	51.86	51.89	99.94
2.	0071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान तथा वसूली	95.58	153.99	62.07
3.	0075- विविध सामान्य सेवाएं	3,993.59	5,390.41	74.09
4.	0230- श्रम एवं रोजगार	805.42	829.57	97.09
5.	0406- वानिकी एवं वन्य जीवन	100.34	135.54	74.03

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
6.	0801-उर्जा	183.70	183.70	100.00
7.	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	61.88	119.69	51.70
	योग	**5,292.37**	**6,864.79**	

स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा अनुरक्षित वित्त खाते एवं वीएलसी डेटा।

सर्वग्राही लघु शीर्ष-800 के तहत पर्याप्त मात्रा में राशि का पुस्तांकन वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और आवंटन प्राथमिकताओं एवं व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करती है।

लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय से संबंधित सर्वग्राही लघु शीर्ष -800 का उपयोग केवल उन मामलों में किया जाना है, जहाँ संघ और राज्यों के खातों के मुख्य और लघु शीर्ष (एलएमएमएच) की सूची में संबंधित मुख्य और लघु शीर्ष के अंतर्गत कोई उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध होने पर भी लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत प्रविष्टि करने के ऐसे उदाहरण ***परिशिष्ट 3.6*** में दिए गए विवरण के अनुसार नीचे चर्चा किये गए है।

i) चार मामलों में रखरखाव एवं मरम्मत/सड़क निर्माण/निर्माण से संबंधित, राज्य सरकार ने 800-अन्य व्यय शीर्ष के अंतर्गत ₹ 3,239.67 करोड़ का प्रावधान किया, जबकि उपयुक्त लघु शीर्ष जैसेः 105-रखरखाव तथा 337- सड़क निर्माण संबंधित मुख्य शीर्ष 3054 एवं 5054 के अंतर्गत उपलब्ध थे।

ii) चार मामलों में, राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास भवनों के निर्माण कार्यों के लिए ₹ 195.00 करोड़ लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किए, जबकि उपयुक्त शीर्ष, जैसेः 277-शिक्षा, उसी मुख्य शीर्ष 4225 के अंतर्गत उपलब्ध था।

iii) तीन मामलों में, विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माण कार्यों के लिए ₹ 50.97 करोड़ की राशि शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जबकि उपयुक्त लघु शीर्ष जैसेः 051-निर्माण, उसी मुख्य शीर्ष 4217 के अंतर्गत उपलब्ध था।

iv) तीन मामलों में स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य से संबंधित, राज्य सरकार ने शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत ₹ 74.91 करोड़ का प्रावधान किया, जबकि स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपयुक्त लघु शीर्ष जैसेः 101, 103 तथा 104 मुख्य शीर्ष 4210 के अंतर्गत उपलब्ध थे।

विशिष्ट लघु शीर्ष उपलब्ध होने के बावजूद, छह विभागों द्वारा ₹ 3,647.87 करोड़ के व्यय का वर्गीकरण सर्वग्राही लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत किया जाना, खातों में व्यय के सही चित्रण के प्रति शिथिलता को दर्शाता है।

इस संबंध में, वित्त विभाग ने सभी डीडीओ/सीसीओ को यह निर्देश भी जारी किया (अगस्त 2022) कि जब एलएमएमएच में उपयुक्त शीर्ष उपलब्ध हो, तो लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत प्रावधान न किया जाए।

पिछले वर्ष की रिपोर्ट के इसी तरह के अनुच्छेद के अनुपालन में, अल्पसंख्यक कार्य विभाग ने (नवंबर 2025 में) सूचित किया है कि "मुख्य शीर्ष 4225-04-800-01-17-पूंजीगत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत, "लघु शीर्ष 800-

अन्य व्यय" के स्थान पर एक नया लघु शीर्ष "लघु शीर्ष 277-शिक्षा " खोला गया है, और बजट वर्ष 2025-26 से व्यय को सही लघु शीर्ष में दर्ज किया जा रहा है।

मापन से संबंधित मामले

3.8 प्रमुख उचंत तथा डीडीआर शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखों में उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शुद्ध शेष राशि दर्शाई जाती है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि की गणना विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष राशि को जोड़कर की जाती है।

सरकारी लेखों में 'उचंत शीर्ष' खोले जाते हैं ताकि उन लेन-देनों को दर्शाया जा सके जिन्हें किसी कारणवश प्रारंभ में उनके अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता। इन लेखों के शीर्षों को अन्तिम रूप से माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट द्वारा सम्बन्धित अन्तिम लेखा शीर्षों में स्थानांतरित कर समायोजित किया जाता है। यदि इन राशियों को समायोजित नहीं किया जाता है, तो उचंत शीर्षों के अन्तर्गत शेष राशि संचित हो जाती है और जिससे सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का सही चित्रण बाधित होता हैं।

प्रेषण में वे सभी लेनदेन शामिल होते हैं जो लेखा शीर्षों को समायोजित करते हैं और इन शीर्षों के अंतर्गत डेबिट या क्रेडिट अंततः उसी या किसी अन्य लेखांकन चक्र के भीतर संबंधित क्रेडिट या डेबिट प्रविष्टियों द्वारा समायोजित किए जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के लिए उचंत तथा प्रेषण मुख्य शीर्षों के अंतर्गत सकल आंकड़ों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

तालिका 3.26: उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु शीर्ष	2022-23		2023-24		2024-25	
	मुख्य शीर्ष 8658 – उचंत						
		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
1.	101 – पीएओ उचंत	103.92	9.23	94.74	8.81	106.97	10.58
	निवल	**डेबिट 94.69**		**डेबिट 85.93**		**डेबिट 96.39**	
2.	102 – उचंत लेखा-सामान्य	0.37	85.19	0.40	94.74	0.58	145.14
	निवल	**क्रेडिट 84.82**		**क्रेडिट 94.34**		**क्रेडिट 144.56**	
3.	106 – टेलिकम्यूनिकेशन् लेखा कार्यालय उचंत	-*	-	-*	-	-*	-
	निवल	**डेबिट-***		**डेबिट-***		**डेबिट-***	
4.	112 - स्रोत पर कर कटौती उचंत	-	(-) 1.62	-	97.62	-	116.26
	निवल	**क्रेडिट (-) 1.62**		**क्रेडिट 97.62**		**क्रेडिट 116.26**	
5.	123 – ए.आई.एस. अधिकारी समूह बीमा योजना	-	0.21	-	0.25	-	0.50
	निवल	**क्रेडिट 0.21**		**क्रेडिट 0.25**		**क्रेडिट 0.50**	
6.	129 - सामग्री खरीद निपटान उचंत खाता	-	(-)3.50	-	(-)3.50	-	(-)3.58
	निवल	**क्रेडिट (-) 3.50**		**क्रेडिट (-) 3.50**		**क्रेडिट (-) 3.58**	
7.	139 – जीएसटी- स्रोत पर कर कटौती उचंत	-	57.17	-	66.44	-	52.68
	निवल	**क्रेडिट 57.17**		**क्रेडिट 66.44**		**क्रेडिट 52.68**	
	निवल योग	**(क्रेडिट) 42.39**		**(क्रेडिट) 169.22**		**(क्रेडिट) 214.03**	
	मुख्य शीर्ष 8782- नकद प्रेषण						

क्र. सं.	लघु शीर्ष	2022-23		2023-24		2024-25	
8.	102 – लोक निर्माण प्रेषण	25.40	26.76	25.57	18.48	25.59	17.01
	निवल	**क्रेडिट 1.36**		**डेबिट 7.09**		**डेबिट 8.58**	
9.	103 – वन प्रेषण	0.10	-**	0.07	-	0.07	-
	निवल	**डेबिट 0.10**		**डेबिट 0.07**		**डेबिट 0.07**	
10.	108 – अन्य विभाग प्रेषण	0.03	-	0.03	-		0.03
	निवल	**डेबिट 0.03**		**डेबिट 0.03**		**डेबिट 0.03**	
11.	129 - इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत हस्तांतरण	0.74	-	0.73	-	0.72	-
	निवल	**डेबिट 0.74**		**डेबिट 0.73**		**डेबिट 0.72**	
	निवल योग	**(क्रेडिट) 0.49**		**(डेबिट) 7.92**		**(डेबिट) 9.40**	

* ₹1,000 मात्र ** ₹14,000 मात्र

पिछले तीन वर्षों के लिए प्रमुख उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत आंकड़ों की स्थिति से पता चलता है कि वित्त लेखों में प्रमुख मद '8658-उचंत लेखे' के अंतर्गत कुल निवल शेष में 2023-24 से 2024-25 तक ₹ 44.81 करोड़ की क्रेडिट शेष वृद्धि दर्ज की गई है।

- **वेतन एवं लेखा अधिकारी(पीएओ)-उचंत (एमआईएच 101)**

यह लघु शीर्ष केंद्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों के पृथक लेखा अधिकारियों तथा महालेखाकार की पुस्तकों में अंतर-सरकारी लेन-देन के प्रारंभिक अभिलेख के लिए है, जहां दूसरा पक्ष वेतन एवं लेखा अधिकारी होता है। इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक वेतन एवं लेखा अधिकारी के लिए अलग-अलग उप-शीर्ष खोले जाते हैं, जिनके साथ लेन-देन का निपटान किया जाना है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष उन भुगतानों को दर्शाते हैं जो वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा दूसरों की ओर से किए गए हैं और जिनकी वसूली अभी बाकी है और क्रेडिट शेष वह राशि दर्शाते हैं जिसका भुगतान अभी बकाया है।

मार्च 2025 के अंत में इस खाते में बकाया डेबिट बैलेंस ₹ 106.97 करोड़ था और क्रेडिट बैलेंस ₹ 10.58 करोड़ था। बकाया डेबिट शेष मुख्य रूप से वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय पेंशन लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली (₹ 106.02 करोड़) तथा वेतन एवं लेखा अधिकारी (एनएच), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर (₹ 0.40 करोड़) से संबंधित है, जबकि क्रेडिट शेष मुख्य रूप से वेतन एवं लेखा अधिकारी, खनन मंत्रालय (₹ 9.72 करोड़) से संबंधित है। ये शेष वे राशियाँ हैं जो सरकार को भारत सरकार के संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त करनी हैं और जो अधिकतर पुराने वर्षों (1960 से पहले से 2024-25) से संबंधित हैं।

- **उचंत लेखे-सामान्य (एमआईएच 102)**

इस लघु शीर्ष का संचालन महालेखाकार द्वारा उन लेन-देनों में अस्थायी रूप से अंतरों को समायोजित करने के लिए किया जाता है जिन्हें कुछ सूचनाओं/दस्तावेजों जैसे चालान, वाउचर आदि के अभाव में व्यय/प्राप्ति लेखों के अंतिम शीर्ष में शामिल नहीं किया जा सकता है। प्राप्तियाँ क्रेडिट और व्यय इस लेखे को डेबिट किया जाता है और आवश्यक जानकारी प्राप्त होने पर क्रमशः माइनस क्रेडिट और माइनस डेबिट द्वारा इसका निपटान किया जाता है।

मार्च 2025 के अंत में इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया प्रमुख डेबिट शेष राशि सीडीए[19] (पेंशन), इलाहाबाद (₹ 0.05 करोड़) और सीडीए (एससी[20]), पुणे (₹ 0.34 करोड़) से संबंधित थी।

प्रमुख क्रेडिट शेष राशि (₹ 144.25 करोड़) अन्य विविध उचंत शीर्ष (असफल ई-भुगतान) के अंतर्गत दर्शाई गई थी । इस उचंत शीर्ष के तहत बकाया राशि का निपटारा न होने के कारण, राजस्व व्यय ₹144.25 करोड़ से अधिक दिखाया गया है, जिससे राजस्व घाटा भी इसी राशि से बढ़ गया।

- **स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत-(एमआईएच 112)**

इस लघु शीर्ष का उद्देश्य स्रोत पर आयकर कटौती से प्राप्तियों को समायोजित करना है। स्रोत पर आयकर कटौती से प्राप्तियों को लघु शीर्ष 112-टीडीएस उचंत के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लेखे में जमा किया जाता है। इन जमाओं का निपटान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक किया जाना चाहिए और आयकर विभाग को जमा किया जाना चाहिए।

तथापि, 31 मार्च 2025 तक इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 116.26 करोड़ की बकाया राशि थी, जिसको अभी तक आयकर विभाग को जमा नहीं किया गया था।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों का निपटान न होने से राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो वर्ष-दर-वर्ष आगे ले जाए जाते हैं) के अंतर्गत प्राप्तियों/व्यय के आंकड़ों और शेष राशियों की सटीकता प्रभावित होती है।

- **ऋण, जमा और प्रेषण शीर्षो के अंतर्गत प्रतिकूल शेष**

प्रतिकूल शेष राशि उन खाता शीर्षों में होने वाली ऋणात्मक शेष राशि है जहाँ ऋणात्मक शेष राशि नहीं होनी चाहिए।

31 मार्च 2025 को ऋण, जमा और प्रेषण (डीडीआर) के 8 शीर्षों[21] के अंतर्गत कुल राशि ₹ 4,234.09 करोड़ प्रतिकूल शेष राशियाँ थी। ये प्रतिकूल शेष राशियाँ मुख्य रूप से नगर परिषदों/नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के पेंशन कोष (₹ 4,219.11 करोड़) के अंतर्गत थीं।

राज्य सरकार के पास मुख्य शीर्ष 8011-बीमा एवं पेंशन निधि-106-अन्य बीमा एवं पेंशन निधि-02 नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के कर्मचारियों की पेंशन निधि के अंतर्गत ₹ 4,219.11 करोड़ का प्रतिकूल शेष है। इस निधि में नगर परिषदों/नगर पालिकाओं के कर्मचारियों का अंशदान होता है। अतः यह एक स्व-पोषित निधि है। इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय नगर परिषदों/नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को मासिक पेंशन के भुगतान के लिए किया गया था। सरकार ने उक्त शीर्ष के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹ 766.48 करोड़ का व्यय

19. रक्षा लेखा नियंत्रक

20. दक्षिणी कमान

21. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के लिए ऋणः ₹ 0.36 लाख; खाद्य भंडारण एवं भंडारण (ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम) के लिए ऋणः ₹ 0.02 करोड़; बीमा एवं पेंशन निधिः ₹ 4219.11 करोड़; नागरिक जमा (बिजली कंपनियां): ₹ 9.27 करोड़; स्थानीय निधि (ग्राम पंचायत निधि) की जमा राशिः ₹ 0.03 करोड़; सहकारिता के लिए ऋण (राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड): ₹ 0.09 करोड़; सरकारी कर्मचारियों (मोटर वाहन आदि) को ऋणः ₹ 2.67 करोड़; आपराधिक न्यायालयों की जमा राशिः ₹ 2.90 करोड़।

किया, जबकि इसी अवधि में इस निधि में प्राप्तियाँ ₹ 284.52 करोड़ थीं। यह अंतर आस्थगित अनुदान सहायता के रूप में था और इस प्रकार राजस्व व्यय का कम मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने राज्य बजट में इस शीर्ष के लिए ऋणात्मक प्रावधान किए थे। जिलावार प्रतिकूल शेष ***परिशिष्ट 3.7*** में दिया गया है जो यह दर्शाता है कि उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि इस निधि के अंतर्गत विभिन्न कोषागारों में अपर्याप्त शेष राशि की समायोजन अन्य कोषागारों में उपलब्ध अतिरिक्त निधि से की गई है।

इस मामले को महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय के माध्यम से, संयुक्त सचिव, राज्य बीमा और भविष्य निधि, राजस्थान, जयपुर और कोषागारों के साथ (नवंबर 2024 और फरवरी 2025 में) उठाया गया है। निकास बैठक में, वित्त सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया और बकाया शेषो के निपटान का आश्वासन दिया।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों का निपटारा न होने से, सार्वजनिक खाते की शुद्ध राशियों की सटीकता उस सीमा तक प्रभावित होती है।

3.9 विभागीय आंकड़ों का मिलान

आँकड़ों का मिलान और सत्यापन वित्तीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्राप्तियों और व्ययों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण और गलत प्रविष्टियों को दर्ज होने से रोकता है। सावि एवं लेनि के नियम 11 (3) के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को राजस्थान सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के आँकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान द्वारा लेखाबद्ध आँकड़ों से मिलान करना चाहिए।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 2,27,250.02 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 100 प्रतिशत) की राजस्व प्राप्तियों, ₹ 2,69,200.06 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 100 प्रतिशत) के राजस्व व्यय तथा ₹ 30,726.64 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय का 100 प्रतिशत) के पूंजीगत व्यय का मिलान किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 267.34 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ऋणों तथा अग्रिमों का 100 प्रतिशत) के ऋणों तथा अग्रिमों का भी मिलान किया गया।

नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आंकड़ों के मिलान की स्थिति तालिका एवं चार्ट में दी गई है।

तालिका 3.27: नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों तथा व्यय के मिलान की स्थिति

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	नियंत्रण अधिकारियों की संख्या जिन्होंने अपनी प्राप्तियों/व्यय का मिलान किया		
		पूर्णतः मिलान किया गया	आंशिक मिलान किया गया	मिलान नहीं किया गया
प्राप्तियाँ				
2022-23	177	177	-	-
2023-24	196	196	-	-
2024-25	195	195	-	-
व्यय				
2022-23	428	428	-	-
2023-24	484	484	-	-
2024-25	486	486	-	-

स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा संधारित सूचना।

चार्ट 3.3: वर्ष के दौरान प्राप्तियों तथा व्यय के मिलान की स्थिति

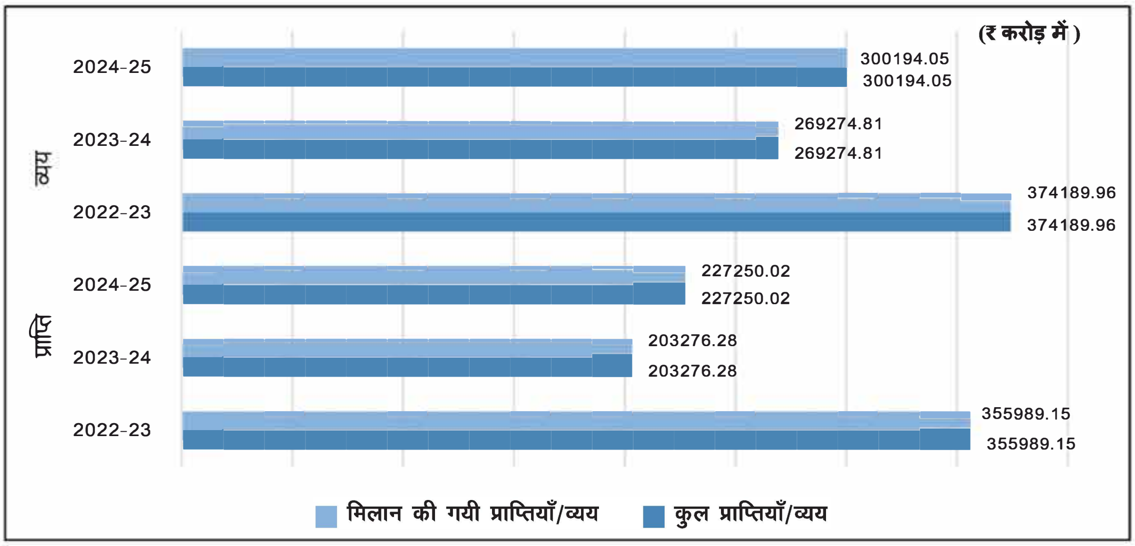

स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा संधारित सूचना।

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है, पिछले पाँच वर्षों के दौरान, राज्य सरकार व्यय और प्राप्तियों का 100 प्रतिशत मिलान करने में सफल रही।

3.10 नगद शेषों का मिलान

राजस्थान के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) के लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2025 को राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 18.75 करोड़ (डेबिट) था, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे ₹ 16.86 करोड़ (क्रेडिट) बताया गया था। इस प्रकार, ₹ 1.89 करोड़ (क्रेडिट) का असंगत अंतर था, जिसका राजस्थान के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) तथा राज्य सरकार (कोषागार/भारतीय रिज़र्व बैंक/एजेंट बैंक) के बीच मिलान किया जा रहा था। यह अंतर मिलान प्रक्रियाधीन है। जुलाई 2025 तक मात्र सत्रह हज़ार पाँच सौ इकतालीस रुपये का अंतर था।

राज्य में भुगतान हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली 2.0 को राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के साथ एकीकृत करने के बाद, दर्ज किए गए लेन-देनों में अंतर बढ़ गया है, क्योंकि राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की रिपोर्ट लेन-देन की तिथि के आधार पर होती है, जबकि ई-कुबेर प्रणाली लेन-देनों की रिपोर्ट निपटान तिथि के आधार पर करती है।

प्रकटीकरण से संबंधित मामले

3.11 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की सलाह पर, केंद्र तथा राज्यों के लेखा-जोखों का प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। सीएजी की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारतीय सरकारी लेखा मानक (आईजीएएस) अधिसूचित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा इन लेखा मानकों का अनुपालन और वर्ष 2024-25 के दौरान इनमें पाई गई कमियों का विस्तृत विवरण **तालिका 3.28** में दिया गया है।

तालिका 3.28: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आईजीएएस का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	कमी
1.	**आईजीएएस.: 1** *सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां- प्रकटीकरण की आवश्यकताएं*	यह मानक सरकार से अपेक्षा करता है कि वह अपने वित्तीय विवरणों में वर्ष के दौरान दी गई प्रत्याभूति (वर्ग या क्षेत्र-वार) की अधिकतम राशि के साथ-साथ वर्ष के प्रारंभ और अन्त में परिवर्धन, विलोपन, लागू, निर्वहन और बकाया, अनुदानकर्ता कमीशन और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का प्रकटीकरण करें।	पूर्ण अनुपालना की गई	शून्य
2.	**आईजीएएस: 2** *सहायतार्थ अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण*	सहायतार्थ अनुदान को अनुदानदाता के लेखों में राजस्व व्यय और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्ति के रुप में अंतिम उपयोग पर विचार किए बिना वर्गीकृत करना चाहिए। वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया। राज्य सरकार द्वारा नकद में दी गई अनुदान सहायता के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।	सरकार द्वारा वस्तु स्वरूप दी गई अनुदान सहायता का खुलासा नहीं किया गया। अतः, अनुदान प्रदानकर्ता द्वारा दी गई कुल सहायतार्थ अनुदान का पता नहीं लगाया जा सका।
3.	**आईजीएएस-3:** सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम	यह सरकार द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों के संबंध में मान्यता, माप तथा मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग से संबंधित है ताकि पूर्ण, सटीक और एकसमान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों के बारे में पर्याप्त जानकारी का खुलासा सुनिश्चित किया जा सके।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया।	अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया भुगतान के संबंध में विवरण, कई मामलों में प्राप्त ब्याज का विभाजन और राजस्व में जमा ब्याज, प्रकटीकरण - ऐसे ऋणों के मामले जिन्हें अनिश्चित काल के लिए स्वीकृत किया गया है, सरकार द्वारा ऐसे ऋण दिए गए हैं जिनके नियम और शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं, उन ऋणी संस्थाओं को वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋण और अग्रिम जिनसे पहले के बकाया ऋणों का भुगतान नहीं हुआ है, वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में नियम और शर्तें (ब्याज दर और मोहलत अवधि) जिन्हें वित्त खाते में दर्ज नहीं किया गया था।
4.	**आईजीएएस-4:** पूर्व अवधि का समायोजन	इस मानक का उद्देश्य लेखांकन की नकद पद्धति के तहत, एक बार पहचान की गई त्रुटियों सहित पूर्व अवधि के समायोजनों को वर्तमान अवधि (वित्तीय वर्ष) में प्रस्तुत करने एवं प्रकट करने का तरीका निर्धारित करना है।	अनुपालन किया गया। वर्ष के दौरान, कुल ₹ 11,872.29 करोड़ के बैक टू बैक ऋण में से, जीएसटी मुआवजे के बदले इस ऋण के पुनर्भुगतान के लिए राज्य खाते में ₹ 3,353.38 करोड़ का प्रोफोर्मा संशोधन पारित किया गया, जिससे ऋण शेष घटकर ₹ 8,518.91 करोड़ हो गया।	-

राज्य सरकार को उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

अन्य मामले

3.12 स्वायत्त निकायों के लेखों का प्रस्तुतीकरण

राज्य में 45 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों[22] के लेखापरीक्षा का कार्य सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) और 20 (1) के अंतर्गत सीएजी को सौंपा गया है। 30 जून 2025 तक, केम्पा के

22 राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड; राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग; राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड,(बीओसीडबलू) जयपुर, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग; राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण(आरईआरए); राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण(सीएएमपीए) ; राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (02) और जिला विधि सेवा प्राधिकरण (36)।

2018-19 से 2024-25 तक के लेखों, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) के 2018-19 से 2024-25 तक के लेखों और राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण(रेरा), जयपुर के 2024-25 के लेखों के अलावा सभी 45 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखे 2023-24 तक प्राप्त हो चुके हैं शेष स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 2024-25 के लेखे बकाया हैं।

लेखापरीक्षा कार्य सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने और विधानमंडल में प्रस्तुत करने की स्थिति ***परिशिष्ट 3. 8*** में दर्शाई गई है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मामले में प्रतिकूल राय दी गई, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.29: प्रतिकूल राय के मामले

निकाय/प्राधिकरण	प्रदान गई राय का प्रकार	कारण
राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड 2022-23	सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं	व्यय की तुलना में आय की अधिकता (अधिशेष) को ₹ 88.28 लाख से अधिक दर्शाया गया है, जिसके कारण लेखे में दर्शाए गए ₹ 50.54 लाख के अधिशेष को ₹ 37.74 लाख के घाटे में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, परिसंपत्तियों को भी ₹ 88.28 लाख से अधिक दर्शाया गया है। पिछले अनुच्छेद में हमारे अवलोकन के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में वर्णित बैलेंस शीट, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तथा आय एवं व्यय खाता लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं। हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित मामलों के साथ मिलकर, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते हैं।

इसके अतिरिक्त, सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली संस्थाओं की पहचान करने के लिए, सरकार/विभाग प्रमुखों को प्रत्येक वर्ष के लिए विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, सहायता प्रदान करने का उद्देश्य तथा संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

मार्च 2025 को , 44 ऐसे स्वायत्त निकाय थे जिन्हें राज्य की समेकित निधि से अनुदान या ऋण के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाता था। इन सभी 44 स्वायत्त निकायों पर लेखापरीक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा लागू होती है। इसके अतिरिक्त, 44 में से 29 स्वायत्त निकायों के 61 वार्षिक लेखे, जो लेखापरीक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अनुसार 2024-25 तक बकाया थे, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान के कार्यालय को 30 जून 2025 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

जिन 44 स्वायत्त निकायों ने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं, उनका विवरण **परिशिष्ट 3.9** में दिखाया गया है तथा आयुवार लंबित मामलों की जानकारी नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका: 3.30: सरकारी निकायों के बकाया वार्षिक लेखों का आयुवार विवरण

क्र. सं.	बकाया (वर्षो में)	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या (लेखों की संख्या)
1.	एक वर्ष तक	12 (12)
2.	2-3 बर्ष	12 (28)
3.	4 वर्ष और अधिक	05 (21)

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि पाँच स्वायत्त निकायों के इक्कीस लेखे चार वर्ष और उससे अधिक समय से बकाया थे। वार्षिक लेखो के अभाव में, इन निकायों/प्राधिकरणों को वितरित अनुदानों तथा ऋणों के लेखांकन/उपयोग का सत्यापन लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत करने में देरी राज्य सरकार द्वारा कमजोर आंतरिक नियंत्रण तथा अपर्याप्त निगरानी के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि के लिए इन स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों की जवाबदेही की कमी को दर्शाती है। लेखों का प्रस्तुत न किया जाना राज्य सरकार द्वारा कमज़ोर आंतरिक नियंत्रणों और अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है, तथा इससे निधियों के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ जाता है।

3.13 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि

सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग-I के नियम 20 के अनुसार, किसी भी कोषालय या अन्य कार्यालय या अन्य विभाग में गबन, धोखाधड़ी से निकासी/भुगतान, हानि आदि के कारण या अन्य किसी कारण से हुई सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व, प्राप्तियों, टिकटों, भंडार या सरकार द्वारा या सरकार की ओर से रखी गई अन्य सम्पत्ति की हानि ज्ञात होने पर संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना तुरन्त अगले उच्च प्राधिकारी के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार को देनी होगी ।

राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में सरकारी धन के दुर्विनियोजन/गबन (333) और चोरी/हानि (432) के 765 मामले दर्ज किए, जिनकी कुल राशि ₹ 152.08 करोड़ 31 मार्च 2025 तक लंबित थी । विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.31: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के मामले		धन के दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि से संबंधित लंबित मामलों के अंतिम निपटारे में देरी के कारण					
			विभागीय तथा आपराधिक जांच का इंतजार है		विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है लेकिन अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है (वसूली/माफी के आदेश की प्रतीक्षा है)		आपराधिक/न्यायिक कार्यवाही पूरी हो चुकी है लेकिन राशि की वसूली लंबित होने के कारण बकाया है	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
शिक्षा विभाग	129	58.74	44	6.31	45	8.03	40	44.40
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	157	28.72	136	25.82	19	2.39	2	0.50
राजस्व विभाग	62	13.68	40	4.82	9	3.29	13	5.56
अन्य विभाग	119	28.40	48	16.85	41	8.73	30	2.83
लोक निर्माण विभाग	229	9.53	54	4.48	155	2.54	20	2.51
चिकित्सा विभाग	58	9.10	35	6.48	5	0.93	18	1.71
स्वायत्त शासन विभाग	11	3.91	3	0.06	3	3.47	5	0.37
योग	**765**	**152.08**	**360**	**64.82**	**277**	**29.38**	**128**	**57.88**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि संबंधित विभागो ने लंबित मामलों में से लगभग 47 प्रतिशत (360) में विभागीय तथा आपराधिक जांच पूरी नहीं की है। 765 मामलो में से 277 मामले, जिनकी राशि ₹ 29.38 करोड़ है, वसूली/माफी के लंबित आदेशों के कारण लंबित हैं तथा शेष मामले विभागीय कार्रवाई तथा न्यायिक कार्यवाही के अभाव में लंबित हैं।

लंबित मामलों की आयु-आधारित सूची तथा चोरी/हानि एवं गबन/दुर्विनियोजन की प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या **तालिका 3.32** में संक्षेप में दी गई है।

तालिका 3.32: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि का विवरण

(₹ करोड़ में)

लंबित मामलों की आयु-आधारित सूची			लंबित मामलों की प्रकृति		
सीमा (वर्षो में)	मामलों की संख्या	निहित राशि	मामलों की प्रकृति	मामलों की संख्या	निहित राशि
0-5 (2020-21 से 2024-25)	142	34.96	चोरी/हानि	75	2.30
			गबन	67	32.66
5-10 (2015-16 से 2019-20)	150	71.50	चोरी/हानि	103	11.84
			गबन	47	59.66
10 से उपर (2014-15 तक)	473	45.62	चोरी/हानि	254	7.29
			गबन	219	38.33
योग	**765**	**152.08**	**चोरी/हानि**	**432**	**21.43**
			गबन	**333**	**130.65**

432 मामलों में से, 1987-88 से 2000-01 तक ₹ 1.60 करोड़ की चोरी/हानि के 98 मामले लंबित हैं तथा इसी प्रकार 333 मामलों में से, 1974-75 से 2000-01 तक के ₹ 6.74 करोड़ के गबन के 74 मामले लंबित हैं। इससे पता चलता है कि संबंधित विभागों ने समय पर जांच पूरी करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं की है।

लंबित गबन के मामलों के विस्तृत विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि ये गबन के मामले अधिकतर रोकड़ पुस्तिका में जालसाजी, स्टोर में रखे स्टॉक में गड़बड़ी, जाली बिल/चेक द्वारा भुगतान/निकासी, सरकारी धन का बैंक/कोषागार में जमा नहीं करने, करों का संग्रह करके सरकारी कोषागार/बैंक में जमा नहीं किया जाना, सरकारी धन जमा करने के लिए उपयोग किए गए चालानों में गलत राशि दिखाकर जालसाजी, रोकड़ पुस्तिका में प्रारंभिक शेष को कम दिखाया जाना, रोकड़ पुस्तिका में अधिक निकासी/भुगतान दिखाया जाना आदि से संबंधित हैं। चोरी के मामले स्टॉक/भंडार/वाहनों, वाहनों के पुर्जों, नकदी, मशीनरी और उपकरणों आदि की चोरी से संबंधित थे।

इससे पता चलता है कि संबंधित विभाग द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी नहीं बरती गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान हुआ।

राज्य सरकार ने पीएसी को अवगत कराया (अक्टूबर-नवंबर 2025) कि विभाग द्वारा लंबित मामलों के निपटान के लिए प्रयास किए जा रहे है।

3.14 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवा ही

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) को 4 सितंबर 2025 को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया था। लोक लेखा समिति ने अब तक वर्ष 2018-19 (मार्च 2025) तक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा की है और सिफारिशें दी हैं। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान, जनलेखा समिति ने वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदन के एक अनुच्छेद पर आंशिक रूप से चर्चा की। वर्तमान में वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 के प्रतिवेदनों से संबंधित 31 अनुच्छेद चर्चा/प्रतिवेदन लेखन के लिए लंबित हैं। ये अनुच्छेद अनुपूरक बजट और अवसर लागत, बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाओं और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक वित्तपोषण,

चयनित अनुदानों की समीक्षा, स्थानीय निधियों की जमाएं, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी, निजी निक्षेप खाते, स्वायत्त निकायों, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों/निगमों/कंपनियों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण, दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि, पेंशन का अधिक/कम भुगतान, उपकर/अधिभार का संग्रह, 2022-23 के दौरान नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय, चाइल्ड बजट. 2023-24 के दौरान नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक खर्च और सारांशित आकस्मिक बिल आदि से संबंधित हैं।

एसएफएआर वर्ष 2023-24 से संबंधित अनुच्छेदों पर 11 ए.टी.एन 31 विभागों से प्राप्त हुए। एसएफएआर वर्ष 2022-23 से संबंधित अनुच्छेदों पर 6 ए.टी.एन. 6 विभागों से तथा एसएफएआर वर्ष 2021-22 से संबंधित अनुच्छेदों पर चार अनुच्छेद दो विभागों से नवम्बर 2025 तक लंबित है।

3.15 निष्कर्ष

निर्धारित अवधि के भीतर ₹ 427.34 करोड़ के 449 उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा न करना कमजोर वित्तीय जवाबदेही तंत्र का संकेत है। 'अन्य' प्रकार के संस्थानों को सहायतार्थ अनुदान (जीआईए) राज्य के कुल अनुदान और कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लेखों की पारदर्शिता और जीआईए के उपयोग की निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

वित्तीय वर्ष के अंत में निजी निक्षेप खातों में बड़ी रकम जमा करते रहने से खर्च पर विधायी निगरानी कमज़ोर होती है, क्योंकि ऐसी शेष राशियाँ समाप्त नहीं होतीं और सामान्य बजटीय प्रक्रिया से बाहर रहती हैं। नियम 260(1) के तहत समय-समय पर समीक्षा और कड़े औचित्य के अभाव में, ऐसी प्रथाएँ पारदर्शिता और राजकोषीय अनुशासन को कमज़ोर कर सकती हैं।

पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आकस्मिक बिलों का असमायोजित रहना विभागों के साथ ही कोषालयों द्वारा निगरानी की कमी को दर्शाता है।

स्थानीय निधियों में बड़ी मात्रा में शेष राशि का लगातार जमा रहना, व्यय नियोजन को सुदृढ़ करने तथा निर्धारित विकासात्मक उद्देश्यों हेतु निधियों के समय पर उपयोग की गुंजाइश को दर्शाता है। चूंकि इन निधियों में वित्त आयोगों से प्राप्त अनुदान तथा विकेंद्रीकृत शासन हेतु अभिप्रेत स्थानीय राजस्व शामिल होते हैं, अतः व्यय में विलंब अथवा असंतुलित व्यय स्थानीय सेवाओं के वितरण को प्रभावित कर सकता है।

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/प्राप्तियाँ के अंतर्गत बड़ी राशियों की बुकिंग, वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और आवंटन प्राथमिकताओं तथा व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करती है।

3.16 सकारात्मक पहलू

राज्य सरकार के बजट प्रबंधन के अच्छे पहलू निम्नलिखित हैं:

- सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों तथा व्यय का 100 प्रतिशत मिलान।
- विभागों द्वारा लंबित पुराने आकस्मिक बिलों के निपटान में सुधार।

3.17 सिफारिशें

- राज्य सरकार को एक सख्त अनुश्रवण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभाग स्वीकृतियों और उपयोगिता प्रमाण पत्रों को समय पर जमा करने के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करें।
- वित्त विभाग सभी पीडी खातों की समीक्षा कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन पीडी खातों में अनावश्यक रूप से पड़ी सभी राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा कर दी जाएँ। इसके अतिरिक्त, सभी पीडी खातों के लिए योजना-वार लेजर भी रखा जाना चाहिए।
- राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगम निधियों के समय पर उपयोग के लिए एक तंत्र स्थापित करने और बंद योजनाओं की अप्रयुक्त शेष राशि को संबंधित राजस्व मदों में जमा करने की आवश्यकता है, साथ ही ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में रखी शेष राशि की निगरानी भी करनी चाहिए।
- वित्त विभाग को वर्तमान में लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत आने वाले सभी शीर्षों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी प्राप्तियों और व्यय को यथासंभव उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाए।

(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I)
राजस्थान

जयपुर,
23 अप्रैल, 2026

प्रतिहस्ताक्षरित

(के.संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
30 अप्रैल, 2026

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1.3; पृष्ठ 5)

राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भाग क: प्राप्तियाँ										
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**1,00,285**	**1,09,026**	**1,27,307**	**1,37,873**	**1,40,114**	**1,34,308**	**1,83,920**	**1,94,988**	**2,03,276**	**2,27,250**
(i) कर राजस्व (स्वयं कर)	42,713	44,372	50,605	57,380	59,245	60,283	74,808	87,346	94,086	1,03,310
राज्य वस्तु एवं सेवा कर(एस.जी.एस.टी)	-	-	12,137	22,938	21,954	20,755	27,502	33,790	38,016	42,518
कृषि आय पर कर	-[1]	-[1]	-[1]	-[1]	-[1]	-[1]	-[1]	-[1]	-[1]	-[1]
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	26,345	28,558	19,008	14,791	15,843	17,479	20,605	22,727	23,473	23,369
राज्य उत्पाद शुल्क	6,713	7,054	7,276	8,694	9,592	9,853	11,807	13,326	13,225	15,104
वाहनों पर कर	3,199	3,623	4,363	4,576	4,951	4,368	4,759	6,128	6,704	7,574
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	3,234	3,053	3,675	3,886	4,235	5,297	6,492	8,189	9,181	10,542
भू-राजस्व	272	315	364	290	364	280	632	484	469	869
वस्तु एवं यात्रियों पर कर	848	803	341	51	41	45	171	8	-[2]	1
अन्य कर	2102	966	3,441	2,154	2,265	2,206	2,840	2,694	3,018	3,333
(ii) कर-भिन्न राजस्व	10,928	11,615	15,734	18,603	15,714	13,653	18,755	20,565	18,680	23,502
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	27,916	33,556	37,028	41,853	36,049	35,576	54,031	57,231	68,063	77,548
(iv) भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान[3]	18,728	19,483	23,940	20,037	29,106	24,796	36,326	29,846	22,447	22,890
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**5**	**28**	**16**	**20**	**20**	**14**	**31**	**16**	**14**	**7**
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां	**1,447**	**1,713**	**15,134**	**15,158**	**15,670**	**373**	**2,374**	**420**	**405**	**517**
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**1,01,757**	**1,10,767**	**1,42,457**	**1,53,051**	**1,55,804**	**1,34,695**	**1,86,325**	**1,95,424**	**2,03,695**	**2,27,774**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**60,998**	**43,889**	**28,557**	**37,847**	**44,757**	**66,480**	**62,821**	**55,647**	**87,154**	**89,691**
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	59,249	40,434	27,000	35,205	40,548	59,344	53,485	48,563	76,195	78,091
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,749	3,455	1,557	2,642	4,209	7,136	9,336	7,084	10,959	11,600
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**1,62,755**	**1,54,656**	**1,71,014**	**1,90,898**	**2,00,561**	**2,01,175**	**2,49,146**	**2,51,071**	**2,90,849**	**3,17,465**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-	**500**	-	-	-

1. 2015-16: ₹ 0.01 लाख, 2016-17: मात्र ₹ 202, 2017-18: ₹ 0.02 लाख, 2018-19: ₹ 0.23 लाख, 2019-20: 'शून्य', 2020-21: ₹ 0.04 लाख, 2021-22: ₹ 0.19 लाख, 2022-23: ₹ 0.06 लाख, 2023-24: ₹ 0.16 लाख और 2024-25: ₹0.55 लाख
2. ₹ (-) 0.46 करोड़
3. राज्य में गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को सीधे हस्तांतरित की गई धनराशि शामिल नहीं है।

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**1,49,910**	**1,56,045**	**1,56,811**	**1,70,528**	**1,93,165**	**2,08,447**	**2,51,295**	**2,43,204**	**2,85,480**	**3,35,623**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**3,09,665**	**3,10,701**	**3,27,825**	**3,61,426**	**3,93,726**	**4,09,622**	**5,00,941**	**4,94,275**	**5,76,329**	**6,53,088**
भाग ख. व्यय/संवितरण										
10. राजस्व व्यय	**1,06,239**	**1,27,140**	**1,45,842**	**1,66,773**	**1,76,485**	**1,78,309**	**2,09,790**	**2,26,479**	**2,42,231**	**2,69,200**
कार्यक्रम	1,04,128	1,25,006	1,43,671	1,64,281	1,73,400	1,75,213	2,06,538	2,23,076	2,38,874	2,65,691
प्रशासनिक	1,921	2,134	2,171	2,492	3,085	3,096	3,252	3,403	3,357	3,509
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	31,016	39,203	43,451	54,364	56,186	60,144	65,406	71,875	77,678	87,022
सामाजिक सेवायें	43,349	49,372	53,064	65,687	68,313	74,009	85,054	90,168	1,01,884	1,14,789
आर्थिक सेवायें	31,874	38,565	49,327	46,722	51,986	44,156	59,330	64,436	62,669	67,389
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	–	–[4]	–[4]	–[4]	–[4]	–[4]	–[4]	–[4]	–[4]	–[4]
11. पूंजीगत व्यय	**21,986**	**16,980**	**20,623**	**19,638**	**14,718**	**15,271**	**24,152**	**19,798**	**26,646**	**30,727**
कार्यक्रम	21,285	15,889	19,172	18,211	13,287	13,697	21,801	18,089	24,504	28,575
प्रशासनिक	701	1,091	1,451	1,427	1,431	1,574	2,351	1,709	2,142	2,152
सामान्य सेवायें	441	437	527	588	463	398	484	542	407	517
सामाजिक सेवायें	5,996	6,214	7,221	6,913	5,490	7,642	10,951	8,851	9,950	12,557
आर्थिक सेवायें	15,549	10,329	12,875	12,137	8,765	7,231	12,717	10,405	16,289	17,653
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	**36,602**	**12,965**	**1,334**	**1,113**	**2,255**	**491**	**621**	**175**	**398**	**267**
13. आकस्मिकता निधि को विनियोजन				–	–	–	–	–	–	–
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	**1,64,827**	**1,57,085**	**1,67,799**	**1,87,524**	**1,93,458**	**1,94,071**	**2,34,563**	**2,46,452**	**2,69,275**	**3,00,194**
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**4,959**	**5,015**	**11,674**	**16,915**	**18,616**	**17,539**	**17,586**	**20,819**	**28,886**	**30,593**
आंतरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	4,434	4,441	11,041	16,137	17,782	16,632	16,467	19,409	27,299	29,159
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन		–	–	–	–	–	–	–	–	–
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	525	574	633	778	834	907	1,119	1,410	1,587	1,434
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17. समेकित निधि से कुल संवितरण (14+15+16)	**1,69,786**	**1,62,100**	**1,79,473**	**2,04,439**	**2,12,074**	**2,11,610**	**2,52,149**	**2,67,271**	**2,98,161**	**3,30,787**
18. आकस्मिकता निधि संवितरण		–	–	–	–	–	**500**	–	–	–
19. लोक लेखा संवितरण	**1,40,431**	**1,48,886**	**1,47,088**	**1,60,570**	**1,79,741**	**1,99,229**	**2,40,110**	**2,34,001**	**2,75,295**	**3,22,816**
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	**3,10,217**	**3,10,986**	**3,26,561**	**3,65,009**	**3,91,815**	**4,10,839**	**4,92,759**	**5,01,272**	**5,73,456**	**6,53,603**
भाग गः घाटा										

4. 2015-16: ₹ 0.10 करोड़, 2016-17: ₹ 0.06 करोड़, 2017-18: ₹ 0.11 करोड़, 2018-19: ₹ 0.09 करोड़, 2019-20: ₹ 0.07 करोड़, 2020-21: ₹ 0.07 करोड़; 2021-22: ₹ 0.04 करोड़; 2022-23: ₹ 0.04 करोड़; 2023-24: ₹ 0.05 करोड़ और 2024-25: ₹ 0.06 करोड़

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
21. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	**(-) 5,954**	**(-)18,114**	**(-) 18,535**	**(-) 28,900**	**(-) 36,371**	**-44,001**	**-25,870**	**-31,491**	**-38,955**	**-41,950**
22. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-14)	**(-) 63,070**	**(-)46,318**	**(-) 25,342**	**(-) 34,473**	**(-) 37,654**	**-59,376**	**-48,238**	**-51,028**	**-65,580**	**-72,420**
23. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक अधिशेष (+) (22+24)	**(-) 51,062**	**(-) 28,641**	**(-) 5,622**	**(-) 12,778**	**(-) 14,011**	**-34,174**	**-20,138**	**-20,426**	**-31,452**	**-34,075**
भाग घः अन्य आंकड़े										
24. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	**12,008**	17,677	19,720	21,695	23,643	**25,202**	**28,100**	**30,602**	**34,128**	**38,345**
25. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	**31,725**	**32,892**	**34,985**	**34,862**	**41,025**	**39,745**	**49,127**	**49,443**	**48,329**	**54,819**
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	**-**	**-**	**-**	**-**	**04**	**99**	**143**	**273**	**329**	**271**
मार्गोपाय अग्रिम का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	04	99	143	273	329	271
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.29**	**13.85**	**25.02**	**113.09**	**339.93**	**180.01**
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)@	**6,81,485**	**7,60,587**	**8,32,529**	**9,11,519**	**10,00,032**	**10,17,917**	**11,95,641**	**13,56,480**	**15,21,510**	**17,04,339**
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अंत मे)	**2,09,386**	**2,55,002**	**2,81,182**	**3,11,374**	**3,52,702**	**4,10,500$**	**4,62,845$$**	**5,05,574$$**	**5,71,639$$**	**6,40,844$$$**
30. बकाया प्रतिभूतियां (वर्ष के अंत मे) (ब्याज सहित)	**53,620**	**51,159**	**61,761**	**70,430**	**80,631**	**82,612**	**95,868**	**1,04,832**	**1,10,918**	**1,16,800**
31. दी गयी प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अंत में)	**1,61,918**	**1,18,161**	**1,12,057**	**1,31,026**	**1,44,676**	**1,56,822**	**1,72,684**	**2,01,008**	**2,21,973**	**2,40,907**
भाग ङ: राजकोषीय स्थिति सूचकांक(*प्रतिशतता में*)										
I संसाधन गतिशीलता										
स्व-कर राजस्व/ जीएसडीपी	6.27	5.83	6.08	6.29	5.92	5.92	6.26	6.44	6.18	6.06
स्व-कर भिन्न राजस्व/ जीएसडीपी	1.60	1.53	1.89	2.04	1.57	1.34	1.57	1.52	1.23	1.38
स्व-राजस्व/ जीएसडीपी	7.87	7.36	7.97	8.34	7.50	7.26	7.83	7.96	7.41	7.44
स्व-राजस्व / कुल व्यय	32.54	35.64	39.53	40.52	38.75	38.10	39.89	43.79	41.88	42.24
II व्यय प्रबंधन										
कुल व्यय/जीएसडीपी	24.19	20.65	20.16	20.57	19.35	19.07	19.62	18.17	17.70	17.61
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	164.36	144.08	131.81	136.01	138.07	144.50	127.54	126.39	132.47	132.10
राजस्व व्यय/कुल व्यय	64.45	80.94	86.91	88.93	91.23	91.88	89.44	91.90	89.96	89.68
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	45.64	55.98	61.02	59.94	62.18	60.89	61.55	62.73	61.11	60.69
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	13.34	10.81	12.29	10.47	7.61	7.87	10.30	8.03	9.90	10.24
पूंजीगत व्यय / जीएसडीपी	3.23	2.23	2.48	2.15	1.47	1.50	2.02	1.46	1.75	1.80
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन										
राजस्व घाटा /जीएसडीपी	-0.87	-2.38	-2.23	-3.17	-3.64	-4.32	-2.16	-2.32	-2.56	-2.46
राजकोषीय घाटा /जीएसडीपी	-9.25	-6.09	-3.04	-3.78	-3.77	-5.83	-4.03	-3.76	-4.31	-4.25
प्राथमिक घाटा /जीएसडीपी	-7.49	-3.77	-0.68	-1.40	-1.40	-3.36	-1.68	-1.51	-2.07	-2.00

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
IV **ऋण स्थिरता**										
प्रभावी बकाया देयता/ जीएसडीपी	30.72	33.53	33.77	34.16	35.27	39.88	37.72	36.40	36.79	37.10
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ	11.97	16.21	15.49	15.74	16.87	18.76	15.28	15.69	16.79	16.87

स्रोतः वित्त लेखे

@ स्रोतः अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

$ *प्रभावी बकाया राजकोषीय देनदारियां ₹4,05,896 करोड़ होंगी क्योंकि राज्य को ऋण प्राप्तियों के तहत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 4,604 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के तहत राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा।*

$$ *वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के तहत, राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में दिए गए 11,872 करोड़ रुपये के जीएसटी मुआवजे को राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा, इसलिए प्रभावी बकाया राजकोषीय देनदारियां 2021-22 में ₹ 4,50,973 करोड़, 2022-23 में ₹ 4,93,702 करोड़ और 2023-24 में ₹ 5,59,767 करोड़ होंगी।*

$$$ *प्रभावी बकाया राजकोषीय देनदारियां ₹ 6,32,325 करोड़ होगी क्योंकि राज्य को ऋण प्राप्तियों के तहत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में दिए गए ₹8,519 करोड़ के जीएसटी मुआवजे (प्रोफोर्मा में से ₹3,353 करोड़ घटाने के बाद) को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के तहत राज्य का ऋण नहीं माना जा सकता।*

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1.4; पृष्ठ 6)

वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
				प्रशासनिक	कार्यक्रम	योग
भाग क: राजस्व						
I. राजस्व प्राप्तियाँ	**2,27,250.02**	**2,03,276.28**	**I. राजस्व व्यय**	**3,508.75**	**2,65,691.30**	**2,69,200.05**
कर राजस्व	1,03,309.97	94,085.94	**सामान्य सेवायें**	**485.23**	**86,536.81**	**87,022.04**
--			**सामाजिक सेवायें**	**1,030.24**	**1,13,759.05**	**1,14,789.29**
कर-भिन्न राजस्व	23,502.51	18,679.57	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	202.41	53,505.16	53,707.57
--			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	236.69	22,198.41	22,435.10
संघीय करों में राज्य का हिस्सा	77,547.76	68,063.21	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास	410.35	12,672.74	13,083.09
--			सूचना एवं प्रसारण	114.40	18.46	132.86
आयोजना-भिन्न अनुदान			अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	44.66	2,030.22	2,074.88
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान			श्रम एवं श्रम कल्याण	15.46	1,811.20	1,826.66
--			सामाजिक कल्याण एवं पोषण	6.27	21,353.40	21,359.67
केन्द्रीय और केन्द्र प्रत्यायोजित योजनाओं के लिये अनुदान			अन्य	0.00	169.46	169.46
--			**आर्थिक सेवायें**	**1,993.28**	**65,395.38**	**67,388.66**
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	14,424.31	14,262.92	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	1,622.21	9,447.65	11,069.86
--			ग्रामीण विकास	43.34	14,124.02	14,167.36
वित्त आयोग अनुदान	6,677.06	5,590.55	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	1.14	1.14
--			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-16.88	2,713.92	2,697.04
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,788.41	2,594.08	उर्जा	2.06	32,572.12	32,574.18
--			उद्योग एवं खनिज	223.64	471.15	694.79
--			परिवहन	0.00	3,917.50	3,917.50
--			विज्ञान, प्रोद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.00	20.38	20.38
--			सामान्य आर्थिक सेवायें	118.91	2,127.50	2,246.41
--			**सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान**	**0.00**	**0.06**	**0.06**
II. अग्रेषित किया गया राजस्व घाटा	**41,950.04**	**38,954.60**	**II. अग्रेषित किया गया राजस्व अधिशेष**			
भाग ख : पूंजीगत						
III. स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	10,544.82	7,671.53	**III. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओवरड्राफ्ट**			

प्राप्तियाँ	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
				प्रशासनिक	कार्यक्रम	योग
IV. **विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ**	7.35	14.24	IV. **पूंजीगत परिव्यय**	**2,151.96**	**28,574.65**	**30,726.61**
--			**सामान्य सेवायें**	**0.46**	**516.78**	**517.24**
--			**सामाजिक सेवायें**	**0.00**	**12,556.31**	**12,556.31**
--			शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.00	1,135.78	1,135.78
--			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	3,242.91	3,242.91
--			जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास	0.00	7,447.46	7,447.46
--			सूचना एवं प्रसारण	0.00	2.20	2.20
--			अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0.00	434.56	434.56
--			सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.00	92.47	92.47
--			अन्य	0.00	200.93	200.93
--			**आर्थिक सेवायें**	**2,151.50**	**15,501.56**	**17,653.06**
--			कृषि और संबध गतिविधियाँ	0.00	515.78	515.78
--			ग्रामीण विकास	0.00	1,000.03	1,000.03
--			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	74.06	74.06
--			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,151.50	3,539.86	5,691.36
--			उर्जा	0.00	170.00	170.00
--			उद्योग एवं खनिज	0.00	66.91	66.91
--			परिवहन	0.00	9,593.18	9,621.18
			विज्ञान, प्रोद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.00	3.64	3.64
--			सामान्य आर्थिक सेवायें	0.00	510.10	510.10
V. **ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां**	**516.72**	**404.74**	V. **संवितरित ऋण एवं अग्रिम**	**0.00**	**267.34**	**267.34**
विद्युत परियोजनाओं से	419.27	284.91	विद्युत परियोजनाओं के लिये	0.00	0.00	0.00
सरकारी कर्मचारियों से	0.02	0.02	सरकारी कर्मचारियों को	0.00	0.00	0.00
अन्यों से	97.43	119.81	अन्यों को	0.00	267.34	267.34
VI. **अधोनित राजस्व अधिशेष**			VI. **अधोनित राजस्व घाटा**			**41,950.04**
VII. **लोक ऋण प्राप्तियाँ**	**89,691.02**	**87,154.13**	VII. **लोक ऋण पुनर्भुगतान**	**0.00**	**30,592.77**	**30,592.77**
बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	78,091.49	76,194.83	मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	0.00		29,159.03
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन			मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	0.00		
ओवरड्राफ़्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	0.00		-

प्राप्तियाँ	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
				प्रशासनिक	कार्यक्रम	योग
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	11,599.53	10,959.30	**भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान**	0.00		1,433.74
VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	**VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन**	-	-	-
IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	-	-	**IX. आकस्मिकता निधि से व्यय**	-	-	-
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**3,35,622.53**	**2,85,479.58**	**X लोक लेखा से संवितरण**	**0.00**	**0.00**	**3,22,816.35**
लघु बचतें और भविष्य निधि	16,600.48	16,408.29	लघु बचतें और भविष्य निधि	0.00		10,838.51
आरक्षित निधियां	9,773.88	10,609.48	आरक्षित निधियां	0.00		9,476.83
उचंत एवं विविध	57.02	118.23	उचंत एवं विविध	0.00		25.49
प्रेषण	34,813.96	14,517.77	प्रेषण	0.00		34,815.45
जमा एवं अग्रिम	2,74,377.19	2,43,825.81	जमा एवं अग्रिम	0.00		2,67,660.07
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट			**XI. अंत में रोकड़ शेष**	0.00	-	10,029.29
--			कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	0.00	-19.66	-19.66
--			रिजर्व बैंक के पास जमायें	0.00	18.75	18.75
--			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.00	9,230.52	9,230.52
--			रोकड़ शेष निवेश	0.00	799.68	799.68
योग	**4,36,382.44**	**3,80,724.22**	**योग**			**436382.44@**

@ निरपेक्ष आंकड़े को (-) 0.04 करोड़ से राउंड ऑफ करने से अंतर है।

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1.5; पृष्ठ 6)

31 मार्च 2025 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 को			31 मार्च 2025 को
	देयताएं		
3,99,857.54	**आतंरिक ऋण**		**4,48,790.01**
3,58,826.82	ब्याज वाले बाजार ऋण		4,15,211.83
0.03	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण		0.02
5.65	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण		3.77
41,025.04	अन्य संस्थानों से ऋण		33,574.39
-	मार्गोपाय अग्रिम		-
-	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट		-
46,794.09	**केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**53,606.51**
5.41	वर्ष 1984-85 से पूर्व के ऋण		5.41
7.49	गैर-आयोजना ऋण		5.04
718.01	राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ऋण		502.49
-	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण		-
3.05	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण		3.05
46,060.13	राज्य/विधानमंडल वाले केंद्र शासित योजनाओं के लिए ऋण		53,090.52
1,000.00	**आकस्मिकता निधि**		**1,000.00**
70,219.43	**लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि**		**75,981.40**
46,211.77	**जमायें**		**52,929.43**
18,446.21	**आरक्षित निधि अग्रिम**		**18,743.25**
-	**उचंत एवं विविध शेष**		**14.15**
-	**प्रेषण शेष**		-
-	**विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ**		
-	**व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता**		
5,82,529.04	**योग**		**6,51,064.75**
	परिसम्पत्तियां		
288596.62	**स्थायी परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-**		**319315.92**
61778.42	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश		62818.06
226818.20	अन्य पूंजीगत परिव्यय		256497.86
7961.69	**ऋण एवं अग्रिम -**		**7712.31**
31 मार्च 2024 को			**31 मार्च 2025 को**
4296.64	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण		3877.37
3365.05	अन्य विकासात्मक ऋण		3836.93
-1.97	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण		-1.99
3.05	**अग्रिम**		**3.59**
7.91	**प्रेषण शेष**		**9.41**
17.38	**उचंत एवं विविध शेष**		-
10544.81	**रोकड़ -**		**10029.29**
-8.37	कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण		-19.66
10.75	रिजर्व बैंक के पास जमा		18.75
24.37	विभागीय नकद शेष जिसमें स्थायी अग्रिम शामिल		24.37
-	सुरक्षा जमा		-

31 मार्च 2024 को			31 मार्च 2025 को
9890.55	निर्धारित निधियों का निवेश		9206.15
627.51	रोकड़ शेष निवेश		799.68
275397.59	**सरकारी लेखे पर घाटा**		**313994.25**
38954.60	(i) वर्तमान वर्ष के राजस्व अधिशेष का कम होना		41950.04
-	(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन		-
236442.99	वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा		272044.21*
	आकस्मिकता निधि		**1000.00**
582529.05	**योग**		**651064.75@**

* पिछले वर्ष के शेष (₹ 275397.59 करोड़) में कमी आई है, जिसका कारण भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष के दौरान ₹ 3353.38 करोड़ के लगातार लिए गए ऋणों का समायोजन है।

@ पूर्ण आंकड़े को (+) 0.02 करोड़ से राउंड ऑफ करने से अंतर है।

परिशिष्ट 1.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5.3; पृष्ठ 58)

राजकोषीय मापदंडों का एफआरबीएम लक्ष्य 2015-2025 के साथ अनुपालन

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय मापदंड		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व घाटा (₹ करोड़ में)	वास्तविक	5,954	9,114	6,535	16,900	36,371	44,001	25,870	31,491	38,955	41,950
	एफआरबीएम लक्ष्य	राजस्व अधिशेष									
राजकोषीय घाटा/ जीएसडीपी (प्रतिशत में)	वास्तविक	-9.25	-6.09	-3.04	-3.78	-3.77	-5.83	-4.03	-3.76	-4.31	-4.25
	एफआरबीएम लक्ष्य	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.5**	3.5**	3.5**	3.5**
प्राथमिक घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	वास्तविक	-7.49	-3.77	-0.68	-1.40	-1.40	-3.36	-1.68	-1.51	-2.07	-2.00
	एफआरबीएम लक्ष्य	राज्य एफआरबीएम अधिनियम में कोई लक्ष्य उल्लिखित नहीं है									
ऋण/ जीएसडीपी (प्रतिशत में)	वास्तविक*	30.72	33.53	33.77	34.16	35.27	39.88	37.72	36.40	36.79	37.10
	एफआरबीएम लक्ष्य	36.50	36.50	35.50	35.00	34.00	38.20	38.20	38.20	38.20	38.20
बकाया प्रतिभूतियां (₹ करोड़ में)	वास्तविक	53,620	51,159	61,671	70,430	80,631	82,612	95,868	1,04,832	1,10,918	1,16,600
	एफआरबीएम लक्ष्य	एफआरबीएम अधिनियम, 2005 (अप्रैल 2016 में संशोधित) के अनुसार, 31 मार्च 2017 को कुल बकाया सरकारी गारंटी वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की संचित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बकाया सरकारी गारंटी उस वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।									

* बिना लगातार ऋण लिए

** बिजली सुधार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा सहित।

परिशिष्ट 2.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.3; पृष्ठ 86)

ऐसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत
	राजस्व दतमत				
1	8- सचिवालय	435.22	40.23	425.94	9.28
2	18- गृह विभाग	10,202.40	52.88	9,380.10	822.30
3	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	26,118.44	265.30	25,372.26	746.18
4	29- आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	1,347.02	101.66	1,279.05	67.97
5	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	23,040.15	922.15	20,385.80	2,654.35
6	36- आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	5,300.15	1,118.55	3,683.39	1,616.76
7	39- नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	89.07	44.95	73.05	16.02
8	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	3,194.05	28.11	3,003.88	190.17
9	46- कृषि विभाग	3,475.16	70.18	2525.28	949.88
10	48- उद्यानिकी विभाग	960.06	54.06	782.64	177.42
11	50- सहकारिता विभाग	1,975.01	77.47	1,903.97	71.04
12	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	30,295.94	62.88	26,478.23	3,817.71
13	53- ग्रामीण विकास विभाग	4,589.76	160.05	2,948.66	1,641.10
	पूंजीगत दतमत				
14	18- गृह विभाग	359.67	18.24	232.92	126.75
15	20- प्रारंभिक शिक्षा विभाग	550.85	69.19	221.74	329.12
16	27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1,116.30	57.76	1051.61	64.69
17	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	186.93	181.64	156.08	30.86
18	41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4,084.50	98.53	3,634.38	450.12
19	46- कृषि विभाग	149.59	54.72	148.80	0.79
20	47- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	48.29	13.33	38.08	10.20
	पूंजीगत प्रभारित				
21	4- लोक ऋण का पुनर्भुगतान	16,0670.80	4,917.84	1,52,872.21	7,798.60
	योग	**2,78,189.36**	**8,409.73**	**2,56,598.07**	**21,591.29**

परिशिष्ट 2.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.3; पृष्ठ 87)

ऐसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹10 करोड़ या उससे अधिक) अत्यधिक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अत्यधिक पूरक प्रावधान (बचत)
	राजस्व दतमत					
1	5- लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	115.64	54.24	169.88	116.18	-53.71
2	11- पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	246.03	18.48	264.51	252.78	-11.73
3	14- राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	2153.35	313.48	2466.83	2383.43	-83.40
4	15- पेंशन	28996.56	1223.06	30219.62	29320.13	-899.49
5	17- सामान्य प्रशासन विभाग	339.41	30.90	370.31	343.69	-26.61
6	37- देवस्थान विभाग	59.23	37.23	96.46	87.59	-8.88
7	41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	5588.41	285.17	5873.58	5698.82	-174.76
8	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	2941.36	419.79	3361.15	3178.03	-183.12
9	54- ऊर्जा विभाग	17160.62	4023.71	21184.32	20877.78	-306.54
10	56- उद्योग विभाग	651.49	247.49	898.99	860.51	-38.48
	राजस्व प्रभारित					
11	3- ब्याज अदायगियां	37537.83	1580.31	39118.14	38344.64	-773.50
12	5- लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	69.49	25.75	95.24	84.50	-10.74
	पूंजीगत दतमत					
13	56- उद्योग विभाग	**12.45**	**65.39**	**77.84**	**52.01**	**-25.83**
	योग	**104033.11**	**8663.31**	**112696.42**	**110200.32**	**-2496.10**

मद-वार अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान और उसके कारण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक	वास्तविक व्यय	कारण
1	05-लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	2051-103-01-राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड	115.24	54.13	115.83	पद रिक्त रहने के कारण, नई सामग्री की खरीद नहीं की गई और आरएसआईएल को भुगतान नहीं किया गया।
2		2051-102-01-राजस्थान लोक सेवा आयोग	69.49	25.64	84.39	पद रिक्त रहना और कार्यों पर कम व्यय
3	08-सचिवालय	2052-090-01-02-सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से	9.00	15.80	21.98	सार्वजनिक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग द्वारा व्यय न किया जाना तथा शिक्षा विभाग और राजस्थान राज्य परिवहन निगम के बिलों (ईसीएस) का भुगतान न किया जाना।
4		2251-090-01-शिक्षा विभाग, कला और संस्कृति	18.22	2.90	18.68	वेतन और भत्तों पर कम खर्च
5	12-आबकारी विभाग	4059-80-051-15-सामान्य भवन (राज्य उत्पाद)	0.04	4.22	1.33	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चार नए निर्माण कार्यों का कम निष्पादन।
6	19-कारागार विभाग	2056-101-06-जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा	6.58	4.05	7.51	राज्य की विभिन्न केंद्रीय जेलों (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर) में टीएचसीबीसी प्रणाली स्थापित करने के लिए आवंटित राशि व्यपगत हो गई, क्योंकि बीएसएनएल वित्तीय वर्ष के भीतर टावरों का निर्माण पूरा नहीं कर सका; जिसके परिणामस्वरूप संबंधित फर्म को भुगतान नहीं किया जा सका।

क्र. सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक	वास्तविक व्यय	कारण
7	29-आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा विभाग	2210-04-800-01-01-आयुर्वेद विभाग	85.86	101.66	137.59	अंतिम दिन ट्रेजरी से बिल पास न हो पाना, क्योंकि केंद्रीय सहायता की स्वीकृति **31** मार्च **2025** को प्राप्त हुई थी।
8	31-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	4225-80-800-02-90-निर्माण कार्य	1.93	133.32	11.98	भारत सरकार से राशि कम प्राप्त होना।
9		6225-03-800-01-अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को ऋण	₹ 1000	48.32	37.50	विभाग द्वारा कारण सूचित नही किये गए।
10	36- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-01-800-03-05-कृषि फसलों, बागवानी फसलों और वार्षिक लगन की फसलों के लिए लघु और सीमांत किसानों को कृषि आदान अनुदान	71.20	81.35	80.10	सूखे के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यकतानुसार लघु और सीमांत किसानों को कृषि आदान अनुदान प्रदान किया गया ।
11		2245-01-800-03-06-लघु एवं सीमांत कृषको से भिन्न कृषि आदान अनुदान	100.00	485.00	227.75	सूखे के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए, आवश्यकतानुसार लघु और सीमांत किसानों को कृषि इनपुट अनुदान प्रदान किया गया।
12	44-सार्वजनिक निर्माण विभाग	3054-02-337-01-02-संधारण और जीर्णोद्धार	23.39	69.46	127.50	सीमावर्ती सड़कों के रखरखाव और मरम्मत पर कम खर्च।
13		5054-04-337-19-90-निर्माण कार्य	₹ 1000	105.00	49.30	सड़कों और पुलों पर कम व्यय होना।
14	46-कृषि विभाग	2401-197-04-01-स्थापना व्यय	278.30	70.18	305.30	टीए बिल समय पर जमा न होने के कारण यात्रा भत्ते पर खर्च कम हुआ, नव-नियुक्त सुपरवाइज़र के स्थायीकरण और नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है।
15	56-उद्योग विभाग	2852-80-102-02-ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP) को अनुदान	41.50	35.00	66.48	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए।
16		4885-60-800-28-01-जयपुर में यूनिटी मॉल	₹1000	65.39	40.65	कार्यकारी एजेंसी रीको लिमिटेड द्वारा निधियों का उपयोग न किया जाना।
17	61-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	3425-01-800-01-विज्ञान और प्रौद्योगिकी	4.25	1.00	4.44	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए।
18		3425-01-800-03-सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	0.08	1.00	0.12	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए।
19		3425-01-800-12-01-स्थापना व्यय	8.54	0.51	7.87	56 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन और भत्तों पर कम खर्च हुआ, और जयपुर में SARSEK उप-केंद्र पर भी कम खर्च हुआ।
		योग	**833.62**	**1304.91**	**1346.30**	

परिशिष्ट 2.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.4; पृष्ठ 88)

निधि का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से प्रावधान में कमी की गई, जो अतिरिक्त व्यय था								
1	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	5054-02-337-03 सीमा सड़क विकास के माध्यम से	323.75	0.00	(-) 24.91	298.84	426.91	(+) 128.07
पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधानों में वृद्धि करना अविवेकी सिद्ध हुआ								
2	3- ब्याज अदायगियां	2049-01-101-06-81- 7.67% राजस्थान सरकार स्टॉक 2033 श्रृंखला	42.11	0.00	(+) 12.14	54.25	36.78	(-)17.47
3	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	3054-02-796-01-01 रखरखाव और नवीनीकरण	4.59	0.00	(+) 11.98	16.58	0.00	(-) 16.58
4	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	2701-24-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	18.02	0.00	(+) 0.05	18.07	1.70	(-) 16.37
5		2700-04-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	600.18	0.00	(+) 15.82	616.00	553.73	(-) 62.27
6	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3054-02-789-01-01 रखरखाव और नवीनीकरण	6.07	0.00	(+) 15.60	21.67	0.00	(-) 21.67
7	53- ग्रामीण विकास विभाग	2515-800-05-01 मुख्यालय	560.02	0.00	(+) 8.34	568.36	443.69	(-) 124.66
8	3- ब्याज अदायगियां	2049-01-123-01- लघु बचत निधि से लिए गए ऋण पर ब्याज	724.84	0.00	(+) 0.19	725.03	726.46	(+) 1.44
9	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	5054-03-337-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-I (एडीबी)	560.56	0.00	(+) 119.53	680.09	682.06	(+) 1.97
10	36- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-02-107-02-01 बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवन की मरम्मत	5.00	0.00	(+) 14.98	19.98	22.63	(+)2.65
11	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	5054-03-337-04 नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का प्रावधान	343.45	0.00	(+) 90.34	433.79	432.80	(-) 0.99
12		5054-04-800-14-90 निर्माण कार्य	82.43	0.00	(+) 82.26	164.69	161.63	(-) 3.06
13	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	5054-04-789-06-90 निर्माण कार्य	21.40	0.00	(+) 16.60	38.00	37.03	(-) 0.96

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.5; पृष्ठ 89)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अभ्यर्पण के बाद बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल बजट प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	बचत (अभ्यर्पण के बाद)
	राजस्व दतमत					
1	15- पेंशन	30,219.62	29,320.13	(-)899.49	706.90	(-)192.60
2	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	3,222.16	3,003.88	(-)218.28	105.01	(-)113.27
3	53- ग्रामीण विकास विभाग	4,749.81	2,948.66	(-)1,801.15	1,676.46	(-)124.70
	राजस्व प्रभारित					
4	3- ब्याज अदायगियां	39,118.14	38,344.64	(-)773.50	268.36	(-)505.14
	पूंजीगत दतमत					
5	26- युवा मामले और खेल विभाग	85.58	(-)191.47	(-)277.06	35.14	(-)241.91
	योग	**77,395.32**	**73,425.84**	**(-)3,969.48**	**2,791.86**	**(-)1,177.62**

उपरोक्त अनुदानों में मद-वार बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र,स..	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा मद	बचत (अभ्यर्पण को छोड़कर)
1.	3-ब्याज अदयगियाँ	2049-01-101-05-94- 7.30 % राजस्थान सरकार स्टॉक 2030	18.63
		2049-01-101-06-05- 7.88% राजस्थान सरकार स्टॉक 2032	78.80
		2049-01-101-06-48- 7.29% राजस्थान सरकार स्टॉक 2032	36.45
		2049-03-104-04-02- उद्यान सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग	93.06
		2049-03-104-06-02- जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों का जीपीएफ	41.54
2.	15-पेंशन	2071-01-110-01- जिला परिषद एवं पंचायत समिति कर्मचारियों की पेंशन	1.23
		2071-01-101-01- राज्य कर्मचारियों की पेंशन	165.99
		2071-01-104-01-राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युटी	5.33
		2071-01-105-01-01-कर्मचारियों के आश्रितों की पारिवारिक पेंशन	17.12
		2071-01-102-01-01- कर्मचारी पेंशन का रूपांतरण	1.50
3.	26-युवा मामले एवं खेल विभाग	4202-03-102-01- खेल विभाग के माध्यम से – जिला खेल परिसर	241.91
4.	42-जल संसाधन एवं इंदिरा गाँधी नहर परियोजना विभाग	2700-02-800-03- अन्य व्यय	11.76
		2700-36-800-01- अन्य व्यय	2.47
		2700-39-800-01- अन्य व्यय	4.24
		2701-24-800-01- अन्य व्यय	16.37
		2701-73-800- अन्य व्यय	2.76
		2700-03-001-01-01- सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य	8.08
		2700-04-800-01- अन्य व्यय	62.27
5.	53-ग्रामीण विकास विभाग	2515-800-05-01- मुख्यालय	124.66

परिशिष्ट 2.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.5; पृष्ठ 91)

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान नाम	2022-23	2023-24	2024-25
		राजस्व दतमत			
1	16	राजस्व विभाग	218.25	325.26	251.30
2	18	गृह विभाग	601.76	591.58	875.17
3	20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	4,281.16	4,326.55	4,899.41
4	21	माध्यमिक शिक्षा विभाग		760.93	1,011.49
5	22	उच्च शिक्षा विभाग		250.49	334.10
6	27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1,587.33	558.07	784.17
7	28	चिकित्सा शिक्षा विभाग		211.64	352.45
8	29	आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग		158.61	169.63
9	30	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	2,402.04	3,892.02	3,576.50
10	31	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1,062.03	899.26	1,197.43
11	32	महिला एवं बाल विकास विभाग		514.20	578.25
12	34	श्रम एवं रोजगार विभाग	249.46	108.38	131.42
13	36	आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	1,512.57	1837.14	2,735.31
14	40	स्थानीय स्वायत शासन विभाग	868.24	1803.33	1,931.26
15	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	262.7	220.55	218.28
16	45	वन एवं पर्यावरण विभाग	123.67	143.88	345.37
17	46	कृषि विभाग	1,213.81	234.73	1,020.06
18	47	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	103.91	407.52	187.56
19	50	सहकारिता विभाग	444.68	1,589.48	148.51
20	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,472.31	5,466.54	3,880.59
21	52	पंचायती राज संस्थान	732.11	2,967.50	2,094.11
22	53	ग्रामीण विकास विभाग		2,294.12	1,801.15
		राजस्व प्रभारित			
23	3	ब्याज अदायगियां	131.38	431.83	773.50
		पूंजीगत दतमत			
24	20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	563.31	339.79	398.31
25	21	माध्यमिक शिक्षा विभाग		416.40	304.64
26	22	उच्च शिक्षा विभाग		123.89	180.19
27	26	युवा मामले और खेल विभाग		139.95	277.06
28	27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	718.88	242.79	122.44
29	28	चिकित्सा शिक्षा विभाग		1,027.23	565.99
30	30	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	2,684.89	2,240.20	2,598.24
31	40	स्थानीय स्वायत शासन विभाग	887.72	2,378.42	2,042.51
32	41	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	2,952.28	1,516.27	548.65
33	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	1,542.90	783.70	772.46
34	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,145.98	3,262.44	2,358.15
35	54	ऊर्जा विभाग	957.73	657.62	919.46
		योग	**31,721.1**	**43,122.30**	**40,385.12**

परिशिष्ट 2.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.5; पृष्ठ 95)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट के उपयोग और बचत का अनुदानवार प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	उपयोग का प्रतिशत	उपयोग की सीमा (प्रतिशत)
1	26	युवा मामले और खेल विभाग	267.04	-42.39	-309.43	-15.87	10 से कम
2	57	पेट्रोलियम विभाग	402.71	2.07	-400.64	0.51	
3	59	पर्यटन विभाग	367.43	139.33	-228.10	37.92	30 से 50
4	1	राज्यपाल	33.39	22.05	-11.35	66.02	50 से 70
5	13	कोष एवं लेखा विभाग	1916.09	1335.07	-581.02	69.68	
6	25	कला एव संस्कृति विभाग	152.89	89.76	-63.13	58.71	
7	33	सैनिक कल्याण विभाग	95.37	66.18	-29.19	69.39	
8	36	आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	6428.01	3684.00	-2744.01	57.31	
9	39	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	140.89	79.92	-60.97	56.73	
10	40	स्थानीय स्वायत शासन विभाग	12376.22	8402.42	-3973.81	67.89	
11	53	ग्रामीण विकास विभाग	5933.43	3999.05	-1934.38	67.40	
12	58	खान विभाग	247.17	164.90	-82.26	66.72	
13	60	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1225.87	788.67	-437.19	64.34	
14	61	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	37.55	20.62	-16.93	54.91	
15	62	परिवहन विभाग	1624.95	958.48	-666.47	58.99	
16	64	अन्य सामान्य सेवाएँ	115.86	80.98	-34.88	69.89	
17	2	राज्य विधान मंडल	137.38	105.90	-31.48	77.08	70 से 90
18	5	लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	287.43	211.86	-75.57	73.71	
19	6	विधि एवं विधिक मामलात विभाग	2845.79	2387.72	-458.07	83.90	
20	7	मंत्री परिषद्	37.16	28.20	-8.96	75.89	
21	8	सचिवालय	535.45	445.71	-89.74	83.24	
22	9	निर्वाचन विभाग	555.66	493.92	-61.74	88.89	
23	16	राजस्व विभाग	2107.62	1846.10	-261.52	87.59	
24	17	सामान्य प्रशासन विभाग	624.13	511.44	-112.69	81.94	
25	19	जेल विभाग	346.90	289.04	-57.86	83.32	
26	20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	21226.13	15927.06	-5299.07	75.04	
27	22	उच्च शिक्षा विभाग	2747.33	2233.00	-514.32	81.28	
28	24	तकनीकी शिक्षा विभाग	471.28	401.11	-70.17	85.11	
29	28	चिकित्सा शिक्षा विभाग	5455.11	4536.67	-918.44	83.16	
30	29	आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	1500.21	1319.32	-180.89	87.94	
31	30	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	32366.37	26191.63	-6174.74	80.92	
32	31	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	12054.55	10644.62	-1409.93	88.30	
33	32	महिला एवं बाल विकास विभाग	3212.14	2602.69	-609.45	81.03	
34	34	श्रम एवं रोजगार विभाग	2159.34	1924.57	-234.77	89.13	
35	35	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	492.06	344.80	-147.26	70.07	
36	37	देवस्थान विभाग	122.46	89.15	-33.31	72.80	
37	38	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	161.26	133.34	-27.93	82.68	
38	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	6587.04	5596.21	-990.83	84.96	
39	43	सिंचित क्षेत्र विकास विभाग	552.27	435.09	-117.18	78.78	
40	45	वन एवं पर्यावरण विभाग	1859.87	1314.90	-544.97	70.70	
41	46	कृषि विभाग	3749.71	2674.13	-1075.58	71.32	

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	उपयोग का प्रतिशत	उपयोग की सीमा (प्रतिशत)
42	47	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	1571.54	1360.43	-211.11	86.57	
43	48	उद्यानिकी विभाग	1020.03	788.55	-231.48	77.31	
44	49	गोपालन विभाग	2076.87	1777.97	-298.90	85.61	
45	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	37788.79	31550.04	-6238.75	83.49	
46	52	पंचायती राज संस्थान	9373.44	7264.46	-2108.97	77.50	
47	55	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग	962.38	747.47	-214.90	77.67	
48	63	आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग	145.88	115.78	-30.10	79.36	
49	3	ब्याज अदायगियां	39118.14	38344.64	-773.50	98.02	90 से 100
50	4	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	165588.65	152872.21	-12716.44	92.32	
51	10	वाणिज्यिक कर विभाग	1249.23	1173.30	-75.93	93.92	
52	11	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	271.84	257.61	-14.23	94.76	
53	12	आबकारी विभाग	211.33	199.41	-11.91	94.36	
54	14	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	2594.83	2463.70	-131.13	94.95	
55	15	पेंशन	30239.62	29321.36	-918.26	96.96	
56	18	गृह विभाग	10635.20	9615.04	-1020.16	90.41	
57	21	माध्यमिक शिक्षा विभाग	27041.03	25717.47	-1323.56	95.11	
58	23	संस्कृत शिक्षा विभाग	665.93	641.97	-23.96	96.40	
59	27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	11876.98	10970.34	-906.64	92.37	
60	41	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	10060.24	9336.78	-723.46	92.81	
61	44	सार्वजनिक निर्माण विभाग	11939.71	11831.44	-108.27	99.09	
62	50	सहकारिता विभाग	2064.02	1912.60	-151.42	92.66	
63	54	ऊर्जा विभाग	22273.79	21047.78	-1226.00	94.50	
64	56	उद्योग विभाग	976.83	912.52	-64.31	93.42	

परिशिष्ट 2.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.5; पृष्ठ 96)

बचतें जिसका अभ्यर्पण नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पित राशि	समर्पण नहीं की गई राशि
		राजस्व दतमत	**0**	**0**	**0**	**0**	**00**	**0**	**0**
1	2	राज्य विधान मंडल	119.84	0.00	119.84	98.07	-21.77	21.76	-0.01
2	5	लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	115.64	54.24	169.88	116.18	-53.71	53.67	-0.03
3	6	विधि एवं विधिक मामलात विभाग	2218.05	0.00	2218.05	1931.95	-286.10	285.21	-0.89
4	8	सचिवालय	435.22	40.23	475.45	425.94	-49.51	49.45	-0.05
5	10	वाणिज्यिक कर विभाग	1211.66	0.00	1211.66	1137.82	-73.83	73.65	-0.18
6	11	पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग	246.03	18.48	264.51	252.78	-11.73	11.63	-0.10
7	13	कोष एवं लेखा विभाग	1901.51	₹ 1000	1901.51	1334.97	-566.54	566.52	-0.02
8	15	पेंशन	28996.56	1223.06	30219.62	29320.13	-899.49	706.90	-192.60
9	16	राजस्व विभाग	2084.80	₹ 8000	2084.80	1833.50	-251.30	251.06	-0.24
10	18	गृह विभाग	10202.40	52.88	10255.28	9380.10	-875.17	872.08	-3.10
11	19	जेल विभाग	322.96	4.05	327.01	284.17	-42.84	42.77	-0.07
12	20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	20603.09	₹ 2000	20603.09	15703.68	-4899.41	4896.09	-3.32
13	21	माध्यमिक शिक्षा विभाग	26118.44	265.30	26383.75	25372.26	-1011.49	954.13	-57.36
14	26	युवा मामले एवं खेल विभाग	181.46	0.00	181.46	149.08	-32.38	31.80	-0.58
15	27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	10,702.02	0.00	10,702.02	9,917.85	784.17	781.82	-2.35
16	28	चिकित्सा शिक्षा विभाग	3893.46	₹ 6000	3893.46	3541.02	-352.45	350.20	-2.25
17	29	आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	1347.02	101.66	1448.68	1279.05	-169.63	169.14	-0.49
18	30	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	23040.15	922.15	23962.30	20385.80	-3576.50	3547.70	-28.80
19	32	महिला एवं बाल विकास विभाग	3177.64	₹ 2000	3177.64	2599.40	-578.25	576.02	-2.23
20	34	श्रम एवं रोजगार विभाग	1929.16	1.52	1930.68	1799.26	-131.42	131.40	-0.02
21	36	आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	5300.15	1118.55	6418.70	3683.39	-2735.31	2697.60	-37.71
22	37	देवस्थान विभाग	59.23	37.23	96.46	87.59	-8.88	8.82	-0.05
23	38	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	149.64	7.99	157.63	131.14	-26.49	26.43	-0.06
24	41	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	5588.41	285.17	5873.58	5698.82	-174.76	164.03	-10.73
25	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	3194.05	28.11	3222.16	3003.88	-218.28	105.01	-113.27
26	45	वन एवं पर्यावरण विभाग	1321.73	0.00	1321.73	976.35	-345.37	345.27	-0.10
27	46	कृषि विभाग	3475.16	70.18	3545.34	2525.28	-1020.06	1019.93	-0.13
28	48	उद्यानिकी विभाग	960.06	54.06	1014.12	782.64	-231.48	231.43	-0.06
29	49	गोपालन विभाग	2026.87	0.00	2026.87	1762.00	-264.87	264.78	-0.09
30	50	सहकारिता विभाग	1975.01	77.47	2052.48	1903.97	-148.51	148.32	-0.19
31	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	30295.94	62.88	30358.82	26478.23	-3880.59	3842.31	-38.28
32	52	पंचायती राज संस्थान	9358.85	0.00	9358.85	7264.74	-2094.11	2092.27	-1.84

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पित राशि	समर्पण नहीं की गई राशि
33	53	ग्रामीण विकास विभाग	4589.76	160.05	4749.81	2948.66	-1801.15	1676.46	-124.70
34	55	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग	959.98	0.00	959.98	746.75	-213.23	212.37	-0.87
35	56	उद्योग विभाग	651.49	247.49	898.99	860.51	-38.48	37.82	-0.65
36	58	खान विभाग	239.29	0.00	239.29	164.89	-74.40	74.38	-0.02
37	61	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	17.28	3.09	20.37	16.98	-3.39	3.28	-0.11
38	62	परिवहन विभाग	1539.33	₹ 2000	1539.33	918.45	-620.88	620.79	-0.10
39	64	अन्य सामान्य सेवाएँ	88.97	0.00	88.97	78.23	-10.74	10.53	-0.21
		राजस्व प्रभारित							
40	3	ब्याज अदायगियां	37537.83	1580.31	39118.14	38344.64	-773.50	268.36	-505.14
41	5	लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	69.49	25.75	95.24	84.50	-10.74	10.73	-0.01
42	6	विधि एवं विधिक मामलात विभाग	252.18	0.95	253.13	246.56	-6.57	5.91	-0.66
		पूंजीगत दतमत							
43	6	विधि एवं विधिक मामलात विभाग	374.62	0.00	374.62	209.21	-165.41	165.36	-0.05
44	8	सचिवालय	60.00	0.00	60.00	19.77	-40.23	39.44	-0.79
45	11	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	7.09	0.00	7.09	4.59	-2.50	2.47	-0.03
46	14	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	128.00	0.00	128.00	80.26	-47.74	47.71	-0.03
47	26	युवा मामले एवं खेल विभाग	85.58	0.00	85.58	-191.47	-277.06	35.14	-241.91
48	28	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1561.57	0.00	1561.57	995.58	-565.99	565.29	-0.69
49	30	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	8403.71	₹ 17000	8403.71	5805.47	-2598.24	2535.12	-63.12
50	32	महिला एवं बाल विकास विभाग	34.46	0.00	34.46	3.25	-31.21	31.20	0.00
51	35	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	245.45	0.00	245.45	145.04	-100.41	100.40	-0.01
52	40	स्थानीय स्वायत शासन विभाग	4613.07	₹ 18000	4613.07	2570.56	-2042.51	2038.55	-3.97
53	41	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4084.50	98.53	4183.03	3634.38	-548.65	530.86	-17.79
54	43	सिंचित क्षेत्र विकास विभाग	462.60	0.00	462.60	354.71	-107.89	105.38	-2.51
55	45	वन एवं पर्यावरण विभाग	535.88	0.00	535.88	336.88	-199.00	198.92	-0.07
56	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	7429.97	₹ 14000	7429.97	5071.81	-2358.15	2275.91	-82.24
57	52	पंचायती राज संस्थान	14.58	0.00	14.58	-0.28	-14.86	14.35	-0.51
		योग	**2,76,538.8**	**6,541.38**	**2,83,080.29**	**2,44,610.97**	**-36,900.99**	**36,925.93**	**-1,543.39**

परिशिष्ट 2.8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.5; पृष्ठ 97)

मार्च 2025 के अंतिम दिन ₹ 50 करोड़ से अधिक की राशि का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान नाम	मूल बजट	पूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पित राशि
		राजस्व दतमत						
1	5	लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	115.64	54.24	169.88	116.18	-53.71	53.67
2	6	विधि एवं विधिक मामलात विभाग	2218.05	₹ 1000	2218.05	1931.95	-286.10	285.21
3	9	निर्वाचन विभाग	552.09	0.00	552.09	493.00	-59.09	59.20
4	10	वाणिज्यिक कर विभाग	1211.66	0.00	1211.66	1137.82	-73.83	73.65
5	13	कोष एवं लेखा विभाग	1901.51	₹ 1000	1901.51	1334.97	-566.54	566.52
6	14	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	2153.35	313.48	2466.83	2383.43	-83.40	83.40
7	15	पेंशन	28996.56	1223.06	30219.62	29320.13	-899.49	706.90
8	16	राजस्व विभाग	2084.80	₹ 8000	2084.80	1833.50	-251.30	251.06
9	18	गृह विभाग	10202.40	52.88	10255.28	9380.10	-875.17	872.08
10	20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	20603.09	₹ 2000	20603.09	15703.68	-4899.41	4896.09
11	21	माध्यमिक शिक्षा विभाग	26118.44	265.30	26383.75	25372.26	-1011.49	954.13
12	22	उच्च शिक्षा विभाग	2117.04	₹ 5000	2117.04	1782.94	-334.10	334.10
13	27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	10702.02	0.00	10702.02	9917.85	-784.17	781.82
14	28	चिकित्सा शिक्षा विभाग	3893.46	₹ 6000	3893.46	3541.02	-352.45	350.20
15	29	आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	1347.02	101.66	1448.68	1279.05	-169.63	169.14
16	30	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	23040.15	922.15	23962.30	20385.80	-3576.50	3547.70
17	31	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	11685.96	₹ 6000	11685.96	10488.53	-1197.43	1198.54
18	32	महिला एवं बाल विकास विभाग	3177.64	₹ 2000	3177.64	2599.40	-578.25	576.02
19	34	श्रम एवं रोजगार विभाग	1929.16	1.52	1930.68	1799.26	-131.42	131.40
20	36	आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	5300.15	1118.55	6418.70	3683.39	-2735.31	2697.60
21	39	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	89.07	44.95	134.02	73.05	-60.97	60.97
22	40	स्थानीय स्वायत शासन विभाग	7753.91	₹ 17000	7753.91	5822.66	-1931.26	1931.25
23	41	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	5588.41	285.17	5873.58	5698.82	-174.76	164.03
24	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	3194.05	28.11	3222.16	3003.88	-218.28	105.01
25	44	सार्वजनिक निर्माण विभाग	2941.36	419.79	3361.15	3178.03	-183.12	220.96
26	45	वन एवं पर्यावरण विभाग	1321.73	0.00	1321.73	976.35	-345.37	345.27
27	46	कृषि विभाग	3475.16	70.18	3545.34	2525.28	-1020.06	1019.93
28	47	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	1509.87	₹ 21000	1509.87	1322.30	-187.56	187.56
29	48	उद्यानिकी विभाग	960.06	54.06	1014.12	782.64	-231.48	231.43
30	49	गोपालन विभाग	2026.87	0.00	2026.87	1762.00	-264.87	264.78
31	50	सहकारिता विभाग	1975.01	77.47	2052.48	1903.97	-148.51	148.32
32	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	30295.94	62.88	30358.82	26478.23	-3880.59	3842.31
33	52	पंचायती राज संस्थान	9358.85	0.00	9358.85	7264.74	-2094.11	2092.27
34	53	ग्रामीण विकास विभाग	4589.76	160.05	4749.81	2948.66	-1801.15	1676.46
35	54	ऊर्जा विभाग	17160.62	4023.71	21184.32	20877.78	-306.54	306.54
36	55	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	959.98	0.00	959.98	746.75	-213.23	212.37
37	58	खान विभाग	239.29	0.00	239.29	164.89	-74.40	74.38

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान नाम	मूल बजट	पूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पित राशि
38	60	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	610.92	0.00	610.92	435.16	-175.76	175.76
39	62	परिवहन विभाग	1539.33	₹ 2000	1539.33	918.45	-620.88	620.79
		राजस्व प्रभारित						
40	3	ब्याज अदायगियां	37537.83	1580.31	39118.14	38344.64	-773.50	268.36
		पूंजीगत प्रभारित						
41	6	विधि एवं विधिक मामलात विभाग	374.62	0.00	374.62	209.21	-165.41	165.36
42	17	सामान्य प्रशासन विभाग	253.79	0.00	253.79	167.71	-86.08	86.08
43	18	गृह विभाग	359.67	18.24	377.91	232.92	-144.99	145.04
44	20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	550.85	69.19	620.05	221.74	-398.31	398.31
45	21	माध्यमिक शिक्षा विभाग	641.28	₹ 1000	641.28	336.64	-304.64	304.64
46	22	उच्च शिक्षा विभाग	624.28	0.00	624.28	444.09	-180.19	180.19
47	27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1116.30	57.76	1174.05	1051.61	-122.44	122.44
48	28	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1561.57	0.00	1561.57	995.58	-565.99	565.29
49	30	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	8403.71	₹ 17000	8403.71	5805.47	-2598.24	2535.12
50	31	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	186.93	181.64	368.57	156.08	-212.50	212.50
51	34	श्रम एवं रोजगार विभाग	228.66	0.00	228.66	125.31	-103.35	103.35
52	35	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	245.45	0.00	245.45	145.04	-100.41	100.40
53	40	स्थानीय स्वायत शासन विभाग	4613.07	₹ 18000	4613.07	2570.56	-2042.51	2038.55
54	41	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4084.50	98.53	4183.03	3634.38	-548.65	530.86
55	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	3362.93	₹ 3000	3362.94	2590.47	-772.46	773.36
56	43	सिंचित क्षेत्र विकास विभाग	462.60	0.00	462.60	354.71	-107.89	105.38
57	45	वन एवं पर्यावरण विभाग	535.88	0.00	535.88	336.88	-199.00	198.92
58	46	कृषि विभाग	149.59	54.72	204.31	148.80	-55.51	55.51
59	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	7429.97	₹ 14000	7429.97	5071.81	-2358.15	2275.91
60	53	ग्रामीण विकास विभाग	1183.57	₹ 1000	1183.57	1050.34	-133.23	133.23
61	54	ऊर्जा विभाग	1089.46	0.00	1089.46	170.00	-919.46	919.46
62	57	पेट्रोलियम विभाग	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00	400.00
63	59	पर्यटन विभाग	257.52	₹ 1000	257.52	45.57	-211.95	211.95
64	60	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	614.94	0.00	614.94	353.51	-261.43	261.43
		पूंजीगत प्रभारित						
65	4	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	160670.80	4917.84	165588.65	152872.21	-12716.44	12716.44
		योग	**491880.13**	**16257.47**	**508137.60**	**448803.18**	**-59334.42**	**58076.87**

परिशिष्ट 2.9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.6; पृष्ठ 98)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय में गलत वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विभाग का नाम एवं संख्या	गलत वर्गीकृत राशि	लेखा शीर्ष	लेखापरीक्षा अवलोकन
1	41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	22.77	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत व्यय 01- जलापूर्ति 101- शहरी जल आपूर्ति 07- ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता 17- प्रमुख निर्माण कार्य	ग्रीष्मकालीन आकस्मिक निधि नियमित प्रकृति का व्यय है (जिसे लघु मद 2215 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा)
2.	30- जनजातीय क्षेत्र विकास	5.20	4210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 01- अस्पताल और औषधालय - चिकित्सा शिक्षा 01- मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल समूह, जयपुर 72- आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण और उन्नयन	मरम्मत, तार बदलने और रसरसाव से संबंधित कार्य से ठोस परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं होती है। (इसे लघु मद 2210 के अंतर्गत दर्ज किया जाना है)
3.	30- जनजातीय क्षेत्र विकास	133.66	5054- सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय 04- जिला और अन्य सड़कें 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 16- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वित्तपोषित सड़कें	भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली पीएमजीएसवाई अनुदान राशि को पूंजी मद के अंतर्गत आरक्षित किया गया है। (इसे लघु मद 3054 के अंतर्गत आरक्षित किया जाना है)
4	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	611.34	5054- सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय 04- जिला और अन्य सड़कें 800- अन्य व्यय 22- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वित्तपोषित सड़कें	
5	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	158.69	5054- सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय 04- जिला और अन्य सड़कें 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 13- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वित्तपोषित सड़कें	
		931.66		

परिशिष्ट 2.10

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.7; पृष्ठ 100)

संशोधित अनुमान में प्रावधान कम/कोई बदलाव नहीं (10 करोड़ से अधिक) लेकिन कोई व्यय नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान	व्यय
1.	18- गृह विभाग	2055-118-(01)-[01] लाडली सुरक्षा योजना पुलिस विभाग के माध्यम से	13.00	13.00	शून्य
2.	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	2202-02-107-(07) अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियां	56.54	39.91	शून्य
3.	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	2202-02-109-(30)-[02] प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी वितरण	19.63	11.02	शून्य
4.	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	2202-02-110-(08)-[01] कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की फीस का पुनर्भरण	38.16	20.40	शून्य
5.	22- उच्च शिक्षा विभाग	4202-01-203-(11)-[01] सेण्टर ऑफ़ एक्सीलेंस निर्माण कार्य	10.00	10.00	शून्य
6.	30- जनजातीय क्षेत्र विकास	2217-80-192-(55)-[12] शहरी स्वास्थ्य के लिए अनुदान	14.27	14.27	शून्य
7.	30- जनजातीय क्षेत्र विकास	4225-02-796-(11)-[22] अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत जनजातीय विकास	16.00	13.10	शून्य
8.	30- जनजातीय क्षेत्र विकास	5475-796-(18)-[01] राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी विकास एवं ई-गवर्नेंस केंद्र	12.60	14.25	शून्य
9.	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2235-02-101-(47)-[01] राज्य दिव्यांग कल्याण निधि	20.00	20.00	शून्य
10.	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2235-02-196-(22)-[09] स्वरोजगार के लिए अनुदान	10.00	10.00	शून्य
11.	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2235-02-196-(22)-[10] कौशल विकास हेतु अनुदान	10.00	10.00	शून्य
12.	35- अल्पसंख्यक मामलात विभाग	2225-04-277-(02)-[01] अल्पसंख्यक वर्ग छात्राओं को स्कूटी वितरण	12.61	19.23	शून्य
13.	35- अल्पसंख्यक मामलात विभाग	4225-04-102-(01)-[02] प्रधानमंत्री जन विकास परियोजना	85.00	42.50	शून्य
14.	36- आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	2245-01-104-(09)-[04] पशु शिविर/गोशाला	30.00	10.00	शून्य
15.	36- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-08-101-(01)-[02] अग्नि से बचाव और रोकथाम	100.00	10.00	शून्य
16.	36- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-08-101-(01)-[03] सूखे की रोकथाम एवं बचाव	100.00	10.00	शून्य
17.	36- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-08-101-(01)-[04] बाढ़ आदि से बचाव एवं रोकथाम	709.40	709.4	शून्य
18.	39- नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	2217-80-191-(05) जेडीए के लिए अनुदान	44.95	54.94	शून्य
19.	40- स्थानीय स्वायत शासन विभाग	2217-80-192-(55)-[07] प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता	18.98	18.98	शून्य
20.	40- स्थानीय स्वायत शासन विभाग	2217-80-192-(55)-[10] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र के लिए अनुदान	72.70	72.70	शून्य
21.	41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4215-01-102-(99)-[03] जल जीवन मिशन	40.00	40.00	शून्य

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान	व्यय
22.	41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4215-01-102-(99)-[18] भीनमाल को पेयजल	13.74	13.74	शून्य
23.	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	4700-39-190-(01)-[01] पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड	136.00	68.00	शून्य
24.	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	3054-03-337-(04)-[02] आधुनिकीकरण	10.51	10.51	शून्य
25.	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	4406-01-101-(14)-[01] वृक्षारोपण	23.35	12.21	शून्य
26.	46- कृषि विभाग	2401-109-(20)-[01] राजस्थान कृषि विकास योजना	13.60	13.60	शून्य
27.	47- पशुपालन विभाग	2403-108-(01)-[01] पशुधन बीमा	11.52	10.50	शून्य
28.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2217-80-192-(55)-[11] शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान	18.87	18.87	शून्य
29.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2225-01-789-(27)-[01] अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण	50.00	22.14	शून्य
30.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4210-01-789-(03)-[90] निर्माण कार्य—आयुर्वेद विभाग	10.70	11.70	शून्य
31.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4406-02-789-(03) बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर	25.00	25.00	शून्य
32.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4575-60-789-(01)-[01] श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना	35.00	11.67	शून्य
33.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4700-39-789-(03)-[01] पूर्वी राजस्थान नहर निगम में विनियोजन	36.00	18.00	शून्य
34.	53- ग्रामीण विकास विभाग	4575-60-800-(01)-[01] श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना	90.00	30.00	शून्य
		योग	**1908.13**	**1429.64**	

स्रोतः वित्तीय वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखें

परिशिष्ट 2.11

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.7; पृष्ठ 100)

नीतिगत घोषणाएँ जिनमे संशोधित परिव्यय में पूर्ण बजट राशि वापस की गई

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान
1.	16- राजस्व विभाग	2029-103-(04)-[02] भू-प्रबंध विभाग	7.50	शून्य
2.	17-सामान्य प्रशासन विभाग	2070-003-(05)-[01] सामान्य प्रशासन विभाग	10.00	शून्य
3.	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	2202-02-109-(34)-[01] व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम सामान्य व्यय	3.40	शून्य
4.		4202-01-202-(14)-[01] आधुनिक विद्यालय – निर्माण कार्य	4.78	शून्य
5.	22- उच्च शिक्षा विभाग	2202-03-112-(03)-[01] अन्य संस्थाओं को शोध हेतु सहायता	10.00	शून्य
6.		2202-03-800-(06)-[01] कॉलेज शिक्षा	8.00	शून्य
7.	24- तकनीकी शिक्षा विभाग	4202-02-104-(08)-[01] राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान	16.25	शून्य
8.		4202-02-105-(01)-[01] शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का निर्माण कार्य	10.10	शून्य
9.	25- कला एवं संस्कृति विभाग	2205-102-(35)-[01] गांधी अध्ययन केंद्र, जयपुर	1.25	शून्य
10.		2205-102-(35)-[02] गांधी दर्शन संग्रहालय	3.50	शून्य
11.		4202-04-106-(09)-[01] सशस्त्र बल संग्रहालय	32.50	शून्य
12.	26- युवा मामले एवं खेल विभाग	2204-101-(06)-[01] राज्य युवा महोत्सव	6.50	शून्य
13.		2204-104-(11)-[01] खेल विश्वविद्यालय की स्थापना	3.25	शून्य
14.		4202-03-102-(07)-[01] खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्माण कार्य	13.00	शून्य
15.	29- आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	4210-03-101-(01)-[90] चिकित्सा शिक्षा भवन निर्माण कार्य	5.00	शून्य
16.	30- जनजातीय क्षेत्र विकास	2040-796-(01)-[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज	18.75	शून्य
17.		2070-796-(01)-[01] राजस्थान फ्लाइंग यूनिवर्सिटी की स्थापना	3.00	शून्य
18.		2204-796-(11)-[01] राज्य युवा महोत्सव	1.50	शून्य
19.		2217-05-190-(02)-[25] राजस्थान शहरी परिवहन निगम	15.00	शून्य
20.		2217-80-191-(55)-[03] स्थानीय स्वशासन विभाग	3.15	शून्य
21.		2217-80-191-(56)-[03] स्वच्छ भारत मिशन	6.29	शून्य
22.		2217-80-192-(58)-[03] स्थानीय शासन विभाग	4.45	शून्य
23.		2217-80-192-(59)-[03] स्थानीय शासन विभाग	8.87	शून्य
24.		2217-80-797-(03)-[07] बजट शीर्ष 8229-200-(13) में सेस का अंतरण	70.75	शून्य

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान
25.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	2217-80-797-(03)-[08] बजट शीर्ष 8229-200-(13) में ग्रीन टैक्स का अंतरण	48.43	शून्य
26.		2217-80-797-(03)-[09] बजट शीर्ष 8229-200-(13) में अधिभार का अंतरण	108.71	शून्य
27.		2220-60-796-(02)-[01] सोशल मीडिया एक्टिविटी	1.87	शून्य
28.		2225-02-796-(25)-[01] जनजातीय विकास कार्यक्रम	70.11	शून्य
29.		2225-02-796-(28)-[01] सीएसएस के संचालन की मोनिटरिंग	5.00	शून्य
30.		2235-02-196-(02)-[44] स्वयं सिद्धा सेण्टर फॉर एक्सीलेंस	2.00	शून्य
31.		2235-60-196-(09)-[03] परित्यक्ता पेंशन योजना	7.50	शून्य
32.		2235-60-196-(10)-[03] विश्वकर्मा पेंशन योजना	7.50	शून्य
33.		2403-796-(30)-[01] गोपाल क्रेडिट कार्ड	14.00	शून्य
34.		2851-796-(05) राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान	2.00	शून्य
35.		3454-02-190-(01)-[03] राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवांस लर्निंग	2.80	शून्य
36.		3454-02-796-(02)-[23] राज संपर्क	5.81	शून्य
37.		4202-02-796-(04)-[01] राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी	3.75	शून्य
38.		4202-03-796-(04)-[01] खेल विश्वविद्यालय की स्थापना	3.00	शून्य
39.		4202-04-796-(03)-[01] आर्म्ड फोर्सेज म्यूजियम	7.50	शून्य
40.		4215-01-796-(02)-[74] शहरी जलापूर्ति	4.97	शून्य
41.		4215-01-796-(02)-[75] शहरी जलापूर्ति कोटा एवं बूंदी	8.56	शून्य
42.		4217-60-796-(14)-[01] स्वच्छ भारत मिशन	4.32	शून्य
43.		4225-02-796-(11)-[07] सामुदायिक भवन का निर्माण	2.00	शून्य
44.		4225-02-796-(20)-[35] सामुदायिक वन अधिकारी विकास योजना	2.00	शून्य
45.		4225-02-796-(29)-[01] आधारभूत ढांचे का विकास	105.16	शून्य
46.		4225-02-796-(**30**)-[01] आधारभूत संरचना विकास के कार्यक्रम	8.67	शून्य
47.		4235-02-796-(05)-[01] स्वयं सिद्धा सेण्टर फॉर एक्सीलेंस	3.00	शून्य
48.		4236-02-796-(02) आंगनबाड़ी केंद्र का रखरखाव	2.37	शून्य
49.		4403-796-(03)-[01] राज्य स्तरीय पॉली पशु चिकित्सा अस्पताल का निर्माण	2.00	शून्य
50.		4801-80-796-(02) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	35.00	शून्य
51.		4801-80-796-(03) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	33.63	शून्य

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान
52.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	4801-80-796-(04) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	49.07	शून्य
53.		4801-80-796-(05) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	48.80	शून्य
54.		4801-80-796-(06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	40.25	शून्य
55.		4802-02-190-(04)-[03] रिफाइनरी	336.45	शून्य
56.		4802-02-796-(01)-[02] रिफाइनरी क्षेत्र में नमक खदानों के धारक	1.65	शून्य
57.		5475-796-(10)-[01] ब्लॉक चेन सेण्टर ऑफ़ एक्सीलेंस	1.77	शून्य
58.	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2235-02-102-(10)-[02] शिशु गृह/क्रेच का संचालन	1.00	शून्य
59.		2235-02-196-(22)-[07] लड़कों और लड़कियों को साइकिल	2.32	शून्य
60.		2235-02-196-(23)-[01] आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	5.50	शून्य
61.		2235-60-196-(09)-[01] परित्यक्त पेंशन योजना	32.50	शून्य
62.		2235-60-196-(10)-[01] विश्वकर्मा पेंशन योजना	32.50	शून्य
63.	32- महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-02-196-(02)-[42] स्वयं सिद्धा सेंटर फॉर एक्सीलेंस	6.00	शून्य
64.		4235-02-103-(17)-[01] स्वयं सिद्धा सेंटर फॉर एक्सीलेंस	9.00	शून्य
65.		4236-02-800-(09) आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण	7.00	शून्य
66.		4236-02-800-(10) आईसीडीएस मिशन मोड	9.94	शून्य
67.	34- श्रम एवं रोजगार विभाग	2230-03-101-(04)-[01] कौशल संवर्धन	12.00	शून्य
68.		4250-201-(02)-[90] निर्माण कार्य	1.00	शून्य
69.	35- अल्पसंख्यक मामलात विभाग	2225-04-277-(01)-[02] राज्य तकनीकी छात्रवृत्ति	1.25	शून्य
70.		4225-04-800-(01)-[03] निर्माण कार्य	1.50	शून्य
71.	40- स्थानीय स्वायत शासन विभाग	2217-05-190-(02)-[03] अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	4.12	शून्य
72.		2217-05-190-(02)-[23] राजस्थान शहरी परिवहन निगम	67.50	शून्य
73.		2217-80-797-(03)-[01] मोटर वाहन कराधान के अंतर्गत अधिभार	272.58	शून्य
74.		2217-80-797-(03)-[02] हरित कर का स्थानांतरण	186.61	शून्य
75.		2217-80-797-(03)-[03] स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिभार का हस्तांतरण	418.84	शून्य
76.	41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4215-01-101-(11)-[22] परवन आकोरड पेयजल परियोजना बारां कोटा	25.28	शून्य
77.		4215-01-101-(11)-[23] नवनेरा जल आपूर्ति परियोजना	43.55	शून्य
78.		4215-01-102-(99)-[42] भैंसरोडगढ़ की क्षेत्रीय जल आपूर्ति	6.90	शून्य

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान
79.	41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4215-01-102-(99)-[48] कालीतीर जल आपूर्ति	6.90	शून्य
80.		4215-01-102-(99)-[49] चंबल नदी से अलवर-भरतपुर को सतही जल की आपूर्ति	6.90	शून्य
81.		4215-01-102-(99)-[50] चम्बल नदी से सवाई माधोपुर-नादौती को सतही जल आपूर्ति	6.90	शून्य
82.	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	2700-02-800-(01)-[01] राणा प्रताप सागर बांध	2.40	शून्य
83.	43- सिंचित क्षेत्र विकास विभाग	4700-02-001-(05)-[13] पुनर्जनन/उन्नयन आरआईडीएफ XXIII	2.12	शून्य
84.	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	3435-03-102-(10)-[01] सांभर झील प्रबंधन एजेंसी	1.00	शून्य
85.	47- पशुपालन विभाग	4403-101-(14)-[01] पशु चिकित्सालय का निर्माण	1.00	शून्य
86.		4403-101-(16)-[01] पशु चिकित्सालय का निर्माण	5.00	शून्य
87.	49- गोपालन विभाग	2403-800-(02)-[01] गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना	68.00	शून्य
88.	50- सहकारिता विभाग	2425-001-(05)-[01] कमीशन (ऋण माफी)	3.37	शून्य
89.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2040-789-(01)-[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज	22.50	शून्य
90.		2070-789-(01)-[01] राजस्थान फ्लाइंग यूनिवर्सिटी की स्थापना	7.00	शून्य
91.		2204-789-(07)-[01] राजस्थान युवा बोर्ड	2.00	शून्य
92.		2210-05-789-(09)-[01] राजमेस	1.53	शून्य
93.		2217-05-190-(02)-[24] राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास निधि	17.50	शून्य
94.		2217-80-191-(55)-[02] स्वच्छ भारत मिशन	4.18	शून्य
95.		2217-80-191-(56)-[02] स्थानीय स्वशासन	8.31	शून्य
96.		2217-80-192-(58)-[02] स्वच्छ भारत मिशन	5.88	शून्य
97.		2217-80-192-(59)-[02] स्वच्छ भारत मिशन	11.72	शून्य
98.		2217-80-797-(03)-[04] बजट मद 8229-200-(13) के अंतर्गत राजस्थान मोटर अधिनियम के उपकर का हस्तांतरण	53.49	शून्य
99.		2217-80-797-(03)-[05] बजट मद 8229-200-(13) के अंतर्गत हरित कर का हस्तांतरण	36.62	शून्य
100.		2217-80-797-(03)-[06] बजट मद 8229-200-(13) के अंतर्गत स्टांप शुल्क अधिनियम से उपकर का हस्तांतरण	82.19	शून्य
101.		2220-60-789-(01)-[01] सोशल मीडिया गतिविधि	2.38	शून्य
102.		2235-02-196-(02)-[43] स्वयं सिद्धा सेंटर फॉर एक्सीलेंस	2.00	शून्य
103.		2235-60-196-(09)-[02] परित्यक्त पेंशन योजना	10.00	शून्य
104.		2235-60-196-(10)-[02] विश्वकर्मा पेंशन योजना	10.00	शून्य

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान
105.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2403-789-(21)-[01] गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना	18.00	शून्य
106.		2851-789-(03) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान	2.66	शून्य
107.		3454-02-190-(01)-[02] राजस्थान उन्नत शिक्षा संस्थान	3.60	शून्य
108.		3454-02-789-(01)-[23] राज संपर्क	7.47	शून्य
109.		3454-02-789-(06)-[02] राजस्थान जन आधार योजना	5.00	शून्य
110.		4202-02-789-(05)-[01] राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान	5.00	शून्य
111.		4202-03-789-(04)-[01] खेल विश्वविद्यालय की स्थापना	4.00	शून्य
112.		4202-04-789-(03)-[01] सशस्त्र बल संग्रहालय	10.00	शून्य
113.		4215-01-789-(02)-[74] परवन अकावद पेयजल परियोजना कोटा-बारां-झुंझुनूं	6.55	शून्य
114.		4215-01-789-(02)-[75] नवनेरा जल आपूर्ति परियोजना कोटा-बूंदी	11.28	शून्य
115.		4215-01-789-(03)-[40] भेंसरोडगढ़ ब्लॉक की जल आपूर्ति परियोजना	1.80	शून्य
116.		4215-01-789-(03)-[46] कालीतीर जल आपूर्ति योजना	1.80	शून्य
117.		4215-01-789-(03)-[47] चंबल नदी से अलवर-भरतपुर को जल आपूर्ति	1.80	शून्य
118.		4215-01-789-(03)-[48] सवाई माधोपुर नादौती जल आपूर्ति	1.80	शून्य
119.		4217-60-789-(14)-[01] स्वच्छ भारत मिशन	5.69	शून्य
120.		4235-02-789-(05)-[01] स्वयं सिद्धा सेंटर फॉर एक्सीलेंस	3.00	शून्य
121.		4236-02-789-(01) आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण	1.70	शून्य
122.		4236-02-789-(02) आंगनबाड़ी केंद्र का उन्नयन	2.52	शून्य
123.		4403.-789-(03)-[01] पॉली क्लिनिक पशु चिकित्सालय का निर्माण	3.00	शून्य
124.		4801-80-789-(02) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	47.50	शून्य
125.		4801-80-789-(03) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	45.65	शून्य
126.		4801-80-789-(04) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	66.60	शून्य
127.		4801-80-789-(05) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	66.22	शून्य
128.		4801-80-789-(06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	54.63	शून्य
129.		4802-02-190-(04)-[02] रिफाइनरी	350.00	शून्य
130.		5475-789-(10)-[01] ब्लॉकचेन सेण्टर ऑफ़ एक्सीलेंस	2.28	शून्य
131.	53- ग्रामीण विकास विभाग	4575-02-102-(02)-[01] बृज मेवात क्षेत्र विकास योजना	13.60	शून्य

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान
132.	54- ऊर्जा विभाग	4801-80-190-(02) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	167.50	शून्य
133.		4801-80-190-(03) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	160.96	शून्य
134.		4801-80-190-(04) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	234.85	शून्य
135.		4801-80-190-(05) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	233.52	शून्य
136.		4801-80-190-(06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	192.63	शून्य
137.	56- उद्योग विभाग	2040-800-(04)-[01] राजस्थान विनिवेश प्रोत्साहन योजना	33.75	शून्य
138.		4802-02-800-(01)-[02] नमक खान धारक	5.03	शून्य
139.		4851-104-(02)-[01] ई-बाजार का विकास	3.30	शून्य
140.		4885-60-800-(02) जिला औद्योगिक केंद्रों के लिए भवन निर्माण	1.50	शून्य
141.	57- पेट्रोलियम विभाग	4802-02-190-(04)-[01] हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	400.00	शून्य
142.	58- खान विभाग	2853-02-800-(01)-[09] खान एवं भूविज्ञान विभाग	43.37	शून्य
143.		4853-01-004-(06)-[90] खनिज भवन का निर्माण कार्य	7.87	शून्य
144.	60- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	2220-60-102-(02)-[01] सोशल मीडिया गतिविधि	8.25	शून्य
145.		3454-02-190-(01)-[01] राजस्थान उन्नत शिक्षा संस्थान	13.60	शून्य
146.		3454-02-203-(01)-[25] राज संपर्क	28.22	शून्य
147.		3454-02-203-(06)-[01] जन आधार ई-वॉलेट	1.36	शून्य
148.		3454-02-203-(15)-[01] राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी विकास और ई-गवर्नेंस केंद्र	2.04	शून्य
149.		5475-800-(08)-[28] राज संपर्क	2.38	शून्य
150.		5475-800-(23)-[01] ब्लॉक चेन सेण्टर ऑफ़ एक्सीलेंस	8.60	शून्य
151.		5475-800-(24)-[01] जन आधार ई-वॉलेट	4.08	शून्य
		योग	**5,070.18**	

स्रोतः वित्तीय वर्ष 2024-25 के विनियोग खाते

परिशिष्ट 2.12

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.7; पृष्ठ 100)

पिछले वर्षों के बजट भाषणों में की गई घोषणाओं का कार्यान्वयन न होना

विभाग का नाम	बजट भाषण का वर्ष	बजट भाषण का पैरा क्रमांक	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा सूचित किए गए कार्यान्वयन न होने के कारण
जल संसाधन विभाग	2019-20	58	211 बड़े बांधों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और सुरक्षा प्रबंधों के लिए डैम पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) के लिए प्रस्ताव तैयार करना और उन्हें केंद्रीय सरकार को भेजना तथा ₹ 965 करोड़ खर्च करना।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि ड्रिप-II परियोजना के तहत, 211 बड़े डैम की सूची केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को भेजी गई थी, जिनमें से 189 बड़े डैम को केंद्रीय जल आयोग द्वारा राशि ₹ 965.65 करोड़ के लिए चिन्हित किया गया। 31 मार्च 2025 तक ₹ 0.17 करोड़ का व्यय हुआ।
जल संसाधन विभाग	2020-21	137	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत 18 बांधों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा सुरक्षा संबंधित कार्यों पर ₹ 503 करोड़ खर्च किए जाएंगे।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि 09 बाँधों के लिए ₹ 148.36 करोड़ का कार्य आदेश जारी किया गया था, जिनमें से 07 बाँधों का काम पूरा हो चुका है, और 02 बाँधों का काम प्रगति पर है। शेष 09 बाँधों का काम अभी शुरू होना बाकी है क्योंकि टेंडर प्रक्रिया और बोलियों का मूल्यांकन पूरा नहीं किया जा सका।
जल संसाधन विभाग	2022-23	141(I)	जैसलमेर क्षेत्र में, जहां पक्के गड्ढे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वहां लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई की सुविधा ₹ 600 करोड़ की लागत से विकसित की जाएगी।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि कार्य प्रगति पर है। अब तक केवल ₹ 90.49 करोड़ का व्यय हुआ है।
जल संसाधन विभाग	2023-24	173(IV)	उदयपुर जिले में डाया डैम में पानी का प्रवाह बढ़ाने के लिए टीडी नदी पर जावर एनिकट ₹ 200 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि मामले को उच्च अधिकारियों को उनकी सहमति के लिए भेज दिया गया है।
पशुपालन विभाग	2022-23	158	आगामी वर्ष 6 लाख पशु किसानों (पशुपालक) को में पशु बीमा प्रदान कर लाभान्वित किया जाना हैं, जिसके लिए वर्ष 2022-23 में ₹ 150 करोड़ व्यय किए जाएंगे।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) कि जीएसटी दर के अंतिम न होने, वित्तीय नियमों के अंतर्गत छूट और जानवरों की उच्च मृत्युदर के कारण किसी भी कंपनी ने बोलियों की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया । जिसके कारण इस योजना को वर्ष 2023-24 में लागू नहीं किया जा सका।
पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग	2021-22	217	पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर में ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष में इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए ₹ 10 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स में राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया जाएगा।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि पर्यटक परिसर के लिए भूमि आरक्षित की गई है और पीडीसीओआर द्वारा पीसीआर भी तैयार किया जा चुका है। जैसलमेर जिले को विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में शामिल करने के लिए पर्यटन मंत्रालय को पत्र लिखा गया था। इस संबंध में कोई और प्रगति उपलब्ध नहीं कराइ गई।
उद्योग विभाग	2021-22	99	जोधपुर फार्मा और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक हब के रूप में उभर रहा है। जोधपुर में ₹ 5 करोड़ की लागत से एक बायोटेक-फार्मा व्यवसाय इनक्यूबेशन और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा ।	विभागीय ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि यह घोषणा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। इस संबंध में, रीको ने 23 फरवरी 2022 को कार्यान्वयन हेतु उद्योग विभाग को एक पत्र जारी किया है।
उद्योग विभाग	2022-23	51	रीको के माध्यम से, भिवाड़ी शहर, ग्रेटर भिवाड़ी, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, जोधपुर-पाली, सीतापुरा-जयपुर, बोरानाडा-जोधपुर और पाली सहित 20 औद्योगिक क्षेत्रों में ₹150 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही, भिवाड़ी शहर और औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी की समस्या को हल करने के लिए ₹100 करोड़ रुपये की लागत से एक मेगा परियोजना शुरू की जाएगी।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि परियोजना के लिए बजट आवंटित नहीं किया गया है।
राजस्व विभाग	2023-24	177	11,307 पंचायत मुख्यालयों पर पटवार मुख्यालय स्थापित की स्थापना की दृष्टि	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि पटवार मंडल के प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी जारी करने का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर लंबित है और पटवार

विभाग का नाम	बजट भाषण का वर्ष	बजट भाषण का पैरा क्रमांक	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा सूचित किए गए कार्यान्वयन न होने के कारण
			से 1035 नए पटवार मंडलों का निर्माण किया जायेगा। इसके साथ ही, 4395 पटवार मंडल (जिनके पास अभी पटवार भवन नहीं है) के लिए दो साल में भवन बनाये जायेगे, इसलिए इसे ₹ 880 करोड़ की लागत से बदला जा सकता है।	मुख्यालय की स्थापना का प्रस्ताव सचिवालय के स्तर पर लंबित है।
आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग	2022-23	22	तारानगर-चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय और भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय खोला जाएगा। टोंक में यूनानी महाविद्यालय के भवन का विस्तार लगभग ₹ 20 करोड़ की लागत से किया जाएगा।	**<u>आयुर्वेद कॉलेज तारानगर-चूरू</u>** विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि ₹ 4.00 करोड़ RSRDC को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, लेकिन टेंडर प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। **<u>आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, भरतपुर</u>** विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति लंबित है और ₹ 4 करोड़ कार्यकारी एजेंसी को हस्तांतरित किए गए है। **<u>यूनानी कॉलेज, टोंक</u>** विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि 21 दिसंबर 2023 को यूनानी कॉलेज टोंक के भवन विस्तार कार्य के लिए ₹400 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, लेकिन वर्ष 2024-25 में राशि का आवंटन नहीं किया गया। इसलिए कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

चयनित अनुदान 41 और 46 में बजट भाषण के कार्यान्वयन की स्थिति

बजट भाषण का वर्ष	बजट भाषण का पैरा क्रमांक	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा सूचित किए गए कार्यान्वयन न होने के कारण
2021-22	168 (6)	राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बांसवाड़ा जिले में पंचायत समिति घाटोल तथा बांसवाड़ा के 249 गांवों में ₹ 500 करोड़ की लागत से माही बांध से पीने के पानी की परियोजना कार्य शुरू करने की घोषणा की ।	विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025 में) कि कार्य आदेश 30 मई 2025 को जारी किया गया तथा वर्तमान में सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
2021-22	168 (7)	राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बीकानेर जिले में ₹ 708.93 करोड़ रुपये की लागत से श्रीडूंगरगढ़-लूणकरणसर जल आपूर्ति परियोजना का कार्य शुरू करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025 में) कि कार्य आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है और वित्त विभाग के अंतर्गत विचाराधीन है।
2021-22	169 (3)	राज्य सरकार ने आगामी वर्ष में 'जल जीवन मिशन' के तहत हर घर में कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पहले चरण में राजीव गांधी लिफ्ट नहर से—जोधपुर जिले के फलोदी में 'कांरिंग सिड-मंडोर प्रोजेक्ट'(बीएपी),जोधपुर जिले के 'पिलवा-सादड़ी जंभेश्वर नगर क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना' (लोहावट और देचू), तथा जोधपुर जिले के क्षेत्र में 'मानकलाव-दाइजर-बनाड़' परियोजना (मंडोर-कैरु-ओसियां) का कार्य शुरू करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (अगस्त-दिसंबर 2025) की काम की धीमी प्रगति के कारण कार्य आदेश रद्द कर दिया गया है और नई निविदा मार्च 2025 में जारी की गई है । इस काम पर अब तक ₹15.81 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।
2021-22	178	राज्य सरकार ने घोषणा की कि दौसा स्थित इसरदा बांध परियोजना, सवाई माधोपुर जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के दूसरे चरण के तहत, ₹ 12 करोड़ की लागत से एक डीपीआर तैयार कर जयपुर जिले की चाकसू, बस्सी, कोटपुतली, चोमू, जमवारामगढ़, विराटनगर और शाहपुरा तहसीलों के सात कस्बों और 1394 गांवों में, तथा अलवर जिले के उमरेन, रैणी, बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, कठूमर और लक्ष्मणगढ़ ब्लॉकों के 4 कस्बों और 1061 गांवों में सतही पेयजल उपलब्ध करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025 में) कि डीपीआर तैयार की जा चुकी है और इस कार्य के लिए अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।
2022-23	87 (1) कोटा	राज्य सरकार ने आने वाले वर्षों में हाड़ौती संभाग में बारां जिले के बारां-अटरू, छबड़ा, किशनगंज, अंता, कोटा जिले के	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि पैकेज 1 और 2 के लिए कार्य आदेश जारी

बजट भाषण का वर्ष	बजट भाषण का पैरा क्रमांक	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा सूचित किए गए कार्यान्वयन न होने के कारण
		सांगोद, पीपल्दा और झालावाड़ जिले के खानपुर, मनोहरथाना के लिए ₹ 3,523 करोड़ की परवन पेयजल परियोजना से संबंधित कार्य शुरू किये जाने की घोषणा की.	किये जा चुके है तथा पैकेज 3, 4 और 5 के लिए कार्य आदेश जारी करने की अनुमति पर वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।
2022-23	87 (02) कोटा	राज्य सरकार ने आने वाले वर्ष में कोटा-बूंदी और बारां की पेयजल परियोजना का कार्य नवनेरा बैराज से शुरू किये जाने की घोषणा की, जिसकी लागत ₹1,661 करोड़ होगी।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि चारों पैकेजों के लिए आदेश जारी करने की अनुमति वर्तमान में वित्त विभाग के विचाराधीन है।
2022-23	87 (21) जोधपुर	राज्य सरकार ने आने वाले वर्ष में, पाली जिले के 'जनवाई क्लस्टर' की पहली पेयजल परियोजना से संबंधित कार्य ₹ 128 करोड़ की लागत से शुरू किए जाने की घोषणा की ।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि 39 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की गई है और ₹ 28.14 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
2022--23	88 (13)	राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत धौलपुर जिले में राजाखेड़ा और धौलपुर पेयजल परियोजना से संबंधित कार्य ₹ 343.39 करोड़ की लागत से शुरू किए जाने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि कार्य आदेश का अनुमोदन और तकनीकी अनुमति लंबित है (जुलाई 2025)।
2022-23	88 (26) अजमेर	राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अजमेर जिले की अराई-किशनगढ़ प्रमुख जल आपूर्ति परियोजना का कार्य ₹419.72 करोड़ की लागत से शुरू करने के प्रस्ताव की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि कार्य आदेश 10 जुलाई 2025 को जारी किया जा चुका है।
2022-23	88 (27) अजमेर	राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत, अजमेर जिले में `नसीराबाद की प्रमुख पेयजल परियोजना का कार्य ₹163 करोड़ की लागत से शुरू करने के प्रस्ताव की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।
2022-23	88 (28) उदयपुर	राज्य सरकार ने 'जल जीवन मिशन' के तहत डूंगरपुर ज़िले के चिखली, सीमलवाड़ा और झोंतरी के लिए माही नदी (सतही स्रोत) आधारित पेयजल परियोजना का कार्य ₹ 885.56 करोड़ की लागत से शुरू करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि पहला पैकेज 30 मई 2025 को और दूसरा पैकेज 2 जून 2025 को आवंटित किया गया था, और कार्य प्रगति पर है।
2022-23	88 (29) उदयपुर	राज्य सरकार ने 'जल जीवन मिशन' के तहत बांसवाड़ा ज़िले के आनंदपुरी और गंगाड़तलाई के लिए माही नदी-आधारित पेयजल परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना पर ₹ 710.42 करोड़ की लागत से काम शुरू करने के प्रस्ताव की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि पहला पैकेज मई 2025 में आवंटित किया गया था और उस पर काम चल रहा है, जबकि दूसरे पैकेज के लिए अभी तक कार्य आदेश जारी नहीं किया गया है।
2022-23	88 (30) उदयपुर	राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत, बांसवाड़ा ज़िले में माही बांध पेयजल परियोजना का काम ₹ 620.76 करोड़ की लागत से शुरू करने प्रस्ताव की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि कार्य आदेश मई 2025 में जारी कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।
2022-23	88 (31) उदयपुर	राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर एनिकट से सबला और सागवाड़ा में ₹ 427.69 करोड़ की लागत से काम शुरू करने के प्रस्ताव की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि तकनीकी बोली के मूल्यांकन का कार्य प्रक्रियाधीन है।
2022-23	133 मिशन 4(II)	पहली 100 बाजरा प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए ₹ 40.00 करोड़ का अनुदान दिए जाने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि कृषि विपणन बोर्ड को बाजरा प्रसंस्करण इकाई के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इससे यह संकेत मिलता है कि बजट की घोषणा बिना उचित मूल्यांकन के की गई थी।

परिशिष्ट 2.13

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.8; पृष्ठ 103)

उप-शीर्ष जहां संपूर्ण व्यय मार्च 2025 में किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	मार्च 2025 के दौरान व्यय
1	13- कोष एवं लेखा प्रशासन	2054-800-07 एकल समग्र खरीद पोर्टल	14.25
2	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	2202-02-109-20 गार्गी पुरस्कार / बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार	34.01
3		2202-02-109-37 यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए सहायता	70.00
4	22- उच्च शिक्षा विभाग	2202-03-102-16 डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को अनुदान	31.41
5	30- जनजातीय क्षेत्र विकास	2202-02-796-34 यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए सहायता	14.00
6		2217-80-191-49 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएँ	25.13
7		2217-80-192-53 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएँ	23.20
8		2801-80-796-07 कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सहायता	20.34
9	40- स्थानीय स्वायत शासन विभाग	2217-80-191-49 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएँ	128.07
10		2217-80-192-53 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएँ	118.21
11	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	4700-24-001-07 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन	11.14
12	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	4406-01-070-02 प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभाग के माध्यम से	12.32
13	47- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	2403-108-04 मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना	20.00
14	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-02-789-24 यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए सहायता	17.53
15		2210-04-789-01 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	30.39
16		2217-80-191-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	137.13
17		2217-80-191-49 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएँ	33.24
18		2217-80-192-53 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएँ	30.69
19		2801-80-789-07 कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सहायता	26.15
20	54- ऊर्जा विभाग	2801-80-190-46 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को सहायता	16.75
21		2801-80-190-47- विद्युत निगमों को ब्याज अनुदान के लिए सहायता	18.98
22		2801-80-190-50 कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सहायता	98.78
23	56- उद्योग विभाग	4885-01-190-01 राजस्थान वित्तीय निगम	10.00
		योग	**941.72**

परिशिष्ट 2.14

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.8; पृष्ठ 103)

वर्ष 2024-25 के दौरान सभी प्रमुख अनुदानों के लिए तिमाही वार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	2024-25 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	मार्च में	2024-25 के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही का व्यय	मार्च माह का व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में
1.	01	राज्यपाल	33.39	4.84	4.60	4.71	7.90	3.98	22.05	35.82	18.05
2.	02	राज्य विधान मंडल	137.38	17.90	23.01	22.73	42.25	21.94	105.89	39.90	20.72
3.	03	ब्याज अदायगियां	39118.14	7447.00	8345.95	7668.77	14882.93	10360.23	38344.64	38.81	27.02
4.	04	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	165588.65	42089.54	43490.66	31906.78	35385.23	11548.25	152872.21	23.15	7.55
5.	05	लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	287.43	14.58	19.32	77.62	100.31	31.56	211.83	47.36	14.90
6.	06	विधि एवं विधिक मामलात विभाग	2845.79	692.88	574.50	529.34	590.40	242.26	2387.13	24.73	10.15
7.	07	मंत्रिपरिषद	37.16	4.68	5.60	7.68	10.24	6.55	28.20	36.31	23.24
8.	08	सचिवालय	535.45	94.59	102.56	103.62	144.87	47.40	445.64	32.51	10.64
9.	09	निर्वाचन विभाग	555.66	248.19	103.64	69.94	-87.05	-118.52	334.73	-26.01	-35.41
10.	10	वाणिज्यिक कर विभाग	1249.23	90.54	178.68	489.54	197.42	81.84	956.18	20.65	8.56
11.	11	पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग	271.84	48.33	81.03	58.62	69.08	24.26	257.06	26.87	9.44
12.	12	आबकारी विभाग	211.33	46.89	48.44	50.42	53.62	21.21	199.37	26.90	10.64
13.	13	कोष एवं लेखा विभाग	1916.09	181.05	613.20	103.40	437.39	93.74	1335.04	32.76	7.02
14.	14	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि	2594.83	452.72	482.76	1089.84	44.05	-182.15	2069.37	2.13	-8.80
15.	15	पेंशन	30239.62	6862.80	7218.19	8357.74	6879.05	1915.22	29317.78	23.46	6.53
16.	16	राजस्व विभाग	2107.62	432.16	431.65	496.36	485.62	194.82	1845.78	26.31	10.55
17.	17	सामान्य प्रशासन विभाग	624.13	77.51	176.43	115.16	142.32	59.50	511.42	27.83	11.63
18.	18	गृह विभाग	10635.20	2330.12	2362.66	2391.84	2414.14	835.47	9498.77	25.42	8.80
19.	19	कारागार विभाग	346.90	59.79	66.19	73.32	89.75	42.54	289.04	31.05	14.72
20.	20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	21226.13	3851.03	3730.79	4244.45	4098.69	2307.13	15924.96	25.74	14.49
21.	21	माध्यमिक शिक्षा विभाग	27041.03	6014.35	6249.88	6747.88	6698.71	2512.95	25710.82	26.05	9.77
22.	22	उच्च शिक्षा विभाग	2747.33	454.09	624.83	548.04	605.81	253.84	2232.78	27.13	11.37
23.	23	संस्कृत शिक्षा विभाग	665.93	151.45	151.58	176.02	162.65	56.13	641.70	25.35	8.75
24.	24	तकनीकी शिक्षा विभाग	471.28	94.27	97.95	99.89	108.97	32.98	401.08	27.17	8.22
25.	25	कला एवं संस्कृति विभाग	152.89	16.87	21.39	22.36	28.95	10.87	89.57	32.32	12.13
26.	26	युवा मामले एवं खेल विभाग	267.04	25.51	50.11	67.93	-185.93	-201.51	-42.39	438.60	475.35
27.	27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	11876.98	2463.62	2540.99	3034.15	2889.51	969.18	10928.28	26.44	8.87
28.	28	चिकित्सा शिक्षा विभाग	5455.11	962.87	1187.38	1121.83	1264.19	540.71	4536.27	27.87	11.92
29.	29	आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	1500.21	268.05	286.85	324.24	440.06	171.11	1319.20	33.36	12.97
30.	30	जनजातीय क्षेत्र विकास	32366.37	4878.91	6029.62	6072.83	8435.32	3157.21	25416.68	33.19	12.42
31.	31	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	12054.55	2467.08	1835.93	3085.83	3255.76	1051.09	10644.59	30.59	9.87
32.	32	महिला एवं बाल विकास विभाग	3212.14	411.18	584.38	807.42	799.70	218.13	2602.67	30.73	8.38
33.	33	सैनिक कल्याण विभाग	95.37	7.69	15.01	18.92	24.55	15.16	66.18	37.10	22.91
34.	34	श्रम एवं रोजगार विभाग	2159.34	142.70	343.68	1010.32	427.85	169.89	1924.55	22.23	8.83
35.	35	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	492.06	54.76	134.55	23.20	132.28	59.03	344.80	38.36	17.12
36.	36	आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	6428.01	267.01	1257.72	336.95	979.57	-267.96	2841.25	34.48	-9.43
37.	37	देवस्थान विभाग	122.46	4.45	14.38	25.96	44.35	12.90	89.15	49.75	14.47
38.	38	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	161.26	28.36	43.06	28.89	33.02	11.79	133.34	24.77	8.84
39.	39	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	140.89	3.70	3.69	4.15	68.38	8.37	79.92	85.56	10.47
40.	40	स्थानीय स्वायत शासन विभाग	12376.22	1334.88	1585.56	1131.88	2994.01	-35.20	7046.34	42.49	-0.50

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	2024-25 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	मार्च में	2024-25 के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही का व्यय	मार्च माह का व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में
41.	41	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	10060.24	1644.16	3041.91	2193.60	2226.28	748.72	9105.95	24.45	8.22
42.	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	6587.04	401.57	643.01	682.27	3221.57	2541.75	4948.42	65.10	51.36
43.	43	संचित क्षेत्र विकास विभाग	552.27	117.08	82.52	87.73	115.27	38.25	402.60	28.63	9.50
44.	44	सार्वजनिक निर्माण विभाग	11939.71	2277.78	2926.05	1503.51	2262.00	897.83	8969.34	25.22	10.01
45.	45	वन एवं पर्यावरण विभाग	1859.87	164.26	234.09	353.16	443.22	229.77	1194.73	37.10	19.23
46.	46	कृषि विभाग	3749.71	459.34	407.48	871.41	935.72	398.78	2673.95	34.99	14.91
47.	47	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	1571.54	298.39	319.49	362.46	378.10	167.89	1358.43	27.83	12.36
48.	48	उद्यानिकी विभाग	1020.03	95.92	142.80	163.83	385.99	302.00	788.54	48.95	38.30
49.	49	गोपालन विभाग	2076.87	6.07	435.35	205.81	306.26	19.63	953.50	32.12	2.06
50.	50	सहकारिता विभाग	2064.02	484.18	348.64	625.63	454.14	307.87	1912.60	23.74	16.10
51.	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	37788.79	6709.46	8106.18	7423.11	8383.93	2895.24	30622.68	27.38	9.45
52.	52	पंचायती राज संस्थान	9373.44	885.28	2081.12	1643.13	2654.90	977.86	7264.43	36.55	13.46
53.	53	ग्रामीण विकास विभाग	5933.43	805.12	1801.47	376.13	1016.33	365.79	3999.05	25.41	9.15
54.	54	ऊर्जा विभाग	22273.79	4741.94	3861.52	3895.64	8548.68	4220.97	21047.78	40.62	20.05
55.	55	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	962.38	186.91	118.94	103.21	338.42	201.91	747.47	45.28	27.01
56.	56	उद्योग विभाग	976.83	44.02	199.78	243.20	416.00	324.84	903.00	46.07	35.97
57.	57	पेट्रोलियम विभाग	402.71	0.51	0.47	0.52	0.57	0.22	2.07	27.70	10.39
58.	58	खान विभाग	247.17	36.73	38.74	41.96	47.40	21.26	164.84	28.76	12.90
59.	59	पर्यटन विभाग	367.43	8.53	8.33	63.93	58.54	13.20	139.33	42.02	9.47
60.	60	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1225.87	54.26	80.68	317.78	335.89	133.51	788.62	42.59	16.93
61.	61	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	37.55	3.69	3.99	6.57	6.36	3.30	20.62	30.86	16.03
62.	62	परिवहन विभाग	1624.95	185.86	202.26	361.90	147.68	35.75	897.71	16.45	3.98
63.	63	योजना एवं सांख्यिकी विभाग	145.88	26.07	28.44	29.06	32.20	12.68	115.78	27.81	10.95
64.	64	अन्य सामान्य सेवाएँ	115.86	16.34	21.24	20.73	22.66	10.49	80.97	27.98	12.95
		योग	**523305.80**	**104752.43**	**116252.90**	**104126.85**	**127934.07**	**51153.41**	**453066.25**	**28.24**	**11.29**
		कुल व्यय का %		**23.12**	**25.66**	**22.98**	**28.24**	**11.24**			

परिशिष्ट 2.15

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.6; पृष्ठ 105)

31 मार्च 2025 तक सीएसएस योजनाओं के एसएनए बैंक खाते में शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना कोड एवं नाम	एसएनए के बैंक खाते में शेष राशि
1	कृषि	4138 - कृषोन्नति योजना	49.61
2	कृषि	4139 - राष्ट्रीय मिशन प्राकृतिक कृषि (सीएसएस)	0.22
3	कृषि	9145 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	65.57
4	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण	4048 - राज्य एजेंसियों को खाद्यान्नों की अंतर्राजीय आवाजाही के लिए सहायता और एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर एनएफएसए के तहत प्रावधान	0.15
5	पर्यावरण एवं वन	0257 - वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना	0.16
6	पर्यावरण एवं वन	4151 - बाघ और हाथी परियोजना	0.58
7	पर्यावरण एवं वन	9153 - ग्रीन इंडिया मिशन-राष्ट्रीय वृक्षारोपण कार्यक्रम	0.36
8	पर्यावरण एवं वन	9186 - एकीकृत विकास एनओएफ वन्यजीव आवास	0.12
9	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	3887 - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का निर्माण पीएम-एफएमई	0.02
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2035 - टर्सरी केयर कार्यक्रम	38.84
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3991 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-भीम)	13.68
12	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4063 - प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सी पूल	19.18
13	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9157 - स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	602.26
14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9158 - राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम्)	65.88
15	उच्च शिक्षा	9170 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा)	25.25
16	गृह मामले	3194 - पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	1.35
17	गृह मामले	9161 - सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	20.90
18	कानून एवं न्याय	9174 - न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं	4.40
19	सहकारिता मंत्रालय	4008 - प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण	10.16
20	सहकारिता मंत्रालय	4220 - सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना	1.38
21	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	9150 - जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	356.06
22	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	9151 - स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण, (डीडब्लूएस)	142.21
23	मत्स्य पालन, पशुपालन और दुधारू पालन मंत्रालय	3890 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना(पीएमएमएसवाई)	0.02
24	मत्स्य पालन, पशुपालन और दुधारू पालन मंत्रालय	4123 - पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम सीएसएस	1.09
25	मत्स्य पालन, पशुपालन और दुधारू पालन मंत्रालय	9008 - राष्ट्रीय पशुधन मिशन	2.08
26	मत्स्य पालन, पशुपालन और दुधारू पालन मंत्रालय	9978 - पशुधन जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	0.00
27	आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय	1989 - राज्य/केंद्र शासित प्रदेश घटक की अन्य मदें- पीएमएवाई शहरी	4.35
28	आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय	2000 - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन - राज्य घटक	1.65
29	आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय	4228 - प्रधानमंत्री ई-बस सेवा	0.76
30	आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय	4259 - सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 (सिटी 2.0)	20.00
31	आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय	9478 - 100 स्मार्ट शहरों के विकास का मिशन	116.55
32	आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय	9556 - शहरी पुनर्जीवन मिशन-500 शहर	238.87
33	आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय	9757 - स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी	203.38
34	अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय	3674 - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	8.93
35	अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय	9169 - मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	0.95
36	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	3640 - संस्थागत प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना	12.16
37	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	3821 - आजीविका संवर्धन के लिए कौशल विकास और ज्ञान जागरूकता	4.23
38	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	3822 - औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण	0.01
39	पंचायती राज	3617 - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	20.61
40	ग्रामीण विकास	3163 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओपीएस)	4.74

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना कोड एवं नाम	एसएनए के बैंक खाते में शेष राशि
41	ग्रामीण विकास	3167 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्लूपीएस)	0.40
42	ग्रामीण विकास	3169 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	2.26
43	ग्रामीण विकास	9179 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	165.01
44	ग्रामीण विकास	9180 - प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण	267.54
45	ग्रामीण विकास	9181 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	56.99
46	ग्रामीण विकास	9183 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक	51.12
47	ग्रामीण विकास	9219 - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम	16.22
48	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	3667 - समग्र शिक्षा	147.60
49	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	3927 - राज्यों के लिए शिक्षण, अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ बनाना (एसटीएआरएस)	37.75
50	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	4122 - नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)	2.95
51	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	4145 - प्रधानमंत्री द्वारा भारत के उत्थान के लिए विद्यालय (पीएम श्री)	72.85
52	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	9165 - प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (स्कूलों में मिड-डे मिल का पूर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम)	14.48
53	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	2063 - पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति-एससी	0.03
54	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	3817 - मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एसजेइ)	10.00
55	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	3967 - प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	31.51
56	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	3968 - अटल वयो अभ्युदय योजना (अन्या)	0.26
57	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	9488 - नागरिक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (दामा) के प्रवर्तन हेतु तंत्र को सुदृढ़ करना	2.63
58	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	9492 - अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	12.87
59	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	9493 - ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति - पीएम यशस्वी	18.90
60	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	9494 - ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति - पीएम यशस्वी	50.64
61	जनजातीय मामलात	2068 - विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों का विकास	9.46
62	जनजातीय मामलात	3373 - पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-जनजाति	44.04
63	जनजातीय मामलात	3380 – प्रधानमंत्री अदि आदर्श ग्राम योजना	116.35
64	जनजातीय मामलात	3548 - जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	0.98
65	जनजातीय मामलात	4222 - प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)	3.66
66	जनजातीय मामलात	9272 - प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति-आदिवासी	4.19
67	जल संसाधन	2027 - सिंचाई जनगणना	0.07
68	जल संसाधन	2052 - हर खेत को पानी	0.13
69	जल संसाधन	3703 - राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-अन्य बेसिन	6.67
70	जल संसाधन	3993 - पीएमकेएसवाई-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं	5.26
71	जल संसाधन	3994 - पीएमकेएसवाई-कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	2.06
72	महिला एवं बाल विकास	2661 - निर्भया निधि से वित्त पोषित अन्य योजनाएँ	2.52
73	महिला एवं बाल विकास	3975 - सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (एकीकृत बाल विकास सेवाएँ - किशोरियों के लिए आंगनवाड़ी सेवाएँ पोषण अभियान योजना, राष्ट्रीय क्रेच योजना)	161.27
74	महिला एवं बाल विकास	3976 - मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएँ एवं बाल कल्याण सेवाएँ)	26.30
75	महिला एवं बाल विकास	3979 - संबल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वन स्टॉप सेंटर महिला पुलिस स्वयंसेवी महिला हेल्पलाइन नारी अदालत आदि)	2.05
76	महिला एवं बाल विकास	3980 - समर्थ (शक्ति सदन (स्वधार उज्ज्वला विधवा गृह) शक्ति निवास पालना पीएमएमवीवाई का नेशनल हब फॉर वूमेन एम्पावरमेंट, जेंडर बजटिंग रिसर्च स्किलिंग ट्रेनिंग मीडिया आदि)	1.36
	योग		**3,407.10**

परिशिष्ट 2.16

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7; पृष्ठ 108)

चाइल्ड बजट के अंतर्गत उन योजनाओं का विवरण जिनमें व्यय कम हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट प्रावधान (मु+अ)	वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय	उपयोग का प्रतिशत
1	अल्पसंख्यक मामलात विभाग (58)	काली बाई भील मेधावी बालिका स्कूटी योजना (2822)	12.61	0.00	0.00
2	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर (59)	माध्यमिक शिक्षा स्तर के बालक-बालिकाओं के लिए अकादमिक उत्प्रेरक (1515)	1.00	0.13	13.00
3		छात्रावास भवनों में सौर प्रकाश व्यवस्था और पेयजल सुविधा सहित अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण (1644)	8.15	0.00	0.00
4		मां-बाड़ी केंद्रों का निर्माण,अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सुविधाओं का नवीनीकरण और विस्तार (2629)	6.00	0.00	0.00
5		अनुच्छेद 275 (1) के तहत आश्रम छात्रावासों का नवीनीकरण और निर्माण (1615)	20.00	5.00	25.00
6	बाल अधिकारिता विभाग (259)	बाल गृह/क्रेच का संचालन (2543)	1.45	0.00	0.00
7	विशेष योग्यजन विभाग (244)	विशेष योग्यजनों के लिए खेल कार्यक्रम (338)	0.05	0.01	20.00
8		शारीरिक और विमंदित क्षेत्रों में कार्यकारी स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता-अनुसूचित जनजातियाँ (2589)	0.05	0.00	0.00
9	परिवार कल्याण विभाग (30)	राज लक्ष्मी इकाई योजना (189)	2.00	0.58	29.00
10		शुभ लक्ष्मी योजना (2153)	34.00	11.34	33.35
11	प्रारंभिक शिक्षा विभाग (29)	सरकारी विद्यालयों की कक्षा प्रथम से आठवीं तक के छात्रों को पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण (2479)	160.00	26.78	16.74
12		समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्टार परियोजना पर पूंजीगत व्यय (2859)	713.38	177.91	24.94
13		सहरिया क्षेत्र में आदिवासी छात्रों की शैक्षिक उन्नति के लिए आर्थिक सहायता (3029)	2.55	0.00	0.00
14		सहारिया क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आर्थिक सहायता (3159)	0.04	0.00	0.00
15		स्कूल वापसी अभियान (2935)	121.03	20.71	17.11
16	महिला अधिकारिता विभाग (56)	बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ (2352)	9.00	0.07	0.78
17		मुख्यमंत्री राजश्री योजना (2460)	320.00	108.36	33.84
18	माध्यमिक शिक्षा विभाग (13)	अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (52)	35.40	6.63	18.73
19		अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (53)	56.54	0.00	0.00
20		अन्य संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति (2500)	0.60	0.18	30.00
21		सफाई कार्य में लगे परिवारों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (1162)	1.75	0.49	28.00
22		सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों को पुरस्कार (2553)	20.83	1.17	5.62
23		शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निजी विद्यालयों की माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति (3256)	55.31	0.00	0.00
24		माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण (2492)	65.00	22.07	33.95
25		राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (1166)	0.80	0.00	0.00
26		व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (3063)	5.00	0.00	0.00
27		सहरिया क्षेत्र के छात्रों को वित्तीय सहायता (3025)	1.40	0.00	0.00
28		सैनिक स्कूल, झुंझुनू को सहायता (2655)	9.80	3.40	34.69

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट प्रावधान (मु+अ)	वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय	उपयोग का प्रतिशत
29	मिड-डे मिल विभाग (284)	मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना (3132)	1025.00	225.86	22.04
30	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (42)	आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अंतर्गत क्रेच निर्माण सहित आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन एवं रखरखाव (1762)	14.83	0.00	0.00
31		आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण (1761)	10.00	0.00	0.00
32		इंदिरा महिला शक्ति योजना (2772)	20.00	1.03	5.15
33		भवन निर्माण (1140)	4.00	0.68	17.00
34	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (43)	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (2700)	5.50	0.00	0.00
35		काली बाई भील मेधावी बालिका स्कूटी योजना (2822)	50.00	0.00	0.00
36		छात्रावास में रहने वालों के लिए साइकिल वितरण योजना (2541)	2.74	0.05	1.82
37		अनुसूचित जातियों के लिए बुक बैंक (279)	0.12	0.00	0.00
		कुल	**2795.93**	**612.45**	

परिशिष्ट 2.17

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.8; पृष्ठ 110)

जेंडर बजट की योजनाओं जिनमें कोई व्यय नहीं हुआ

श्रेणी-अ योजनाएँ

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2024-25	कुल बजट प्रावधान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
1	कॉलेज शिक्षा विभाग	संकाय विकास अकादमी की स्थापना (3250)	0.01	0.01	0.00
2	परिवार कल्याण विभाग	मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस योजना (3017)	0.06	0.06	0.00
3	सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग	बालिकाओं के लिए छात्रावास भवन (304)	0.01	0.01	0.00
		नारी निकेतन भवन (1228)	0.01	0.01	0.00
		काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	5000.00	5000.00	0.00
		अनुसूचित जाति की महाविद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए छात्रावास भवन का निर्माण (3039)	0.01	0.01	0.00
		अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास भवन का निर्माण (3040)	0.01	0.01	0.00
		अनुसूचित जनजाति की महाविद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए छात्रावास भवन का निर्माण (3042)	4.00	4.00	0.00
		परित्यक्त महिला पेंशन योजना (3296)	5000.00	5000.00	0.00
4	महिला आधिकारिता विभाग	धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र (1765)	0.05	0.05	0.00
		चिराली योजना 2494	0.06	0.06	0.00
5	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	1260.55	1260.55	0.00
6	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	जनजातीय कल्याण कोष के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के महाविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए शैक्षिक उत्प्रेरक (1653)	20.00	20.00	0.00
7	पुलिस विभाग	लाडली सुरक्षा योजना (3303)	2000.00	2000.00	0.00
8	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम (650)	80.00	80.00	0.00
9	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अनुभाग, ग्रामीण विकास विभाग	राजस्थान महिला निधि ऋण सहकारी लिमिटेड (3134)	2000.09	2000.09	0.00
		कुल	**15364.86**	**15364.86**	**0.00**

श्रेणी-ब योजनाएं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2024-25	कुल बजट प्रावधान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
1	साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग	1.साक्षर भारत अभियान (1047)	0.06	0.04	0.00
		2.महात्मा गांधी पुस्तकालय और वाचनालय (2181)	0.03	0.02	0.00
2	सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल समूह, बीकानेर (04)	1.बीकानेर मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य (840)	2100.00	819.00	0.00
		2.मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना (3166)	1505.01	722.40	0.00
3	रवींद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल समूह, उदयपुर (06)	1. पीएमएसवाई के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के तृतीय चरण का उन्नयन (2699)	0.06	0.03	0.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2024-25	कुल बजट प्रावधान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
4	कॉलेज शिक्षा विभाग, (07) जयपुर	1. युवा विकास केंद्र (811)	0.02	0.01	0.00
		2. सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी के आधार पर महाविद्यालय की स्थापना (1843)	0.03	0.02	0.00
		3.कॉलेज शिक्षा विभाग की नवोन्मेषी योजनाएँ (2004)	200.02	122.01	0.00
		4. शैक्षणिक संस्थानों को सहायता (2955)	0.06	0.04	0.00
		5. शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना (2956)	0.02	0.01	0.00
		6. शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र (3090)	1000.06	610.04	0.00
		7. अन्य संस्थानों को अनुसंधान हेतु सहायता (3091)	1000.01	500.00	0.00
5	माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (13)	1. ओबीसी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (53)	5653.74	2544.18	0.00
		2.कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिकों के बालक बालिकाओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (54)	0.06	0.02	0.00
		3. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (1166)	80.00	24.00	0.00
		4. छात्र बीमा (1459)	0.03	0.01	0.00
		5. सांस्कृतिक शैक्षिक यात्रा (1460)	0.02	0.01	0.00
		6. मंत्रालय से संबंधित राज्य स्तरीय पुरस्कार (1462)	3.00	0.90	0.00
		7. राज्य में सेना में भर्ती की तैयारी करने के इच्छुक छात्रों के लिए आवासीय सुविधा और प्रशिक्षण (2703)	0.03	0.01	0.00
		8. सहरिया क्षेत्र के छात्रों को आर्थिक सहायता (3025)	140.00	56.00	0.00
		9. माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति (3256)	5530.00	2488.50	0.00
		10. व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (3063)	500.00	250.00	0.00
6	तकनीकी शिक्षा विभाग,जोधपुर (15)	1.पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (1920)	11.53	3.46	0.00
7	कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर (18)	1. जल प्रबंधन (428)	0.03	0.01	0.00
		2. किसान सेवा केंद्र सह ग्राम ज्ञान केंद्र के लिए निर्माण (1671)	0.03	0.01	0.00
		3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वृक्ष जनित तिलहन (2711)	75.00	22.50	0.00
		4. जैविक उत्पाद बोर्ड (3072)	0.07	0.02	0.00
		5. कृषि यंत्रीकरण पर सब्सिडी (3075)	0.03	0.01	0.00
		6. भूमिहीन मजदूरों को सहायता (3077)	0.03	0.01	0.00
		7. जैविक खेती के लिए सहायता (3099)	0.03	0.01	0.00
8	उद्यानिकी विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर (23)	1.ड्रिप सिंचाई योजना के लिए अतिरिक्त अनुदान (994)	0.03	0.01	0.00
		2. राष्ट्रीय कृषि वानिकी और बांस मिशन (2207)	0.06	0.01	0.00
		3. खजूर परियोजना (2303)	0.03	0.01	0.00
		4. सूक्ष्म सिंचाई उत्कृष्टता केंद्र (3071)	0.03	0.01	0.00
		5. मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र (3074)	0.04	0.01	0.00
		6. भंडारण हेतु कम लागत वाली प्याज अनुदान (3172)	0.03	0.01	0.00
9	डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज और संबद्ध मेडिकल ग्रुप, जोधपुर (25)	1. केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों से संचालित योजनाएँ (2929)	0.06	0.03	0.00
10	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर (28)	1. पीपीपी मोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन 2357	0.03	0.01	0.00
		2. मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (3166)	135231.69	64911.21	0.00
11	प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर (29)	1. सहरिया क्षेत्र के आदिवासी वर्ग के छात्रों की शैक्षिक उन्नति के लिए आर्थिक सहायता (3029)	255.00	117.30	0.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2024-25	कुल बजट प्रावधान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
		2. सहारिया क्षेत्र के आदिवासी वर्ग के छात्रों को बीएसटीसी के लिए आर्थिक सहायता (3159)	4.00	1.84	0.00
12	मत्स्य विभाग, जयपुर (31)	1. नीली क्रांतिः एकीकृत विकास और मत्स्य प्रबंधन (2506)	0.02	0.01	0.00
13	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल समूह, अजमेर (33)	1. केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों से संचालित योजनाएँ (2929)	0.12	0.03	0.00
14	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (43)	1. संबल ग्रामों का विकास (282)	1000.00	300.00	0.00
		2. वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड (360)	10.25	4.61	0.00
15	देवस्थान विभाग, उदयपुर (48)	1. कैलाश मानसरोवर यात्रा (2112)	100.00	40.00	0.00
16	जनजातीय क्षेत्र विकास, उदयपुर (59)	1.जनजातीय कल्याण निधि के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी व्यक्तियों के रोजगार हेतु प्रशिक्षण (1058)	15.95	3.19	0.00
		2.जनजाति कल्याण निधि के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में टीआरआई के माध्यम से कोचिंग (1558)	75.00	24.75	0.00
		3.भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन (1591)	0.10	0.03	0.00
17	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर (68)	1. ई-संचार (1034)	0.06	0.02	0.00
		2. वाई-फाई हॉटस्पॉट (2106)	0.06	0.02	0.00
		3. राज संपर्क (2202)	4500.00	1350.00	0.00
		4. सोशल मीडिया गतिविधि (2751)	1300.00	390.00	0.00
		5. जन आधार ई वॉलेट (3122)	800.00	240.00	0.00
18	राज्य जल संसाधन योजना विभाग (89)	1. राज्य सहभागी सिंचाई कार्यक्रम (यूरोपीय आयोग) (604)	0.03	0.01	-*
19	स्व-शासन विभाग, जयपुर (91)	1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (2059)	4500.00	2160.00	-*
		2. स्वच्छ भारत मिशन (2335)	0.06	0.03	0.00
20	अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक (95)	1. मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक (112)	13.35	1.34	0.00
21	ऊर्जा विभाग (125)	1. ग्रिड से जुड़े पंप सेटों के सौर ऊर्जाकरण के लिए कुसुम योजना के अंतर्गत सहायता (2916)	0.09	0.04	0.00
22	श्रम विभाग, जयपुर (134)	1. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास (325)	9.01	4.50	0.00
		2. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सुविधा एवं सूचना केंद्र (2476)	5.57	2.78	0.00
23	रोजगार सेवा विभाग और एआरएमओएल, जयपुर (135)	1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2777)	0.03	0.01	0.00
		2. संकल्प योजना (2778)	0.03	0.01	0.00
24	जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, जयपुर (140)	1. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (2385)	49999.97	12499.99	0.00
		2. राजीव गांधी जल संचय योजना (2753)	0.03	0.01	0.00
25	तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जोधपुर (150)	1.सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आईटीआई में उन्नयन (2284)	50.00	12.50	0.00
		2. औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) (2727)	1200.00	300.00	0.00
26	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर (179)	1. खादी प्लाजा (2928)	0.03	0.01	0.00
27	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर (208)	1. इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर-द्वितीय चरण (1080)	17234.94	8617.47	0.00
28	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अनुभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर (217)	1. इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान (1316)	80.02	24.01	0.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2024-25	कुल बजट प्रावधान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
29	एस.ए.पी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर (218)	1. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (548)	0.08	0.02	0.00
		2. जिला नवाचार निधि (2827)	5000.00	1500.00	0.00
		3. मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना (3064)	0.03	0.01	0.00
		4. बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड (3141)	74.54	22.36	0.00
30-	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर (242)	1. स्वास्थ्य शिक्षा भवन (1190)	10.01	3.00	0.00
		2. उष्णकटिबंधीय चिकित्सा एवं विषाणु विज्ञान संस्थान (2938)	0.02	0.01	0.00
31	निदेशालय विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों, जयपुर (244)	4. जिला पुनर्वास (336)	19.05	6.29	0.00
		16. दिव्यांगों के लिए रैंप और लिफ्ट आदि का निर्माण (2047)	0.02	0.01	0.00
		25. दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय (3101)	300.00	99.00	0.00
32	बाल आधिकारिता विभाग निदेशालय, जयपुर (259)	1. क्रेच का संचालन (2543)	145.00	43.50	0.00
	कुल		**239733.48**	**100843.30**	**0.00**

* विभाग द्वारा योजना के व्यय से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

परिशिष्ट 2.18

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.8; पृष्ठ 111)

योजनायें जहाँ बजट अनुमान में प्रावधान किए गए, जिन्हें संशोधित अनुमानों में कम कर दिया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/ बजट अनुमान (बीई) 2024-25	कुल बजट प्रावधान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रावधान	संशोधित अनुमान 2024-25	व्यय जो वास्तविक किया गया व्यय	श्रेणी
1	कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर	2. राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण योजना (2364)	5636.66	5636.66	2679.37	40.63	अ
		6. कालीबाई भील मेंधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग (12वीं उत्तीर्ण) की छात्राओं के लिए (3177)	16488.88	16488.88	4322.62	2.43	अ
		13.महाविद्यालय शिक्षा विभाग की नवोन्मेषी योजनाएँ (2004)	200.02	122.01	0.01	0.00	ब
		18. अन्य संस्थानों को अनुसंधान हेतु सहायता (3091)	1000.01	500.00	0.01	0.00	ब
2	माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (13)	7. सहरिया क्षेत्र के छात्रों को वित्तीय सहायता (3025)	140.00	56.00	0.01	0.00	ब
3	तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर (15)	2. पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (1920)	11.53	3.46	0.01	0.00	ब
4	कृषि विभाग, जयपुर (18)	2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- वृक्षों जनित तिलहन (2711)	75.00	22.50	0.00	0.00	ब
5	बागवानी विभाग जयपुर (23)	2. फल बागानों की स्थापना (1412)	100.00	20.00	10.26	2.05	ब
6	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर (28)	3. मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (3166)	135231.69	64911.21	0.00	0.00	ब
7	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	8. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	5000.00	5000.00	2214.00	0.00	अ
		9. परित्यक्त पेंशन योजना (3296)	5000.00	5000.00	0.00	0.00	अ
		10. वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड (360)	10.25	4.61	0.08	0.00	ब
8	देवस्थान विभाग, उदयपुर(48)	3. कैलाश मानसरोवर यात्रा (2112)	100.00	40.00	0.00	0.00	ब
9	महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर (56)	4. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (2352)	900.04	900.04	460.06	7.32	अ
10	जनजातीय क्षेत्र विकास, उदयपुर (59)	3. जनजातीय कल्याण कोष के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के महाविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए शैक्षिक उत्प्रेरक (1653)	20.00	20.00	10.00	0.00	अ
11	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर	5. राज संपर्क (2202)	4500.00	1350.00	0.00	0.00	ब
		6. सोशल मीडिया गतिविधि (2751)	1300.00	390.00	0.00	0.00	ब
		8. जन आधार ई वॉलेट (3122)	800.00	240.00	0.00	0.00	ब
12	तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जोधपुर (150) (68)	1. सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आईटीआई में उन्नयन (2284)	50.00	12.50	0.00	0.00	ब
		2. औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (2727)	1200.00	300.00	0.00	0.00	ब
13	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, राजस्थान (178)	1. राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम (650)	80.00	80.00	0.00	0.00	अ
14	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर (208)	1. इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर-द्वितीय चरण (1080)	17234.94	8617.47	0.00	0.00	ब
15		5. जिला नवाचार कोष (2827)	5000.00	1500.00	0.00	0.00	ब

क्र. सं	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/ बजट अनुमान (बीई) 2024-25	कुल बजट प्रावधान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रावधान	संशोधित अनुमान 2024-25	व्यय जो वास्तविक किया गया व्यय	श्रेणी
	एस.ए.पी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर (218)	7. बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड (3141)	74.54	22.36	0.00	0.00	ब
16	निदेशालय विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों, जयपुर (244)	4. जिला पुनर्वास (336)	19.05	6.29	0.52	0.00	ब
17	बाल अधिकारिता निदेशालय, जयपुर (259)	1. क्रेच का संचालन (2543)	145.00	43.50	0.01	0.00	ब
कुल			**200317.61**	**111287.49**	**9696.96**	**52.43**	

परिशिष्ट 2.19

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.8; पृष्ठ 111)

ऐसे मामले जिनमें पिछले दो/तीन वर्षो के दौरान संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	2024-25	2023-24	2022-23
1	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (43)	3. काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	5000.00	1156.14	0.00
2	अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर (58)	3. काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	1260.55	930.00	0.00
3	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम (178)	1. राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम (650)	80.00	0.00	70.00
4	रवींद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल समूह, उदयपुर (06)	1. पीएमएसवाई के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के तीसरे चरण का उन्नयन (2699)	0.03	348.11	345.46
5	माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (13)	8. सहरिया क्षेत्र के छात्रों को आर्थिक सहायता (3025)	56.00	56.00	0.00
6	तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर (15)	1. पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (1920)	3.46	3.46	0.00
7	कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर (18)	1. जल प्रबंधन (428)	0.01	0.00	9000.01
		2. किसान सेवा केंद्र सह ग्राम ज्ञान केंद्र के लिए निर्माण (1671)	0.01	0.00	1800.00
		4. जैविक उत्पाद बोर्ड (3072)	0.02	150.00	0.00
		7. जैविक कृषि के लिए सहायता (3099)	0.01	150.00	0.00
8	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, सी-स्कीम, जयपुर (28)	2. मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (3166)	64,911.21	56,574.59	0.00
9	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर (43)	1. संबल ग्रामों का विकास (282)	300.00	285.00	0.00
10	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर (59)	1. जनजातीय कल्याण निधि के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी व्यक्तियों के रोजगार के लिए प्रशिक्षण (1058)	3.19	2.92	2.00
		3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन (1591)	0.03	0.03	0.03
11	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर (68)	1 ई-संचार (1034)	0.02	93.61	0.00
		2. वाई-फाई हॉटस्पॉट (2106)	0.02	0.02	225.01
12	अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक (95)	1. मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी अनुसंधान संस्थान, टोंक (112)	1.34	2.30	0.00
13	श्रम विभाग, जयपुर (134)	1. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास (325)	4.50	4.50	4.51
		2.असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सुविधा एवं सूचना केंद्र (2476)	2.78	2.50	2.32
14	जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, जयपुर (140)	2. राजीव गांधी जल संचय योजना (2753)	0.01	10375.00	0.00
15	तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जोधपुर (150)	1. सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल आईटीआई में उन्नत करना (2284)	12.50	12.50	12.50
		2. औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राईव) (2727)	300.00	300.00	650.00
16	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर (208)	1. इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर-द्वितीय चरण (1080)	8617.47	5911.41	0.00
17	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अनुभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर (259)	1. इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान (1316)	24.01	0.00	22.34

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	2024-25	2023-24	2022-23
18	एस.ए.पी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर (218)	1. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (548)	0.02	0.00	2076.45
		2. जिला नवाचार निधि (2827)	1500.00	0.00	255.00
19	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर (242)	1. स्वास्थ्य शिक्षा भवन (1190)	3.00	3.00	0.00
20	निदेशालय विशेष योग्यजन (244)	4. जिला पुनर्वास (336)	6.29	14.14	17.15
		16. विशेष योग्यजनों के लिए रैंप और लिफ्ट आदि का निर्माण (2047)	0.01	66.00	66.00
21	निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर (244)	1. क्रेच का संचालन (2543)	43.50	43.50	52.20
		कुल	**82,129.99**	**76,484.73**	**14600.98**

परिशिष्ट 3.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.2.2; पृष्ठ 119)

नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान और निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	प्रारंभिक जमा	कर्मचारी अंशदान एमएच-8011	नियोक्ता अंशदान एमएच-2071	कुल	स्थानांतरित कर्मचारी अंशदान	हस्तांतरित नियोक्ता अंशदान	कुल हस्तांतरित राशि	अहस्तांतरित अंशदान
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7	8=(6+7)	9=(5-8)
2011-12	0	198.78*	0	198.78	50.86	50.86	101.72	97.06
2012-13	97.06	0	0	97.06	48.53	48.53	97.06	0
2012-13 #	0	204.01	157.86	361.87	157.86	157.86	315.72	46.15
2013-14	46.15	247.56	206.43	500.14	206.43	206.43	412.86	87.28
2014-15	87.28	363.62	355.49	806.39	355.49	355.49	710.98	95.41
2015-16	95.41	501.22	516.83	1,113.46	516.83	516.83	1,033.65	79.81
2016-17	79.81	681.72	698.61	1,460.14	698.61	698.61	1,397.22	62.92
2017-18	62.92	1156.63	1081.97	2301.52	1081.97	1081.97	2163.94	137.58
2018-19	137.58	1765.47	1797.53	3700.58	1797.53	1797.53	3595.07	105.51
2019-20	105.51	1930.12	1952.72	3988.35	1952.72	1952.72	3905.43	82.92
2020-21	82.92	2172.58	2132.49	4387.99	2132.49	2132.49	4264.98	123.01
2021-22 (दिसंबर 2021 तक)	123.01	1881.40	1911.14	3915.55	1911.14	1911.14	3822.28	93.27
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अंशदान (एमएच -8342-00-117-(03)-01)								
2021-22 (जनवरी-मार्च 2022)	0.00	684.47	0.00	684.47	0.00	0.00	0.00	684.47
कुल अहस्तांतरित एनपीएस अंशदान								**777.74**

* नियोक्ता अंशदान सहित

मद संख्या 2071-01-117-01-89 से सरकारी अंशदान की एकमुश्त निकासी दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी।

परिशिष्ट 3.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 134)

एसी बिलों का विवरण जिनमें चालान के माध्यम से महत्वपूर्ण/सम्पूर्ण राशि वापस जमा की गई

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	शीर्ष	एसी बिल नं.	एसी बिल दिनांक	एसी बिल राशि	डीसी बिल राशि	चालान के माध्यम से जमा की गई राशि	चालान राशि का एसी बिल राशि से प्रतिशत
1	2015-106-01-57	48866573	11/6/2023	1000000	0	1000000	100
2	2055-109-11-01-20	49063222	11/16/2023	100000	0	100000	100
3	2055-109-11-01-20	49063176	11/16/2023	100000	0	100000	100
4	2055-109-11-01-20	49063187	11/16/2023	100000	0	100000	100
5	2055-109-11-01-20	49063151	11/16/2023	100000	0	100000	100
6	2055-109-11-01-20	49104583	11/20/2023	1000000	0	1000000	100
7	2055-109-11-01-20	51379005	4/9/2024	100000	0	100000	100
8	2055-109-11-01-20	51422949	4/12/2024	100000	0	100000	100
9	2055-109-11-01-20	51470594	4/16/2024	100000	0	100000	100
10	2055-109-11-01-20	51472411	4/16/2024	100000	0	100000	100
11	2055-109-11-01-20	49104163	11/20/2023	1000000	0	1000000	100
12	2055-109-11-01-20	49104325	11/20/2023	1000000	0	1000000	100
13	2055-109-11-01-20	49104372	11/20/2023	1000000	0	1000000	100
14	2055-109-11-01-20	49104500	11/20/2023	1000000	0	1000000	100
15	2055-109-11-01-20	49104551	11/20/2023	1000000	0	1000000	100
16	2055-109-11-01-20	51502490	4/20/2024	1000000	0	1000000	100
17	2055-109-11-01-20	51502497	4/20/2024	1000000	0	1000000	100
18	2055-109-11-01-20	49139225	11/21/2023	100000	0	100000	100
19	2055-109-11-01-20	49139293	11/21/2023	100000	0	100000	100
20	2055-109-11-01-20	49139235	11/21/2023	100000	0	100000	100
21	2055-109-11-01-20	49139274	11/21/2023	100000	0	100000	100
22	2015-105-01-57	51450993	4/15/2024	900000	0	900000	100
23	2055-109-11-01-20	51495947	4/19/2024	1000000	0	1000000	100
24	2015-105-01-57	51400045	4/10/2024	765000	0	765000	100
25	2015-105-01-57	51400038	4/10/2024	1300000	0	1300000	100
26	2055-109-11-01-20	51519500	4/23/2024	1000000	0	1000000	100
27	2055-109-11-01-20	51519498	4/23/2024	1000000	0	1000000	100
28	2015-105-01-57	51522591	4/23/2024	600000	0	600000	100
29	2055-109-11-01-20	51376589	4/9/2024	1000000	0	1000000	100
30	2055-109-11-01-20	51376483	4/9/2024	1000000	0	1000000	100
31	2055-004-01-40	52713094	9/6/2024	60000	0	60000	100
32	2012-104-01-01-28	52375945	7/30/2024	75000	0	75000	100
33	2204-102-01-02-29	53282710	11/28/2024	10917	0	10917	100
34	2204-102-01-02-29	53196484	11/14/2024	23525	215	23310	99.09
35	2055-109-10-01-20	51496985	4/19/2024	400000	7206	392794	98.20
36	3425-01-800-05-57	49933897	1/4/2024	95550	3045	92505	96.81
37	2204-102-01-03-29	52817706	9/23/2024	83591	6910	76681	91.73
38	2204-102-01-03-29	51936978	6/7/2024	137073	17023	120050	87.58
39	2055-109-11-01-20	49063234	11/16/2023	100000	12683	87317	87.32
40	2055-109-11-01-20	51481158	4/17/2024	1000000	172959	827041	82.70

क्र.सं.	शीर्ष	एसी बिल नं.	एसी बिल दिनांक	एसी बिल राशि	डीसी बिल राशि	चालान के माध्यम से जमा की गई राशि	चालान राशि का एसी बिल राशि से प्रतिशत
41	2055-109-11-01-20	49104622	11/20/2023	1000000	199446	800554	80.06
42	2055-109-11-01-20	51324478	4/5/2024	1000000	204097	795903	79.59
43	2055-109-11-01-20	51495780	4/19/2024	1000000	209243	790757	79.08
44	2204-102-01-02-29	53205353	11/18/2024	29540	6300	23240	78.67
45	2015-105-01-57	51481574	4/17/2024	800000	200100	599900	74.99
46	2055-109-11-01-20	51373703	4/9/2024	1000000	261592	738408	73.84
47	2204-102-01-03-29	52790402	9/18/2024	112448	29647	82801	73.63
48	2055-109-11-01-20	49104084	11/20/2023	1000000	269242	730758	73.08
49	2055-109-11-01-20	51451138	4/15/2024	300000	82809	217191	72.40
50	2055-109-10-01-20	51381638	4/9/2024	1000000	301712	698288	69.83
51	2204-102-01-02-29	52137851	7/2/2024	173280	52641	120639	69.62
52	2204-102-01-03-29	49926458	1/4/2024	13632	4279	9353	68.61
53	2055-109-11-01-20	49177732	11/23/2023	1000000	325743	674257	67.43
54	2015-105-01-57	51431592	4/12/2024	500000	164350	335650	67.13
55	2204-102-01-03-29	51569261	4/30/2024	86986	30457	56529	64.99
56	2204-102-01-02-29	52034443	6/20/2024	13335	4785	8550	64.12
57	2204-102-01-02-29	53401697	12/14/2024	196413	70968	125445	63.87
58	2015-105-01-57	51518768	4/23/2024	800000	293000	507000	63.38
59	2055-109-11-01-20	51373482	4/9/2024	1000000	376893	623107	62.31
	कुल			**31776290**	**3307345**	**28468945**	

परिशिष्ट 3.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 136)

31 मार्च 2025 तक ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक शेष राशि वाले पीडी खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पी.डी. खाता सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय का नाम और कोड	अंतिम शेष
1.	6216	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधि	भीलवाड़ा(8)	116.21
2.	3486	उप प्रबंधक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक	जयपुर शहर (18)	521.96
3.	5815	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम		148.88
4.	3398	राजस्थान भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल		1209.00
5.	18820	पंचायती राज विभाग	जयपुर सचिवालय(21)	169.80
6.	18892	आयुक्त उद्यानिकी		135.87
7.	18941	पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम		550.87
8.	3792	निदेशक एवं परियोजना निदेशक शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम		186.23
9.	3798	प्रबंध निदेशक एवं वित्त सलाहकार राजस्थान राज्य पुल/सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		717.72
10.	3821	महाप्रबंधक/कार्यकारी प्रबंधक राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम		465.44
11.	3824	वित्त सलाहकार/वित्त प्रबंधक राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनिवेश निगम लिमिटेड		191.30
12.	3831	प्रबंध निदेशक राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड		119.06
13.	3988	निदेशक सर्व शिक्षा अभियान		217.15
14.	4008	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी		495.46
15.	5303	राजस्थान शहरी अवसंरचना वित्त एवं विकास निगम		291.72
16.	5304	जयपुर मेट्रो रेल निगम (जेएमआरसी)		154.26
17.	5669	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड		612.57
18.	5756	राजस्थान राज्य विद्युत वित्त निगम लिमिटेड		616.17
19.	592	प्रबंध निदेशक राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड		991.55
20.	6330	राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसायटी		222.10
21.	6897	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी		144.55
22.	1001	आयुक्त जनजातीय क्षेत्र विकास	उदयपुर(38)	375.65
23.	6215	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, उदयपुर	उदयपुर ग्रामीण(41)	159.99
		कुल		**8,813.50**

परिशिष्ट 3.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 136)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिनके निजी निक्षेप खाते में वर्ष 2024-25 के दौरान "शून्य"राशि शेष रही

क्र.सं.	पीडी खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड
1	473	पुनर्भुगतान गृह निर्माण अग्रिम ऋण	अजमेर(1)
2	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
3	7016	सहायक औषधि नियंत्रक (आयुर्वेद)	
4	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
5	6337	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	
6	18701	सहायक निदेशक, उद्यानिकी,अजमेर	
7	169	संरक्षण अधिकारी महिला अधिकारिता विभाग	अलवर(2)
8	6338	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	
9	6736	राजकीय महाविद्यालय, भास्करपाल नगर, अलवर	
10	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	
11	10	सहायक निदेशक, उद्यानिकी	
12	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
13	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	बांसवाड़ा(3)
14	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	
15	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
16	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	बारां(4)
17	18710	सहायक निदेशक, उद्यानिकी ,बारां	
18	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	
19	1246	उप निदेशक (बाल विकास) आईसीडीएस, डीडब्ल्यूडीए	
20	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
21	6149	राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बारां	
22	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	
23	476	नवीन एम्.सी.ए.. एसबीबीजे	
24	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	बाड़मेर(5)
25	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	ब्यावर(6)
26	19131	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय कुम्हेर (भरतपुर)	भरतपुर(7)
27	6838	औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, गोपालगढ़	
28	2250	जिला कलेक्टर एवं अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास	
29	6342	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	
30	6741	राजकीय महाविद्यालय नगर भरतपुर	
31	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
32	6872	राजकीय महाविद्यालय पहाड़ी भरतपुर	
33	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	भीलवाड़ा(8)
34	6905	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना भीलवाड़ा	
35	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	बीकानेर(9)
36	18714	सहायक निदेशक, उद्यानिकी,बीकानेर	
37	5585	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
38	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	बूंदी(10)
39	18715	सहायक निदेशक उद्यानिकी,बूंदी	
40	18716	सहायक निदेशक, उद्यानिकी,चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़(11)
41	6346	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	
42	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
43	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
44	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
45	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	दौसा(13)
46	18718	सहायक निदेशक, उद्यानिकी,दौसा	
47	6265	प्रधानाचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर	धौलपुर(14)
48	18719	सहायक निदेशक, उद्यानिकी,धौलपुर	
49	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	डूंगरपुर(15)
50	2550	श्रमिक प्रतिपूर्ति आयुक्त एवं श्रम कल्याण विभाग, डूंगरपुर	
51	6904	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना गंगानगर	

क्र.सं.	पीडी खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड
52	18721	सहायक निदेशक, बागवानी,गंगानगर	गंगानगर(16)
53	6353	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	हनुमानगढ़(17)
54	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	
55	4908	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - सांगानेर	जयपुर शहर(18)
56	19319	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	
57	4886	राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, जयपुर	
58	4899	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी -आमेर	
59	4927	सरकारी महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सांगानेर	
60	4205	एन आई एम टी विश्वविद्यालय	जयपुर ग्रामीण(20)
61	6316	राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल	
62	6858	राजकीय कॉलेज विराट नगर जयपुर	
63	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
64	4928	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सांगानेर	
65	6761	शिवचरण माथुर सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान	जयपुर सचिवालय(21)
66	6823	निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर	
67	18889	पंद्रहवां केंद्रीय वित्त आयोग	
68	3929	परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना निदेशक	
69	6087	राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निधि	
70	3781	निदेशक/सचिव, विकास अध्ययन संस्थान	
71	4425	उप निदेशक, पशुपालन	जैसलमेर(22)
72	4426	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	
73	18724	सहायक निदेशक, उद्यानिकी,जैसलमेर	
74	4423	जिला कलेक्टर, जैसलमेर (गैर सरकारी निधि)	
75	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	
76	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	जालौर(23)
77	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	
78	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	झालावाड़(24)
79	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	
80	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	झुंझुनू(25)
81	18727	सहायक निदेशक, उद्यानिकी ,झुंझुनू	
82	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	
83	18528	राजकीय महाविद्यालय कुड़ी भगतासनी जोधपुर	जोधपुर शहर(26)
84	18728	उप निदेशक उद्यानिकी,जोधपुर	
85	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	जोधपुर ग्रामीण(27)
86	6360	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	करौली(28)
87	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
88	18729	सहायक निदेशक, उद्यानिकी,करौली	
89	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	कोटा(29)
90	18730	उप निदेशक उद्यानिकी, कोटा	
91	4411	कर्नल/उप कर्नल, नागरिक सुरक्षा, रावतभाटा	
92	5639	क्षेत्रीय/मंडल संस्कृत शिक्षा अधिकारी	
93	6844	राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर	नागौर(30)
94	19182	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नावा (नागौर)	
95	6307	ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, मोलासर	
96	6565	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल लाडनू नागौर	
97	2666	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी सह ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी मकराना	
98	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	
99	18731	सहायक निदेशक,उद्यानिकी,नागौर	
100	6843	राजकीय महाविद्यालय परबतसर नागौर	
101	2728	संरक्षण अधिकारी, जिला महिला विकास एजेंसी(डी डब्ल्यूडी ए)	
102	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
103	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	पाली(31)
104	6903	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना पाली	
105	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
106	6569	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल जेतारण पाली	
107	7008	राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जालौर (कैंप पाली)	

क्र.सं.	पीडी खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड
108	1848	प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय, जैतारण	
109	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	
110	6663	परियोजना कार्यान्वयन इकाई (आर.यु. आई.डी.पी.) पाली	
111	6706	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी) पाली	
112	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	प्रतापगढ़(32)
113	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	
114	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
115	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	
116	18734	सहायक निदेशक, उद्यानिकी,राजसमंद	राजसमंद(33)
117	6366	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	सवाई माधोपुर(34)
118	5811	नगर विकास न्यास	
119	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	
120	18735	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, सवाई माधोपुर	
121	6907	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना, सवाई माधोपुर	
122	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
123	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
124	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	सीकर(35)
125	18736	सहायक निदेशक, उद्यानिकी,सीकर	
126	6659	परियोजना कार्यान्वयन इकाई, ((आर.यु. आई.डी.पी.), माउंट आबू	सिरोही(36)
127	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
128	6368	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	
129	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	
130	1060	निदेशक जिला महिला विकास एजेंसी (आई.सी.डी.एस.)	उदयपुर(38)
131	18739	उप निदेशक उद्यानिकी उदयपुर	
132	473	पुनर्भुगतान गृह निर्माण अग्रिम ऋण	उदयपुर ग्रामीण(41)
133	6599	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल सारदा उदयपुर	
134	2036	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-रायसिंहनगर	अनूपगढ़(42)
135	19659	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा अनुपगढ़	
136	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	
137	5831	प्रधानाचार्य राजकीय	
138	6819	अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छतरगढ़ (बीकानेर)	
139	1281	कृषि उपज मंडी समिति (जमा) आरएसएनआर	
140	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
141	479	नई पेंशन अंशदान	
142	5635	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - खाजूवाला	
143	6847	राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़ बीकानेर	
144	2038	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - अनूपगढ़	
145	5627	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - घड़साना	
146	5967	राजकीय महाविद्यालय - अनूपगढ़	
147	6533	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल अनुपगढ़ श्रीगंगानगर	
148	6313	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - श्रीविजयनगर	
149	18498	राजकीय महाविद्यालय सावर अजमेर	केकड़ी(44)
150	19074	प्राचार्य राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृत चिकित्सा महाविद्यालय केकड़ी अजमेर	
151	408	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-केकड़ी	
152	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण	
153	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
154	479	नई पेंशन अंशदान	
155	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	
156	18767	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टाटोटी (अजमेर)	
157	19018	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-सावर	
158	4304	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-टोडा रायसिंह	
159	431	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - केकड़ी	
160	435	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - भिनाय	
161	6378	राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह (टोंक)	
162	5157	अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - केकड़ी	
163	6321	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - सरवाड़	
164	6590	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, टोडा रायसिंह टोंक	
165	5866	प्रधानाचार्य राजकीय बालिका महाविद्यालय, सरवर	

क्र.सं.	पीडी खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड
166	19666	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, केकड़ी	
167	19146	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नगर (भरतपुर)	डीग(45)
168	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	डीडवाना-कुचामन(46)
169	6177	प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय मंगलाना	
170	6715	प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय दूदू, जयपुर	(47)
171	19664	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा दूदू	
172	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण	
173	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
174	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	
175	4903	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी -फागी	
176	4902	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - दूदू	
177	6859	राजकीय महाविद्यालय फागी जयपुर	
178	6536	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल दूदू जयपुर	
179	19062	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मोजमाबाद	
180	1716	उप अधीक्षक जिला जेल गंगापुर सिटी	गंगापुर सिटी (48)
181	19665	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा गंगापुर सिटी	
182	4405	प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय टोडाभीम	
183	5851	प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय बामनवास	
184	6585	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल बामनवास सवाई माधोपुर	
185	1714	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - गंगापुर सिटी	
186	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	
187	6558	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल टोडाभीम करौली	
188	18695	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नादौती करौली	
189	4377	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - नादौती	
190	6559	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल नादौती करौली	
191	1640	प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी	
192	1715	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - बामनवास	
193	5731	परियोजना प्रचा.	
194	479	नई पेंशन अंशदान	
195	19184	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बामनवास (सवाई माधोपुर)	
196	19820	नगर पालिका बोर्ड, वज़ीरपुर	
197	4375	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - टोडाभीम	
198	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
199	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	कोटपुतली बहरोर(52)
200	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण	नीम का थाना(53)
201	4597	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - खेतड़ी	
202	479	नई पेंशन अंशदान	
203	19048	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजीतगढ़	
204	4592	राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी	
205	1313	कृषि उपज मंडी समिति श्रीमाधोपुर	
206	19669	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा नीम का थाना	
207	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	
208	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
209	4536	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेतड़ी	
210	4598	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - उदयपुरवाटी	
211	5126	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - नीम का थाना	
212	6811	अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीमाधोपुर (सीकर)	
213	6866	राजकीय महाविद्यालय पाटन सीकर	
214	6385	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - पाटन सीकर	
215	1314	कृषि उपज मंडी समिति नीम का थाना	
216	5128	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - श्रीमाधोपुर	
217	1209	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - सांचौर	सांचौर(55)
218	6540	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय रानीवाड़ा जालोर	
219	1146	कृषि उपज मंडी समिति सांचौर	
220	4415	अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रानीवाड़ा	
221	479	नई पेंशन अंशदान	
222	19010	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बागोड़ा	
223	5658	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - चितलवाना	
224	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	

क्र.सं.	पीडी खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड
225	6725	राजकीय महाविद्यालय रानीवाड़ा जालोर	
226	6851	राजकीय महाविद्यालय सांचोर जालोर	
227	1272	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी -रानीवाड़ा	
228	19011	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सरनाऊ	
229	19672	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा सांचौर	
230	18763	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटड़ी (भीलवाड़ा)	शाहपुरा(56)
231	3194	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-बनेड़ा	
232	826	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-कोटडी	
233	19673	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा	
234	6497	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल शाहपुरा भीलवाड़ा	
235	6499	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल कोटड़ी भीलवाड़ा	
236	6375	राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा (भीलवाड़ा)	
237	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी.	
238	479	नई पेंशन अंशदान	
239	830	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शाहपुरा-भीलवाड़ा	
240	876	अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - ऊंचा	
241	18762	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनेड़ा (भीलवाड़ा)	
242	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	
243	6507	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल बनेड़ा भीलवाड़ा	
244	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण	
245	6842	राजकीय कॉलेज जहाजपुर भीलवाड़ा	
246	825	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-जहाजपुर	
247	6495	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल जहाजपुर भीलवाड़ा	

परिशिष्ट 3.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 137)

वर्ष 2023-2025 के दौरान निजी निक्षेप खातों का संचालन न होना

(₹ लाख में)

क्र.सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय कोड	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	वर्ष 2023-25 के दौरान शेष
1.	कामगार क्षतिपूर्ति आयोग	01	अजमेर	14.29
2.	राजस्थान स्वास्थ्य सोसायटी (आयुष)	01	अजमेर	21.21
3.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	01	अजमेर	0.00
4.	आर्यभट्ट विश्वविद्यालय चाचियावास, अजमेर	01	अजमेर	2.69
5.	सहायक औषधि नियंत्रक आयुर्वेद	01	अजमेर	0.00
6.	शिक्षा सहकारी समिति	02	अलवर	0.13
7.	संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग	02	अलवर	0.00
8.	सहायक निदेशक, उद्यानिकी,अलवर	02	अलवर	8.62
9.	अध्यक्ष पंच निरया शुल्क	02	अलवर	0.72
10.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	02	अलवर	0.00
11.	राजकीय महाविद्यालय, भास्करपालनगर, अलवर	02	अलवर	0.00
12.	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	03	बांसवाड़ा	0.00
13.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	03	बांसवाड़ा	0.05
14.	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	04	बारां	0.00
15.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	04	बारां	0.06
16.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) बारां	04	बारां	1.74
17.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	04	बारां	3.10
18.	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	05	बाड़मेर	0.01
19.	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	05	बाड़मेर	1.56
20.	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	06	ब्यावर	0.00
21.	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	07	भरतपुर	0.00
22.	जिला श्रम आयुक्त	07	भरतपुर	19.74
23.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	07	भरतपुर	0.00
24.	मछली पालक विकास एजेंसी (एफएफडीए)	08	भीलवाड़ा	8.01
25.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	08	भीलवाड़ा	0.00
26.	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना, भीलवाड़ा	08	भीलवाड़ा	0.00
27.	नागरिक सुरक्षा	09	बीकानेर	8.27
28.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	09	बीकानेर	16.82
29.	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी) बीकानेर	09	बीकानेर	0.52
30.	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	11	चित्तौड़गढ़	0.00
31.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	11	चित्तौड़गढ़	0.00
32.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	12	चुरू	0.06
33.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	12	चुरू	0.00
34.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	14	धौलपुर	0.07
35.	प्रिंसिपल राजकीय महाविद्यालय सागवाडा	15	डूंगरपुर	10.34
36.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	15	डूंगरपुर	1.09
37.	राजकीय महाविद्यालय बिछीवाड़ा डूंगरपुर	15	डूंगरपुर	8.69
38.	भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एस.डी.एम.)	16	गंगानगर	12.76
39.	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना, श्रीगंगानगर	16	गंगानगर	0.00
40.	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	18	जयपुर शहर	0.75
41.	जिला कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण) जयपुर	18	जयपुर शहर	1,390.41
42.	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद	21	जयपुर सचिवालय	3.79
43.	राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना (आरएसीपी)	21	जयपुर सचिवालय	0.01
44.	राजस्थान वक्फ	21	जयपुर सचिवालय	89.96

क्र.सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय कोड	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	वर्ष 2023-25 के दौरान शेष
45.	हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य संस्थान लोक प्रशासन जयपुर	21	जयपुर सचिवालय	6.27
46.	होम्योपैथी चिकित्सा विभाग निदेशालय, राजस्थान जयपुर	21	जयपुर सचिवालय	0.01
47.	यूनानी चिकित्सा विभाग निदेशालय, राजस्थान जयपुर	21	जयपुर सचिवालय	0.00
48.	कृषि उपज मण्डी समिति	23	जालौर	0.07
49.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	23	जालौर	0.01
50.	न्यू एम.सी. ए. अन्य पिछड़ा वर्ग	23	जालौर	0.02
51.	कृषि उपज मण्डी समिति भीमनाल	23	जालौर	0.80
52.	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	25	झुंझुनू	0.00
53.	श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदाना	25	झुंझुनू	12.92
54.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	25	झुंझुनू	0.04
55.	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, सशक्तिकरण	26	जोधपुर शहर	12.54
56.	सरकारी महाविधालय, बालेसर	27	जोधपुर ग्रामीण	27.21
57.	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	28	करौली	1.03
58.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	28	करौली	0.00
59.	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	30	नागौर	0.00
60.	जिला कलेक्टर, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	30	नागौर	8.60
61.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	30	नागौर	2.55
62.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	31	पाली	0.41
63.	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी) पाली	31	पाली	0.00
64.	सरकारी महाविद्यालय रोहट पाली	31	पाली	3.90
65.	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना, पाली	31	पाली	0.00
66.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	34	सवाई माधोपुर	0.02
67.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	34	सवाई माधोपुर	0.00
68.	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना, सवाई माधोपुर	34	सवाई माधोपुर	0.00
69.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	35	सीकर	0.00
70.	अधिशाषी अभियंता, जवाई नहर, सुमेरपुर	36	सिरोही	5.36
71.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	36	सिरोही	0.00
72.	सहायक निदेशक, बागवानी, टोंक	37	टोंक	3.30
73.	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	37	टोंक	1.86
74.	उप निदेशक, एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (बाल विकास)	38	उदयपुर शहर	4.77
75.	आईटीआई संस्थान प्रबंधन समिति	38	उदयपुर शहर	0.39
				1717.54

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान द्वारा प्रदात सूचना।

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ अनुच्छेद 3.7; पृष्ठ 140)

वर्ष 2024-25 के दौरान लघु मद 800-अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद का विवरण जहाँ बुकिंग को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया	राशि	व्यय की प्रकृति	उचित वर्गीकरण
1.	3054- सड़कें और पुल 04-जिला और अन्य सड़कें **800-अन्य व्यय** 01-जिला सड़कों का संधारण और जीर्णोद्धार 01-जिला सड़कें	65.02	राजस्व	3054-04 के अंतर्गत **105- रखरखाव एवं मरम्मत**
2.	3054- सड़कें एवं पुल 04-जिला एवं अन्य सड़कें **800-अन्य व्यय** 02-ग्रामीण सड़कें 01-ग्रामीण सड़कों की मरम्मत	324.01	राजस्व	3054-04 के अंतर्गत **105- रखरखाव एवं मरम्मत**
3.	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं **800-अन्य व्यय** 02-नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं 01-स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	0.50	पूंजीगत	4210-02 के अंतर्गत **101- उप स्वास्थ्य केंद्र**
4.	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ **800-अन्य व्यय** 02-नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएँ 02-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	10.00	पूंजीगत	4210-02 के अंतर्गत **103- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र**
5.	4210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं **800-अन्य व्यय** 02-नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं 03-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	64.41	पूंजीगत	4210-02 के अंतर्गत **104- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र**
6.	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03-छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों का समेकित विकास **800-अन्य व्यय** 01-स्थानीय निकायों आदि को सहायता 02-शहरी जनसहभागी योजना 17-प्रमुख निर्माण कार्य	0.69	पूंजीगत	4217-03 के अंतर्गत **051- निर्माण**
7.	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03-छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों का समेकित विकास **800-अन्य व्यय** 02-शहरी सड़कें और नालियां आदि (आरओबी) 07-विभिन्न शहरी निकायों के लिए 17-प्रमुख निर्माण कार्य	13.70	पूंजीगत	4217-03 के अंतर्गत **051- निर्माण**
8.	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03-छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों का समेकित विकास **800-अन्य व्यय** 06-अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 01-स्वायत शासन विभाग के माध्यम से 17-प्रमुख निर्माण कार्य	36.58	पूंजीगत	4217-03 के अंतर्गत **051- निर्माण**
9.	4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	15.00	पूंजीगत	4225-03 के अंतर्गत **277- शिक्षा**

क्र. सं.	मद का विवरण जहाँ बुकिंग को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया	राशि	व्यय की प्रकृति	उचित वर्गीकरण
	03-पिछड़े वर्ग का कल्याण **800-अन्य व्यय** 01-देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से) 02-आदर्श छात्रावास योजना के तहत देवनारायण छात्रावास भवन का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य			
10.	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 03-पिछड़े वर्ग का कल्याण **800-अन्य व्यय** 01- देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से) 03-देवनारायण आवासीय विद्यालय का निर्माण 17- प्रमुख निर्माण कार्य	55.00	पूंजीगत	4225-03 के अंतर्गत **277- शिक्षा**
11.	4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण **800-अन्य व्यय** 01-अल्पसंख्यक मामलात निदेशालय के माध्यम से 01-छात्रावास भवन का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	25.00	पूंजीगत	4225-04 के अंतर्गत **277- शिक्षा**
12.	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण **800-अन्य व्यय** 01- अल्पसंख्यक मामलात निदेशालय के माध्यम से 04-अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	100.00	पूंजीगत	4225-04 के अंतर्गत **277- शिक्षा**
13.	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण **800-अन्य व्यय** 04-वृद्धाश्रम का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	85.00	पूंजीगत	4235-02 के अंतर्गत **104- वृद्धों, अशक्तों और निराश्रितों का कल्याण**
14.	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण **800-अन्य व्यय** 02-रेबारी और अन्य प्रवासी समुदायों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण 90-निर्माण कार्य	1.00	पूंजीगत	4235-02 के अंतर्गत **102- बाल कल्याण**
15.	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 01-वानिकी **800-अन्य व्यय** 03-लंबे पौधे की तैयारी 01-विकास कार्य 63-पोधारोपण	1.32	पूंजीगत	4406-01 के अंतर्गत **101- वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन**
16.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें **800-अन्य व्यय** 02-अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम	2,747.60	पूंजीगत	5054-04 के अंतर्गत **337- सड़क कार्य**

क्र. सं.	मद का विवरण जहाँ बुकिंग को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया	राशि	व्यय की प्रकृति	उचित वर्गीकरण
	01-ग्रामीण सड़कें 74-सड़कों और पुलों पर व्यय			
17.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें **800-अन्य व्यय** 02-अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम 06-शहरी सड़कें 74-सड़कों और पुलों पर व्यय	103.04	पूंजीगत	5054-04 के अंतर्गत **337- सड़क कार्य**
	योग	**3,647.87**		

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ अनुच्छेद 3.8; पृष्ठ 144)

जिले-वार प्रतिकूल अवशेष

(₹ करोड़ में)

कोषालय का कोड	कोषालय का नाम	अंतिम शेष
1	अजमेर	(-)114.47
2	अलवर	(-)75.80
3	बांसवाडा	(-)21.28
4	बारां	(-)27.76
5	बाड़मेर	(-)25.46
6	ब्यावर	(-)36.22
7	भरतपुर	(-)78.06
8	भीलवाडा	(-)86.97
9	बीकानेर	(-)123.65
10	बूंदी	(-)45.61
11	चित्तोडगढ	(-)39.46
12	चुरू	(-)94.40
13	दौसा	(-)15.46
14	धोलपुर	(-)15.91
15	डूंगरपुर	(-)11.49
16	गंगानगर	(-)91.49
17	हनुमानगढ़	(-)67.80
18	जयपुर (शहर)	254.74
19	जयपुर (टीओ पेंशन)	(-)756.83
20	जयपुर (ग्रामीण)	1.08
21	जयपुर सचिवालय	(-)1798.32
22	जैसलमेर	(-)13.23
23	जालोर	(-)18.68
24	झालावाड	(-)33.52
25	झुन्झुनू	(-)72.08
26	जोधपुर(शहर)	102.86
27	जोधपुर(ग्रामीण)	(-)299.48
28	करौली	(-)20.52
29	कोटा	(-)210.12
30	नागौर	(-)41.64
31	पाली	(-)83.75
32	प्रतापगढ़	(-)22.34
33	राजसमन्द	(-)20.74
34	सवाई माधोपुर	(-)35.40
35	सीकर	(-)71.57
36	सिरोही	(-)37.59
37	टोंक	(-)52.56
38	उदयपुर	45.21
40	ई-कोषालय जयपुर	47.09
41	उदयपुर ग्रामीण	(-)136.19
42	अनुपगढ	2.80
43	बालोतरा	3.35
44	केकड़ी	1.39
45	डीग	2.52
46	डीडवाना-कुचामन	5.87
47	गंगापुर सिटी	1.76
48	फलोदी	1.52
49	खैरथल-तिजारा	1.03

कोषालय का कोड	कोषालय का नाम	अंतिम शेष
50	कोटपुतली-बहरोड़	1.51
51	नीम का थाना	1.85
52	सलुम्बर	0.62
53	सांचोर	0.36
54	शाहपुरा	1.17
एसी	कोषालय	₹ 4,126
	योग	**(-) 4,219.11**

परिशिष्ट 3.8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.12; पृष्ठ 147)

स्वायत्त निकायों के प्रदर्शन को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	निकाय का नाम	सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष तक खाते प्राप्त हुए	अवधि जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत	बकाया लेखे
1	राजस्थान खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2023-24	2022-23	उपलब्ध नहीं	2024-25
2	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2023-24	2023-24	उपलब्ध नहीं	2024-25
3	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर (36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित)	नियमित लेखापरीक्षा	2023-24	2022-23	उपलब्ध नहीं	2024-25
4	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर	नियमित लेखापरीक्षा (लेखापरीक्षा के लिए चयनित नहीं)	2023-24	2021-22	उपलब्ध नहीं	2024-25
5	राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू), जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2017-18	2017-18	उपलब्ध नहीं	2018-19 से 2024-25
6	राजस्थान राज्य प्रतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राजस्थान राज्य कैम्पा)	नियमित लेखापरीक्षा	2017-18	2017-18	उपलब्ध नहीं	2018-19 से 2024-25
7	राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, जयपुर (रेरा)	नियमित लेखापरीक्षा	2023-24	2022-23	उपलब्ध नहीं	2024-25
8	राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2023-24	2023-24	05.02.2025	2024-25
9	राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2023-24	2023-24	उपलब्ध नहीं	2024-25

परिशिष्ट 3.9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.12; पृष्ठ 147)

स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए

क्र.सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए	विगत वर्षो के दौरान प्राप्त अनुदान (₹लाख में)	पिछले वर्षो के दौरान किया गया व्यय (₹लाख में)
आयुर्वेद					
1	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	4	2021-22 से 2024-25	11,236.84 (2020-21)	3,656.75
2	राजस्थान राज्य औषधीय पादप बोर्ड, जयपुर	4	2021-22 से 2024-25	1,007.67 (2020-21)	43.02
3	राजस्थान राज्य आयुष सोसायटी, जयपुर	4	2021-22 से 2024-25	21,781.89 (2020-21)	1,723.87
4	राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, जयपुर	1	2024-25	शून्य (2023-24)	14.86
गृह					
1	सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, मथानिया रोड, जोधपुर	2	2023-24 से 2024-25	717.71 (2022-23)	780.04
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य					
1	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण समिति, जयपुर	1	2024-25	6,650.70 (2023-24)	3,210.85
2	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, जयपुर (एन.एच.एम.)	1	2024-25	6,30,336.91 (2023-24)	4,00,115.48
3	अधिशाषी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), अजमेर	-	2024-25	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (एनएचएम) के समेकित रूप से प्राप्त लेखों के साथ।	यह व्यय राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (एनएचएम) के समेकित लेखों में सम्मिलित है।
4	अधिशाषी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), अलवर	-	2024-25	वही	-do-
5	अधिशाषी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), बांसवाड़ा	-	2024-25	वही	वही
6	अधिशाषी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), भरतपुर	-	2024-25	वही	वही
7	अधिशाषी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), बीकानेर	-	2024-25	वही	वही
8	अधिशाषी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), चित्तौड़गढ़	-	2024-25	वही	वही
9	अधिशाषी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), चुरू	-	2024-25	वही	वही
10	अधिशाषी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), जयपुर	-	2024-25	वही	वही
11	अधिशाषी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), जालौर	-	2024-25	वही	वही
12	अधिशाषी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), जोधपुर	-	2024-25	वही	वही
13	अधिशाषी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), कोटा	-	2024-25	वही	वही
14	अधिशाषी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), नागौर	-	2024-25	वही	वही
15	अधिशाषी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), सवाई माधोपुर	-	2024-25	वही	वही
16	अधिशाषी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), सीकर	-	2024-25	वही	वही
17	अधिशाषी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), उदयपुर	-	2024-25	वही	वही

क्र.सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए	विगत वर्षो के दौरान प्राप्त अनुदान (₹लाख में)	पिछले वर्षो के दौरान किया गया व्यय (₹लाख में)
18	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	3	2022-23 से 2024-25	9,271.79 (2021-22)	7,575.24
19	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी, जयपुर	2	2023-24 से 2024-25	2,22,635.17 (2022-23)	2,54,844.76
20	राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, जयपुर	2	2023-24 से 2024-25	63,355.49 (2022-23)	68,731.07
अल्पसंख्यक मामलात					
1	राजस्थान अल्पसंस्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	1	2024-25	169.67 (2023-24)	232.50
2	राजस्थान राज्य हज समिति, जयपुर	2	2023-24 से 2024-25	21.11 (2022-23)	29.45
3	राजस्थान राज्य अल्पसंस्यक आयोग, जयपुर	2	2023-24 से 2024-25	81.25 (2022-23)	85.71
4	राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर	4	2021-22 से 2024-25	11,276.04 (2020-21)	8,536.11
5	राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर	2	2023-24 से 2024-25	10.60 (2022-23)	400.52
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.					
1	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	3	2022-23 से 2024-25	2,777.85 (2021-22)	110.94
2	राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर	3	2022-23 से 2024-25	301.48 (2021-22)	298.73
3	राजस्थान एससी, एसटी, वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	3	2022-23 से 2024-25	8,576.99 (2021-22)	1,671.42
4	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर	1	2024-25	738.42 (2023-24)	4,816.14
5	अफीम व्यसन मुक्ति एवं प्रशिक्षण अनुसंधान ट्रस्ट, जोधपुर	1	2024-25	67.49 (2023-24)	47.00
6	नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर	1	2024-25	980.07 (2023-24)	7,923.86
7	राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर	1	2024-25	105.00 (2023-24)	137.91
जनजातीय क्षेत्र विकास					
1	राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर	2	2023-24 से 2024-25	4,456.41 (2022-23)	2,594.81
2	सेवा मंदिर, उदयपुर	1	2024-25	00.00 (2023-24)	3,571.78
3	स्वच्छ जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर	2	2023-24 से 2024-25	51,017.77 (2022-23)	27,596.11
4	जनजाति महिला विकास संस्थान, सवाई माधोपुर	1	2024-25	00.00 (2022-23)	221.38
महिला एवं बाल विकास					
1	महिला एवं बालविकास (ल्यूपिन) परियोजना कुम्हेर, भरतपुर	1	2024-25	267.97 (2023-24)	266.66
2	राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर	1	2024-25	316.00 (2023-24)	294.56
3	हितकारी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, सिटी पैलेस, कोटा	5	2020-21 से 2024-25	7.50 (2019-20)	7.51
योग		**61**			

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi